छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **नवम् सत्र**

गुरुवार, दिनांक 30 अप्रैल, 2026

(वैशाख 10, शक सम्वत् 1948)

[अंक 01]

Web Copy

विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष	डॉ. रमन सिंह
सचिव	श्री दिनेश शर्मा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति तालिका

1. श्री धरम लाल कौशिक
2. श्री विक्रम उसेण्डी
3. श्री धर्मजीत सिंह
4. श्री लखेश्वर बघेल
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री प्रबोध मिंज
7. सुश्री लता उसेण्डी
8. श्रीमती अनिला भेंडिया

माननीय राज्यपाल

श्री रमेन डेका

मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सूची

01.	श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री	सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसम्पर्क, ल संसाधन, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत निवारण एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो.
02.	श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री	लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं खेलकूद एवं युवा कल्याण.
03.	श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री	गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी.
04.	श्री रामविचार नेताम, मंत्री	आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन, पशुधन विकास.
05.	श्री दयाल दास बघेल, मंत्री	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.
06.	श्री केदार कश्यप, मंत्री	वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य.
07.	श्री लखनलाल देवांगन, मंत्री	वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी), श्रम.
08.	श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन.
09.	श्री ओ. पी. चौधरी, मंत्री	वित्त, वाणिज्यिक कर (आबकारी को छोड़कर), आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी.
10.	श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री	महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण.
11.	श्री टंक राम वर्मा, मंत्री	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा.
12.	श्री गजेन्द्र यादव, मंत्री	स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि और विधायी कार्य.
13.	श्री गुरू खुशवंत साहेब, मंत्री	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास.
14.	श्री राजेश अग्रवाल, मंत्री	पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व.

सदस्यों की वर्णात्मक सूची
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक सहित)

अ

01.	अंबिका मरकाम, श्रीमती	56-सिहावा (अ.ज.जा.)
02.	अजय चन्द्राकर	57-कुरूद
03.	अटल श्रीवास्तव	25-कोटा
04.	अनिला भेंडिया, श्रीमती	60-डौंडीलोहारा (अ.ज.जा.)
05.	अनुज शर्मा	47-धरसींवा
06.	अमर अग्रवाल	30-बिलासपुर
07.	अरूण साव	26-लोरमी
08.	आशाराम नेताम	81-कांकेर (अ.ज.जा.)

इ

01.	इंद्र कुमार साहू	53-अभनपुर
02.	इंद्र साव	46-भाटापारा
03.	इन्द्रशाह मंडावी	78-मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.)
04.	ईश्वर साहू	68-साजा

उ

01.	उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती	17-सारंगढ़ (अ.जा.)
02.	उद्धेश्वरी पैकरा, श्रीमती	08-सामरी (अ.ज.जा.)
03	उमेश पटेल	18-खरसिया

ओ

01.	ओंकार साहू	58-धमतरी
02.	ओ.पी.चौधरी	16-रायगढ़

क

01.	कवासी लखमा	90-कोन्टा (अ.ज.जा.)
02.	कविता प्राण लहरे, श्रीमती	43-बिलाईगढ़ (अ.जा.)

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

03.	किरण देव	86-जगदलपुर
04.	कुंवर सिंह निषाद	61-गुण्डरदेही
05.	केदार कश्यप	84-नारायणपुर (अ.ज.जा.)

ग

01.	गजेन्द्र यादव	64-दुर्ग शहर
02.	गुरू खुशवंत साहेब	52-आरंग (अ.जा.)
03.	गोमती साय, श्रीमती	14-पत्थलगांव (अ.ज.जा.)

च

01.	चरणदास महंत, डॉ.	35-सक्ती
02.	चातुरी नंद, श्रीमती	39-सराईपाली (अ.जा.)
03.	चैतराम अटामी	88-दंतेवाड़ा (अ.ज.जा.)

ज

01.	जनक ध्रुव	55-बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.)

ट

01.	टंक राम वर्मा	45-बलौदाबाजार

ड

01.	डोमनलाल कोर्सेवाड़ा	67-अहिवारा (अ.जा.)

त

01.	तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम	23-पाली-तानाखार (अ.ज.जा.)

द

01.	दयाल दास बघेल	70-नवागढ़ (अ.जा.)
02.	दलेश्वर साहू	76-डोंगरगांव

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

03.	दिलीप लहरिया	32-मस्तूरी (अ.जा.)
04.	दीपेश साहू	69-बेमेतरा
05.	देवेंद्र यादव	65-भिलाई नगर
06.	द्वारिकाधीश यादव	41-खल्लारी

ध

01.	धरम लाल कौशिक	29-बिल्हा
02.	धर्मजीत सिंह	28-तखतपुर

न

01.	नीलकंठ टेकाम	82-केशकाल (अ.ज.जा.)

प

01.	पुन्नूलाल मोहले	27-मुंगेली (अ.जा.)
02.	पुरन्दर मिश्रा	50-रायपुर नगर (उत्तर)
03.	प्रणव कुमार मर्पची	24-मरवाही (अ.ज.जा.)
04.	प्रबोध मिंज	09-लुण्ड्रा (अ.ज.जा.)
05.	प्रेमचंद पटेल	22-कटघोरा

फ

01.	फूल सिंह राठिया	20-रामपुर (अ.ज.जा.)

ब

01.	बघेल लखेश्वर	85-बस्तर (अ.ज.जा.)
02.	बालेश्वर साहू	37-जैजेपुर
04.	ब्यास कश्यप	34-जांजगीर-चांपा

भ

01.	भावना बोहरा, श्रीमती	71-पण्डरिया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

02.	भूपेश बघेल	62-पाटन
03.	भूलन सिंह मराबी	04-प्रेमनगर
04.	भैयालाल राजवाड़े	03-बैकुंठपुर
05.	भोला राम साहू	77-खुज्जी

म

01.	मोती लाल साहू	48-रायपुर ग्रामीण

य

01.	यशोदा नीलाम्बर वर्मा, श्रीमती	73-खैरागढ़
02.	योगेश्वर राजू सिन्हा	42-महासमुन्द

र

01.	रमन सिंह, डॉ.	75-राजनांदगांव
02.	राघवेन्द्र कुमार सिंह	33-अकलतरा
03.	राजेश अग्रवाल	10-अम्बिकापुर
04.	राजेश मूणत	49-रायपुर नगर (पश्चिम)
05.	रामविचार नेताम	07-रामानुजगंज (अ.ज.जा.)
06.	रामकुमार टोप्पो	11-सीतापुर (अ.ज.जा.)
07.	रामकुमार यादव	36-चंद्रपुर
08.	रायमुनी भगत, श्रीमती	12-जशपुर (अ.ज.जा.)
09.	रिकेश सेन	66-वैशाली नगर
10.	रेणुका सिंह सरूता, श्रीमती	01-भरतपुर-सोनहत (अ.ज.जा.)
11.	रोहित साहू	54-राजिम

ल

01.	लक्ष्मी राजवाड़े, श्रीमती	05- भटगांव
02.	लखन लाल देवांगन	21-कोरबा
03.	लता उसेंडी, सुश्री	83-कोण्डागांव (अ.ज.जा.)
04.	ललित चन्द्राकर	63-दुर्ग ग्रामीण
05.	लालजीत सिंह राठिया	19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

व

01.	विक्रम उसेण्डी	79-अंतागढ़ (अ.ज.जा.)
02.	विक्रम मण्डावी	89-बीजापुर (अ.ज.जा.)
03.	विजय शर्मा	72-कवर्धा
04.	विद्यावती सिदार, श्रीमती	15-लैलूंगा (अ.ज.जा.)
05.	विनायक गोयल	87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)
06.	विष्णु देव साय	13-कुनकुरी (अ.ज.जा.)

श

01.	शकुन्तला सिंह पोर्ते, श्रीमती	06-प्रतापपुर (अ.ज.जा.)
02.	शेषराज हरवंश, श्रीमती	38-पामगढ़ (अ.जा.)
03.	श्याम बिहारी जायसवाल	02-मनेन्द्रगढ़

स

01.	संगीता सिन्हा, श्रीमती	59-संजारी बालोद
02.	संदीप साहू	44-कसडोल
03.	संपत अग्रवाल, डॉ.	40-बसना
04.	सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती	80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.)
06.	सुनील सोनी	51-रायपुर नगर (दक्षिण)
05	सुशांत शुक्ला	31-बेलतरा

ह

01.	हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती	74-डोंगरगढ़ (अ.जा.)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 30 अप्रैल, 2026

(बैशाख 10, शक संवत् 1948)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

श्री सुनील कुमार सोनी :- अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत बधाई। आप इसी प्रकार स्वस्थ दिखते हैं, अच्छा लगता है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष जी, हम सब लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप वहां से दौड़ते-दौड़ते आएं, जैसे अमिताभ बच्चन आते हैं। (हंसी)

राष्ट्रगीत/राज्यगीत

अध्यक्ष महोदय :- अब सर्वप्रथम राष्ट्रगीत ''वंदे मातरम्'' और उसके पश्चात् राज्यगीत ''अरपा पइरी के धार'' होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्", एवं राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" की धुन बजाई गई)

समय :

11.05 बजे

निधन का उल्लेख

(1) श्री जगेश्वर राम भगत, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य.

(2) श्रीमती मोहसिना किदवई, राज्यसभा की पूर्व सदस्य.

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दु:ख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री जगेश्वर राम भगत का दिनांक 5 अप्रैल, 2026 को तथा छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती मोहसिना किदवई का दिनांक 8 मार्च, 2026 को निधन हो गया है। श्री जगेश्वर राम भगत का जन्म 2 अगस्त, 1949 को ग्राम कोड़मो, जिला जशपुर में हुआ। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि रहा। वे प्रारंभिक जीवन में सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय रहें। वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर

वर्ष 2008 में जशपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे छत्तीसगढ़ विधान सभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, पुस्तकालय समिति, पटल पर रखे गए पत्रों के परीक्षण संबंधी समिति तथा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य रहें। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता और समाजसेवी खो दिया है।

श्रीमती मोहसिना किदवई का जन्म दिनांक 1 जनवरी, 1932 को जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ। वे प्रारंभ से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहीं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की टिकट पर मेरठ निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977, 1980 और 1984 में लगातार तीन बार लोक सभा की सदस्य निर्वाचित हुईं। उन्होंने केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शहरी विकास, पर्यटन, परिवहन और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालयों के मंत्री पद के दायित्व को संभाला। उन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक देशों का दौरा किया। छत्तीसगढ़ से वर्ष 2004 से 2016 तक वे दो बार राज्य सभा की सदस्य रहीं। वे महिलाओं और बच्चों के उत्थान तथा समाज के पिछड़े वर्ग के सुधार के लिए सदैव प्रयत्नशील रहीं। उनकी सामाजिक कार्यों में विशेष रूचि रहीं। उनके निधन से देश तथा प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेत्री और समाजसेविका को खो दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सभी अत्यंत दुःख एवं शोक के साथ जशपुर अंचल के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी को श्रद्धांजली अर्पित कर रहे हैं। वे मेरे गृह जिला जशपुर के ग्राम कोड़मो के निवासी थे। उनके साथ मेरा निकट का संबंध था। मेरी अक्सर उनसे मुलाकात होती थी। वे विगत कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी आदिवासी समाज से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित एवं कर्मठ नेता थे। उनका संपूर्ण जीवन आदिवासी समाज के उत्थान, जन कल्याण एवं समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने सदैव जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सतत् प्रयास किया। अपनी सादगी, सरलता और सहज व्यक्तित्व के कारण वे जशपुर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय थे। वर्ष 2008 में वे छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा के लिए जशपुर विधान सभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास, विशेषकर सड़कों, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए सदन में प्रभावी रूप से अपनी बात रखी। विभिन्न विधान सभा समितियों के सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी सदैव जरूरतमंदों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रहें। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी गहरी रूचि थी। वनवासी कल्याण आश्रम की सरहुल समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आदिवासी परंपरा और संस्कृति के

संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे वरिष्ठ, सरल और समर्पित जन नेता का निधन न केवल जशपुर अंचल, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिजनों को इस दु:ख की घड़ी में संबल दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रीमती मोहसिना किदवई का सार्वजनिक जीवन प्रेरणादायी और जनसेवा को समर्पित रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। छत्तीसगढ़ से भी उनका निकट का संबंध रहा। वे वर्ष 2004 से 2016 तक छत्तीसगढ़ से राज्य सभा सांसद रहीं। उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए दो कार्यकाल पूरे किए। उनका पहला कार्यकाल 2004 से 2010 तक और दूसरा कार्यकाल 2010 से 2016 तक रहा। स्वर्गीय श्रीमती किदवई उत्तर प्रदेश और केंद्र की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहीं। सहज, सरल व्यक्तित्व की धनी स्वर्गीय श्रीमती मोहसिना किदवई जी ने अपने कार्यों और अनुभव के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई थी। वे जीवन भर सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम करती रहीं। लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो योगदान दिया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग प्रत्येक बार सत्र का पहला दिन हम लोगों के लिए एक दुखद घड़ी होती है, जब हम लोग अपने पूर्व साथियों के बिछड़ने की चर्चा करते हैं। जगेश्वर राम जी जशपुर जिले के रहने वाले थे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जिला है। वे 2008 में यहां आए थे। वे एक सीधे-सादे सरल इंसान थे, जिन्होंने कम से कम आदिवासी समाज की पूरी पहचान लेकर यहां जनता की सेवा को ही अपना समय दिया। वे यहां आते भी थे तो अपनी धार्मिक, आदिवासी संस्कृति के साथ बैठते थे और पूरे तरीके से आदिवासियों की बात, उनके उत्थान की बात और उनकी उन्नति की बात करते थे। वे बहुत जल्दी चले गए। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में जो काम किया और वे जो अखिल भारतीय वनवासी परिषद के नाम से जमीन में, जंगल में घुसकर काम करते थे, वह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को सीखना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खुशी की बात यह है कि उन्होंने 50.18 प्रतिशत के साथ अपना चुनाव जीता था। ऐसे दुर्लभ क्षेत्र में, खैर अब दुर्लभ तो नहीं रहा क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी वहां के निवासी हैं तो वह क्षेत्र बाद में ठीक हो जाएगा। मगर वे एक ऐसे क्षेत्र से आए थे, जहां काफी कुछ काम करने की जरूरत है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार को संबल

प्रदान करें और यह भी प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको अपने दिव्य ज्योति में लीन कर श्री शांति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, मोहसिना किदवई जी हमारे लिए एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, सांसद के रूप में काम किया और विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ की प्रभारी महामंत्री के रूप में काम किया। उनका मेरठ जैसे कठिन क्षेत्र से तीन-तीन बार लोक सभा में आना, यह लगता है कि उन्होंने निश्चित रूप से जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम किया होगा। वह हमारे छत्तीसगढ़ से राज्य सभा की सदस्य भी रहीं और हम लोग उनको बहुत स्नेह से देखते थे और हम लोगों के मन में उनके प्रति एक मातृभाव था। वह इंदिरा जी और राजीव जी के नजदीक थीं और उन्होंने यहां एक पारिवारिक सदस्य के रूप में काम किया। उनके जाने से हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ा दु:ख हुआ । मेरठ, उत्तरप्रदेश के लोगों को दु:ख हुआ होगा, मगर छत्तीसगढ़ के लोग भी काफी दुखी रहे। क्योंकि उनका जो मातृत्व भाव है, वह बार-बार देखने को नहीं मिलता। आज हम सब लोग उनके जाने से दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके पूरे परिवार को, उनके स्वजन और उनके चाहने वाले लोगों को ऐसा संबल प्रदान करें कि इस दु:ख को सह सकें और भविष्य में इसी तरह की महिलायें हमारे बीच में आती रहें जो समाज की, देश की, प्रदेश की सेवा करें और हम सब लोगों को एक सीख देकर जायें। आज मैं इनके निधन के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपनी शरण में स्थान दें और पुन: उन जैसे महान व्यक्तित्व की आगमन के लिये हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम शांति।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में अब सदन कुछ देर मौन धारण करेगा।

(सदन द्वारा खड़े रहकर मौन धारण किया)

अध्यक्ष महोदय :- दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट तक के लिये स्थगित।

(11.17 बजे से 11.23 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

11.23 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यगणों के लिये...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ समय तक नेता प्रतिपक्ष जी के सीट में आने का इंतजार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, मैं इंतजार कर रहा हूं । (हंसी)

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सभी सदस्यगणों को सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि आज विधानसभा की दर्शक दीर्घा में छत्तीसगढ़ का महिला नेतृत्व वर्ग पूरा का पूरा मौजूद है । (मेजों की थपथपाहट) जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, मेयर, जनपद के अध्यक्ष, विधानसभा की ओर से, आप सब की ओर से मैं उन सबका स्वागत करता हूं जो यहां उपस्थित हैं और शुभकामना भी व्यक्त करता हूं कि वह विधान सभा देखकर जा रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दीर्घा में एक पूर्व मंत्री भी बैठे हुए हैं वह तो पुरूष हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो इनके लिये 33 परसेंट दिल्ली में तैयारी में थे । आप लोगों की कृपा से सब गड़बड़ हो गया और आप यहां महिला विधेयक में चर्चा करने बैठे हो । (व्यवधान)

श्री भोला राम साहू :- वह तो पास हो चुका था । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसे घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं जो महिलाओं के साथ...। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ओला सब जानत हे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत समय है । आप अपनी बात...। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- महिला के आरक्षण ला कौन खाय हे, ओला ओ मन सब जानत हैं।

अध्यक्ष महोदय :- यादव जी, बैठिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला आरक्षण में चर्चा । एक मिनट ।

अध्यक्ष महोदय :- आज दिन भर का समय है । जितना बोलना है, सब आयेगा । मैं बस एक और सूचना दे रहा हूं, उसके बाद कार्यवाही शुरू करूंगा । आज के दिन भर का कार्यक्रम जो आप बोलेंगे, पूरा छत्तीसगढ़ देखा, दूरदर्शन के माध्यम से यह पूरा कार्यक्रम लाईव है । (मेजों की थपथपाहट) तो इसलिये जो भी बोलें अच्छा बोलें । छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है । 3 करोड़ जनता की निगाहें आज छत्तीसगढ़ के दूरदर्शन में रहेगा तो आप सबको मैं यह जानकारी के तौर पर दे रहा हूं कि बोलें तो अच्छा बोलें और लोगों को लगे तो आज की कार्यवाही प्रारंभ करने के साथ-साथ मैं सभापति तालिका की घोषणा करना चाहूंगा ।

समय :

11:25 बजे

<u>सभापति तालिका की घोषणा</u>

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट करता हूं :-

1. श्री धरम लाल कौशिक
2. श्री विक्रम उसेण्डी
3. श्री धर्मजीत सिंह
4. श्री लखेश्वर बघेल
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री प्रबोध मिंज

अध्यक्ष महोदय :- नारी शक्ति के सम्मान..।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट । विषय आ जाये, फिर आज तो दिन भर है, मैं भी हूं और मुख्यमंत्री जी भी हैं । पूरी चर्चा में आप हिस्सा लेंगे । दो मिनट मैं विषय रख दूं । नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए, तत्काल प्रभाव से लागू करने संबंधी संकल्प । माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण हेतु संकल्प पेश करें । (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, संकल्प हो जाये ।

डॉ. चरण दास महंत :- मैंने भी एक संकल्प दिया है, मेरा भी संकल्प है ।

अध्यक्ष महोदय :- उसके बाद मैं आपका ही संकल्प लूंगा ।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए, तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये'' । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्तुत प्रस्तुत हुआ । मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत शासकीय संकल्प पर चर्चा हेतु 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है । मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव के संबंध में संक्षिप्त में कुछ बोलें, फिर नेता जी बोलेंगे ।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं बोल नही रहा हूं, मैं तो संकल्प के बारे में बोल रहा हूं कि मैंने भी संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए न ।

डॉ. चरण दास महंत :- मैंने भी लगभग इसी संदर्भ में अपना संकल्प प्रस्तुत किया है और उसके बारे में आपने कोई जानकारी नहीं दी है । मेरा संकल्प था कि ''यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण हेतु लोकसभा और सभी विधान सभाओं में महिला वर्ग को 33 प्रतिशत आरक्षण विद्यमान क्षेत्र पर ही शीघ्रतीशीघ्र प्रदान किया जाये'' । इस पर आपने कोई जिक्र नहीं किया ।

<u>अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

अध्यक्ष महोदय :- आपके द्वारा जो अशासकीय संकल्प दिया गया है, उसके संबंध में मेरी व्यवस्था है-जब सामान्यत: विशेष सत्र होता है और आज का सत्र विशेष सत्र है तो उसका विषय पहले से निश्चित होता है कि किस विषय पर यह सत्र आहूत की गई है, उसके लिए विषय पहले से निश्चित रहता है । माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शासकीय संकल्प की सूचना दी गई । परम्परानुसार सामान्य तौर पर कोई दूसरा अशासकीय संकल्प नहीं आ सकता । चूंकि यह सत्र शासकीय कार्य के सम्पादन के लिए ही आहूत किया गया है एवं शासकीय संकल्प मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है । अत: नियम 132 (7) के अंतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्प को मैंने अग्राह्य कर दिया है ।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । मैं नियम, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी के स्थायी आदेश के 118 की ओर आपका ध्यानाकर्षित करता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इनके संकल्प में तो आपकी व्यवस्था आ गई है तो व्यवस्था आने के बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष जी किस विषय में इसको और बोल रहे हैं ।

डॉ. चरण दास महंत :- मैं तो पहले ही बात कर रहा था तो आप कह रहे थे कि..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था नहीं आई होती तो बात होती तो आपकी व्यवस्था आ चुकी है ।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पहले संकल्प हो जाने दीजिए, फिर आपकी बात सुनूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था का प्रश्न नहीं लिया था ।

डॉ. चरण दास महंत :- अभी तो मैंने कहा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरी बात सुन लीजिए । आपने जानकारी चाही तो जानकारी में आसंदी के द्वारा पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी गई और आपकी जानकारी के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था आ गई कि उसको अस्वीकृत कर दिया गया तो अस्वीकृत होने की व्यवस्था आने के बाद आपकी व्यवस्था उसी विषय में कैसे हो सकता है ।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष जी ने कहा है कि आज दिन भर बैठेंगे तो दिन भर जो कहना है, कहने रहिए, लेकिन मुझे भी तो दो लाईन कहने दीजिए । अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पढ़ा है, वह संकल्प की श्रेणी में आता ही नहीं है। आपने संकल्प का जो रूप दिया है, संकल्प राय की घोषणा अथवा सिफारिश के रूप में हो सकेगा या ऐसे रूप में हो सकेगा, जिससे शासन के किसी भी काम अथवा नीति का सभा द्वारा अनुमोदन या अनुमोदन व्यक्त किया जाये या कोई संदेश दिया जाये या किसी कार्यवाही के लिए स्थगन, अनुरोध, प्रार्थना की जाये या किसी विषय अथवा स्थिति पर शासन पुनर्विचार के लिए ध्यान आकर्षित किया जाये, वह किसी ऐसे रूप में हो सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प ऐसे किसी रूप में नहीं आया है। इसलिए आप इसे किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं ? मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मगर मुख्यमंत्री जी तो निंदा प्रस्ताव लाने वाले थे, निंदा करने वाले थे। मुख्यमंत्री जी जल्दबाजी में जो संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, वह तो विषय से हटकर है। तो आप इसे किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं ? कैसे संकल्प के रूप में मानेंगे और हम लोग कैसे मानेंगे कि यह संकल्प है ?

श्री रामकुमार यादव :- तुमन कहथ आने, मुख्यमंत्री जी आने गोठायाय रहिस ए अउ करत आने हा। मोर दीदी मन सब देखत ए, भोरहा मा झन रहिया, सब समझदार हे न। दीदी मन ला कतका देखाहिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, किसी भी लेजिसलेटिव हाऊस में या किसी भी जगह में संकल्प किस विषय में आयेगा या नहीं आयेगा, यह कहीं परिभाषित नहीं है। हमको, विधान सभा को या किसी लेजिसलेटिव को निर्देशित नहीं कर सकता कि हम किस विषय पर बहस करें या ना करें। नेता प्रतिपक्ष जी, विषय हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि हम किस विषय में बहस कर सकते हैं। जो राज्य के

अनुसूची के विषय नहीं हैं या कनकरेंस सूची के भी विषय नहीं हैं, हमने उन विषयों पर भी संकल्प पारित किया है, जो संघ सूची के विषय हैं, इस विधान सभा में उन पर भी संकल्प पारित किया है।

डॉ. चरण दास महंत :- चन्द्राकर जी, मैं पहली बात तो यह बता दूं कि मैं निर्देशित नहीं कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए विषय की कोई बाध्यता कहीं पर भी नहीं है।

डॉ. चरण दास महंत :- मैं निर्देशित नहीं कर रहा हूं। मैंने पाईण्ट आफ आर्डर के माध्यम से अध्यक्ष जी से ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो आपके पाईण्ट आफ आर्डर पर ही उस बात को बोला हूं कि जो आपने संकल्प के विषय में बोला।

डॉ. चरण दास महंत :- मैंने पाईण्ट आफ आर्डर के माध्यम से कहा कि जो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी यहां प्रस्तुत कर रहे हैं और जो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में बात कहने की कोशिश की कि हम निंदा प्रस्ताव लायेंगे, वह विषय नहीं है तो किस विषय पर चर्चा हो रही है, मैं यह पूछना चाहता हूं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- हाऊस के बाहर किसने क्या कहा, उसका यहां उल्लेख हो ही नहीं सकता है। निंदा प्रस्ताव के बारे में कहा गया या किस में कहा गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप सुनी-सुनाई बात में उसी-उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हाऊस में जिस भाषा में आया है, उस पर हाऊस चर्चा करेगी। वह माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्तुत करने के साथ ही क्लीयर हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, मैं, आपके इस बात से पूर्णत: सहमत हूं। यह प्रक्रिया और परम्परा है कि हाऊस के बाहर बोले गये विषय को लेकर किसी संकल्प की चर्चा की शुरूआत नहीं हो सकती है। यह प्रावधान के तहत भी नहीं है और परम्परा के तहत भी नहीं है। आपने ठीक विषय को उठाया। उन सारे विषयों में कभी चर्चा नहीं होती है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, हाऊस के बाहर इनके एक नेता ने निंदा प्रस्ताव के बारे में बयान दे दिया।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, ठीक है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे तो स्पष्ट होता है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है।

श्री धर्मजीत सिंह :- काहे का अंतर है ?

श्री देवेन्द्र यादव :- ये हाऊस के बाहर गुमराह कर रहे हैं और हाऊस के अंदर कोई और बात पर चर्चा कर रहे हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय जी, एक बार चर्चा हो जायेगी...।(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- हमारी सारी बहनें प्रदेश भर से आकर देख रही हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग डरे हुए लोग हो। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप लोग हाऊस के बाहर अलग बोलते हो और हाऊस में अलग बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- जनता माफ नहीं करती। ये बहनें आपको माफ नहीं करेंगी क्योंकि आप दोहरा चरित्र दिखा रहे हो।

श्रीमती भावना बोहरा :- भाई, आप लोग चर्चा के पहले ही घबरा जाते हो।

श्रीमती शेषराज हरबंश :- आप लोग हमेशा विरोधी बने हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आज मैं सबको समय दूंगा। आज पर्याप्त समय है। विषय एक ही है। जिसको जितना बोलना है, मैं किसी को नहीं टोकूंगा, यह मैं आप सबको बता रहा हूं। मैं पूरे दिन भर बैठूंगा। मैं बहुत दिनों बाद आया हूं। मैं आराम से बैठ रहा हूं। संकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब सुनने के लिए बैठे हैं। इसलिए गंभीरता से इस विषय को आगे बढ़ायें। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने विषय रखा और उस विषय के ऊपर व्यवस्था आ गई है। तो मैं सोचता हूं कि जो संकल्प सभा में प्रस्तुत किया जाता है, वह सदन की राय सिफारिश के रूप में ही प्रस्तुत होता है, नियम 118 की पूर्ति होती है। मैं सुश्री लता उसेंडी जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपना भाषण प्रारंभ करें। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- लता जी, एक मिनट। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी से आग्रह करता हूं, आप लोग बहानेबाज़ी करके मत भागना । मुझको सूचना मिली है आप भागने की तैयारी में हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम लोग कोई नहीं भागने वाले हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- चरणदास जी, आपको रणछोड़ दास जी, यह लोग बनवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- बिल्कुल नहीं भागेंगे, आप चिंता मत करिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- लेकिन अब षड्यंत्र अभी नहीं होगा। आपसे आग्रह है कि आप अपने लोगों को बोलने के लिए रोकेंगे और इस चर्चा में भाग जरूर लेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- बिल्कुल, आपने जिस रणछोड़ दास की...।

श्री राजेश मूणत (रायपुर पश्चिम) :- नेता जी, आज आप स्वतंत्र हैं, आपके पड़ोस में कोई दबाव नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- वही मैं कह रहा हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं बिल्कुल फ्री हूं और आपको बता देना चाहता हूं, जो धर्मजीत भाई ने कहा है 'रणछोड़ दास मत बनिए', तो रणछोड़ दास तो हमारे भगवान कृष्ण का ही एक नाम है । इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं यहां डटा हूं।

श्री देवेन्द्र यादव :- सुदर्शन चलेगा।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं डटा हूं, डटा रहूंगा और दीदी के बोलने से पहले मैं यही कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय आपने कहा है कि गैलरियों में इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हम उनको तो यहां बैठाने की बात कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) बैठा दीजिए आज रात, आप आज ही यहां लाकर बैठा दीजिए, आपको कौन रोक रहा है? आप ही तो 34 और 35 और 47 तक जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- इसलिए आज शुभ-शुभ बोलिए।

डॉ. चरणदास महंत :- शुभ बोला है सर। इधर की गैलरी वाले, उधर की गैलरी वाले यहां आकर बैठ जायें।

अध्यक्ष महोदय :- सबके लिए अच्छा बोलिए और छत्तीसगढ़ और देश के लोग देख रहे हैं, इसलिए आपसे तो पूरा हमको भरोसा है कि आज अपनी बात तर्क के साथ मजबूती के साथ रखेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। यह जवाब-सवाल का विषय नहीं है, यह छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की महतारी के सम्मान का विषय है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की इतनी बड़ी व्यवस्था हम देने जा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) लता जी, आप शुरू करिए पहली वक्ता के रूप में।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आप इनको 34 तक ले जाना चाहते हैं, हम इसको 29 को लाना चाहते हैं। बस इतना सा अंतर है।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट बैठिए। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी भाषण शुरू हो रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट बस, लोकसभा में चेहरा उजागर हो गया, तो फिर हमको यहां लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा वातावरण है, अभी नहीं, अभी नहीं।

श्री धरमलाल कौशिक :- देश के प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि यह पहले आये, ये नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय :- धरम जी, धरम जी, इस प्रस्ताव में नहीं। लता जी बोलिए, सीधा शुरू करिए। कोई किसी को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, सबको अवसर देंगे। (मेजों की थपथपाहट) जो जो बोलेगा सुनेंगे और रिकॉर्ड में लेंगे।

सुश्री लता उसेण्डी (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णु देव साय जी के द्वारा 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' संकल्प प्रस्ताव लाया गया है और आपने विशेष सत्र

बुलाकर इसको पारित करने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए हम सब लोगों को एक अवसर प्रदान किया है, उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, लंबे समय से यह सफर चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लोकसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया गया, तो देश की आधी आबादी, देश के वह मानस जो महिलाओं के अधिकार के लिए, संतुलन के लिए, समानता के लिए, इस देश के संतुलन और समानता के पक्षधर रहे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माइक चालू कर लीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- अध्यक्ष महोदय, अभी से बंद कर दिया गया।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आप लोगों की चाल है मुझे कहीं न कहीं लगता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी से महिलाओं का शोषण होना शुरू हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- आप सुनिए तो।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सब इंतजार करते रहे और 16 तारीख से जब चर्चा शुरू हुई और 17 तारीख को जब यह बिल गिरा तो लोगों को लगा कि लोकतंत्र की जीत हो गई। वह आधी आबादी के सपने चकनाचूर हो गए, यह विपक्ष के लोगों को नहीं दिखा । माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सालों के सफर पर रुकावट बनने का काम विपक्ष ने किया, इसे यहां पर इस सदन में उपस्थित सारी हमारी महिला बहनें प्रत्यक्ष रूप से टी.वी. में देख कर आई हैं, और उसी उत्साह के साथ यहां पर विराजित भी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लगातार महिला आरक्षण की बात आई तो सिर्फ ढकोसला किया। लगातार हम सब ने देखा है। नारी शक्ति वंदन प्रस्ताव यानी देश में आधी आबादी को उनका अधिकार देना, उनके अभिमान की रक्षा करना, उनके स्वाभिमान को आगे बढ़ाना है। इन भावनाओं के साथ अगर यह लोग सोचते तो शायद आज हम इस विषय को दूसरे स्वरूप में यहाँ पर चर्चा करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ माँ बमलेश्वरी की भूमि, माँ महामाया की भूमि, माँ दंतेश्वरी की भूमि, माता कौशिल्या की भूमि है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ या चाहे पूरे देश की बात करूँ तो यह विषय लगातार कई बार आता रहा है, कई बार चर्चाएँ होती रही हैं। संविधान सभा में भी महिलाओं के आरक्षण के विषय में चर्चा हुई, लेकिन दाक्षायणी वेलायुधन जी, हमारे संविधान सभा की सदस्य रही, उन्होंने इस बात को कहा कि हमें आरक्षण नहीं, हमें समानता का अधिकार चाहिए। संविधान सभा की सदस्य दाक्षायणी वेलायुधन और अन्य हमारी सदस्यों ने इस बात को कहा, लेकिन पिछले छह दशकों से समानता की बात तो दूर, इन्होंने सिर्फ आरक्षण की पृष्ठभूमि तैयार करने का ढोंग रचते रहे। साथ ही जब मिहलाओं के आरक्षण के संबंध में सदन में चर्चाएँ होती रहीं तो हमेशा इनका मुखौटा खुलकर सामने आया, इन्होंने कभी दिल से इसका समर्थन नहीं किया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जब वर्ष 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है तो फिर यह किसकी बात कर रही हैं? हमने इस विधेयक का कभी विरोध किया ही नहीं है। हमारी पिछली कांग्रेस की सरकार ने ही यह विधेयक पारित किया है तो फिर आप लोग किसलिए देरी कर रहे हैं? यह सब नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुनील कुमार सोनी :- अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को कांग्रेस की सरकार ने कहां पारित किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उनको बोलने के लिए उनका नाम जरूर दे दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यख महोदय जी, हम लोग आज ही पारित करने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, सुन लिया।

श्री सुनील कुमार सोनी :- कांग्रेस की सरकार ने कहाँ पारित किया है। वर्ष 2023 में मोदी जी की सरकार ने इसे पारित किया और कांग्रेस ने विरोध किया था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- लेकिन महिला आरक्षण विधेयक को कांग्रेस ने ही लाया था।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह लोग सदन में गलत बोल रहे हैं। यह विधेयक सदन में सर्वसम्मति से पास हुआ था।

अध्यक्ष महोदय :- आप सब बातें अभी बोल लेंगे तो जब आपके बोलने का समय आएगा तब आप क्या बोलेंगे? आप विषय को बचा कर रखिए। सिन्हा जी, आपको अवसर मिलेगा तो पूरा बोलिएगा, पूरा समय देंगे। लता जी, आप Continue करिये।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि सृष्टि में देवी का अविर्भाव भी, यहाँ के संतुलन को बहाल करने और बुराई के अंत करने के लिए देवताओं की सामूहिक शक्ति से हुआ था। अगर हम पिछले दशकों की बात करें तो आज वह समय आ गया है, जहाँ महिलाओं ने पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्र को भी तोड़ा है। चाहे हम किसी भी Field की बात करें, चाहे हम किसी भी Aria की बात करें या चाहे हम Army की भी बात करें तो आज हमारी महिला, बहनें Confidence के साथ Duty करती हुई दिखाई पड़ती हैं। अगर आज हम पायलटों की आँकड़े को देखेंगे तो विश्व में सबसे ज्यादा संख्या में महिला पायलट हमारे भारत देश में काम करते दिखाई देते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो वैदिक काल से गार्गी, मैत्रेयी आदि अनेक वैदिक काल की प्रसिद्ध विदुषी रहीं, जिन्होंने दार्शनिक ज्ञान, वेदों की रचना और आध्यात्मिक चर्चाओं का महान योगदान दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी संस्कृति चली आ रही है, उसके यह प्रेरणादायी व्यक्तित्व रहे हैं। अगर हम वर्तमान युग की बात करें तो गायत्री परिवार में आचार्य श्री ने महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार अधिकार दिया, साथ में उन्हें यज्ञ कराने का अधिकार दिया, उन्हें उपनयन संस्कार कराने का अधिकार दिया। यह बीच के कालखंड में से महिलाओं को दूर करने का कार्य जो

किया, अभी वर्तमान में विपक्ष के लोग भी वही कार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मातृ शक्ति को सत्संग और मन को निर्मल बनाने का सर्वोत्तम माध्यम माना गया है। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार हमारी मातृशक्ति को माना गया है तथा उन्होंने सिद्ध भी किया कि महिलाओं का अधिकार समानता और माता भगवती देवी जी ने महिलाओं को वैदिक ज्ञान दिलवाने में श्री रामाचार्य जी का भरपूर साथ दिया, जिसके कारण आज हजारों महिला बहनें आज उस योगदान की बदौलत पूरे विश्व में अपना अमिट छाप छोड़ रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कुछ आध्यात्मिक संस्थाओं का जिक्र जरूर करूँगी कि ब्रम्हकुमारी, दादी मातेश्वरी जगदंबा सरस्वती, जिनकी प्रेरणा से आज हजारों बहने शांति के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिये पूरे विश्व में काम कर रही है । मैं व्यंगम योग संस्थान की बात करूँगी कि जहां माता मुक्तिदेवी ने अपने पुत्र सदाफल देव जी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे उन्होंने कहा कि जब तक तुम एक लाख जीवों को मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं होगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम दक्षिण की बात करते हैं, आज अम्मा के पास जो भी व्यक्ति जाता है, वह उर्जा के साथ वापस आकर अपने कार्य में लग जाता है, ऐसे व्यक्तित्व की धरती पर हम सब ने जन्म लिया है और हमें कार्य करने का अवसर मिल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरित मानस में स्त्री नेतृत्व की महिमा को चौपाई में बड़े सारगर्भित और प्रभावी ढंग से व्याख्या किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, बाली वध से यह प्रसंग है कि किष्किंधा के राजा बाली का अपराध गिनाते हुये श्री राम यह भी कहते हैं कि "मूढ़ तोहि अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करिस न काना" अर्थात हे मुर्ख तुम इतने घमण्डी हो कि स्त्री की सीख पर तुमने कभी काम नहीं किये यानी उसे कभी भी नहीं सुना । यह प्रसंग आप सभी को पता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सुग्रीव ने अपने भाई बाली को युद्ध के लिये ललकारा, तब बाली की पत्नी तारा ने उसे बाहर निकलने से मना किया था, फिर भी वह युद्ध में गये । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम अगर विपक्ष की भूमिका की बात करते हैं तो मानस के इस प्रसंग से कांग्रेस और सहयोगी दलों के हालिया व्यवहार से मापेंगे तो इसी तरह स्त्री नेतृत्व को उपेक्षित करने का कार्य विपक्ष कर रही है । (मेजों की थपथपाहट) उनकी सलाह को कम आंकने का काम विपक्ष ने करते हुये अपना स्त्रीत्व विरोधी चेहरे को भी उजागर किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी परिस्थितियों की बदौलत महिलाओं की आमद होने लगी है, सरकार महिलाओं के सम्मान, उत्थान या अभिमान, स्वाभिमान और उदयीमान होने की बात करते हुये महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव लाती है और कांग्रेस इसका विरोध करती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर विरोध करने के तरीके भी अलग-अलग रहे हैं । इतिहास गवाह है कि किसने रोका, किसने रास्ता दिया, कौन इस पर साधक बना और कौन इस पर बाधक बना, विपक्ष के मित्र आज महिला न्याय की दुहाई दे रहे हैं ? इतिहास पूछता है कि वर्ष 1996 से वर्ष 2014 तक बिल कहां था ? रानी लक्ष्मी बाई ने कहा था कि मैं झांसी नहीं दूंगी, लेकिन 1998 में इसी सदन में विपक्ष के एक सांसद ने महिला आरक्षण को छीनकर फाड़

दिया था । माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मी बाई अंग्रेजों से लड़ी, आपने बिल से लड़ाई की और बिल फाड़ दी ? माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मी बाई अंग्रेजों से लड़ी, आपने बिल से लड़ाई किया और बिल फाड़कर हमारी बहनों के सपने को चकनाचूर कर दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, सावित्री बाई फूले ने बेटियों के लिये स्कूल खोला, वर्ष 2010 में राज्य सभा से बिल पास होने के बाद 4 साल तक उसे लोक सभा में लाने की हिम्मत नहीं की ? शिक्षा का दरवाजा सावित्री बाई ने खोला, आपने संसद का दरवाजा बंद किया और यह लगातार चल रहा है । 1952 से लेकर आज तक की हम बात करें तो आगे और बिन्दुओं की ओर जाऊंगी, आपने 70 साल तक न ही आरक्षण दिया, न बराबरी दिया ? 1951 में 5 महिला सांसद थी, 2014 तक 5 प्रतिशत थी, अभी सिर्फ 11 प्रतिशत तक हम पहुंच पाये हैं । अध्यक्ष महोदय, भाजपा ने जो कहा है, वह हमेंशा किया है । वंदन किया है, स्थगन नहीं किया । हमने हमेशा महिलाओं के हित की बात की, महिलाओं के पक्ष में बात की। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पहली बार पार्टी ने संविधान में 33% आरक्षण देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। (मेजों की थपथपाहट) आपने इस कानून को सिर्फ किंतु-परंतु, यहां-वहां करके लटकाने-भटकाने का काम इतने वर्षों से किया। कल्पना चावला ने कहा था, रास्ता आसमान में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संसद भवन का पहला बिल महिलाओं के नाम किया। आप कहते हैं चुनावी स्टंट है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं, अगर महिला सम्मान स्टंट है तो 2010 में आपने स्टंट क्यों नहीं किया? आपको तो लंबे समय तक छह दशक तक कार्य करने का मौका मिला। आप भी इसको स्टंट बनाते, आप भी देश में स्टंट करते। हम भी देखते, लोग भी देखते और ये बहनें भी देखतीं और पूरा देश देखता। लेकिन आपने सिर्फ बहानेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। सरोजिनी नायडू जी 1925 में कांग्रेस अध्यक्ष बनीं, गर्व की बात है। 2023 में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस बिल पर वोट देने से मजबूर हुआ, क्योंकि देश बदल चुका है और बदलने वाले का नाम नरेंद्र मोदी हैं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज जो महिलाएं, हमारी माताएं इतनी ज्यादा संख्या में उपस्थित हैं। पंचायती राज कांग्रेस की देन है जो आरक्षण में हमारी माताएं-बहनें इतनी ज्यादा संख्या में उपस्थित हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- लहरिया जी, ज्यादा मत बोलिए, महंत जी अगली बार मस्तूरी से महिला को ही टिकट दे देंगे, रिजर्वेशन हो या मत हो ।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय मैं तो चाह ही रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- हम तो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की पद में भी लता दीदी बैठ जाएं।

श्री दिलीप लहरिया :- मुख्यमंत्री भी अल्टरनेट होना चाहिए, लगभग ढाई साल हो रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- यहां ढाई-ढाई साल वाला खेल नहीं चलता है न। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- ऊपर में किसको चाहते हो भाई को या बहन को? यहां तो ठीक है, लता जी का नाम ले दिए, ऊपर में भाई या बहन? किस वाले हो ? कौन से ग्रुप में हो, भाई के साथ हो या बहन के साथ हो ?

श्री दिलीप लहरिया :- बहन भी चलेंगी, माताएं भी चलेंगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, लता दीदी, आप इतना बता दीजिए कि आपकी पार्टी ने आपके साथ न्याय किया क्या ?

श्री राजेश मूणत :- न्याय किया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- न्याय किए होते तो लता दीदी वहां पर बैठी रहतीं। लता दीदी ट्रेजरी बेंच में बैठी रहतीं। (व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भई। (व्यवधान)

श्री सुनील कुमार सोनी :- वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समझते हैं?

श्रीमती भावना बोहरा :- हम लोग महतारी वंदन योजना दे रहे हैं, आपको कहीं इससे तो तकलीफ नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- वे सबसे बड़े राजनीतिक दल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दीजिए न। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सबसे ज्यादा महिला मन ला धोखा आप मन दे हो। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष जी, केन्द्रीय मंत्री रेणुका दीदी को बिठा दिए हैं। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- संगीता जी भूल जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और उसकी वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।

श्री आशाराम नेताम :- संगीता जी, सुनिए, हमारी पार्टी सबकी चिंता करने वाली पार्टी है। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- उनके साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ? आप तो यह बताईए कि ब्रदर गुट में हो या सिस्टर गुट में हो?

श्रीमती भावना बोहरा :- आप एक ही चीज बता दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपकी पार्टी ने महिलाओं के साथ न्याय किया ही नहीं है। आज केंद्रीय मंत्री रेणुका दीदी भी हमारे इस साइड बैठी हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हमें दर्द होता है, हम महिलाएं हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री आशाराम नेताम :- हमारी बहनें माताएं राष्ट्रपति हैं। हम महिलाओं की चिंता करते हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- लता जी ने जितनी महिलाओं का उल्लेख किया, वह सब देशी महिलाएं हैं। समझ रहे हैं? सब देशी महिलाएं हैं। उन्होंने किसी विदेशी महिला का उल्लेख नहीं किया। (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- हमारी भाजपा सरकार में सबको अवसर दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- रेणुका दीदी मुख्यमंत्री बने हे किही के ओखर यहां सिक्योरिटी चल दे रिहिए हे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में पहली महिला राष्ट्रपति थीं। महिला प्रधानमंत्री थीं। आपने क्या किया है ? (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- एक ही चीज बता दीजिए, जिस दिन यह बिल गिरा प्रियंका गांधी वाड्रा जी टेबल थपथपा रही थीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- आप लोगों में परिवारवाद चलता है। (व्यवधान)

श्री रोहित साहू :- संगीता दीदी, आप नहीं चाहतीं क्या कि हमारी और बहनें यहां आएं। आपके साथ और बैठें, आप नहीं चाहते क्या ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- चाहते हैं, महिला आरक्षण आज के आज लागू हो।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए, बैठिए। जब एक महिला बोल रही हैं, प्रथम वक्ता के रूप में बोल रही है तो उसका विरोध सिर्फ महिलाएं क्यों कर रही हैं? समझ में नहीं आ रहा है। (हंसी) आपको खुश होना चाहिए कि ओपनर है, यानी मुख्यमंत्री जी ने सदन में लता जी को इतना बड़ा सम्मान दिया कि पहली वक्ता के रूप में बोल रही हैं। इसका स्वागत होना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) स्वागत करिए और आप लोग भी अच्छे से शुरुआत करिए। बैठिए।

(माननीय सदस्य (श्री कवासी लखमा) जी के खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय :- आप कहां महिला के बीच में पड़ गए? आप बैठिए ना। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- जब महिलाएं आपस में लड़ रही हैं तो वे क्यों बीच में खड़े हो रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- ये भी आप सही बोल रहे हो। मैं आपकी बात से सहमत हूं। चलिए लता जी।

श्रीमती भावना बोहरा :- शुरूआत उस साईड से हुई थी न।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों में आरक्षण की बात कहते हैं। उतना ही दिया, जहां पर उनको खतरा महसूस नहीं हो रहा था। (मेजों की थपथपाहट) (शेम-शेम की आवाज)

श्री ओंकार साहू :- दीदी, आप प्रतिशत भी बता दीजिये कि पंचायतों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर खड़ी नहीं होऊं तो क्या करूं? मैं कुछ भी कैसे सुन लूं?

सुश्री लता उसेण्डी :- 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद, बधाई व साधुवाद देती हूं। जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने छत्तीसगढ़ में पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। (मेजों की थपथपाहट) आज प्रदेश में 55 प्रतिशत आरक्षण है। मैं तत्कालीन माननीय पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर जी को भी धन्यवाद देती हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, यह कांग्रेस की देन है। यह जो पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण की बात कर रही हैं, यह स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, उस समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी।

सुश्री लता उसेण्डी :- मैं तो कह रही हूं कि उतना ही दिया।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- अध्यक्ष महोदय, पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण वर्ष 2008 में लागू हुआ है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पहले आप धन्यवाद ज्ञापित करिये।

सुश्री लता उसेण्डी :- मैं आगे और बता रही हूं कि राजीव गांधी जी ने हमारे लिए क्या-क्या किया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पहले आप धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिये, फिर आगे बढ़िये।

सुश्री लता उसेण्डी :- मैं आगे बोल रही हूं कि राजीव गांधी जी ने हमारे लिए क्या-क्या किया है।

श्रीमती भावना बोहरा :- आप सुनने की थोड़ी सी हिम्मत तो रखिये।

सुश्री लता उसेण्डी :- मैं अजय चंद्राकर जी और माननीय डॉ. रमन सिंह जी को बधाई देती हूं।

श्री राजेश मूणत :- लता जी, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी वे बहनें इसलिए दु:खी हैं क्योंकि कांग्रेस में संविदा चलती है। अभी तक जितनी भी बहनें आई हैं, वे संविदा में ही आई हैं। उन्होंने कभी आरक्षण का उपयोग नहीं किया। परिवारवाद चला, संविदा में चला। वे संविदा में कांग्रेस की तरफ से आई हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी काबिलियत से नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक आई हुई हैं इसलिए लता जी बोल रही हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह अस्मिता की बात बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- आप महिला विधायक का अपमान कर रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह नारी का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह कौन सी महिला हैं? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यह नारियों का अपमान है। आपने नारियों को संविदा बोल दिया। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, यह महिलाओं के नेतृत्व को भी संविदा के आधार पर मान रही हैं तो यह क्या महिलाओं के संबंध में न्याय की बात करेंगे?

श्रीमती अंबिका मरकाम :- आपने कैसे कह दिया कि संविदा में आये हैं?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आपको नारियों की ताकत का अंदाजा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आज की बैठक को पूरी गंभीरता से लें। पूरा प्रदेश देख रहा है कि हम विधान सभा में कैसी बातचीत और कैसी चर्चा करते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो संगीता जी बार-बार खड़ी हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय :- इसका आपके क्षेत्र के लोगों पर भी बेहतर प्रभाव पड़े। मगर बार-बार खड़े होने से बहुत ज्यादा कोई तारीफ नहीं होती। आप तर्क के साथ अपनी बात रखिये। जब अवसर आएगा, तब आप पूरा बोलिये। लता जी, आप जारी रखिये।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि उतना ही दिया, जितने से खतरा नहीं था। अब इसके आगे 33 प्रतिशत आरक्षण की बात आई कि यह राजीव गांधी जी ने दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहबानो केस को देश भूला नहीं है। उस पर भी संगीता जी आगे थोड़ा प्रकाश डालेंगी, जब उनका समय आएगा। शाहबानो का वह प्रसिद्ध मामला मुस्लिम पत्नियों से संबंधित है। 3 फरवरी, 1991 को सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया, उसके विरोध में लोक सभा में प्रस्ताव लाकर नया कानून बनाया गया और उनको भरण-पोषण से वंचित रखने का कार्य किसने किया? (शेम-शेम की आवाज) माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी जी को तुष्टिकरण व वोट बैंक की राजनीति के लिए खुद जाना पड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी जी को यह कदम उठाना पड़ा कि उनके सहयोगी दल व मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिलेगा। एक बहन को अगर कटघरे में खड़ा करना है, उसके अस्तित्व को खत्म करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे वोट बने रहना चाहिए, मेरी पार्टी के लिए वोट बने रहना चाहिए। उस शाहबानो बहन का जो मामला है, मैं चाहूंगी कि हमारे कांग्रेस पक्ष के जितने भी सदस्य इस चर्चा में भाग लेने वाले हैं, सारे इस बिंदु पर एक-एक लाइन का प्रकाश डालेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। जहां पर भी जनता के हित की बात आई, महिला बहनों के हित की बात आई, उन्होंने सारे लाभ को परे रखकर निर्णय किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि तीन तलाक के विरोध में जब कानून लाने की बात उठाई गयी थी, माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने कानून प्रस्तुत किया तो इसके विरोध में किन-किन लोगों ने बात की?

समय :

12.00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष से चाहूंगी कि वे इस पर भी प्रकाश डालियेगा। इनके दबाव में शाहबानो जी को जाकर प्रेस कांफ्रेंस करना पड़ता है कि मुझे भरण पोषण नहीं चाहिए। यह कांग्रेस का चरित्र है, जो स्पष्ट रूप से देश के लोग और हमारी आधी आबादी देख रही है। सिर्फ बात

करने से नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, सब राजीव गांधी जी को होनहार युवा नेता मानते थे, उन्होंने देश के लिए बहुत सारे अच्छे फैसले किये, यह हम सब कहते भी थे, लेकिन इस केस के बाद शायद हमारी आधी आबादी उन्हें कभी माफ नहीं कर पायी और उनके साथ जो सहयोगी है, उन्हें भी कभी कोई माफ नहीं कर पायेगा। यह सिर्फ एक महिला की, एक समुदाय की बात नहीं है, यह संपूर्ण महिला समाज की, देश की आधी आबादी की, देश की समानता और संतुलन की बात है। भारतीय जनता पार्टी समानता और संतुलन के लिए हमेशा लगे रहेगी, हमेशा प्रयासरत रहेगी और हमेशा समानता का अधिकार दिलाने का काम करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अरूणा आसिफ अली, जिन्होंने 1942 में झण्डा फहराया। आपने 70 सालों में कितनी अरूणा को टिकट दिया ? मैं इस सदन में स्व. सुष्मा स्वराज जी को भी याद करना चाहूंगी, जिन्होंने विदेश मंत्री बनकर दुनिया का मन जीता, जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनीं और मुझे लगता है कि यदि हम किसी भी दल की बात करें तो यदि कोई पहली प्रवक्ता रही हैं तो सुष्मा स्वराज जी रही है। (मेजों की थपथपाहट) भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें देश में पहली प्रवक्ता के रूप में पत्रकारों के समक्ष चर्चा करने का अवसर दिया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- लता दीदी, सुष्मा स्वराज जी प्रवक्ता बनीं, आप इस बात का उल्लेख कर रही है। देश के अंदर 18 राज्यों में आपकी सरकार है और उसमें से दिल्ली को छोड़कर एक भी महिला मुख्यमंत्री होंगी तो आप बता दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप दिल्ली की मुख्यमंत्री को महिला नहीं मानते हैं क्या ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आपकी सरकार में पहली बार एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या हम आपसे पूछकर बनायेंगे ? हमको जो ठीक लग रहा है, उसे बना रहे हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आज तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं, उसकी बात आ रही है ना।

श्री रामकुमार यादव :- यही तो मानसिकता है ना।

श्री लखेश्वर बघेल :- 33 प्रतिशत भी पूछने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप केवल और केवल महिलाओं की बात करेंगे और परिणाम बताईये।

श्री रामकुमार यादव :- आप लोगों की यही मानसिकता है कि आप लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। 18 मुख्यमंत्रियों में सिर्फ 1 महिला मुख्यमंत्री हैं और आप लोग हमारी पार्टी को देखिये। महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की थीं, यह होता है सम्मान। आप लोग प्रधानमंत्री बनाकर देखिये। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप लोग 33 प्रतिशत लागू कर दीजिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यदि आप महिला के हित की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ से ही शुरूआत हो जाये।

श्री नीलकंठ टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, इन 18 राज्यों में कितनी महिलाएं प्रतिपक्ष की नेता है, यह बता दीजिये ?

सुश्री लता उसेण्डी :- अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके पहले जो कहा है उसके बारे में भी आप थोड़ा प्रकाश डालियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- आप लोगों के मेन आर.एस.एस. में कभी-भी महिलाओं को सपोर्ट नहीं करते हैं। आप लोग क्या बात करते हैं ?

श्री नीलकंठ टेकाम :- आप जरा देख लीजिए कि विपक्ष में कितनी महिलाएं नेता प्रतिपक्ष है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप महिलाओं के पक्षधर हैं तो आपसे ही शुरूआत हो ना।

श्री रामकुमार यादव :- आप लोग क्या बात करते हैं। आप लोगों का केवल दिखावा है। आप लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- दीदी, छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनीमाता जी का भी जिक्र कर दीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- रामकुमार भाई, आप मन ला आरक्षण हे, आप मन चिंता झन करबे। हमन मन आप मन के नाम देंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोगों का जो मुख्य संगठन आर.एस.एस. है, उसमें एक भी महिला को नहीं लिया गया। आप बोलिये कि वे महिलाओं को भी ले।

श्री रामकुमार यादव :- यदि हिम्मत है तो प्रधानमंत्री बना दीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- प्रतिपक्ष में कितनी महिला (व्यवधान) कितनी महिलाएं (व्यवधान) है, वह बता दीयिजे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोगों के संगठन में एक भी महिला को नहीं लिया गया है। हमारी पार्टी में महिलाओं को सम्मान दिया गया। हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी महिलाएं रही हैं। (व्यवधान)

श्री गोमती साय :- अध्यक्ष महोदय, अभी एक महिला बोल रही है, एक बार बढ़िया से सुनना चाहिए और सुनकर अपनी बारी में बोलना चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- दीदी, हमन मन आप मन के संग हन।

श्री गोमती साय :- आप लोग एक बार इत्मिनान से सुनने की क्षमता तो रखिये।

श्री रामकुमार यादव :- हमारी कांग्रेस पार्टी में 11 महिलाएं हैं और आपकी पार्टी में 8 महिलाएं हैं। यहीं तुलना कर लीजिए कि आप लोग कितना सम्मान करते हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- दीदी, बातें सही भी होनी चाहिए, असत्य नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप लोग बैठिये। लता जी, आप कितना समय लेंगी ?

सुश्री लता उसेण्डी :- अध्यक्ष महोदय, आप जितना समय दे दे।(हंसी) आपने कहा कि जितना समय लेना हो ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बोलिये।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य भी उतना ही समय लेंगे, आपसे इस बात का निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- पहली वक्ता हैं। चलिये, आप समाप्त करिये।

सुश्री लता उसेन्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी खत्म करती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपको पूरा समय रहता ही है।

सुश्री लता उसेन्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 1971 के बाद आपातकाल के समय परिसीमन में सत्ता की सेटिंग हमारे लोग लगातार करते हैं, लेकिन 1971 में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा परिसीमन को फ्रीज कर दिया गया। और आप सोचिये 1971 से लेकर अब तक लोकसभा में परिसीमन नहीं हुआ, सीटों की बढोत्तरी नहीं हुई और जो असमानता आज देख में देखने को मिल रही है, उसमें कहीं न कहीं राजनीतिक दिक्कतें हम सबके समक्ष आ रही है। अध्यक्ष महोदय, लगातार सबको रोकने का प्रयास विपक्ष ने किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक कानून ही नहीं है, ये हमको बढ़ने के लिये, महिलाओं को सामान अधिकार के लिये लगातार देश की आजादी के बाद से अब तक के अगर हम विधान सभा और लोक सभा के आंकड़ें देखते हैं, उन आंकड़ों में जिस तरीके से वृद्धि हो रही थी, वह वृद्धि नहीं होना, कहीं न कहीं गलत नीतियों का परिणाम रहा है। अध्यक्ष महोदय, विजय लक्ष्मी पंडित जी भारत की आवाज बनीं। आज भारत में महिलाओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। विपक्ष ने 27 साल बिल को भटकाया, हमने 9 साल में बनाकर दिखाया। आपने फाईलों में वंदन किया, हमने संविधान में वंदन किया। आपके लिये नारी शक्ति नारेबाजी थी, हमारे लिये नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण है। मिनीमाता जी हमारे इस प्रदेश की प्रथम महिला सांसद रहीं। उनके द्वारा यहां पर बहुत सारे अनुकरणीय कार्य हुए हैं। मदर टेरेसा जी ने कहा था कि कल के लिये आज काम करो। भाजपा ने आज काम कर दिया है। विपक्ष अभी भी कल, कल की बात करती है। अध्यक्ष महोदय, 1952 में महिला सांसदों में प्रतिनिधि के आंकड़ें बताना चाहूंगी। वर्ष 1952 में 22 महिला सांसद थीं और साक्षरता की दर 18 प्रतिशत थी और यह धीरे-धीरे बढ़ता गया और वर्ष 2024 में यह साक्षरता की दर 81 प्रतिशत हो गई, लेकिन हमारे सांसदों की संख्या 22 से मात्र 74 तक ही आंकड़ा बढ़ा। इसको रोकने का काम किसने

किया? अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यजनक बात है आजादी के बाद से कांग्रेस को 5 दशक में महिला आरक्षण की सुध नहीं आई। जब महिला आरक्षण की बात कहते हैं तो पंचायतों की बात करते हैं। विधान सभा, लोकसभा और राज्यसभा को भूल जाते हैं। लोकसभा में पहली बार एच.डी.देवगौड़ा जी की सरकार ने 1996 में महिला आरक्षण बिल लाया। महिला आरक्षण का विचार पहली बार 1990 के दशक में परवान चढ़ा था। तब से लेकर आज तक 7 प्रमुख मौके पर इसे सदन में पेश किया गया। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार पेश करने के विषय में आंकड़ा आता है तो भी भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे ज्यादा बार पेश किया है। 12 सितंबर 1996 को 81वां संविधान संशोधन लाया गया, लेकिन नहीं वह संशोधन नहीं हो पाया। इसे भारी हंगामे के बीच गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया जो लोकसभा भंग हो गई। वर्ष 1998 मे अटल बिहारी बाजपेयी जी की एन.डी.ए. सरकार में दूसरी बार कोशिश हुई। तत्कालीन कानून मंत्री सदन में इस बात को लेकर आये थे। विपक्षी दलों का खासकर सपा ने कोटा के भीतर और अन्य बातों को कहकर विपक्ष ने क्यों साथ नहीं दिया, इस बात पर भी हमारे विपक्ष के लोग प्रकाश डालेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1999 में बाजपेयी जी ने दोबारा इसका प्रयास किया, एन.डी.ए. सरकार ने एक-बार फिर इसे पेश किया और इसमें भी धक्का-मुक्की कर बिल की प्रतियां फाड़ने की लज्जाजनक घटनायें सदन में देखने को मिली थीं । यह घटनायें किसने कीं और किसको इस बिल की चिंता है, किसको अपने अधिकार के हनन होने की चिंता हो रही है ? किसको अपने अधिकार को किसी और को देने की चिंता हो रही है, यह बात हम सबके लिये सोचनीय है । पांचवीं कोशिश मनमोहन सिंह जी की यू.पी.ए. सरकार के दौरान हुई । वर्ष 2010 में ऐतिहासिक मोड़ आया, 9 मार्च, 2010 के दिन राज्यसभा में पहली बार बिल पास हुआ । मार्शल बुलाने की नौबत आ गयी । हांलाकि इस बिल में लोकसभा में पेश करने की हिम्मत सरकार जुटा सकी लेकिन सहयोगी दलों ने समर्थन वापस लेने की धमकी दी और आपने धमकी से डरकर इस बिल को वापस ले लिया, मेरा विपक्ष के सदस्यों से आग्रह है कि इसमें भी जरूर प्रकाश डालियेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में नरेन्द्र मोदी जी, 20 सितम्बर, 2023 को नये सदन भवन में पहले सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इसे पेश किया गया । मैं इस बात को बताना चाहूंगी कि महिलाओं को, महिलाओं के हितों की रक्षा, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिये जो कल्याणकारी कार्यक्रम हमारे देश में बने । माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी को भी साधुवाद दूंगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते से ही देश के हमारे लोगों से आह्वान किया । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो एक रिपोर्ट आयी जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक यह लिखा गया कि पुरूषों के समान महिलाओं के कार्यबल में हिस्सेदारी से भारत की जी.डी.पी. में 27 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी हो सकती है । (मेजों की थपथपाहट) यदि 50 प्रतिशत कुशल महिलाएं कार्यबल में शामिल होती

हैं तो विकास दर 1.5 प्रतिशत बढ़कर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो सकता हे । भारत के प्रधानमंत्री ने, स्वयं ने कहा कि मैं एक भिक्षुक बनकर आपसे बेटियों की जिंदगी की भीख मांग रहा हूं, बेटियों को अपने परिवार का गर्व मानें । राष्ट्र का सम्मान मानें, आप देखिये कि इस असंतुलन से हम बहुत तेजी से बाहर आ सकते हैं । बेटा और बेटी दोनों वह पंख हैं जिसके बिना जीवन की उंचाईयों को पाने की कोई संभावना नहीं है इसलिये उंची उड़ान भरनी है तो सपनों को बेटे और बेटी दोनों पंख चाहिए तभी तो सपने पूरे होंगे । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, शौचालय की बात । अध्यक्ष महोदय, चूंकि आप ईशारा कर रहे हैं, मेरे पास आंकड़ा है इसलिये मैं संक्षेप में कुछ बिंदुओं को आपके समक्ष रखती हूं । शौचालय की बात आयी । वर्षों से हमारी महिला बहनों को खुले में शौच में जाने में जो लज्जा से, भय से मुक्ति किसी ने दिलायी तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने दिलायी । वर्ष 2014 के बाद 11 करोड़ से अधिक शौचालय हमारे यहां देश में बने । नलजल योजना, हांलाकि नलजल योजना के बारे में बात करती हूं तो मुझे भी कहने में थोड़ा संकोच होता है लेकिन यह भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ा ? (शेम-शेम की आवाज) क्यों इसमें दिक्कतें आ रही हैं, क्यों नलजल योजना हर घर तक नहीं पहुंच पायी ? यह इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे । जब बात आती है तो कहते हैं कि 2 साल आपके हो गये, 2 साल हमारे हो गये लेकिन बिगड़े हुए कामों को ठीक करने में भी समय लगता है । अभी मैं एक कार्यक्रम में दिल्ली गयी थी, वहां मुझे एक आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बेहतर जल जीवन मिशन का काम हुआ है और वहां का एक प्रतिनिधि आंकड़ा गिना रहा था कि एक महिला को हम उसके घर में नल पहुंचाये हैं, उस महिला का प्रतिदिन का 2 घंटा और उसके परिवार का कम से कम जो बेटा है, बेटी है, पति है या जो भी सास-ससुर है या जो भी परिवार के अन्य सदस्य हैं जो उस महिला को 1 किलोमीटर तक जाने में पानी लाने के लिये मदद करते हैं, उस परिवार का केवल पानी के कारण से प्रतिदिन 2 से ढ़ाई घंटा बचत हो रहा है और उनके घरों का विकास हो रहा है । (मेजों की थपथपाहट) जन-धन बीमा का क्या हुआ ? आपने वर्षों राज किया, 6 दशक तक आप राज करते रहे, पर महिलाएं बैंक की तरफ रूख नहीं कर पाती थीं, जब बैंक की सीढ़ियों पर चढ़ती थीं तो कहा जाता था कि खाता खोलना है तो कैश लेकर आओ । अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपको भी साधुवाद दूंगी, नरेन्द्र मोदी जी को भी साधुवाद दूंगी कि जिन्होंने जीरों बैलेंस पर जन-धन बीमा का खाता खुलवाया और 30 करोड़ से अधिक जन-धन खाता महिलाओं के नाम से देश में चल रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपको भी साधुवाद दूंगी, जब आप मुख्यमंत्री थे तो महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बनवाकर महिलाओं को घर की मुखिया का दर्जा आपने दिया । (मेजों की थपथपाहट) अभी माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी हैं, जिनकी सरकार बनते ही महतारी वंदन योजना में 1000 रूपए देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया । आज कई गांव में महिलाएं चंदा इकट्ठा

करके मंदिर का निर्माण करवा रही हैं तो इसका देन किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको यह ताकत दी है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना की सौगात दी है। वर्षों से हमारी बहिनें धुएं में रहकर भोजन बनाती थीं और बीमारियों से पीड़ित होती थीं । आज 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना का लाभ हमारी बहिनों को मिल रहा है । लखपति दीदी बनाने की बात किसने की थी ? आज छत्तीसगढ़ में 9 लाख..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, आपने उज्ज्वला योजना की बात की, लेकिन आज हर घर में चूल्हा जल रहा है और आपने 500 रूपए में भी सिलेण्डर देने की बात की थी । 500 रूपए में सिलेण्डर देने की बात आपके घोषणा-पत्र में थी।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष जी, आपके समय में 1 लाख उज्ज्वला योजना का लाभ मिला था ।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, ईरान में युद्ध चल रहा है न ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ईरान में युद्ध चल रहा है तो उसमें आप चूल्हा जलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप ईरान में लड़ने चले जाईए । (व्यवधान)

सुश्री लता उसेंडी :- हमारे शासनकाल में 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला ।

श्री रोहित साहू :- आप लोगों ने तो 500 रूपए महिना देने की गारंटी दी थी, लेकिन हम लोगों ने जो बोला है, वह दे रहे हैं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सिलेण्डर के का होईस ? चुनाव खतम अउ बात खतम ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सिलेण्डर पर बात हो रही है तो सिलेण्डर पर बात कीजिए न ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सिलेण्डर में एक दिन की चर्चा रखिए ।

श्री अनुज शर्मा :- युद्ध की बात हो रही है तो युद्ध की स्थिति को भी तो समझिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, एक मिनट । पूरा प्रदेश सुन रहा है, आप ईमानदारी से बताईए कि आपके घर में चूल्हा जल रहा है या गैस चल रहा है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह भी नौबत आ चुकी है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम अभी बालोद जाएंगे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, आज शादी हो रही है, चूल्हा में रिसेप्शन दे रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, मैं आपके साथ बालोद जाऊंगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, आप लोगों ने चूल्हा जलाने के लिए मजबूर किया है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, विश्व वैश्विक युद्ध संकट से गुजर रहा है और गैस कोई भारत का उत्पादन नहीं है । इस बात को कांग्रेसी समझने की बजाय राजनीति कर रहे हैं ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- उज्ज्वला गैस का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है । उसको पटौहा में टांगकर रखे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सिन्हा जी की बदनामी तो मत करिए । घर में चूल्हा जला रहे हैं ।

श्री दिलीप लहरिया :- के.वाई.सी. के माध्यम से माताओं को परेशान किया जा रहा है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सुशांत जी, आज आप टिफिन लेकर आये हो ?

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष जी, देश में गैस की किल्लत किसको हो गई है, गैस की किल्लत किसके घर में हुई है । आप आंकड़े बताईए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश की महिलाएं परेशान हैं । (व्यवधान) कैसे गैस के लिए लाईन लगा रहे हैं । घर से बाहर निकलकर देखिए कि गैस के लिए कितनी लंबी लाईन लगवाये हो । 45 डिग्री में लोग गैस के लिए खड़े हैं।

सुश्री लता उसेंडी :- कांग्रेस के कार्यकर्ता वातावरण बनाने के लिए खुद ही लाईन में खड़े थे । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, पहले गैस 450 रूपए में मिलता था, आज उसका रेट 1 हजार से ज्यादा हो गया है । पूरी परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ रही है । (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- आप लोग नहीं चाहते कि महिला आरक्षण हो । (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- कल की केबिनेट में पास हुआ है कि गैस की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं । (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- आप लोग नहीं चाहते कि आरक्षण बिल पर चर्चा हो। आप लोग इसीलिए बार-बार खड़े हो रहे हैं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि देश में गैस की किल्लत नहीं है तो द्विभाषी दोनों तरफ की बात मत करें । वैश्विक संकट की तरफ आप बात कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं क्या कर रहा हूं, उसको आपने नहीं सुना । मैंने कहा कि विश्व वैश्विक संकट से गुजर रहा है, तब भी भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए गैस की कीमत बढ़ने नहीं दी है । ये मैंने कहा है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- दोनों तरफ की बात नहीं होनी चाहिए, आपका बयान एक होना चाहिए । लोगों को गुमराह मत करिए । (व्यवधान)

श्री अनुज शर्मा :- आपको तारीफ करनी चाहिए । विश्व इतने बड़े वैश्विक संकट से गुजर रही है, फिर भी गैस की कीमतें नहीं बढ़ी हैं । आप लोगों को तारीख करनी चाहिए (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- विश्व के ऊपर इतना बड़ा वैश्विक संकट है, फिर भी गैस की कीमतें नहीं बढ़ी हैं । आप क्या बात कर रहे हैं ? आप अपने गिरेबांन पर झाकिए। मनमोहन सिंह जी के समय को याद कीजिए (व्यवधान)

श्री रोहित साहू :- आपको क्या समस्या है, क्या परेशानी है, यह बताईए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपकी सरकार में ब्लेक में बेच रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए । आप लोगा जो हस्तक्षेप करते हैं, वह रिकार्ड में नहीं आता इसलिए उसको कोई नहीं देख रहा है । इसलिए वह मत बोलिए। आप लोगों को ऐसा लगता है कि पूरा प्रदेश देख रहा है तो खड़े रहेंगे तो जो ज्यादा बोलता है, उसको बाद में बंद कर देते हैं । इसीलिए लता जी, अब आप अपनी बात समाप्त करिए, आपको बोलते हुए 45 मिनट हो गए हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष जी, हम असत्य बात बर्दाश्त नहीं करेंगे । आप जो बोलेंगे, वह हम सुनेंगे ।

सुश्री लता उसेंडी :- अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में खत्म कर रही हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल गिरा। लोकसभा में बिल गिरा, लोगों ने मेजें थपथपाई। (शेम-शेम की आवाजें) बाहर प्रेस कान्फ्रेंस के लिए निकले और उत्सव मनाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रियंका जी के चेहरे में जो चमक थी, हमने वह चमक तो पहले कभी नहीं देखी थी।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से सदन के बाहर के व्यक्ति का नाम लेना उचित है क्या ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, जब सन् 2023 में लोकसभा में बिल पास हुआ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे में जो चमक दिखा था, वह अब नहीं दिख रहा है। सन् 2023 में लोकसभा में बिल पास हुआ तो प्रधानमंत्री जी का जगह-जगह स्वागत हुआ था, वह चमक आज क्यों नहीं दिख रही है ?

एक माननीय सदस्य :- बंगाल के बाद फिर से होगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बंगाल में खत्म।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सन् 2023 की बात अभी क्यों नहीं लागू किया जा रहा है ?

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चाहते ही हैं कि देश में असंतुलन बनी रहे। ये संतुलन की तरफ कदम बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। इनको अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि यहां पर सीटें बढ़ती तो मुझे लगता है कि हम 18 के बजाय 30 महिला लोग बैठते। आप इस बात को भी बताईयेगा ?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आप आज से लागू करवा दीजिये, हम तैयार हैं।

सुश्री लता उसेण्डी :- हम 30 लोग बैठते। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, हमारे 35 सदस्यों में 11 महिला सदस्य हैं और आप लोग 54 में 8 महिला सदस्य हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- लता दीदी, हम तैयार हैं। (व्यवधान)

सुश्री लता उसेण्डी :- आपको ऊपर से फोन आ जायेगा, तो तुरन्त यहां से पलायन कर जायेंगे।(व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 35 में 11 महिला सदस्य हैं और आपके 54 में 8 महिला सदस्य हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आप तुरंत लागू करवा दीजिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- इनके महिला बिल को यहीं पर देख लीजिये। 54 में 8 और 35 में 11 महिला सदस्य हैं। हम लोग 33 प्रतिशत हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- क्यों जिताया ? नहीं जिताया वह तो जनता तय करती है। आप सदन में यह बताईये कि जब आपने सन् 2010 में आरक्षण विधेयक लाया था, उसके बाद क्या सत्ता दल के अपने लोगों के लिए कार्यक्रम क्यों बंद कर दिया ?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- हमारी सत्तादल की सरकार ने पेश किया था और आप लोगों ने विरोध किया था।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप क्यों नहीं बताते ? आपने लोकसभा में लागू क्यों नहीं किया ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जब सन् 2023 में सर्वसम्मति से पारित हुआ था तो क्यों लागू नहीं हुआ ? (व्यवधान) जब लोक सभा और राज्य सभा में बिल पास हुआ तो लागू क्यों नहीं हुआ ? (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आपने लोक सभा में लागू क्यों नहीं किया ? आपने लोक सभा में पेश नहीं किया। आप क्या बात कर रहे हैं ? (व्यवधान) गठबंधन की **दलाली** में बंट गये थे।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये। लता जी, आपका भाषण हो गया ?

सुश्री लता उसेण्डी :- जी, बस एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त कीजिये। 45 मिनट हो गए हैं। जल्दी समाप्त करें।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इंडी गठबंधन का चेहरा खुलकर दिख रहा है। ये चाहते ही नहीं हैं। (व्यवधान) अभी उधर से फोन आ जायेगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, ये इंडी वाले बिन्दी का सम्मान करना नहीं जानते हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अगर आप लोग चाहते तो थोड़ा शांत होकर अपनी बात को भी तो रखेंगे।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊपर से फोन आ जायेगा। यह और कितने साल आगे बढ़ाना चाहते हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो आज लागू करवाना चाहते हैं।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र में राजनीति, नीति और शक्ति का इस्तेमाल समाज में प्रभावी बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। इसलिए स्पेस हो या स्पोर्टस हो, स्टार्टअप हो या सेल्फहेल्प ग्रुप हो, हर क्षेत्र में दुनिया भारतीय महिलाओं की ताकत देख रही है। जी 20 की अध्यक्षता में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की चर्चा का आज दुनिया स्वागत कर रही है, इसको स्वीकार कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि एक बार कीचड़ में एक रथ फंस गया था और रथ को बाहूबली लोग मिलकर खींच रहे थे। एक बुजुर्ग महिला ने इसको देखा कि सारे बाहूबली मिलकर खींच रहे हैं तो उस बुजुर्ग महिला ने जाकर इस बात को समझाया कि सिर्फ शरीर की ताकत से नहीं, बुद्धि का भी उपयोग कीजिये, संतुलन बनाईये। अगर आप संतुलन बनायेंगे तो यह कीचड़ में धंसा हुआ रथ तुरन्त निकल जायेगा। इसलिए संतुलन के बगैर समाज की प्रगति की बात, राष्ट्र के निर्माण की बात, 2047 के सपनों को साकार करने की बात पूरी नहीं हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं प्रति धन्यवाद और साधुवाद देते हुए अपनी बात को विराम देती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

समय :
12.25 बजे

<u>अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि</u>

<u>श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, राज्यसभा सांसद</u>

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। अध्यक्षीय दीर्घा में राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा उपस्थित हैं, मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से उनका स्वागत करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) श्रीमती अनिला भेंडिया जी, अपना वक्तव्य देंगी।

<u>शासकीय संकल्प (क्रमश:)</u>

श्री राजेश मूणत :- जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी।

श्री बघेल लखेश्वर (बस्तर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप निश्चिंत रहिए, हम सच ही कहेंगे।

श्री बघेल लखेश्वर :- एक मिनट दीदी। अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प माननीय श्री विष्णु देव साय जी, मुख्यमंत्री द्वारा लाए जाने के संबंध में है। यह 106 वां अधिनियम 2023 लागू करने का संकल्प है या 2026 के संकल्प लागू करने का है? अगर हम लोग 2023 को पारित करते हैं, तो सर्वसम्मति से हम लोग सहमत हैं। अगर लागू होता है, तो 2023 का लागू होता है तो सर्वसम्मति से सहमत हैं। हम लोगों को बोलने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट भी होना चाहिए न? 2023 का संकल्प पारित करना है या 2026 का संकल्प पारित करना है?

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी सबको बोलने का अवसर मिलेगा, उस विषय पर आप भी बोलिएगा।

श्री बघेल लखेश्वर :- नहीं-नहीं, स्पष्ट होना चाहिए न। हम 2023 के लिए बात कर रहे हैं या 2026 के लिए?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने 2010 में लोकसभा में क्यों नहीं प्रस्तुत किया?

श्री बघेल लखेश्वर :- पारित तो 2023 में हुआ है सर।

श्री अजय चन्द्राकर :- राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में प्रस्तुत क्यों नहीं किया?

श्री बघेल लखेश्वर :- हुआ है सर। 2023 का लागू हुआ है। 33 प्रतिशत लागू होना चाहिए। अगर 2026 के लिए है तो उसमें बात होनी चाहिए, दोनों चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए।

श्री दिलीप लहरिया :- जनता को गुमराह न किया जाए, आप लोग 2034 में पास करेंगे? तो अभी 2029 में पास होना चाहिए न, पारित होना चाहिए न? तत्काल प्रभाव में लाया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- अभी संकल्प के मेरिट पर चर्चा होना नहीं है, अब तो संकल्प पर चर्चा प्रारंभ हो गया है। इस पर जब अवसर आएगा...।

श्री बघेल लखेश्वर :- स्पष्ट होना चाहिए न कि 2023 का पारित करना है या 26 का पारित करना है?

अध्यक्ष महोदय :- अब प्रस्तुत करने के पहले रखते। भेंडिया जी, आप बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब भाभी जी को टिकट मिलेगी। आपका पत्ता कट गया, भाभी जी को वहां से टिकट मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, भेंडिया जी को बोलने दीजिए।

श्री दिलीप लहरिया :- ये हमारे पीछे पड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, रामकुमार का बंडल देख लिए थे, माननीय अजय चंद्राकर जी के यहां का बंडल अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, गिनती चल रही है, यह मैं जानना चाह रहा हूं।

श्री राजेश मूणत :- अपने लोगों को तो बोलने दो भैया। क्यों विरोध कर रहे हो?

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौण्डीलोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा नारी शक्ति सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण बिल विपक्ष के द्वारा नहीं लाया गया है, विरोध किया तो इसलिए आप लोगों ने पहले बाहर निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही और यहां पर और कुछ दूसरी बात करके शासकीय संकल्प लाए और इसमें परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, यह शासकीय संकल्प लाए हैं, 2023 का बिल अभी पास कीजिए तो उनका जरूर समर्थन करेंगे। परंतु जो आप लोगों ने आरक्षण और यह परिसीमन बीच में लाकर बात रखी है, उनका हम लोग विरोध करते हैं। नारी शक्ति का 33 प्रतिशत के आरक्षण का हमेशा से कांग्रेस पार्टी समर्थन में रही है और आगे भी रहेगी। परंतु जो बीच में दो अड़ंगे आप लोगों ने लगाए हैं, उनका हम लोग विरोध करते हैं। अभी 2027 में आपकी जनगणना चल रही है, तो उनके आधार पर आप लागू कीजिए और तत्काल लागू कीजिए। हमारे सभी साथी आपके साथ हैं। माननीय हमारी लता दीदी जी आज बोल रही थीं कि नारियों के सम्मान के संबंध में हमारे आदिकाल से अनंत काल की, रामचरितमानस की भी बहुत बात की, बहुत सी चीज़ों की बात की। तो मैं यह भी बताना चाहूंगी कि रामचरितमानस में जहां पर हमारी सीता माता का अपमान हुआ है और वह काल वहां उनका विनाश बना है। तो आज आप लोग नारी का सम्मान नहीं कर रहे हैं और नारी की आड़ में, महिलाओं की आड़ में उनके कंधों में बंदूक रखकर चलाने की जो कोशिश आपके प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वह हमारी नारियों का अपमान है, हमारी महिलाओं का अपमान है। तो हर जगह आप बी.जे.पी., हमारे प्रधानमंत्री जी नारियों को कमजोर क्यों समझते हैं? नारियों को मजबूर क्यों समझते हैं?

समय :
12.29 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

आप देखिए, अभी राज्यों में चुनाव चल रहा था और बीच में आपको यह सत्र बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपको नारी वंदन संशोधन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आप 2023 को लागू कर देते न। 543 सीट में ही आप लागू कर देते, क्यों नहीं किए? उस समय आपकी हिम्मत क्यों नहीं हुई? और आप महिलाओं की आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। आज इस देश में कौन सी महिला सुरक्षित है, यह आपके प्रधानमंत्री जी बताएँ? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की करोड़ों बहनों, माताओं के साथ जो कपटपूर्ण राजनीति की है, महिला आरक्षण बिल 2023 लागू करके उनका जो अपमान की है, वह अपमान माता-बहनें कभी नहीं सहेंगी, कभी नहीं भूलेंगी, वह उनका बदला जरूर लेंगी। हमारे देश में संस्कृति हमेशा नारी सम्मान की बात करती है। हमारा भारत देश जहाँ नारी सम्मान की प्राचीन और गौरवशाली परंपरा रही है। यह वह देश है, जहाँ नारी को शक्ति

स्वरूपा मानते हैं। इस देश में अर्धनारीश्वरों की संज्ञा दी जाती है ओर उन्हें शक्ति का स्रोत माना जाता है। लेकिन सिर्फ माँ, बहन और बेटियों के रूप में नहीं, बल्कि निर्णय, नेतृत्व और परिवर्तन की धुरी के रूप में भी पहचानी जाती है। जिनके लिए हमारे देश की सर्वोच्च सदन में महिला आरक्षण बिल 2023 लाया गया, किंतु परिसीमन के नाम पर संशोधन लाकर महिलाओं को सशक्तिकरण करने की उम्मीद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। परिसीमन विधेयक की अभी तक कोई रूपरेखा भी तय नहीं हुई है, ऐसे में यह विधेयक भविष्य में गर्त में जा रहा है। उसका अनुसरण कर यह महिला आरक्षण बिल 2023 लागू करने की वकालत करने के लिए प्रदेश की महिला आपको कभी माफ नहीं करेंगी और आगामी विधान सभा चुनाव में हमारी बहनें आपकी सरकार को प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगी। आज इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश की बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, हमारी आंटी 5 साल मंत्री रही हैं।

श्री राजेश मूणत :- आप आंटी कैसे बोले? आप भाभी बोलिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- वह हमारी चाची हैं, भाई। सभापति महोदय, जब वह 5 साल तक सरकार में मंत्री रहीं, तब उन्होंने 500 रूपये की घोषणा की थी। वह तो 5 साल तक दे नहीं पाईं और आज सरकार उखाड़ने की बात हो रही है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अभी आप जो साड़ी दे रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है? (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आप लोगों की सरकार में भी 500 रूपये में गैस देने की बात कही गयी थी, वह भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, वह पहली वक्ता हैं। उनको थोड़ा बोलने दीजिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, हमारा देश का इतिहास गवाह है कि महिला हमेशा समाज और परिवार...।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति जी, वह बहुत सीनियर सदस्य हैं और मंत्री रही हैं। बहनों के हित में आपकी पार्टी और आपकी सरकार ने कौन-कौन से काम किए हैं, यह पूरे प्रदेश की जनता को पता लग जाए और वह भी आप बता देना। बिलकुल इतना बता देना।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- 21 साल के बदले 18 साल में मत का अधिकार दिया। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये।

श्री विक्रम मण्डावी :- राजेश भैया, आप पंचायतों में 33% आरक्षण किसने लाया? नगर निगम में 33% आरक्षण किसने लाया? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- देखिए, आप लोगों के कारण न तो उनका भाषण ठीक से हो पा रहा है, न लोग समझ पा रहे हैं। उनको बोलने दीजिए न, आपको जब मौका मिलेगा, तब आप बोलिएगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, पंचायतों में जो 33% आरक्षण लागू है, वह आदरणीय राजीव गांधी जी ने लाया था। तभी तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी ने उसको 50% किया। (मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेश मूणत :- दीदी, आप सीनियर हैं, इसलिए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं तो यह कह रहा हूँ कि आप बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत अच्छी हैं, आप मंत्री रही हैं, लेकिन भाइयों को बार-बार तकलीफ क्यों होती है?

श्री विक्रम मण्डावी :- हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप खड़े हो रहे हैं, इसलिए तकलीफ है। आप खड़े हो रहे हैं, इसलिए हम खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- पूरी कांग्रेस पार्टी संविधान में चल रही है।

श्री सुशांत शुक्ला :- अभी राजेश जी ने जो प्रश्न पूछा है कि आप लोगों ने क्या किया है, यह तो बताइए।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- यह पहली वक्ता है, उसको बोलने दीजिए।

सभापति महोदय :- आप बैठिए। मूणत जी, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, इसलिए आप बार-बार मत खड़े होइए। उनको बोलने दीजिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, महिलाओं की बौद्धिक क्षमता, महिलाओं का बौद्धिक स्तर पुरुषों से कम नहीं है। यह आप लोगों को मानना पड़ेगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप यह बताइए कि आप बाबा के साथ हैं? जो तथाकथित भैया हैं या दीदी साथ हैं, यह बताइए?

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, यह बिल्कुल ही गलत बात है।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, अगर आप हर बात में, एक-एक लकीर में खड़े होंगे तो वह भाषण नहीं दे पाएंगी। वह पहली वक्ता है। आप कृपया करके टोका-टाकी मत करिए और आप लोग भी पीछे से मत खड़े होइए। उनको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वह बहुत सीनियर हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, हमारे कांग्रेस के साथियों ने हमेंशा महिलाओं को समान अधिकार देने का प्रयास किया है । आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारियों के उत्थान की बात करती है ? मैं राजा राममोहन राय जी का स्मरण करना चाहूँगी कि उन्होंने इस देश में सती प्रथा का अंत और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है और उसी तरह से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मार्ग का अनुशरण करना चाहिये, क्योंकि आजादी के संघर्ष में महिलाओं को अग्रिम पंक्ति पर रखकर उन्हें आगे रखा और यह संदेश देने की कोशिश किया है कि महिलाओं के बिना राष्ट्र निर्माण अधूरा है । संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी ने संविधान में महिलाओं को समान अधिकार देकर इस देश की सामाजिक न्याय को मजबूत बनाने की कोशिश किये हैं, जो काम किये हैं

उसका अनुशरण हमें करना चाहिये । इस देश के भीतर समय-समय पर समाज सुधारकों के द्वारा जो काम किया गया है, उसका अनुशरण करना चाहिये और हमारे देश की मुख्य धारा में नारियों को न्याय दिलाने का काम हमारे समाज सुधारकों के द्वारा लगातार किया गया है । सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा आज हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो गौरवशाली परम्परा है, उस पर कुठाराघात करने की कोशिश की जा रही है । अगर वास्तव में सरकार की नीयत महिलाओं को आरक्षण देने की होती तो परीसीमन और जनगणना जैसे विषय को सामने न लाकर पूरी निष्पक्षता से लागू करना चाहिये था ? यह पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है, उसे बंद करके सीधे 2023 में जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था, उसके स्वरूप में बदलाव नहीं करना चाहिये । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, हमारी देश की महिलायें इतनी समझ तो रखती है, चाहे वह पढ़ी-लिखी हो, चाहे वह नहीं पढ़ी-लिखी हो, भाजपा सरकार जिस प्रकार से उनके साथ छल कर रही है, वह उसे समझती हैं । महिलाओं के साथ यह बिल्कुल न्याय नहीं है । आप लोग बार-बार कांग्रेस के पिछले 70 सालों की बात करते हैं, आप लोग कौन से स्कूल से पढ़कर आये हो, कौन से अस्पताल में पैदा हुये हो, कौन से बड़े-बड़े बांध बनाये हो, आप लोग एक का नाम बता दो, उसके बाद बात करना ?

श्रीमती लता उसेण्डी :- अनीला दीदी, मैं तो चौथी तक स्कूल ही नहीं गई हूँ। मैं जिस गांव में रहती थी, वहां स्कूल ही नहीं था । मुझे सीधे चौथी क्लास में एडमिशन कराया गया ।

श्रीमती अनीला भेंडिया :- सभापति महोदय, बस्तर में जितने स्कूल बने हैं, उसे किसने बनाया है, आप लोगों ने तो खाली बंद करने का काम किया है ?

श्री राम कुमार यादव :- 10 हजार स्कूल बंद हुआ, इतिहास के काला अक्षर में लिखे जाही कि 10 हजार स्कूल बंद बंद करे हव । दुनिया खोले के काम करथे, तुमन बंद करे के काम करे हव ।

श्री राजेश मूणत :- अगर रेडी टू ईट अगर किसी ने बंद किया है तो आपकी सरकार ने किया है । आपकी सरकार ने क्या किया है यह बता दो ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, महिलाओं को गरम भोजन बंद करने का काम आपने किया है ?

सभापति महोदय :- अनिला जी, आप आसंदी की तरफ देखकर बोलिये । आप उधर देखती है तो उन लोग उठ जाते हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, वर्ष 1989 में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत का आरक्षण किया, जिससे महिला सशक्तीकरण का काम और उन्हें राजनीति के क्षेत्र में लाकर सम्मान देने की कोशिश की है, 33 प्रतिशत लाये तभी तो आपने 50 प्रतिशत किया ? पंचायती राज में हमारी महिला बहनें बहुत बढ़िया प्रतिनिधित्व कर रही है और यदि वर्ष 2023 का लागू करेंगे तो वही बहने वर्ष 2028 में इस विधान सभा

में पहुंचेंगी । हम लोग भी पंचायतों से ही चुनकर यहां पर आए हैं। डायरेक्ट कोई नहीं आया है, यहां हमारे बहुत से सदस्य बने होंगे, वह लोग सभी ऐसी चुनकर आए हैं। हमारी जितनी बहनें बैठी हैं, आप 33% आरक्षण कर दीजिए, आपको अगले सत्र में इस मंच में 33% हमारी महिलाएं बहनें दिखेंगी।

श्री राजेश मूणत :- दीदी, संविदा वाले नहीं दिख रही हैं?

श्रीमती अनिला भेंडियां :- बिल्कुल नहीं, सभी पार्टियों में हैं। क्या हमारी पार्टी बस में है? क्या आपकी पार्टी में संविदा नहीं हैं ? आपके यहां भी है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, हमारी वरिष्ठ सदस्य को बोलने का मन नहीं है लेकिन एल.ओ.पी. के दबाव में बोल रही हैं। वह व्यवहार से समझ में आ रहा है। राजेश मूणत जी ने बार-बार पूछा कि क्या किया? यू.पी.ए. की सरकार में महिलाओं के लिए क्या हुआ है? माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चलने वाली 5 साल सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया है? इसका उल्लेख होना चाहिए। बोलिए तो सही क्या किया है ?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- बहुत सारी महिलाओं को गौठान में काम मिला था। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारी सरकार में महिलाओं को रोजगार दिया गया था। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के महिला मन खोजत हे, बिजली बिल ला बढ़ा दे हो। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- अच्छा ये बता दीजिए, कुछ किया हो या न किया हो, यादव जी के लिए क्या किया है ? (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- महिला समूह को सबसे ज्यादा काम रीपा में मिला है। तब उन लोग आज रोजगार से जुड़े हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैडम बैठिए न।

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अरूण साव) :- माननीय सभापति महोदय, अभी हमारी तीन बहनें अनिला जी, संगीता जी और सावित्री जी एक साथ खड़ी होकर बोल रही थीं। कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में हर महिला को 500 रुपये देंगे ये वादा किया था। इन्होंने एक दिन भी आवाज उठाया हो बता दीजिए ? आज किस मुंह से महिला अधिकार और महिलाओं के हक की बात कर रही हैं?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आप लोग 500 में गैस देंगे बोले थे, अभी तक नहीं दिया है। गैस का रेट बढ़ गया है।

श्रीमती अनिला भेंडियां :- आप कहां गए थे? जब मणिपुर जल रही थी, आपके प्रधानमंत्री कहां गए थे? हमारी महिलाओं को निर्वस्त्र होकर घूमा रहे थे, तब आपके प्रधानमंत्री मुंह में टेप लगा लिए थे क्या? (व्यवधान) उन्नाव की महिलाएं सड़क पर घूम रही थीं तो आपके प्रधानमंत्री मुंह में टेप लगा लिए थे क्या? हमारे यहां पर 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, आपके मुख्यमंत्री टेप लगा लिए थे

क्या? 75 साल की महिला के साथ बलात्कार हुआ, आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री टेप लगा लिए थे क्या? उस समय कहां गए थे? इन सब मंत्रियों के मुंह में टेप लगा था क्या? आप लोग महिलाओं की बात करते हो।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय जी, बार-बार, आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री बोल रही हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, सिर्फ एक के नहीं होते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए न। उनको बोलने दीजिए।

श्रीमती अनिला भेंडियां :- जब अत्याचार अन्याय हो रहा था तो आप सब मंत्रियों के मुंह पर टेप लगा था क्या ? महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हो। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, जिस समय महिलाएं अपना बाल मुडवा रही थीं, उस समय किसके मुंह पर टेप लगा था, हमारी बहनें वह भी बताने का कष्ट करें। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- सामूहिक मुंडन पर आप चुप क्यों थे, ये भी बताईए ? (व्यवधान) सभापति महोदय, इनको जवाब देना होगा, इन्होंने क्या किया है।

सभापति महोदय :- भावना जी बैठिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- कवर्धा में अपराध हुआ है। (व्यवधान)

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- आप लोग महिला विरोधी मत बनिए।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सदस्य, हमारी सीनियर दीदी बोल रही हैं, उनको बोलने दीजिए, आप लोग बार-बार खड़ी हो जाती हैं, उनको बोलने दीजिए, वरिष्ठ हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- वह तो बहुत सम्माननीय हैं। हम तो चाहते हैं कि हम उन्हें सुने। वह उनका अनुभव है लेकिन ये लोग बीच में व्यवधान कर रहे हैं।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- इन लोग वरिष्ठ का कद्र नहीं करते, उनको सुनना नहीं चाहते।

सभापति महोदय :- एक मिनट-एक मिनट। मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि इस बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। एक दूसरे को टोका-टाकी करने से उनकी बात पूरी नहीं आएगी, कोई बात समझ भी नहीं पाएंगे। आप सबको अभी अवसर आने वाला है। इसके बाद भावना जी, आपका ही अवसर आने वाला है, आप उसमें बोल लीजिएगा। फिर इधर संगीता जी आपका अवसर आएगा, आप बोल लीजिएगा। वह पहली वक्ता हैं, उनको अपने पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। उनको बोलने दीजिए। पीछे वाले लोगों से विशेष प्रार्थना है कि उनको बहुत सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वे बहुत वरिष्ठ हैं। वह आप सबसे वरिष्ठ हैं। इसलिए उनको मदद करिए, सहयोग करिए।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, यहां पर नारी वंदन अधिनियम के नाम से चर्चा हो रही है। आज टोकने का अधिकार सिर्फ नारियों का है। इधर से पुरूष वर्ग ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- मैं सबको रोक रहा हूं। रामकुमार जी को भी रोक रहा हूं, सुशांत जी को भी रोक रहा हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसको डिस्टर्ब करना है, नारी लोग करें, पुरूष डिस्टर्ब न करें, सदियों से डिस्टर्ब करते आ रहे हैं।

सभापति महोदय :- उनके कारण से डिस्टर्ब हो रहा है, मैंने इधर से मना किया है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अरूण साव) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता जी के पीछे में जो बैठे हैं, वह उनके नियंत्रण में है क्या ?

सभापति महोदय :- नहीं, अब वे आ गए हैं, सब नियंत्रण में है। आप बढ़िया बोल रही हैं, इधर देखकर बोलिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- राजेश मूणत भैया, यदि आप महिलाओं के बारे में नहीं सुनोगे तो कल आपको खाना नहीं मिलेगा। यह सोच लो। (हंसी) एक तो आपने गैस के भाव को बढ़ा दिया है, उसके बाद भी। माननीय सभापति महोदय, इसमें वास्तविकता यह है कि महिलाओं के प्रति आपकी मंशा सही नहीं है। हर निर्णय में आप लोग राजनीतिक लाभ के लिए समय देखते हैं। हालांकि यह विषय मुख्यमंत्री जी के हाथ में नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री जी व अध्यक्ष महोदय का आदेश था तो मजबूरी में यहां आपको यह करना पड़ा है। [xx][1]

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मुझे इसमें आपत्ति है। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने कौन सा ऐसा पत्र लिखा, इसको सार्वजनिक कर दें।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- तोला ओमे का आपत्ति हे?

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, ऐसी गलत परंपरा सदन में न चालू की जाए कि किसी भी नेता के विरुद्ध कुछ भी बोल दिया जाएगा और सुन लिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी का दबाव नहीं है। यह सदन एकमत होकर इस प्रस्ताव को लाया है और यहां हम इसपर सहमत हैं। यह गलत बात है। यह गलत परंपरा है। यह कहां की बात हुई?

श्री रामकुमार यादव :- आप क्या बात करते हैं?

श्री दिलीप लहरिया :- यह राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया गया है।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप यह बताइए कि आप युवराज के साथ हैं या युवरानी के साथ हैं?

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, हम तो 50 प्रतिशत आरक्षण चाहते हैं।

सभापति महोदय :- मैं बोल देता हूं। आप बैठिये। मुझे बोलने तो दीजिये। यदि कोई पत्र वाली बात होगी तो उसको विलोपित कर देंगे। समाप्त करिये। आप बोलिये।

---

[1] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, हमारी ममता बनर्जी जी के विरोध में, हमारी सोनिया गांधी जी के विरोध में इनके नेता कह सकते हैं, तब तो इनके नेता राजनीति नहीं करते और हम कह रहे हैं, तब इसमें इनको जलन हो रही है, चिढ़ आ रही है, मिर्ची लग रही है।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, कोई चिढ़ नहीं है, आप बोलिए। (हंसी)

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, दीदी हमारी ममता बनर्जी कैसे बोल रही हैं? भैया, आपको यह समझना पड़ेगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- वह महिला हैं, इसलिए बोल रही हूं।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, कैसे सम्मान किया जा रहा है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा कोई पत्र नहीं है, जिसके बारे में माननीय सदस्य उल्लेख कर रही हैं। आप मेरी बात सुनिए।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- हम किसी भी महिला का अपमान नहीं सहेंगे। वह महिला हैं, इसलिए बोल रही हैं।

सभापति महोदय :- आप सुनिये, उनको बोलने तो दीजिये। मैंने उप मुख्यमंत्री जी को अनुमति दी है, वह बोलेंगे।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, कोई ऐसा पत्र नहीं है जिसके संदर्भ में आपने उल्लेख किया और आज कोई निंदा प्रस्ताव भी नहीं लाया गया है, जिसके बारे में दीदी कह रही हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारी दीदी महिला का सम्मान कर रही हैं। हम सब महिला का सम्मान कर रहे हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, आप ममता जी की बात कर रहे हैं तो वह महिला हैं, इसलिए उनकी बात कर रहे हैं। चाहे वह आपकी पार्टी की महिला हो या किसी भी पार्टी की महिला हो, हम हर महिला का सम्मान करते हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- लता दीदी के भाषण में जो उल्लेख किया था, वह भी बता दीजिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, क्या शाहबानो महिला नहीं थी?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, हम सभी महिला का सम्मान करते हैं। आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का भी सम्मान करते हैं। इसमें कोई भेद-भाव नहीं है।

सभापति महोदय :- आप इस बात को अपने भाषण में बोल लीजियेगा। अभी तो आपको ही बोलना है। उनको बोलने दीजिये। आप बोलिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, हम लोग वर्ष 2010 की बात करते हैं। उस वक्त मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी की सरकार थी तो राज्य सभा में इसे पारित करा दिया गया, परंतु

विपक्ष आरोप लगा रहा था कि यह आप लोगों ने रूकावट किया है। रूकावट किसने किया? भाजपा ने तब इसका विरोध किया था और इसको लटकाने की मुख्य भूमिका आपकी भाजपा की थी।

श्री अजय चंद्राकर :- सुनिये, मैडम, भाभी जी।

श्री दिलीप लहरिया :- वह विधायक जी हैं। आप पहले सम्मान करना सीखिए। उसके बाद संकल्प लाइये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, वह मैडम नहीं हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, यदि महिला बोल रही हैं तो महिला टोके तो समझ में आता है। यही से पता चलता है कि आप क्या सम्मान करते हैं।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री अजय चंद्राकर :- भाभी जी, लोक सभा की पूरी कार्यवाही ऑनलाइन है। आप एक भी कागज दिखा दीजिये कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2010 में इसका विरोध किया था। आप तीसरी बार निर्वाचित हुई हैं, इसलिए गलत बयानबाजी मत कीजिये। सही तथ्यों को रखिये। आप कहां से बढ़िया नोट बनाकर लायी हैं। आप अच्छा बोल रही हैं, लेकिन गलत जानकारी नहीं आनी चाहिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- नहीं, अभी आपके प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के साथियों को क्या किया? आप लोग भी अपना बैनर-पोस्टर में फोटो दे दीजिये और इसका श्रेय आप लोग ले लीजिये। यह कहां की बात है? श्रेय लेने के लिए क्यों बोल रहे हो? उस समय वर्ष 2023 वाला क्यों लागू नहीं कर रहे थे? अभी श्रेय लेने के लिए विपक्ष के साथियों को क्यों बोल रहे थे? यह आपके प्रधानमंत्री जी का बयान है। आप भाषण में सुन लीजिये, परंतु इसमें मत बोलिये।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- दीदी, प्रधानमंत्री सबके हैं। आप आपके प्रधानमंत्री बोल रही हैं, वह ठीक नहीं है। आप आपके प्रधानमंत्री क्यों बोल रही हैं? वह सबके प्रधानमंत्री हैं। पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बिल्कुल, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। वह आपके, हमारे, सबके प्रधानमंत्री हैं। पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं उन्हीं की बात कर रही हूं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, सत्तारूढ़ पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल उठ गया है। एक महिला के विरोध में इतने लोग बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ? आप पूरा सुनिये कि महिला सम्मान कैसे होता है।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, यदि महिला सदस्य बोल रही हैं तो कम से कम महिला सदस्य ही टोका-टाकी करें तो समझ में आता है लेकिन यदि पुरूष सदस्य टोका-टाकी कर रहे हैं तो इनका ध्येय पता चलता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हमारी तरफ से अनुरोध है कि कृपा करके जो हमारे भाई लोग विरोध कर रहे हैं, यही विरोध यदि हमारी महिलाएं साथी करेंगी तो हमें खुशी होगी। भाई लोगों को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती भावना बोहरा :- यह बात आप अपने बाकी सदस्यों को भी बता दीजिये। आदरणीय संगीता जी, यह बात अपने बाजू वाले सदस्यों को भी बता दीजिये क्योंकि यदि वहां से टोका-टाकी होगी तो यहां से भी होगी और दोनो तरफ से होगी। आप लोग टोका-टाकी न करें तो हम लोग भी बंद कर देंगे। आप अपने पीछे वाले सदस्यों को समझाईये, आप अपने पीछे पलटकर देख लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- संगीता दीदी, एक मिनट, एक मिनट।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- विधायक जी, बैठिये ना।

श्री राजेश मूणत :- दीदी, क्या हो गया ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, यह लोग मेरा समय ले रहे हैं। आप मेरा आधा घण्टा समय बढ़ाईये।

सभापति महोदय :- मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, आप बोलिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, आज ओ.बी.सी. और एस.टी., एस.सी. बहनों का हक कहां है? हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां आदिवासी और पिछड़ा वर्ग समाज की रीढ़ है, वहां आप कैसे भूल गए हैं? आप कहीं पर भी देख लीजिये और अभी-भी जो जनगणना हो रही है, उसमें भी कहीं पर भी ओ.बी.सी. का कॉलम नहीं है। हमारी ओ.बी.सी. वर्ग की इतनी महिलाएं बैठी हैं, वह कहां जाएंगी? आप उनको कब आरक्षण देंगे? इस जनगणना में भी जातिगत जनगणना की बात हुई है। इसमें भी हमारी ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी. वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आज लोक सभा में हमारे विपक्ष के साथी जो विरोध किए हैं, उनका कहना है कि ये चुनावी झुनझुना है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने आरक्षण बिल लाने की कोशिश की है । यदि सरकार की नियत साफ होती तो 2024 के चुनाव में ही इसको लागू कर दिया गया होता। जनगणना और परिसीमन के नाम में आप लोग इसे 2029 या उसके बाद टालने की कोशिश कर रहे हैं, ये महिलाओं के साथ धोखा है। आज जो इवेंट मैनेजमेंट की बात कह रहे हैं, तो विपक्ष के सांसदों और उन सरकार के साथियों का कहना है कि आप अपनी फोटो दे देते तो इनका श्रेय आप लोग ले लेते। हमारे प्रधानमंत्री जी की या बी.जे.पी. सरकार की यह सोच थी कि हम ये मुद्दा लाएंगे और यदि यह पास हो जायेगा तो अच्छा और यदि यह पास नहीं हुआ तो भी अच्छा क्योंकि इसे देश देखेगा। यदि यह आरक्षण बिल पास हो जाएगा तो हम उसमें भी अपनी पीठ थपथपा लेंगे और यदि यह आरक्षण बिल पास नहीं होगा तो भी हम अपनी पीठ थपथपा लेंगे। महिलाओं के पास जाकर हम विपक्ष के बारे में चर्चा करेंगे कि विपक्ष ने इसमें रोड़ा अटकाया है, जिससे महिलाओं का आरक्षण

बिल पास नहीं हुआ परंतु हमारे देश की महिलाएं पढ़ी-लिखी हैं, वे जानती हैं। 2023 में सर्वसम्मति से बिल पास हुआ था तो उसको लागू क्यों नहीं किया गया? उसको लागू करना चाहिए था और वर्ष 2023 में जो हमारे लोक सभा के चुनाव हुए, उसमें आप लोगों को आरक्षण देना था तो आज लोक सभा में हमारी महिला बहनें पुरजोर रूप से अच्छी संख्या में वहां पहुंचती और महिलाओं की बात प्रमुखता से रखती।

श्री सुनील सोनी :- सभापति महोदय, मैं टोक नहीं रहा हूं।

श्री रामकुमार यादव :- टोक नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो ?

सभापति महोदय :- बैठिये ना।

श्री सुनील सोनी :- सभापति महोदय, बार-बार इस बात पर आरोप ..।

श्री रामकुमार यादव :- इसे टोकना नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं ?

श्री सुनील सोनी :- रामकुमार जी, बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- इसे टोकना नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं, आप पहले यह बता दीजिये ?

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, उनको बोलने दीजिये।

श्री सुनील सोनी :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य बार-बार इस बात को कह रही है कि अभी आपने स्वीकार किया कि महिलाएं बड़ी संख्या में आ जाये। मोदी जी यही चाह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट की सीटें बढ़ेंगी, विधान सभा की सीटें बढ़ेंगी, एस.टी., एस.सी. आरक्षण जो दिया गया है, उनकी संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। इसमें क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- आप तत्काल लागू करिये। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप लागू करिये ना। (व्यवधान) आपके भाषण देने से कुछ नहीं होगा। (व्यवधान) आप लोगों के भाषण को सब समझ गये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- (व्यवधान) क्यों लागू नहीं किया गया ?

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप लोग बैठिये। अनिला जी, बोलिये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- 543 सीट में .. (व्यवधान) तब तो पता चलेगा कि आप ।

सभापति महोदय :- आप भी बैठिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, पूरा देश चाह रहा है 2023 में जो बिल पास हुआ है, उसे लागू किया जाये, सिर्फ आप लोग ही नहीं चाह रहे हैं इसको लागू करें। हम लोग तो चाहे रहे हैं

श्री सुनील कुमार सोनी :- हम भी चाहे रहे हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- चाहे रहे हैं तो फिर करिये न, आज ही कर दीयिजे।

सभापति महोदय :- सोनी जी, बैठे-बैठे कमेंट मत करिये। आप लोग बैठिये और उनको बोलने दीजिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, विशेष सत्र लाने की यह राजनीति चाल थी, आपकी नीयत, नीति ये दर्शाती है कि राजनीति में आप कैसे सफल हों। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि उनकी जो स्थिति है, आज कमजोर है। अगर मैं परिसीमान को ला दूं और आरक्षण 2029 में लाऊंगा तो 2029 के बाद तो मेरा 400 पार हो जायेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच होगी। इसलिए राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इस बिल को लाने की कोशिश की। पूरा देश चाह रहा है कि 2023 में जो सर्वसम्मति से बिल पास हुआ है, उसे लागू किया जाये। इन मुद्दों पर क्यों विशेष सत्र बुलाना पड़ा ? आज देश में जो रहा है, देखिये भाजपा ने मोदी गारंटी में 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, उसमें भी आप विशेष सत्र बुला लीजिए। उसमें भी बढ़िया चर्चा कर लेंगे। आप लोग अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, मितानिन को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सभी को 100 दिन में नियमित करने का जो वादा किया था, उसके लिये भी सत्र बुला लीजिए। हम लोग उसमें भी बहुत बढ़िया चर्चाएं करेंगे। लेकिन ढाई साल में किसी भी वर्ग या किसी भी कर्मचारियों को आप लोगों ने नियमित नहीं किया। मोदी गारंटी के तहत हर विवाहित महिला को 1 हजार रुपया महीना जो महतारी वंदन योजना के तहत देकर देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं । 1.25 करोड़ विवाहित महिलायें हैं, पर आधे ही महिला लोगों को महतारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है। हंसदेव को लेकर तमनार जंगल काटना था, अभी बहुत से जंगल कट रहे हैं, उसमें भी आप एक सत्र बुला लेते। उसमें भी हमारे साथी बहुत अच्छी चर्चा करते। पूरे देश और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लोग देखते, हमारे प्रदेश के लोगों की जो मूलभूत समस्यायें हैं, उन पर बढ़िया हमारे मुख्यमंत्री जी एक दिन का सत्र बुलाकर चर्चा करा लेते। राज्य में अवैध शराब बिक्री हो रही है। इतनी शराब दुकान खुल रही हैं, हमारी इतनी माता बहनें गुहार लगा रही हैं।

उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री अरूण साव) :- माननीय सभापति महोदय, ये संकल्प महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का है। भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार 2029 से 33 प्रतिशत आरक्षण देना चाहती थी। ये कहां-कहां जा रहे हैं, इनकी नियत क्या है, ये स्पष्ट हो रहा है। माननीय सदस्या किन-किन बातों में जा रही हैं। महिलाओं के बारे में बात करें, उनके आरक्षण के बारे में बोलें, विषय पर बोलें। .. (व्यवधान)

श्रीमती रायमुनी भगत :- अनिला जी, कोरोना के समय आप लोग घर-घर शराब पहुंचाते थे। आप लोग शराब के बारे में मत बोलिये। .. (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, शराब दुकान से हमारी महिलायें भी परेशान हैं।

सभापति महोदय :- एक मिनट, आप लोग एकदम एक साथ थोड़ा जरूरत से ज्यादा खड़े हो रही हैं न। वह पूछकर खड़े हो रहे हैं, पर आप तो हर थोड़ी देर में खड़ी हो रही हैं न। उनको बोलने तो दीजिये। मैं तो उनको बोलने का अवसर दे रहा हूं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, डी.एड., बी.एड. की हमारी बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको खसीटा जा रहा है, पानी में डूबकर अपनी मांग कर रही हैं। माननीय मंत्री जी, यह महिलाओं के अधिकार की बात नहीं है। आप कौन सी महिलाओं की बात करते हैं?

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करिये न।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, मेरा आधा तो इन लोग ले लिये।

सभापति महोदय :- आपका बहुत टाइम हो गया है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप महिलाओं की बात करते हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सी महिलायें कानून व्यवस्था से परेशान हैं। आज हमारे यहां पर कई महिलाओं के साथ अनाचार, अत्याचार हो रहा है। हमारे छोटे-छोटे बच्चे भी इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। आप लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने महिलाओं को क्या दिया? महिला को पहली राष्ट्रपति बनाये, हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री बनाये, हमारी महिला पहली लोकसभा की अध्यक्ष बनीं। यह कांग्रेस की पार्टी की देन है। और आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया है? कांग्रेस हमेशा से महिलाओं की पक्षधर रही है और आगे भी रहेगी।

श्री राजेश मूणत :- दीदी, वह [XX][2] के ऊपर भी कुछ बोल दो।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- किसका?

श्री राजेश मूणत :- वह [XX] के ऊपर लता उसेंन्डी जी कुछ बोल रही थीं, उस पर भी तो कुछ बोल दीजिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- [XX] के बारे में बोलो न।

श्री राजेश मूणत :- [XX] तो छत्तीसगढ़ की रही हैं। .. (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- [XX] ।

सभापति महोदय :- ये सब बात विलोपित कर दीजिए।

समय :
1.00 बजे

श्री द्वारिकाधीश यादव :- [XX] (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- आपने यह बहुत जगह इस्तेमाल किया है । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- [XX] (व्यवधान)

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री रामकुमार यादव :- महिलाओं का सम्मान करते हो या अपमान करते हो, इसको बताओ । आप लोग इसको किस दृष्टि से देखते हैं ? (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- यह गलत बात है । (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, यह विषय बिल्कुल सर्वत्र गलत है जिस तरीके से यहां बोला जा रहा है । (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- प्रधानमंत्री जी को इस तरह से बोलना गलत है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- रूकिए, एक मिनट सुन लीजिये । जो बात अभी बोली गयी है, उसको विलोपित किया जाता है । (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, [XX][3] इस शब्द को विलोपित किया जाये ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, यह शब्द विलोपित होना चाहिए । (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- कौन-कौन से शब्द को विलोपित करेंगे और क्यों करेंगे? (व्यवधान)

श्रीमती रायमुनी भगत :- बिल्कुल, मैं भी आपत्ति करती हूं कि इस तरह से बोलना नहीं चाहिए । (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- यह गलत आरोप है । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह सत्य है, विलोपित नहीं हो सकता । (व्यवधान) भेंडिया दीदी ने जो बोला है वह सत्य है । (व्यवधान)

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति महोदय, इसको आप डिलीट करवाईये । (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, उसको विलोपित करवाईये । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- विलोपित नहीं हो सकता क्योंकि वह सत्य है । (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- यह पूरा गलत है ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- आप महिलाओं के बारे में बोलिये । (व्यवधान)

श्री सुनील सोनी :- बहन जी, आप गलत दिशा में जा रही हैं । (व्यवधान) शाहबानो प्रकरण था, आप व्यक्तिगत रूप से बोल रही हैं । (व्यवधान) इस सबको विलोपित करिये और उनको माफी मांगने बोलिये । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप लोग तो अवसर ढूंढ़ते रहते हैं । (व्यवधान)

श्रीमती रायमुनी भगत :- आप लोग एक-बार शाहबानो में भी बोल दीजिये । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए । (व्यवधान)

श्री सुनील सोनी :- एक महिला होकर ऐसी बात कर रही हैं । (व्यवधान)

---

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

सभापति महोदय :- बैठिए । आपसे बोल रहा हूं, बैठिए तो आप लोग...। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- [XX] (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए । आप तीनों बैठिए । प्लीज बैठ जाईये। (व्यवधान) हां, अब आप बताईये क्या कहना है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, महिला अस्मिता की रक्षा करने का ढ़ोंग करने वाले बी.जे.पी. सरकार प्रदेश की बालिका छात्रावासों एवं पोटा केबिन...।

सभापति महोदय :- वैसे मैं यह बता दूं कि जो भी टिप्पणियां हुई हैं, उन सबको विलोपित कर दिया गया है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- पोटा केबिन में छात्राओं को हो रही एवं शोषण, अपराध पर नियंत्रण करने में पूरी तरफ विफल रही है । उन लोग महिला आरक्षण की बात करते हैं । हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपकी सरकार से, आपकी देश में सरकार चला रही है उनसे कि वर्ष 2023 में सर्वसम्मति से जो लागू किये हैं उसको तत्काल लागू किया जाये और हमारी महिलाएं सदन में यहां बैठें । (मेजों की थपथपाहट) इन्हीं भावनाओं के साथ आप जो गलत नीति से यहां लाये हैं, उसका विरोध करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं ।

सभापति महोदय :- सामान्यत: किसी संकल्प पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों को अधिकतम 10 से 15 मिनट तक भाषण करने की अनुमति या परम्परा है। चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव को यहां अनुमति देकर के पूरे दिन भर के लिये चर्चा निर्धारित की है परंतु वक्ताओं की सूची बहुत बड़ी है इसलिये आप सबसे आग्रह है कि आप भाषण में अब प्रथम वक्ताओं के बोलने के बाद अपने समय का ख्याल रखेंगे और सहयोग करेंगे ।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी)

सभापति महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें । श्रीमती भावना बोहरा ।

शासकीय संकल्प (क्रमशः)

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- धन्यवाद । माननीय सभापति महोदय, आज जिस विशेष विषय पर हम सब यहां चर्चा करने के लिये एकत्रित हुए हैं । मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से आदरणीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का बहुत अभिनंदन करूंगी और साथ में हमारे यशस्वी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करूंगी कि इस महत्वपूर्ण विषय की गंभीरता को समझते हुए छत्तीसगढ़ के इस पावन विधानसभा में, इस परिसर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिये जो संकल्प पारित करने के लिये हम सबको यहां पर आज आने का एक अवसर दिया और महिला होने के नाते विशेष तौर पर मैं सभी बहनों की तरफ से भी अभिनंदन करूंगी कि हमें यहां पर अपनी बात रखने का जो एक अवसर आपने दिया है वह भी बिना किसी समय की पाबंदी के तो उसके लिये आपका अभिनंदन करती हूं ।

माननीय सभापति महोदय, जब इस विषय पर चर्चा होती है । नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो एक ओर हम सब का हृदय कहीं न कहीं गर्व से भर जाता है लेकिन जब दूसरे ही क्षण 17 अप्रैल का वह समय याद आता है जब विपक्षियों ने एकजूट होकर इस बिल के गिरने पर मेज थपथपायी थी तो कहीं न कहीं हमारा मन पीड़ा से भी भर जाता है । गर्व इसलिये होता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत के संसदीय इतिहास में नारी शक्ति को सर्वोच्च अधिकार दिलाने का जो अदम्य साहस लोकसभा में किया है चाहे वह महिला राजनीति से जुड़ी हों या न जुड़ी हों । हर किसी की नजर उस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर थी, लोकसभा के सदन पर थी और कहीं न कहीं जिस तरीके से विपक्ष ने, कांग्रेस ने और इनकी गठबंधन ने एक साथ एक विपक्ष के रूप में अभेद्य और षड़यंत्रकारी दीवार बनकर जो इस बिल के विपक्ष में खड़े हुए हैं, देश की महिलाओं ने उसे भी देखा है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप बहुत असत्य बोल रही हैं ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न ।

श्रीमती भावना बोहरा :- जब आपके बोलने की बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- सभापति महोदय, हमारी बात हुई थी कि आप लोग नहीं टोकेंगे ।

श्रीमती भावना बोहरा :- जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तो बोल लीजिएगा । आप टोका-टोकी मत करिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- प्रधानमंत्री जी विधेयक को 2034 की ओर ले जा रहे हैं ।

श्रीमती भावना बोहरा :- आप कम से कम सुनिए तो ।

श्री दीपेश साहू :- इधर की माननीय सदस्या बोलती हैं तो आप टोकने के लिए खड़े हो जाते हैं ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- आप टोका-टोकी मत करिए, हमारी बहिन अपनी बात को रख रही हैं । उसे सुनिए । बार-बार खड़े होकर टोकना शुरू कर देते हैं ।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, यह सत्र सबके बोलने के लिए विशेष सत्र लाया गया है ।

सभापति महोदय :- भावना जी, एक मिनट । नेताम जी, बैठिए, आप भी बैठिए। यादव जी, ऐसे में कैसे भाषण होगा । कोई भी सदस्य को अभी दो मिनट बोले नहीं हुआ है और आप 6 लोग खड़े होकर डिस्टर्ब कर रहे हैं । तरीके से बात होती है न ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है ।

सभापति महोदय :- हर बात में नहीं बोलेंगे न । हर सदस्य के बारे में हर कोई टीका-टिप्पणी करेगा तो भाषण नहीं हो पाएगा । इसलिए आपसे आग्रह है । आप तो वरिष्ठ हैं न, भावना जी तो पहली बार की सदस्य हैं, उन्होंने बोलना शुरू किया है तो उनको बोलने में सहयोग करिए न, आप बैठिए । भावना जी, आप बोलिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- धन्यवाद सभापति महोदय । आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है या लोकसभा में जिस विषय पर 16-17 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई थी, वह सिर्फ एक विधेयक नहीं था, कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि न जाने कितने सदियों से लंबित महिलाओं की एक पीड़ा, उनकी अनवरत जो यात्रा थी, जो दशकों तक सत्ता में रहे, जिस तरीके से महिलाओं को अधिकार देने के नाम पर जो छला गया है, कहीं न कहीं उसके विषय पर कानून बनने की बात थी । हम शास्त्रों में पढ़ते हैं-यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः । हम सब जानते हैं, हमने शुरू से शास्त्रों में पढ़ा है कि जहां नारी का सम्मान होता है, जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं, लेकिन जो विपक्ष है, जो इंडी गठबंधन है, जो कांग्रेस है, शास्त्रों से कहीं वे इस बात से समाहित नहीं करती इसलिए जो मैंने दूसरा लाईन बोला, उस पर लगातार वे काम करते हैं क्योंकि जहां नारियों का सम्मान नहीं होता है, वहां राष्ट्र निर्माण से लेकर सभी योजनाएं हैं, चाहे वह सरकार की योजनाएं हों, कोई भी योजनाएं हों, वह हमेशा निष्फल रहती हैं ।

सभापति महोदय, अगर वैदिक काल की बात करें तो हमने लगातार यह चीज देखा है कि वैदित काल में भी महिलाओं को शुरू से उच्च स्थान दिया गया है । आज न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं, गार्गेय का उदाहरण ले लें, लोपामुद्रा का उदाहरण ले लें, अपाला, मैत्रीय जैसी अनेक विदूषियां जो सिर्फ गृहणी न होकर वेदों की दिशाओं में जिन्होंने अपनी रचनाएं दीं, ऐसी कितनी राजाओं की सभा में, आदरणीय जनक की सभा में भी ऐसे महर्षि ज्ञानवल्यज्ञ प्रकाण्ड विद्वानों के साथ दार्शनिक शास्त्रों में जो भाग लेती थीं, वह महिलाएं थीं । राष्ट्र के नीति निर्माण से लेकर धर्म और ज्ञान में जो सीधा अपना प्रभाव डालती थीं । हमने ऐसी कई सारी बौद्धिक और सामाजिक इतिहास जब हम देखेंगे तो बहुत सारे

उदाहरण प्राचीन काल के वैदिक कॉल में हम सबको दिखाई देते हैं । मध्य और आधुनिक काल के इतिहास की अगर हम दृष्टि डालते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, जब हम वीरांगना रानी दुर्गावती को याद करते हैं । (मेजों की थपथपाहट) जब हम अहिल्या बाई होल्कर को याद करते हैं, जब हम झांसी की रानी लक्ष्मी बाई को याद करते हैं, जब हम चित्तूर की रानी चिन्नमा को याद करते हैं, जब हम जीजा बाई को याद करते हैं, जो सिर्फ राजनैतिक साहस नहीं, जो सिर्फ सैन्य का नेतृत्व नहीं करते, बल्कि सुशासन और न्यास के अदम्य साहस के एक बड़ा परिचय थीं, जो आज भी हम सब महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनती हैं ।

सभापति महोदय, हम सब छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियां हैं, चाहे पक्ष में बैठी हों, चाहे विपक्ष में बैठी हों और छत्तीसगढ़ महतारी के इतिहास में अगर हम जाएंगे तो बहुत गौरवशाली इतिहास छत्तीसगढ़ महतारी का रहा है, जहां पर कण-कण में यहां की महिलाओं का शौर्य हम सबको देखने को मिला है । यहां बिलासा बाई केवटीन जी ने अपने अदम्स साहस और तलवार के दम पर समाज की रक्षा की (मेजों की थपथपाहट) हमारे बिलासपुर शहर का नाम उनके नाम से आबाद हुआ है । जब हम सरगुजा की बात करते हैं, हमारे बहुत सारे विधायक साथी सरगुजा से बैठी हुई हैं, जो महिलाएं हैं । जब सरगुजा की बात है तो राजमुनी देवी जी, जिन्होंने बापू के आदर्शों पर चलकर समाज सुधार का एक बड़ा आन्दोलन खड़ा किया । आज हम राधा बाई का संघर्ष हम कभी नहीं भूल सकते । आज हम पहली महिला सांसद आदरणीय मिनी माता को श्रद्धा से याद करते हैं, जिन्होंने एक अस्पृश्यता निवारण कानून पारित करके महिलाओं की महती भूमिका न सिर्फ सदन में, बल्कि समाज में भी बनाई है । (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- पहली महिला सांसद कांग्रेस पार्टी की बनी थीं।

श्रीमती भावना बोहरा :- बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है । एग्जेक्टली, जहां महिलाओं के संविधान की, उनके ताकत की बात आती है, वहां बीजेपी कांग्रेस या तीसरी बात हम नहीं कर रहे हैं । मैंने इसलिए भी जिक्र किया कि मुझे उममीद है कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे।

श्री दिलीप लहरिया :- कांग्रेस ने बनाया है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- मेरे बताने का तात्पर्य यह है कि वह कांग्रेस की पहली सांसद हैं।

श्री दिलीप लहरिया :- कांग्रेस ने बनाया है, ऐसा बोलिये न। (व्यवधान) कांग्रेस ने सम्मान किया, आपको यह भी उल्लेख करना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप अपना भाषण दीजिये, जवाब मत दीजिये।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, बिना राजनीतिक चश्में के शायद कांग्रेस या इंडी गठबंधन किन्हीं चीजों को देख ही नहीं पाई है। इसकी गवाही17 अप्रैल का वह दिन है, मैं उस विषय पर भी आ आऊंगी, आप चिंता मत करिये। मिनीमाता सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं, हर छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए गर्व की बात है। मैंने इसीलिए कहा कि वह भी छत्तीसगढ़ की बेटी थीं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का

मान बढ़ाया। हम आदरणीय रजनी ताई उपासने को कैसे भूल सकते हैं, जिनका जीवन एक प्रेरणास्त्रोत रहा है। जो पहली महिला विधायक बनकर छत्तीसगढ़ की महिलाओं का मन गर्व से भरा है।

आदरणीय सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ की कितनी सारी नेत्रियां हैं, वह चाहे किसी भी पार्टी की रही हों, लगातार पंच से लेकर पार्लियामेंट तक, नगरीय निकाय से लेकर संसद तक, लगातार आज भी छत्तीसगढ़ का नाम अनेक मंच से बुलंद किया है। सभापति महोदय, मैं एक बात की चर्चा जरूर करूंगी। हमारे बीच में दो सदस्या हैं, जिनका जिक्र करना चाहूंगी। आदरणीया गोमती साय जी और आदरणीय रेणुका सिंह जी हैं, सन् 2023 में जब महिलाओं के आरक्षण के विषय पर चर्चा हुई थी, तब वे वहां उपस्थित थीं। जब उनसे बात होती है तो वे बताती हैं कि जिस समय यह विषय सदन में आया तो हमारा सीना गर्व से फूल गया था कि हम ऐसे ऐतिहासिक पल के गवाही बने थे। वहीं हम 17 अप्रैल, 2026 की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं, वह चाहे पक्ष की हों या विपक्ष की हों, महिला सांसदों को इस बात का दुःख हुआ होगा कि वे इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह नहीं बन पाये।

सभापति महोदय, जब हम इतिहास में जाये तो हम देखते हैं। चाहे मुगलों के आक्रमण की बात करें चाहे अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों की बात करें, न सिर्फ महिलाओं का शारीरिक बल्कि मानिसक शोषण लगातार हुआ है। बल्कि नेतृत्व करने की बात है तो उनके नेतृत्व को हमेशा खण्डित किया गया। सभापति महोदय, जब अंग्रेजों से देश आजाद हुआ तो एक उम्मीद थी। महिलाओं ने आजादी की लड़ाई में जिस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि पुरूषों से कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भाग लिया। वे पुरूषों के साथ लगातार अनेक आंदोलनों के बाद जेल में भी ठूंसा गया। लेकिन जब आजादी का सवेरा हुआ तो महिलाओं को कहीं न कहीं विश्वास था कि अब भारत का नया संविधान बनेगा और संविधान बनने के बाद उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। संविधान तो बना, लेकिन जहां तक अधिकार की बात है, वह सिर्फ 15 सीटों तक सिमट गईं। 299 सीटों में महिलाओं को सिर्फ 15 सीटों में सिमटकर रहना पड़ा था। आजादी के बाद जिनकी सत्ता थी, उस समय यह उनकी कथनी और करनी थी। जो लगातार यह बात करते हैं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। सभापति महोदय, आजादी के दशकों से लेकर लगभग 60 से 70 साल की बात करें, एक ही परिवार का राज रहा है। वह बताने की जरूरत नहीं है, पूरे देश का बच्चा-बच्चा वाकिफ है कि कौन सा परिवार रहा है। हो सकता है कि आज भी इसी परिवार की सत्ता या उनका जो विशेष अधिकार है, परिवार की महिलाओं का अधिकार न छीन जाये, इसलिए शायद इसका विरोध करके विपक्ष अपनी वाह-वाही लूट रहे हैं।

सभापति महोदय, वास्तविकता है कि देश की नारी जो खेतों में पसीना बहाती हैं, जो जंगलों में महुआ बीनती है, जो खदानों में काम करती हैं, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, अनेक वनांचल क्षेत्रों में लगातार संघर्ष कर रही हैं, जिनको मुख्य धारा में जोड़ने का विषय आया है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का विषय आया, तो कहीं न कहीं संसद में पद पर बैठाने की बात आई तो लगातार, फिर से चाहे वह

कांग्रेस हो या चाहे इनका गठबंधन हो, इन्होंने महिलाओं के हक को छीनने का काम किया है। सभापति महोदय, 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, तब पंचायतों और नगरीय निकायों में, मुझे पता है कि इसके बाद फिर से मेरी बहनें खड़ी होने वाली हैं, मैं बिलकुल कहना चाहूंगी कि राजीव गांधी जी ने इसकी शुरूआत की थी। आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो अभी हमारे वर्तमान विधान सभा के अध्यक्ष हैं, जो उस समय मुख्यमंत्री की भूमिका में थे, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बना, जहां पर 50 प्रतिशत आरक्षण पंचायती राज में दिया गया था। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बना। मैं इसके लिए उनका बहुत अभिनन्दन करूंगी।

सभापति महोदय, अभी कुछ विषयों पर चर्चा हो रही थी। मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगी। लेकिन जब हम सन् 2014 की बात करते हैं, एक ऐतिहासिक युग की शुरूआत हुई, जहां नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना नेतृत्व दिया, उस समय वीमेन वेलफेयर की बात न करके वीमन लेड डेवलपमेंट का सफर शुरू हुआ है, जिसकी 2014 से शुरूआत हुई है। लगातार अनेक ऐसे उदाहरण है। मुझसे भी पहले माननीय लता उसेण्डी जी ने अपने वक्तव्य में इस पर चर्चा की है। लेकिन फिर भी कुछ विषयों को जरूर दोहराना चाहूंगी। क्योंकि जो आरक्षण का विषय है, हमारे प्रधानमंत्री जी की यह सिर्फ एक दिन की सोच नहीं है, हम 2014 की शुरूआत से बात करें, चाहे शौचालय योजना की बात करें, हम उज्ज्वला योजना की बात करें, मातृत्व वंदन योजना की बात करें, चाहे शौचालय योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की हम बात करें, मातृत्व वंदन योजना की बात करें, जिसमें 18 हजार करोड़ से अधिक राशि जिसका वितरण किया गया। महिलाओं के नाम पर प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड की बात करें, 90 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को संगठित करने की जो हम बात करें, लगभग 4 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाते, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की हम बात करें, अनेक सारे विषय जो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम की शुरुआत की गई, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर जो 33 परसेंट के आरक्षण की हम बात करते हैं, नींव का पत्थर वह साबित होता, जो शायद विपक्ष को स्वीकार नहीं था। अनेक ऐसी हमारी आज बहनें, हमारी जो मुस्लिम बहनें लगातार अभी शाहबानो केस की चर्चा हो रही थी, मुझे तो यह लग रहा था कि हमारी बहनों को जो विपक्ष में हैं, शाहबानो केस किसी को पता है, याद है भी या नहीं है। महोदय जी, लगातार जब तीन तलाक़ का विषय आया, जो अमानवीय कुप्रथा जो लगातार हमारी बहनों को झेलना पड़ता था, जब उसके लिए शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का जब फ़ैसला आया तो उसको बदलने के लिए कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए संसद में इसे कानून बनाकर पलटा दिया गया। वहां भी इसे बिल बनाकर तीन तलाक़ की कुप्रथा को ख़त्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया

है। महोदय जी, आज महिलाएं सिर्फ़ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, सेना की कमान संभाल रही हैं, चंद्रयान में शिवशक्ति का केंद्र बिंदु बनकर के वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रही हैं, चाहे बहुत सारे विषय और उदाहरण मैं आपको बता सकती हूं, जो लगातार 2014 के बाद से जिस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण की जो बात आई है। महोदय जी, वर्तमान में लोकसभा अगर 2024 की हम तस्वीरें देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि भा.ज.पा. ने अभी आप लोग जो चर्चा कर रहे थे, उसकी बात मैं ज़रूर कहना चाहूंगी कि आप लोग आठ हैं हम लोग ग्यारह हैं, नंबर हो सकता है वोट में कुछ ऊपर नीचे हो, कुछ महिलाएं जीतें कुछ न जीतें, विषय उसका नहीं है। लेकिन विषय यह है कि जब लोकसभा की बात आई, 69 महिलाओं को लोकसभा में चुनावी मैदान में उतारा गया, जिसमें से 31 महिलाएं जीत कर के आज भी लोकसभा में अपने क्षेत्र की आवाज़ बुलंद कर रही हैं। लेकिन महोदय जी, इस बात से दुख भी होता है कि सिर्फ़ 14 परसेंट का हिस्सा आज महिलाओं को लोकसभा में मिला है और अगर 14 परसेंट से 33 परसेंट तक अगर किसी की इच्छा शक्ति से किसी के साथ और सहयोग से अगर हमारे मोदी जी लाना चाह रहे हैं तो आपत्ति किसे है? इसका तो पूरा समर्थन करना चाहिए, यह तो नहीं है कि सिर्फ़ भाजपा की महिलाएं आएंगी, कांग्रेस की महिलाएं नहीं आएंगी, 33 परसेंट का आरक्षण तो हर उस महिला के लिए जो राजनीति में अपना भविष्य देखती हैं जो देश के लिए अपनी सेवा देना चाहती हैं। (मेजों की थपथपाहट) महोदय जी, लगातार वर्ष 1996 से लंबित 33 परसेंट आरक्षण दशकों तक आखिरकार धरातल पर जब साकार होता नहीं दिखा, वह भी कारण यह था कि सिर्फ़ इंडी गठबंधन जो महिलाओं को उस मंच तक के पहुंचने ही नहीं देना चाहता था। महोदय जी, यह विषय पहली बार नहीं है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें बहुत सारे विषय में अभी जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन विपक्ष ने जो यह पाप किया है जो 33 परसेंट आरक्षण का सहयोग नहीं किया है, विपक्ष ने यह पाप कोई पहली बार नहीं किया है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि 1996 में, 1998 में और 2010 में, अभी हमारी आदरणीय सदस्य कह रही थीं कि आपके...।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- 2010 में विपक्ष में कौन थे?

श्रीमती भावना बोहरा :- सुनिए, आप लोग बताइए, आप लोगों ने ही महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- विपक्ष ने कभी यह नहीं कहा कि हम लोग इसका विरोध करते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- विपक्ष में महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है। उसको वर्ष 2034 में लागू क्यों कर रहे हैं? 543 में लागू कीजिए। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, 2010 में जब यह पास हुआ तो लागू क्यों नहीं किया गया? गठबंधन धर्म निभा रहे थे क्या? गठबंधन धर्म निभा रहे थे क्या? आप गठबंधन धर्म निभा रहे थे? 2010 में थे। विपक्ष में कोई आपत्ति नहीं थी। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- हम लोगों ने तो सपोर्ट किया। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप लागू कीजिए। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप असत्य बोलना बंद करिये। आप असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आप यहां 2010 का उल्लेख सब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- आप असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप असत्य बोलना बंद करिए। आप सुनिए। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप मेरी बात को सुनिए। आप लोग सुनने की हिम्मत रखिये। (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- आप लोगों की बारी आयेगी तो आप लोग बोलिएगा, सुनिए। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- हम लोगों ने रोकने का काम नहीं किया। आप लोगों ने इसे लागू नहीं किया। 2024 में लागू क्यों नहीं किया? विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिये ना, बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यह तो आपको बताना होगा, उस समय सरकार किसकी थी और गठबंधन धर्म के दबाव में नहीं कर पाए। (व्यवधान)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- हस्ताक्षर होने के बाद आप लोग पास नहीं कर पाये, इतनी बड़ी विडंबना है। महामहिम के हस्ताक्षर होने के बाद।

श्री सुशांत शुक्ला :- 2010 की राजनीति कर रहे हैं तो गठबंधन के दबाव में क्या लागू नहीं किया बता दें।

सभापति महोदय :- आप एक मिनट अब बैठिये। आप क्या बोलना चाहते हैं? अकलतरा से..।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय भावना जी, मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं।

श्रीमती भावना बोहरा :- नहीं, मेरी भावनाओं से नहीं मेरे विषयों से सहमत होइये। भावनाओं से सहमत होकर कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप लोग भावनाओं से सहमत होते तो आरक्षण पास हो चुका रहता अभी तक। भावनाओं से सहमत रहते आरक्षण पास हो चुका रहता। तर्कों पर बात कीजिये, तर्कों पर बात कीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- दिक्कत तो यही है न कि आपकी भावनाओं पर बात कर रहे हैं, तो भी आपको तकलीफ है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हम इस बात पर सहमत नहीं हैं कि 2034 क्यों?

श्रीमती भावना बोहरा :- आप सबके बोलने के बाद..।

सभापति महोदय :- भावना जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, आप उधर देख रही हैं। माननीय सभापति महोदय, आप कृपा करके इधर देखिये न और दो मिनट के लिए रुकिये। आप क्या बोलना चाह रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, यह विपक्ष वाले भावना की भावना ही नहीं समझ रहे हैं। (हंसी)

सभापति महोदय :- एक मिनट, आप थोड़ा सुन लीजिये। रुकिए।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, यह ऐसी बात है कि मेरी टोकरी में 543 आम हैं, उसमें से मैं 33% महिलाओं को देना चाहता हूँ, पर मैं तब दूँगा जब वे 850 हो जाएंगे। यह कौन सा न्याय है, भाई? 543 में आप 33% दीजिए न, 850 में क्यों देना चाहते हैं?

सभापति महोदय :- आपने अपनी बात कह दी। अब भावना जी, आप अपना भाषण दीजिए। सब कोई एक साथ मत बोलिए न। एकाध कोई बोले तो मैं मौका दूँ। पाँच लोग बोलेंगे तो क्या मैं समझूँगा, क्या वे समझेंगी और क्या रिकॉर्ड होगा।

श्रीमती भावना बोहरा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैंने बात की 1996 की, मैंने बात की 1998 की, मैंने बात की 2010 की। मैंने तीनों साल की बात की, लेकिन विपक्ष ज़रा यह बता दें। इसके पहले भी लगातार आदरणीय अनिला भेंडिया दीदी जी यह बोल रही थीं कि आप लोगों ने विरोध किया। आदरणीय सदस्य ने भी उस बात को बोला कि कहाँ उल्लेख है, आप सदन की कार्यवाही निकाल लीजिये। 2010 के रिकॉर्ड में यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था? आप रिकॉर्ड निकलवाकर दिखा दीजिये। अभी भी हम बोल रहे हैं और मैं उनकी बात को रिपीट करती हूँ कि आप रिकॉर्ड निकलवाकर दिखा दीजिये कि भारतीय जनता पार्टी ने कब महिला आरक्षण बिल का विरोध किया?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप लोग 2023 वाला रिकॉर्ड दिखा दीजिये। आप लोगों ने क्यों लागू नहीं किया?

श्रीमती भावना बोहरा :- उस पर भी मैं आती हूं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, वर्ष 2023 में महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास करवाये हैं। आप रिकॉर्ड निकलवाकर दिखवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको 2023 वाला पूरा रिकॉर्ड को बताऊंगा कि 2023 में क्या-क्या हुआ था।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, भाई, 2023 का कानून तो लागू है, उसमें क्या Issue है?

श्रीमती गोमती साय :- 2023 का कानून ऑलरेडी लागू हो चुका है। हम उसे ज़मीन पर लागू कराना चाह रहे हैं। इसलिए इस संविधान संशोधन को लाना पड़ा।

श्री विजय शर्मा :- डी-लिमिटेशन के साथ लागू किया जाए, इसमें यही व्यवस्था है। लेकिन आपको यही नहीं मालूम है कि 2023 वाला विधेयक लागू है। (व्यवधान)

श्रीमती गोमती साय :- जल्दी से जल्दी हमारी महिला लोग प्रतिनिधि चुनकर आए और सदन में बात करें। इसलिए इस विधेयक को संशोधन लाना चाह रहे हैं।

श्री विजय शर्मा :- 2023 वाला महिला आरक्षण विधेयक पारित है, लागू है। आपको इतना नहीं मालूम है तो फिर आज क्या बात होगी?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हमको मालूम है।

श्री विजय शर्मा :- दूसरा विषय यह है कि अभी उसको डी-लिमिटेशन के साथ वर्ष 2029 से लागू करना है, यह विषय लेकर के सदन में यह संकल्प लाया गया है।

सभापति महोदय :- एक मिनट, आप बोलिये।

श्रीमती रेणुका सिंह सरूता :- माननीय सभापति महोदय, 19 सितम्बर, 2023 को जब पहली बार महिला बिल आरक्षण Introduce हुआ, 20 सितम्बर को इस पर बहस हुई और 20 सितम्बर को यह बिल पारित हुआ। 21 सितम्बर को यह बिल राज्यसभा में पारित हुआ और फिर 29 सितम्बर, 2023 को राष्ट्रपति जी का उस बिल पर साइन हुआ। जब वोटिंग के बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर सदन को बता रहे थे, देशवासियों को बता रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पर पहले परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद ही आरक्षण लागू होगा। यह बात कांग्रेस पार्टी की बहनों के द्वारा बार-बार आती है कि 2023 में यह कानून बना, उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था। हम चार विधायक उस समय के गवाह हैं–मैं, गोमती साय जी, हमारे डिप्टी सी.एम. अरुण साव जी और सुनील सोनी जी। (मेजों की थपथपाहट) हम चार लोगों ने वोटिंग भी किया है और हम सब अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि जो देश के उस सदन में पहली बार महिला आरक्षण बिल चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में हो, इन दोनों सदनों में पारित होकर कानून बनकर तैयार है। अभी 16, 17 एवं 18 अप्रैल, यह तीन दिवसों में जो बिल लाया गया था, जिसमें विपक्ष के लोगों ने उस बिल को गिराया है, इस पर अभी चर्चा चालू है। वह पहली बार विधायक बनी हैं, वह अपना पक्ष रख रही हैं, इसलिए उन्हें बोलने दीजिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय जी, मेरे समय में कटौती ना की जाए।

सभापित महोदय :- हां, आप बोलिए। एक मिनट, रूकिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आदरणीय सभापति जी, बार-बार यह बात आ रही है कि परिसीमन का बात कहा गया था। आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा यह बात आई थी। यह बात सत्य है, लेकिन परिसीमन कब होता है? परिसीमन तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। आज 2026 के अनुसार आप परिसीमन होता, ना कि 2011 के अनुसार होगा, जिसके लिए हमारे कांग्रेस पार्टी और अन्य दल इसका विरोध कर रहे हैं कि अभी की परिस्थितियों के अनुसार यह बिल लागू करेंगे।

श्रीमती भावना बोहरा :- जनगणना तो 2011 में हुई थी।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- वह जो बोल रही हैं, मैं उनकी बात कर रही हूं। परिसीमन बाद की बात है। उस बिल का विपक्ष ने कभी विरोध नहीं किया है।

सभापति महोदय :- हो गया। आप कृपया करके सुनिए तो। इसमें आपका नाम है। इन सारी बातों को आप अपने भाषण में बोलिएगा। आपका नाम नहीं है तो बोल लीजिए।

श्रीमती गोमती साय :- सभापति महोदय जी, खुद क्रियान्वयन का ज्ञाता हैं, देश संविधान से चलता है और देश संविधान के अनुसार चलेगा, यह एक व्यक्ति के कहने पर नहीं चलेगा । नरेन्द्र मोदी जी ने जो बिल लागू करने के लिये लाया था, यह संविधान से देश चलेगा, न कि किसी व्यक्ति के कहने पर देश चलेगा ?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, इन सारी चीजों को वर्ष 2026 की गणना के अनुसार किया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय :- हर्षिता जी, बैठिये । जब आपका नंबर आयेगा तो आप बोलियेगा ।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, संविधान इतना छोटा सा नहीं है, देश पूरे संविधान से चलता है ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैंने आपसे बार-बार अनुरोध किया था, आप आधा मिनट ही बोलने का समय दे रहे हैं, माननीय सदस्यों के द्वारा बार-बार यह बोला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी हम लोगों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, मैं आपको रिकार्ड करेक्ट कर देता हूँ कि जैसे आपके मंत्री जी ने कहा है उसे ध्यान से सुन लीजिए । सभापति महोदय, वर्ष 2023 का महिला आरक्षण सर्वसम्मति से पास हुआ है, अभी जो कांस्टिट्यूशन अमेंडमेड बिल गिरा है, वह डिलिमिटेशन पर गिरा है और महिला आरक्षण का विरोध कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है ।

श्रीमती भावना बोहरा :- यह आपकी सोच है, हम लोग इससे सहमत नहीं है। (व्यवधान)

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- सभापति महोदय, वर्ष 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उस बिल के आधार पर इस बिल में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी ? नरेन्द्र मोदी जी चाहते थे कि 33 प्रतिशत आरक्षण वर्ष 2029 से मिलने लगे, इसलिये वह संशोधन आया थार । (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- इसे वर्ष 2026 की जनगणना के अनुसार कराईये । विपक्ष यही तो मांग कर रहे हैं ?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अमेंडमेंट बिल इसलिये लाया गया था कि उसके पहले आपने जो बिल लाया था, उसे आप बदलना चाहते थे । यह क्यों बदलने की जरूरत पड़ी, इसका जवाब दीजिए ?

सभापति महोदय :- राघवेन्द्र जी, आप बैठिये । अभी उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं । आप पहले उनकी बात सुन लीजिए, मैं फिर आपको मौका दूँगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आपको भी जोश आता है क्या ?

सभापति महोदय :- आदरणीय, इतना गलत बोलेंगे तो जोश तो आयेगा ही ।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, जो प्रावधान थे, उसमें संविधान के अनुरूप 33 प्रतिशत आरक्षण वर्ष 2023 के विधेयक के आधार पर, संवैधानिक आधार पर, अभी जो सेंशस हो रहा है, उसके बाद लागू होता, क्योंकि जनगणना की कार्यवाही अभी चल रही है । हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी वर्ष 2029 से ही आरक्षण देना चाह रहे हैं, जिसका यह विरोध कर रहे हैं । महिला की शक्ति का विरोध करने वाले को अंदाज नहीं है, आज यहां खड़े होकर विरोध कर रहे हैं । यह महिलायें देख रही है। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला पोर्ते :- छत्तीसगढ़ की महिलायें आपको देख रही है । (व्यवधान) आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि यह लागू हो ।

एक माननीय सदस्य :- इन लोग यही चाहते हैं कि परिवारवाद सामने आये । इन लोग नहीं चाहते हैं कि महिला आगे आये । (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- महिला आगे आये, यह आप लोग चाहते ही नहीं है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- परिवार में एक ही महिला आये, आप लोग यह चाहते हैं ।(व्यवधान)

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस यह जो राजनीति कर रही है, कांग्रेस ने अफवाह फैलाकर 70 सालों तक देश के भीतर अपनी राजनीति चलाई है । यह नया भारत है, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, जो आज महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये काम कर रही है...। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- यह आंखों में धूल झोंकने वाला भारत है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये । भावना जी, थोड़ा रूकिये ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- यह जनसभा नहीं है । यहां सरे आम भाषण नहीं हो रहा है तो उसी भाषा में विरोधी सदस्य लोग बात करें ।

सभापति महोदय :- मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि आप अपना भाषण दीजिए और जो भी वक्ता है, आसंदी की तरफ देखकर बोलें । आप लोग डायरेक्ट एक-दूसरे को रिप्लाई करने लगते हैं तो

वातावरण थोड़ा गरम हो जाता है । आपको जो बोलना है, सभी का नाम है, जिनका नाम है वही लोग सबसे ज्यादा खड़े हो रहे हैं। कृपा करके आसंदी को सहयोग करें और भावना जी अपना भाषण दीजिए और कोशिश करे कि समाप्त करें । मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ, आप बोलिये ।

सभापति महोदय :- मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। आप बोलिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय जी, धन्यवाद। इस विषय पर सिर्फ सदन में नहीं, सदन के बाहर भी आम चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है और अभी काफी सारे सदस्यों ने इस विषय पर बातें भी रखी हैं। एक बात जो लगातार आ रही थी कि वर्तमान में जो 543 सीटें हैं, इसी पर आरक्षण क्यों नहीं किया गया? यह बहुत स्पष्ट है कि जब 33% आरक्षण को बिना जनगणना और बिना विधिवत परिसीमन के लागू करना असंवैधानिक और अव्यवहारिक कदम है। इसीलिए यह जरूरी है कि अभी जनगणना हो पाए।

समय :

1:31 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, यह बात लगातार आ रही थी कि जनगणना में ओबीसी नहीं पूछा जा रहा है, यह नहीं पूछा जा रहा है, अभी तो सिर्फ घरों की गिनती हो रही है। घरों का तो कोई जाति नहीं होता ना? पहले घरों की गिनती होगी उसके बाद कौन किस जात का है, उसके बाद वह सेकंड चरण में आएगा। पहले चरण में ही घर से तो हम नहीं पूछ सकते कि भाई तुम किस जात के हो, पहले बता दीजिए, दरवाजे-खिड़की जो लगे हुए हैं। सभापति महोदय, इसके अलावा विषय आता है कि 543 सीटों पर ही क्यों नहीं होता? आज अगर हम दक्षिण भारत की बात करें जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य किया है, कहीं ना कहीं अगर आज यह 543 सीटों पर लागू होता है तो उन राज्यों को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।

(विपक्षी सदस्यों द्वारा आपस में बात करने पर)

श्रीमती भावना बोहरा :- आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग बहुत अच्छे वक्ता हैं, वह भी दिखेगा, आप लोग बोलिएगा। अध्यक्ष जी भी अब आ चुके हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? सामने बहुत अच्छे वक्ता बैठे हैं, आप सबका अभिनंदन है। जब 17 अप्रैल का वह समय था, जब पूरी देश की महिलाएं, बच्चियों की टीवी पर नजर थी, जो राजनीति में अपना भविष्य और सेवा करने के लिए आगे आना चाहती थीं, जिस तरीके से बिल गिरने के बाद आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी और उनकी कुछ सदस्या लगातार मेज थपथपा रही थीं। फिर से इनको आपत्ति होगी हमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से महिलाओं में जो आक्रोश था, जो थोड़े-बहुत कहीं बच भी गए हैं तो आने वाले समय में महिलाओं का जो प्रकोप है, वह बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। उसके लिए

भी आप सब कृपया करके तैयार रहें। (मेजों की थपथपाहट) जहां तक विधेयक में संशोधन की बात आ रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से यह बात लोकसभा के उस सदन में कही थी कि मैं देश का गृह मंत्री अमित शाह बोल रहा हूं, मैं इस चीज की बात कर रहा हूं। आप लोगों को देश के गृह मंत्री पर भरोसा नहीं है तो फिर क्या बात की जा सकती है? आपके माध्यम से लगातार बात आई आपके प्रधानमंत्री। मैं फिर बोलना चाहूंगी, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति के नहीं होते, वह पूरे देश के हैं, चाहे वह भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वह टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि देश की आम जनता के भी प्रधानमंत्री हैं जो लगातार उनके हितों की रक्षा भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्टता के साथ हमारे गृह मंत्री जी के माध्यम से यह बात कही गई कि आप एक घंटे का समय दीजिए, जिन विषयों पर आपको आपत्ति है उन विषयों पर आपको पूरे पेपर के साथ, पूरे संविधान पर चर्चा होने के साथ सारे विषयों को क्लियर किया जाएगा। इसके बाद जैसे ही यह पता चला कि विषय क्लियर किए जाएंगे, वहां सबसे विरोध विशेष करके के.सी. वेणुगोपाल जी और राहुल गांधी जी कर रहे थे, जैसे ही पता चला सदन से भाग निकले। बातों को एकतरफा सुनकर कहने बस से नहीं होता है, दोनों तरफ की बातें सुनी जाती हैं, विशेष तौर पर अगर संविधान के तहत कोई बात हुई तो सुनने के लिए उसे हिम्मत भी रखनी होती है, जो कि शायद कांग्रेस में या उनके सहयोगी दलों में नहीं है। मुझे कभी-कभी यह भी अहसास होता है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक महिलाओं में जो उत्साह था, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो आलाकमान महिलाएं हैं उनको यह डर सताने लगा कि भई, कहीं एक मजदूर की बेटी, कहीं एक किसान की बेटी, अगर हमारे संसद की सीट में बगल में आकर बैठ गई हैं तो हमारा जो इकोसिस्टम है कहीं वह खराब ना हो जाए। हो सकता है कि बहुत बड़ा विरोध का कारण यह भी रहा हो। क्योंकि ए.सी. में बैठकर बात करना बहुत आसान है लेकिन अपने साथ गरीब घर की महिलाओं को बिठाकर लेकर आना, मुझे लगता है, शायद अभी तक कि किसी पार्टी को ये चीजें हजम नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम दूसरे देशों की बात करें, आज भी रवांडा जैसे देश में 60% से अधिक महिला सांसद हैं,, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देश में 40 से 45% महिला सांसद हैं, फिनलैंड में आज भी 45% महिला सांसद हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका हमसे ज्यादा मिला है। अगर वैश्विक सूची आप देखें तो 185 देशों में हमारा भारत आज भी 140वें स्थान पर संघर्ष कर रहा है जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के महिला प्रतिनिधित्व करने से भी पीछे है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें 2014 से अभी तक लगातार नारियों के उत्थान में महिला सशक्तिकरण में सिर्फ भाषण नहीं दिए गए बल्कि ऐसे बहुत सारे कानून बनाकर के महिलाओं को आगे लाने का काम किया गया है। ऐसे विषय जो कभी ये सोचते थे कि शायद हमारे देखते में, हमारी पीढ़ी में कभी हल नहीं हो पाएगा, चाहे धारा 370 की बात करें, चाहे रामलला के भव्य मंदिर की बात करें और तो और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बस्तर के घने जंगल से नक्सलवाद की आज अंतिम सांसें भी

थम चुकी हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही सोच थी, आज छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। (मेजों की थपथपाहट) महोदय जी, लगातार विपक्ष ने खुद आने वाले समय में वर्ष 2029 के चुनाव में मुझे लगता है कि जरूर यह बोलेंगे कि यह संसदीय भाषा नहीं है। हो सकता है कि यह बोलें। खुद ही इन्होंने अपनी कब्र खोदी वर्ष 2029 के चुनाव में, क्योंकि हर महिला जिसकी राजनीति में आने की इच्छा थी, मैं फिर कहना चाहूंगी कि कहीं न कहीं उन महिलाओं को इस परिसर के अंदर आने से अगर किसी ने रोका है तो वह कांग्रेस पार्टी है, इंडी गठबंधन है। लगातार कभी अलग बहाने से, कभी किसी अलग बहाने से यहां बहुत सारे विषयों की चर्चा हमारे विपक्षी साथियों ने की। हमारी बहुत ही सम्माननीय सदस्य आदरणीय लता उसेंडी जी जब इन विषयों पर अपनी बात रख रही थीं, मुझे और हम सब महिलाओं को उसे देखकर बड़ा दु:ख हुआ। हम यह सोच रहे थे कि चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, शायद सब यही दिमाग में तय करके आए थे कि आज कोई किसी का विरोध नहीं करेगा। आज जो महिलाएं जीतकर यहां पर आई हैं, जो महिलाएं आज हमें टी.व्ही. पर या सामने बैठकर देख रही हैं, कहीं न कहीं आज पक्ष-विपक्ष न बनकर इन महिलाओं की आवाज इस सदन में लाएंगे। बहुत दु:ख होता है कि जब हमारी पहली सदस्या उठीं, तर्क-वितर्क अपनी जगह है, यदि एक बार उनके उठने पर मेज थपथपा देते तो शायद हमें भी लगता कि हां, भले यहां पर वैचारिक मतभेद है, लेकिन हमारे बीच मनभेद नहीं है, जो कि संभव नहीं हो पाया।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर से यह आवाज आयी कि हम संविदा से आए हुए हैं, जबकि जनता ने हमें भी चुनकर यहां भेजा है।

श्रीमती भावना बोहरा :- हमारे साथी सदस्य ने भी बहुत आरोप-प्रत्यारोप किए। वह बात भी आप लोगों से छुपी नहीं है तो आरोप-प्रत्यारोप तो हमारे सदन की कार्यवाही की एक प्रक्रिया है। उसमें दु:ख इस बात का नहीं है, बल्कि दु:ख इस बात का है कि हमारी जो सदस्या उठी थीं तो आप लोगों ने यह बात कही कि आपको यहां होना चाहिए था, आपको वहां होना चाहिए था। मैं आप लोगों से एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या महिलाओं के लिए संवेदनशीलता सिर्फ महिलाओं के अंदर होती है? आज हमारे भाई पुरुष साथी सदन में बैठे हैं, क्या उनमें महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता नहीं हो सकती? क्या पुरुष के अंदर करुणा नहीं हो सकती? आप उसका जीवंत उदाहरण हमारे मुख्यमंत्री जी को देखिए। जिस दिन से वह मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे मैं प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, चाहे 1000 रुपये की महतारी वंदन योजना की बात करूं। पुरुष होने के बाद भी, पुरुष मुख्यमंत्री होने के बाद भी महिलाओं के अधिकार को आज लगातार ढाई साल सरकार बने हो गए, लेकिन कोई ऐसा महीना नहीं था जिसमें हमारी बहनों को 1000 रुपया नहीं मिला। यह उनकी संवेदनशीलता है जो एक पुरुष प्रधान समाज में होकर भी महिलाओं की भागीदारी समाज में जो रहनी चाहिए, उसको वह समझते हैं। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं हमारी सभी बहनों की तरफ से, पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं की तरफ से बहुत अभिनंदन

करती हूं कि इतनी करुणा, इतनी संवेदनशीलता उन्होंने महिलाओं को लेकर दिखाई है। (मेजों की थपथपाहट)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं बस कुछ लाइन बोलकर अपनी बातें खत्म करूंगी। चूंकि सभी महिलाओं में बहुत आक्रोश है और यह सिर्फ इस सदन के अंदर नहीं है, बल्कि आम चर्चा का भी विषय है। पंच से लेकर, जनपद से लेकर, जिला से लेकर जो आम कार्यकर्ता हैं, उनमें भी यह उम्मीद थी कि कहीं न कहीं आने वाले समय में विधान सभा के इस पवित्र सदन में, लोक सभा के पवित्र सदन में हमें भी पैर रखने का मौका मिलेगा, हम भी अपने क्षेत्र की आवाज बन पायेंगे। लेकिन फिर से मैं अपनी बात कहना चाहूंगी कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के माध्यम से उनकी आवाज को, उनके कदमों को इस विधान सभा तक पहुंचने से रोका गया है। मैं कुछ लाइनें बोलकर अपनी बातें समाप्त करूंगी।

मैं नारी हूं, संसद के लोगों, मेरा क्षोभ पुराना है,
मेरी पीड़ा को भारत भूमि ने देखा और जाना-पहचाना है।
मैं वर्षों जंजीरों में जकड़ी, जैसे कोई पाषाण हुई,
आक्रांताओं की बर्बरता से क्षण-क्षण लहू-लुहान हुई।
मैं व्रती हूं, मैं सती हूं, मेरी अस्मिता को क्षति हुई,
मैंने भी अपना रक्त दिया, जब राष्ट्र को गति मिली।
स्वाधीन हुई भारत भूमि पर, मुझे दहलीजों पर रोका है,
यह नारी के अधिकारों पर, फिर उस संविधान से धोखा है।
दशकों संसद की सीढ़ी से वापस हमको लौटाया क्यों,
कल मिलेगा अधिकार तुम्हें, यह कह हमें भरमाया क्यों।
आरक्षण मुमकिन है अभी, फिर कल पर टाला क्यों,
जब कांटा निकालना संभव था, तो जख्म पाला बिठाया क्यों।
सुन लो विपक्ष के हमारे साथियों, जो छल-कपट आप लाये हो,
जिस मातृशक्ति को छला है आपने, उसी से आज फिर ठगराये हो।
न द्रौपदी बनकर कृष्ण की राह तकूंगी, अब न मैं मौन रहूंगी,
दुर्गा बनकर हुंकारूंगी, चंडी बनकर दूहूंगी।
देख रही भारत की नारी, देख रहा सारा संसार,
संघर्ष करेंगे अभी हम, लेकर रहेंगे अपना अधिकार।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथाहट)

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज महिलाओं की गरिमा, सम्मान और उनके सशक्तीकरण के लिए एक शासकीय संकल्प लाया गया है, जिस हेतु एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है। चूंकि आज की संपूर्ण कार्यवाही महिलाओं के सम्मान को समर्पित है, इसलिए केवल आज के लिए मैं नियम 9(1) को शिथिल करते हुए सुश्री लता उसेण्डी एवं श्रीमती अनिला भेंडिया को सभापति तालिका में नाम निर्देशित करता हूं। इसे भविष्य के लिए उदाहरण न माना जाए, मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

शासकीय संकल्प (क्रमशः)

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आज सभी महिलाओं को आपने बोलने का मौका दिया। अभी लता दीदी और हमारी सभी सभापति महिलाओं को बहुत-बहुत बधाई।

अध्यक्ष महोदय :- अनिला जी भी सभापति तालिका में हैं, उनको भी बधाई दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, अनिला दीदी को भी बहुत-बहुत बधाई। आज इस सदन में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लाया है, इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। हमने मना कब किया? मैं ये कहती हूं कि मोदी जी तो इतने दानी इंसान हैं कि जब देश की आधी जनसंख्या महिला है, तो 33 प्रतिशत क्यों, 50 प्रतिशत आरक्षण दे दें। आप सहमत नहीं हैं?

श्री राजेश मूणत :- हम तो पूरे सहमत हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए इतना प्रोपेगेंडा...।

अध्यक्ष महोदय :- लेकिन दीदी, ऊपर वाले को समझाईये ना जो विरोध करके गए। वे वहां 50 प्रतिशत की मांग कर लेते।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- भैया, आपकी सीट कट जाही, मत कहना फिर।

श्री राजेश मूणत :- मैं तो पूरा 100 प्रतिशत आपके साथ हूं, मैं बस संविदा का विरोधी हूं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- दोनों तरफ से ?

श्री राजेश मूणत :- मैं सब तरफ से संविदा का विरोधी हूं। जिसकी काबिलियत है, वह हाऊस में आना चाहिए लेकिन वह संविदा में नहीं आना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारे देश में सभी राज्यों में चुनाव चल रहा था, सभी राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया जारी थी और अचानक से मोदी जी के दिमाग में क्या आया, क्या नहीं, हमको नहीं पता। वे अचानक से घोषणा करते हैं कि 33 प्रतिशत आरक्षण लाया जाएगा और इसको लागू करने के लिए तुरंत लोक सभा एवं राज्य सभा की संसद बुलायी गयी। उनके बिल में था, महिला आरक्षण अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। भारत के संसदीय इतिहास में 19 सितंबर, 2023 को संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ। उन्होंने पहले तीन चीज़ लाए, जिसमें संविधान विधेयक 2026, जो महिला आरक्षण पर था, दूसरा, परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन अधिनियम। अध्यक्ष महोदय, जब सब चीज हो चुका था कि 2029 में लागू होगा तो फिर क्यों अचानक से अभी बुलाकर बोला कि लागू किया जाए? हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे कांग्रेस के जितने भी नेता थे और हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने क्लियर और स्पष्ट कहा था कि जब विधेयक 2023 में पारित हो चुका है तो आप उसे तुरंत लागू कीजिए। हमारी सभी जनप्रतिनिधि महिलाएं, जो यहां बैठी हैं, मैं उनका स्वागत करती हूं और मुझे गर्व हो रहा है हम महिला जनप्रतिनिधि हैं। आज हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि पंचायती राज में हमारी 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हमने विरोध कब किया? हमने तो विरोध किया ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कभी यह विरोध नहीं किया कि आप महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू न करे। हमारा बस यही कहना है कि जिस परिस्थिति में आपने एक विधेयक की बात की है, उसमें लाइए। आपने तो उसकी आड़ में ही अपना काम निकालना शुरू कर दिया। आपने परिसीमन ला दिया। परिसीमन और वह भी बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार? क्यों? अभी जनगणना की शुरूआत हो चुकी है। कुछ महीने कुछ साल रूक जाते और आपकी जनगणना हो जाती, उसके बाद आप जारी कर लेते। क्यों आपने अचानक से इमरजेंसी में यह सब लागू किया? इसमें कहीं न कहीं मोदी जी की चाल है। उनको पता है कि पूरे राज्य में चुनाव चल रहा है और महिलाएं उनके टारगेट में हैं। वह सोचते हैं कि हम किसी तरह बहला-फुसलाकर महिलाओं का वोट ले लेंगे। आपकी मंशा गलत है। मोदी जी, महिलाएं सशक्त और समझदार हैं। आप ऐसे बहकाने का प्रयास न कीजिए। आप सबसे पहले जनगणना करवाईए। जनगणना बहुत आवश्यक है। आप 2011 की जनगणना को ला रहे हैं तो एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. के लोग कहां जाएंगे? ओ.बी.सी. का तो कॉलम ही नहीं है। आप बोलते हैं कि 2011 की जनगणना चलेगी, क्यों? क्या मोदी जी सक्षम नहीं हैं, क्या मोदी जी जनगणना करवाने के लिये सक्षम नहीं हैं? जनगणना होने के बाद लागू कीजिए। उसके बाद 33 प्रतिशत आरक्षण को सामने रखकर परिसीमन को पास करना चाहते थे, क्योंकि उनको डर था। उनको चुनाव हारने का डर था, सत्ता फिसलने का डर था।

श्री राजेश मूणत :- संगीता जी, आप बहुत अच्छा बोल रहीं हैं। एक संशोधन आपकी पार्टी भी ला सकती थी कि जनगणना के बाद में आरक्षण लागू किया जाये, क्या तकलीफ थी ? आपको हाउस में संशोधन लाने में किसने मना किया ? अगर आप उस समय हाउस के अंदर एक संशोधन दे देते और बोलते कि 2029 में जनगणना के बाद में इसको लागू किया जाये, हम तारीफ करते। उस समय आप तो पलायन करके चले गये, चर्चा में भाग नहीं लिया। जब चर्चा में भाग नहीं लिया, कुछ नहीं किया और आप आप बोल रही हैं, इन बातों का क्या मतलब है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आप एक दिन पहले दे रहे हो, हमारी तैयार कहां से होगी ? आप चर्चा के एक दिन पहले पेपर दे रहे हो। कल संसद लगनी है।

श्री दिलीप लहरिया :- आप आउटसोर्सिंग में बात कर रहे हैं, संविदा की बात कर रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जब आपकी सब तैयारी हो चुकी है, आप तो ये चाहते थे कि चुनाव में कैसे लाभ प्राप्त करें।

श्री राजेश मूणत :- मैं जो बोल रहा रहा हूं, आप उतना बोल दीजिए न।

अध्यक्ष महोदय :- आपस में बात न करें। मुझे देखकर बात करिये। आपस में इस प्रकार बात करना उचित नहीं है। चलिये, आप कन्टीन्यू करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जनगणना होगी तो एस.टी., एस.सी. सब कालम क्लीयर होगा और ओ.बी.सी. को भी उनका अधिकार मिलेगा। जिनकी जितना हिस्सा है, उनको उतनी भागीदारी मिलना चाहिए और ये उनका अधिकार है। ओ.बी.सी. कहां जायेंगे ? अभी ओ.बी.सी. 27 प्रतिशत के लिये लड़ रहे हैं, दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मोदी जी, क्यों इस बात को नहीं सुनते कि जनगणना बहुत आवश्यक है। अगर जनगणना नहीं होगी तो परिसीमन कहां से होगा ? आपको पता है कि जितने हिन्दी भाषी राज्य हैं, उनको आप अपने पक्ष में रखना चाह रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ टाइप के राज्य को आप टारगेट कर रहे हैं। सभापति महोदय, अगर मोदी जी चाहें तो तुरंत के तुरंत तत्काल जारी कर दें और मैं तो बोलती हूं कि आज ही जारी कर दें। छत्तीसगढ़ राज्य में ये इतिहास बन जायेगा। सभापति महोदय, जो 543 सीट हैं, उसमें 33 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती ? क्यों मोदी जी ये कह रहे हैं कि जब 850 सीट होगी, उसके बाद मैं 33 प्रतिशत आरक्षण दूंगा। क्यों ? क्या आप पुरूषों की सीट को महिलाओं को नहीं देना चाहते ? आपको पता है कि अगर आप 543 सीट में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देते हैं तो आपके जो खास-खास लोग हैं, उनकी टिकट कट जायेगी। ये सच्चाई है और यही कारण है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि 850 सीट पहले करेंगे, उसके बाद 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे। महिलाओं के साथ इतनी अपमानजनक बात मत करिये। मोदी जी, आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, आप महिलाओं के लिये आगे बढ़िये। आप क्यों पीछे हो रहे हैं ? मैं मोदी जी को अभी भी निवेदन करती हूं कि जिस तरह से अचानक, यदि आप बोलेंगे तो उसको आपातकाल ही

कह सकते हैं, अचानक सत्र बुलाये हैं, वैसे ही अभी बुलाईये और 543 सीट में हम महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दीजिए। तैयार हैं न। मैं भी चाहती हूं कि हमारे भाई लोग जितने बैठे हुए हैं, वह सभी इसमें सहर्ष स्वीकार कीजिए और आज के आज यहां लागू करवायेंगे। सभापति महोदय, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। अभी लता दीदी अपनी बात बोंली, अभी हमारी बहुत सारी दीदी लोग और भावना बोहरा दीदी जी ने भी बात की। 33 प्रतिशत आरक्षण की बात कर रहे हैं, 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 50 प्रतिशत आरक्षण हमारी ग्रामीण क्षेत्र की और नगरपालिका क्षेत्र की महिलाओं को दिया।

श्रीमती रायमुनी भगत :- संगीता जी, पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण कब किये ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपको जानकारी होनी चाहिए, आप हमारी बहन हैं।

श्रीमती रायमुनी भगत :- आप हमारी बहन हैं, इसीलिए तो पूछ रही हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है कि हर क्षेत्र में हमारी महिलाओं को सामने रखा है। मैं बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में..।

श्रीमती रायमुनी भगत :- संगीता जी, 50 प्रतिशत आरक्षण हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय 2008 में दिये हैं, आप लोग तो पहले 33 प्रतिशत में अटके हुए थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जो देश की पहली राष्ट्रपति है वह हमारे कांग्रेस पार्टी की है । आप ताली बजाईये, आपको खुश होना चाहिए कि हमारी पार्टी से है । माननीय सभापति महोदय, जो पहली प्रधानमंत्री हैं वह हमारी पार्टी से हैं । पहली मुख्यमंत्री हैं वह हमारी पार्टी से हुई हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला न्यायाधीश हमारी पार्टी से हैं ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- न्यायाधीश भी ?

श्री सुशांत शुक्ला :- जब देश ही कांग्रेसयुक्त था तो इन्हीं के रहते, अब कांग्रेस मुक्त है तो देश में व्यावहारिक व्यवस्था बदल गयी है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप भी महिलाओं को सामने कीजिये न । आप क्यों पीछे कर देते हैं ?

श्री सुशांत शुक्ला :- अच्छा, द्रौपदी मुर्मु जी कहां से आयी हैं ? वंचित समाज से आकर देश की यशस्वी राष्ट्रपति बनीं, किस विचारधारा से हैं ? बतायें ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- द्रौपदी मुर्मु जी राष्ट्रपति हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं पहली महिला को अधिकार देने की बात कर रही हूं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि इनको कांग्रेस विधायक दल का उपनेता बनाया जाये ।

श्री राजेश मूणत :- नेता जी, आपसे आग्रह है कि आज 33 प्रतिशत आरक्षण, आप अपने यहां के लोगों को उपनेता, कांग्रेस दल की कोई बहन को बना दो । आप घोषणा करो ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणा कर देनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 33 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए ।

श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा :- आप महिला मुख्यमंत्री बना दीजिये न ।

श्री राजेश मूणत :- हमारा बहुमत है । सीधा मनोनीत करना है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आपने तो भेदभाव किया है । (व्यवधान) हम लोगों को भी दर्द होता है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, हम लोग तो 35 में 11 हैं, उधर 54 में 8 हैं । 33 प्रतिशत किधर है, वह देख लीजिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हमको तो दर्द होता है, बहुत दुख होता है, हम दीदीयों के साथ हैं । हमारी रेणुका दीदी बैठी हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, हम महिलायें हैं, हम उनके लिये लड़ेंगे । हमारी लता दीदी के साथ अन्याय हुआ है, हम उनके लिये लड़ेंगे । दीदी, हम आपके साथ हैं ।

श्रीमती रेणुका सिंह सरूता :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहन से यह कहना चाहती हूं कि आप सब मेरी परवाह न करें, देश की आधी आबादी की परवाह करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा । (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं । यह आज का पेपर है । जब भी मैं पेपर उठाती हूं, इसमें आज का पेपर आप सबने देखा भी होगा । शादी समारोह से लौट रही दो छात्राओं का अपहरण कर गैंगरेप और एफ.आई.आर. दर्ज में देरी । शेम और लज्जा आनी चाहिए । आज बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और महिलायें-बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। यह तो आज का पेपर बता रही हूं, रोज के पेपर में, फ्रंट पेज में देखिये, कहीं से एक बच्ची लापता है, कहीं एक बेटी का रेप हुआ है, कोई ट्यूशन जा रही है, आप भिलाई का देख लीजिये, ट्यूशन जा रही थी, उस बच्ची के साथ शोषण होता है, मेरे यहां बालोद विधानसभा में 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है । खुलेआम रायपुर मतलब बस स्टैण्ड में 75 साल की बुजुर्ग महिला के साथ रैप होता है । मैं यदि बोलना चाहूं तो बहुत सारी बातें हैं । आज महिलायें सुरक्षित नहीं हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं । सबसे पहले आप महिला को सुरक्षित करने का काम कीजिये । क्यों 33 प्रतिशत की बात कह रहे हैं और क्यों महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं ? आज बच्चियां अकेले नहीं जा सकती हैं । अगर बच्चियां पढने गयी हैं, जब स्कूल जाती हैं तो वापसी में उनके माता-पिता को डर लगता है । नौकन्या के लिये एक बच्ची खाना खाने निकलती है, 9 साल की बच्ची के साथ रैप होता है और अभी वर्तमान में दुर्ग में बोरे

में भरकर, बांधकर रख दिया गया था, यहां सरकार कहां है ? क्यों संज्ञान में नहीं लेती है और क्यों बड़ी-बड़ी बातें करती है और इस क्षेत्र में क्यों ध्यान नहीं देती हैं कि कितनी महिलायें, कितनी बच्चियां, कितने बच्चे असुरक्षित हैं ? सरकार कहां गयी ? आरक्षण की बात तो दूर, आप पहले बच्चियों को सुरक्षित तो करिये । यहां पर सभी महिलायें बैठी हुई हैं, आज बच्चियों को घर में छोड़कर आयी हैं लेकिन चिंतित होगी कि वह घर में पहुंच पायेगी कि नहीं ? आज शादी में जाना भी उचित नहीं है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, हमारी वरिष्ठ सदस्या शाहबानो प्रकरण पर भी कुछ बोल दें, ध्यान-दृष्टांत प्रस्तुत कर दें तो अच्छा रहेगा । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इतनी महत्वपूर्ण बात को आप उस दिशा में मत ले जाईये । बहुत महत्वपूर्ण है । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- गोधरा काण्ड में भी चर्चा होगी । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- क्या आप नहीं चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की महिलायें सुरक्षित रहें ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, दीदी, महाराज जी सुन लो। महाभारत के युद्ध होइस, जब दुर्योधन हा महिला के अपमान नइ करे रिहिस ता महाभारत नइ होतिस । रामायण, सीता माता के अपमान नइ होतिस, रावण हर के लेगतिस नइ ता लंका के दहन नइ होतिस अउ सुन लेवा कि तुमन महिला के अपमान करे हा, अब आपके दहन होने वाला हे, भारतीय जनता पार्टी के । याद रखना ।

श्री सुशांत शुक्ला :- तोर शादी नइ होना, वास्तविक नारी वंदन हे । तोला मालूम हे । (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- तुमन के अभी का होने वाला हे, देख लिहा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- ये तो ठीक करे हे, एक तो शादी करके नइ निभा सकिस, तेखर का होही ।

श्री रामकुमार यादव :- अब भारतीय जनता पार्टी के चीरहरण होने वाला हे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इतनी महत्वपूर्ण बात को आप दूसरे विषय में मत ले जाईए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- गोधरा कांड पर भी चर्चा होगी । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- क्या आप नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं सुरक्षित रहें ।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज जी, सुन लो । महाभारत के युद्ध होईस, जब दुर्योधन ह महिला के अपमान नहीं करतिस त महाभारत युद्ध नहीं होतिस । रामायण में सीता माता के अपमान नहीं होतिस, रावण धर के लेगतिस नहीं त लंका के दहन नहीं होतिस और सुन लौ, तुमन महिला के अपमान करे हौं, अब तुमन के दहन होने वाले हे, भारतीय जनता पार्टी के, याद रखना ।

श्री सुशांत शुक्ला :- तोर शादी नहीं होना वास्तविक नारी वंदन हे ।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन के अभी का होने वाला हे, ओला देखव ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- ये तो ठीक करे हे, एक तो शादी करके नहीं निभा सकिस, ओकर का होईस ।

श्री रामकुमार यादव :- अब भारतीय जनता पार्टी के चीर हरण होने वाला हे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं । पहले बच्चियों को सुरक्षित करके तो बताएं । ये सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं । अगर छत्तीसगढ़ में तीन वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं । इसमें मेरा प्रश्न भी लगा था क्योंकि मैं बहुत चिंतित हूं । हमारी बच्चियां गायब होती हैं, उनको ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया जाता, कोई सीरियस नहीं लेता, बस बोलते हैं कि एफआईआर दर्ज हो गया, तीन महीने-चार महीने से पड़ा है । अध्यक्ष महोदय, 2023 में 31 जनवरी, 2026 तक छत्तीसगढ़ में जो बच्चियां लापता हैं, उनकी संख्या 36665 हैं ।

उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री अरूण साव) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह शासकीय संकल्प महिलाओं के आरक्षण को लेकर है कि परिसीमन से पूर्व करके आरक्षण तत्काल लागू किया जाये । संगीता जी जिस तरह से बातें उठा रही हैं, वह इसको स्पष्ट करता है कि संगीता जी महिला आरक्षण का विरोध कर रही हैं और अनेक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं, गलत बयानी कर रही हैं । 2023 में जो विधेयक पारित हुआ, आज प्रावधान 1 के अनुरूप लागू करेंगे तो वह 2035 से लागू हो पाएगा । यदि 2011 की जनगणना पर हो रहा है, 2029 से लागू हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है । देश की जनता के डर के कारण ये लोग 2023 में विरोध नहीं कर पाये । वरना 40 साल तक 4 दशक तक महिलाओं के आरक्षण का ये विरोध करते रहे हैं । आज इधर-उधर की बातें करके महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने का काम कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि संगीता सिन्हा जी जैसी वरिष्ठ सदस्य महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में बोलने की बजाय इधर-उधर की बातें कर रही हैं । जो विधेयक है, जो हमारा प्रस्ताव है, जो संकल्प है, उस संकल्प पर बात करें । इधर-उधर की बात करने के लिए बहुत समय मिलेगा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं । कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल वर्तमान परिस्थिति में महिला आरक्षण के लिए तैयार है । आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेन्द्र मोदी जी 2034 की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे नेता, हमारा दल इस बात से सहमत है । आप वर्तमान परिस्थिति में बगैर परिसीमन के लागू कर दीजिए । आप 2024 तक क्यों ले जाना चाहते हैं ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, आप किस तरह की बात करते हैं । यदि 453 की बजाय 850 सदस्य हो जाएं, महिला-पुरूष दोनों की संख्या बढ़ जाये, उसमें भी इनको आपत्ति है, उसमें भी इनको तकलीफ है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप तत्काल क्यों लागू नहीं करना चाह रहे हैं ? आप परिसीमन के बाद क्यों चाहते हैं ।

श्री अरूण साव :- वास्तविकता यह है कि ये महिला विरोधी हैं, महिलाओं को आरक्षण देने से रोकने का ये घृणित काम कर रहे हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप तीन दिन के अंदर लागू कीजिए, परिसीमन के बाद क्यों लागू करना चाहते हैं ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, 2023 में लोकसभा में जो बिल पास हुआ था, उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं और 2011 में जनगणना कांग्रेस पार्टी ने किया है? और अभी सामने जनगणना करना है तो 2026 तक क्यों रूका है ? सरकार क्यों नहीं कर रही है । 2022 तक जनगणना होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, यह बताएं।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय लखमा जी वरिष्ठ सदस्य हैं । इसका जवाब माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में दिया है कि जनगणना में विलंब क्यों हुआ ? मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं कि हम सबको मालूम है कि 2021-22 में कोविड की महामारी थी, फिर महामारी जाने के बाद अनेक दलों ने जाति जनगणना की बात की और जाति जनगणना रोकने का काम किन्होंने किया था और जाति जनगणना की योजना, रचना बनाने के कारण आज जनगणना प्रारंभ हो गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनकी कभी नीयत नहीं थी कि महिलाओं को आरक्षण मिले । जब 2029 से 850 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है और इन्होंने विरोध किया तो इनकी नीयत में नहीं है, यह देना नहीं चाहते हैं । दाएं-बाएं की बात करके इन्हें महिलाओं के अधिकार को वंचित करने का काम करना है ।

श्री कवासी लखमा :- वंचित करने का काम कांग्रेस नहीं, बीजेपी करती है। 5 राज्यों में अभी चुनाव हुआ तो वह नियम लागू क्यों नहीं किया । 10-12 सालों से ज्यादा समय से केन्द्र में आपकी सरकार हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- संगीता जी, समाप्त करिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं उप मुख्यमंत्री जी की बातों का जवाब देना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- आपको किसी का भी जवाब नहीं देना है। आपको विषय में केन्द्रित होकर बात करना है। आप इधर-उधर की बातों का क्यों जवाब देंगी ? आपको किसी का भी जवाब नहीं देना है। जो संकल्प हैं, आपको उस पर बोलना है। बाकी विषय आयेगा तो उसको देखेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी सदन में विरोध करने की बात आई, हमने कभी विरोध नहीं किया है। हमने आज तक महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया ही

नहीं है। जब 2023 में कानून पारित हो चुका है तो फिर लागू करने में परेशानी क्यों है ? आज जारी आरक्षण जारी कर दीजिये। हम सभी कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि आज ही आरक्षण जारी करिये। आप बाद में परिसीमन कर लीजियेगा।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यही तो प्रश्न है। जब सन् 2023 में विधेयक पारित हो गया और हम उसे सन् 2029 में लागू करना चाहते हैं। फिर इन्होंने संसद में विरोध क्यों किया ? इनको जवाब देना है कि इन्होंने क्यों विरोध किया ? (व्यवधान) आज 2026 में क्यों विरोध कर रहे हैं ? प्रश्न तो यही है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, आज आप 549 सीटों के आधार पर आरक्षण कर दीजिये। जातिगत जनगणना की बात आ रही है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, उस कानून में एस.सी./एस.टी. के लिए कोई कालम नहीं है। आप सीधा-सीधा महिला आरक्षण लागू कीजिये न। कानून बन चुका है, आप परसों ही महिला आरक्षण लागू करिये।

श्री रामकुमार यादव :- एक बिल मा राष्टपति दस्ताखत कर दीस, प्रधानमंत्री जी दस्ताखत कर दिए, संसद ने पारित कर दिया तो आप लोग कितनी बार कराओगे। हो गया, आप लागू करो।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप परिसीमन को लागू करके महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं।

सुश्री लता उसेण्डी :- इस परिसीमन से किसको भय है ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- महिला आरक्षण की आड़ में ..।

सुश्री लता उसेण्डी :- परिसीमन से किसको भय हो रहा है ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- भारतीय जनता पार्टी को भय है दीदी।

सुश्री लता उसेण्डी :- भारतीय जनता पार्टी को भय नहीं हो रहा है। परिसमीन चाह रही है। आप लोगों को भय हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- लता जी, संकल्प पर भाषण देने के लिए अधिकतम समय 15 मिनट रहता है। मैंने पहले दो वक्ताओं को पूरा समय दिया। उसके बाद अधिकांश सदस्य जो यहां बैठे हैं, सबको बोलना है। तो कृपा करके समय की मर्यादा का ध्यान रखें। अभी जो वक्ता बोलेंगे, 10 मिनट बोले, और 10 मिनट पर अपनी सारगर्भित बातों को रखें । बहुत सारे विषय आ गये हैं। बाकी विषय को नेता प्रतिपक्ष जी और मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। सबको 10-10 मिनट में अपनी बात समाप्त करना है। संगीता जी, चलिये आप समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष्ा महोदय जी, हमारा उद्देश्य है कि हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं। हम महिलाएं बहुत मजबूत हैं। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हम दुर्गा

का रूप भी धारण कर लेती हैं, हम अपने अधिकार हेतु लड़ने के लिए सक्षम हैं। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप आरक्षण की बात करते हैं, आप आरक्षण दीजिये, हम सब तैयार हैं। हम यहां भी सर्वसम्मति से कह रहे हैं कि आज के आज ही लागू किया जाये। हम महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाये। अध्यक्ष महोदय, लगातार आरक्षण की बड़ी-बड़ी बातें करके अपनी बात कह रहे हैं। जो बिल आया, वह 33 प्रतिशत आरक्षण को सामने रखकर परिसीमन का विधेयक पास करवाना चाहते हैं। क्योंकि मोदी जी को डर था कि अब उनकी सत्ता नहीं आने वाली है। इसलिए तुरन्त 850 सीट में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करना चाह रहे हैं। मैं अभी भी निवेदन कर रही हूं कि मोदी जी, आप 543 सीट में 33 प्रतिशत आरक्षण हम महिलाओं को दे दीजिये, यह हमारे अधिकार की बात है। हम सभी जनप्रतिनिधि, हम भी चाहते हैं कि यहां जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं, वह इस सदन में बैठे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समय की कमी के कारण कहना चाहती हूं कि आज हमारी महिलाएं जिस तरह से सुरक्षित नहीं हैं, उसके लिए भी इसी तरह से ...।

अध्यक्ष महोदय :- चर्चा के लिए अगले सत्र में बहुत से विषय आयेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी। अगर इसमें ही एक दिना बढ़ा दिया जाये तो बहुत अच्छा होगा। वह हमारे देश, राज्य के सुरक्षा के लिए है।

अध्यक्ष महोदय जी, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि सत्तापक्ष बड़ी सुरक्षा की बात करते हैं। आप लोगों ने महतारी वंदन योजना लायी। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 1.3 करोड़ महिलाओं की जनसंख्या है। आप 70 लाख महलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया। उसके बाद 70 लाख महिलाओं में भी के.वाई.सी. वगैरह करके 68 हजार महिलाओं को लाभ मिल रहा है।

श्रीमती भावना बोहरा :- 68 हजार नहीं, 68 लाख है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 68 लाख, सॉरी। अध्यक्ष महोदय, आपने घोषणा-पत्र जारी किया..।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार इनकी सरकार थी। संगीता जी विधायक थीं, विधान सभा की सदस्य थीं। इनकी पार्टी के जन घोषणा पत्र में था कि 500 प्रति महिला को सम्मान निधि देंगे। एक महिला को दिया इन्होंने? एक महिला को? नहीं। और तब अपनी पार्टी के बीच, सरकार के बीच महिलाओं के हित में कभी आवाज उठायी? उन महिलाओं से हम वादा करके वोट लिए हैं। और किस मुंह से बात कर रही हैं? हमने महतारी वंदन देने का वादा किया था, दे रहे हैं। और हर महीना दे रहे हैं, समय पर दे रहे हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय मंत्री जी, जन घोषणा की बात करते हैं, आप लोगों ने भी बोला था कि महिलाओं को 500 रूपये में सिलेंडर में देंगे, उल्टा सिलेंडर का रेट बढ़ा दिए। तो महिला कहां जाएंगी? अब आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पेट्रोलियम पदार्थों के भाव कैसे तय होते हैं? कहां से तय होते हैं? कहां से आता है? मतलब इतनी वरिष्ठ सदस्य हैं, लोगों में भ्रम तो पैदा करने की कोशिश न करें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जहां से तय होता है, वहीं से बोला जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अरूण साव :- लोगों के बीच भ्रम मत पैदा तो मत करिए। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- महतारी वंदन नहीं दिया जा रहा है, सभी माताओं को मिलना चाहिए। महतारी वंदन की राशि आधे 50% को दिया जा रहा है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- यह पेट्रोलियम विभाग से थोड़ी तय होता है। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए, इसका असर भारत पर नहीं पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- इसको प्रश्नकाल न बनाएं। प्रश्न किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है–ये प्रश्नकाल नहीं है। विशेष सत्र इतना कीमती समय लेकर बुलाया है, तो कम से कम जिस विषय को लेकर संकल्प है, उसकी भावना को जिंदा तो रखें। लॉ एंड ऑर्डर पर बाकी व्यवस्था में बोलने के लिए पूरा समय पड़ा है, जीवन पड़ा है। आज यह अवसर संसदीय जीवन का महत्वपूर्ण अवसर है कि आज आप एक बड़े संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) इस तक केंद्रित रहें और आपने 20 मिनट बोल लिया, मेरा ख्याल है समाप्त करेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया भाई। बैठिए-बैठिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आरक्षण के मुद्दे पर ही आ रही हूं। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले एस.आई.आर. हुआ है, उसमें बहुत से नाम काटे गए । हम जो सही सलामत वोट दे रहे थे, उनका भी नाम को काट दिया है। इस एस.आई.आर. में 19 लाख 30 हजार महिलाओं का नाम कटा है। अध्यक्ष महोदय जी, यह बहुत गंभीर विषय है, एस.आई.आर. में महिलाओं का नाम कटना। और वह भी छोटी-मोटी बात नहीं है, 19 लाख 30 हजार की आंकड़ा है। अध्यक्ष महोदय जी, अगर इन महिलाओं का नाम कट गया तो ये चुनाव कैसे लड़ पाएंगी? आप 33% आरक्षण देंगे, लेकिन इसमें जो 19 लाख 30 हजार तो वंचित रह गईं। जनसंख्या ही कम कर रहे हो, आप 33% आरक्षण दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आप महिलाओं को धोखा देकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं और किए हैं। आप महिलाओं को धोखा दिए हैं। आप बड़ी-बड़ी बात किए हैं 70 लाख को देंगे। अध्यक्ष महोदय जी, अभी कितनी शादी हो रही है गांव में? अभी लगातार शादी हो रही है, उसके लिए आप क्यों व्यवस्था नहीं करते?

श्री राजेश मूणत :- किस चीज की?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पैसा की, 1000 महतारी वंदन योजना की कीजिए। आप सशक्तिकरण की बात करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी आंगनबाड़ी की महिलाएं मेरे पास आई थीं।

श्री दिलीप लहरिया :- 5 महीने से पेंशन नहीं मिला है। प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 5 आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता..।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी के व्यवस्था देने के बावजूद कि ये संकल्प पर बोलें, बाकी विषयों पर बोलने के लिए पूरा समय है, पूरा जीवन है। लेकिन आसंदी की भी बात नहीं मानना।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आसंदी के मान से चर्चा में आ रही हूं।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष जी, आरक्षण का तो कोई विषय ही नहीं बचा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, एक बात बताइए, मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रही हूं, क्या 5 मीटर साड़ी से महिला सुरक्षित रहेगी क्या?

श्री रामकुमार यादव :- बताओ दीदी। और सुन लो, ये देख लो एमन के संख्या कतका जी हावय। महिला के सम्मान बर कतका जी बैठे हो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप बताइए न, आप जवाब दीजिए क्या 5 मीटर साड़ी से महिला सुरक्षित रहेगी? वह भी फटी साड़ी।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आसंदी की व्यवस्था के बावजूद आसंदी का कहना नहीं मानना, ये तो बहुत उचित नहीं है।

श्री दिलीप लहरिया :- आदरणीय आरक्षण सुरक्षित रहे न। जो साड़ी आवंटन हो रहा है, उसमें सुरक्षित रखिये न।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मतलब महिलाएं सुरक्षित न रहें। 33% आरक्षण हम लागू करवा रहे हैं, लेकिन महिलाओं को फटा कपड़ा पहनाना, क्या हम बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे क्या? क्या बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे क्या? 5 मीटर कपड़ा पहनाना। सरकार को लज्जा आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये। बाकी विषय बहुत हो गये। श्री किरण देव जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं लिए सभी महिलाओं की तरफ से निवेदन करती हूँ कि आज इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए ताकि छत्तीसगढ़ की महिलाएं जोरदार ताली के साथ इसका स्वागत भी करें। अध्यक्ष महोदय जी, हम आपका बहुत स्वागत करेंगे, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संगीता जी की बात से तो लग रहा है कि इस संकल्प का उन्होंने समर्थन किया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन था। महिला अस्तित्व का सवाल है, महिलाओं का सम्मान का सवाल है, इसलिए पूरी महिलाओं को ही बोलने दिया जाए। मेरा निवेदन है कि हम सभी महिलाओं को बोलने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- सबको अवसर है, आप बोलिये।

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- आप चिंता न करें, आप जानते हैं, मैं वैसे भी आगे-पीछे बात नहीं करता हूं।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, पीछे से जो भाई लोग टोका-टाकी कर रहे हैं, उनको भी समझा दीजिएगा कि महिलाओं के बीच टोका-टाकी न करें।

श्री किरण देव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन में लाया गया इस शासकीय संकल्प के समर्थन में मैं अपनी बात रखूँगा। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश की मान्यताएं हैं, विविधताएं हैं, जिसकी आधारशिला समानता, सबके साथ न्याय एवं सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की आधी आबादी हमारी बहनों की है, हमारी मातृशक्तियों की है। इस दृष्टि से विगत 16, 17 एवं 18 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण विधेयक को लोक सभा में प्रस्तुत किया था, जो कि बहुत ही आवश्यक विधेयक था।

समय :
2.23 बजे

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुई)

सभापति महोदया, परंतु यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं बहुत इधर-उधर की बात न करते हुए सीधे कहूंगा कि जब यह विधेयक लोक सभा में आया, उसमें हमारी बहनों के हित को देखकर सबका समर्थन प्राप्त होता और वह पास हो जाता, परंतु दुर्भाग्य है कि लोक सभा, राज्य सभा में हमारे विपक्ष के सदस्य, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का गठबंधन दल के सदस्य हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी सदस्य हो, चाहे समाजवादी पार्टी के सदस्य हो या चाहे उस गठबंधन में मिले जितने भी दल के सदस्य हैं, उन्होंने इस विधेयक को पास नहीं होने दिया। मैं बहुत सारी बातें भी सुन रहा था। इसके बाद सदन के बाहर जो जश्न मना, वह किस बात का द्योतक है? वह किस बात की खुशी थी कि हमने इस बिल को पास नहीं होने दिया? मैं हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं एवं विपक्ष सभी वरिष्ठ नेताओं को बहुत सुनते रहता हूँ। दीदी ने भी 11 बार बड़ी-बड़ी बातें बोलीं। अभी मुझे अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना है कि आज

आपने जो विशेष सत्र बुलाया, उसको पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है। साधारण सी बात है कि जो विषय है, उस विषय पर आप बात करें। लेकिन यह अवसर है कि पूरा छत्तीसगढ़ इस बात को देख रहा है कि एक तरीके से विपक्ष की बातों से यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं मन में अभी भी विरोध के स्वर हैं। क्या दिक्कत है? अभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात हो रही थी। मैं भी यह कह सकता हूं। महिलाओं की सुरक्षा पिछले 5 साल में हमने भी देखी है, आप ही के कोंडागांव जिले में देखी है, आप ही के विश्रामपुर में देखा है कि किस तरीके से एक नाबालिग से गैंगरेप करके उसकी हत्या करके, उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया गया था। हमने उस समय आंदोलन किया और 21 दिन बाद उसके शव को बरामद करने का काम किया। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब उसको इस सदन पर लाकर, अपने विषय पर रखकर जब हम बात करते हैं तो बात को तो डाइवर्ट करने का मामला प्रतीत होता है। मैं इस पर नहीं जाऊंगा और सीधे-सीधे अपनी बात रखता हूँ । सभापति महोदय, अगर हम देखें तो पूरे विश्व में हमारा ही देश है, जिसे भारत माता का दर्जा प्राप्त हुआ है, कोई अन्य राष्ट्र को माता का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है । यह मां का सम्मान है, मातृ शक्ति का सम्मान है, नारी शक्ति का सम्मान है और जब हम इधर-उधर की बात करते हैं तो आज जो संकल्प लाया गया है, वह कहीं न कहीं से कमजोर करने की हमारी भावना है । भारत माता की जय हम ही बोलते हैं, वंदे मातरम ही हम बोलते हैं, ऐसा क्यों है ? यह पहली बार नहीं है, मैं इसके डिटेल्स में जाऊंगा तो एक पृष्ठभूमि आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ । भारत की आजादी के समय से लेकर आज तक बहुत ही कम हमारी बहनों का प्रतिनिधित्व रहा है, 50 प्रतिशत की बात हुई है, 33 प्रतिशत की बात हुई है, इसके लिये धन्यवाद है और आपने बताया है कि इसे पूरे देश में लागू किया गया है । वर्तमान में विधान सभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी के समय से पंचायतों में और नगरीय निकायों में हमारा प्रतिनिधित्व है । आज हमारे संस्थाओं में देख लें, प्रायवेट संस्थाओं में देख लें, हमारे कृषि के क्षेत्र में देख लें, व्यवसाय में देख लें, उद्योग में देख लें, खेल में देख लें, सांस्कृतिक गतिविधियों में देख लें, हमारी बहनें कहां पीछे हैं, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक हमारी बहनें देश का प्रतिनिधित्व कर रही है । ऐसे समय में बहुत ज्यादा टाल-मटोल करने की आवश्यकता नहीं है । आप सरकारी नौकरियों में देख लीजिए, बड़ी संख्या में महिलायें हैं, राजनीतिक दलों में महिलायें हैं, लेकिन इस विधान सभा की बात कर लें तो यहां 18-19 हमारी बहने हैं, क्या इनकी संख्या नहीं बढ़नी चाहिये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ विधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे ज्यादा है । हम बेहतर स्थिति में है ।

डॉ.चरणदास महंत :- बस, इतना सा बताना था ।

श्री किरण सिंह देव :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं संक्षिप्त में वर्षवार स्थिति रखना चाहता हूँ कि हमारी बहनों के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से लोक सभा और राज्य सभा के बारे में कहना चाहूँगा कि

हमारे 1946 से 1950 तक सदस्यों की कुल संख्या 379 हुआ करती थी और उसमें केवल 15 महिलायें थी यानी 3.8 प्रतिशत थी। प्रथम लोक सभा 1952 में हमारी 22 महिलायें थी, इसमें 4.5 प्रतिशत होता है, हमारी दूसरी लोक सभा 1957 में भी हमारी 22 बहनें थी, 4.4 प्रतिशत था, तीसरी लोक सभा 1962 में 31 बहनें थी, जो 6.1 प्रतिशत है, चौथी लोक सभा 1967 में हमारी 29 बहने थी, जो 5.5 प्रतिशत है । सभापति महोदय, इसी प्रकार पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवमी, दसवीं, ग्यारहवीं तथा सत्रहवीं लोक सभा तक हमारी 78 बहने हैं, यहां अभी भी कुल 14.4 प्रतिशत है और देश में आधी आबादी हमारी बहनों की है । जब 1952 की बात करते हैं, उस समय का विषय आ रहा था, मैं कुछ सुन रहा था, हमारे कुछ सम्माननीय वरिष्ठ सदस्य इस बात को कह रहे थे कि 543 का 543, कब से 1952 से, 1972 से, आज हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसकी व्यवस्था है । आबादी कितनी 78 करोड़ और अभी कितनी 140 करोड़ से ज्यादा है और उसमें हमारी बहनों का प्रतिशत, इस दृष्टि से मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करूँगा । सभापति महोदय, इसमें बहुत सारे विषय आते हैं, जब बड़ी-बड़ी बातों का विषय आता है तो आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे वह डॉ.रमन सिंह जी का नेतृत्व हो या श्री विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से हमारे मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में बेटियों का निर्माण किया तथा हमारे देश की बेटियों के लिये योजनाओं का निर्माण किया और उन योजनाओं का लाभ भी उनको मिल रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और उसके बाद लिंगानुपात के अनुपात में बालिकाओं की शिक्षा के लिए, जागरूकता अभियान। जिला महिला सशक्तिकरण, जिसको हब के नाम से जाना जाता है, महिलाओं को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं उपलब्ध हों, समुचित कानूनी, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर समस्याओं को उसको आगे लाने की दृष्टि से कार्य किया जा रहा है। सखी वन स्टॉप सेंटर, हिंसा पीड़ित महिलाओं को सहायता, चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक सहायता की दृष्टि से।

आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के समय सरस्वती साइकिल योजना स्टार्ट हुई थी, ताकि हमारे बस्तर, सरगुजा और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की हमारी बेटियां, जो 5, 10, 15 किलोमीटर प्राथमिक, मिडिल स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल तक जा सकें। उनकी सुविधा के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, उनकी चिंता की। स्कूलों की दूरी कम की और साइकिल की व्यवस्था प्रारंभ की। महिला हेल्पलाइन 181 आपातकालीन 24x7 घरेलू हिंसा के लिए जो हमारी बहनों को...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, ये तो पूरी योजना को गिनवा रहे हैं। हम महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं।

श्री किरण देव :- नहीं-नहीं, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप योजना को मत गिनवाइए।

श्री किरण देव :- मैं बता रहा हूं, आपने जो बताया, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, आप लोगों ने किया क्या? आपकी सरकार ने किया क्या? मैं उस पर आ रहा हूं, उसके बाद आपकी योजना बताऊंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- संगीता जी, आप योजना की बात कर रही हैं ना? सरस्वती साइकिल योजना देने से बच्चियों के स्कूल में क्या प्रभाव पड़ा। आपके समय में ड्रॉपआउट रेट 4 और 5 था, उसको 1% और 0% में लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े हैं, इसलिए ये योजनाएं कारगर सिद्ध हुई हैं और योजनाओं का नाम लेना पड़ेगा। आप योजनाओं का नाम लेने से क्यों घबरा रहे हो? आपको महिलाओं की योजनाओं के नाम से घबराना नहीं चाहिए। इसलिए कि कुछ किए नहीं हो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने महिलाओं को स्वसहायता समूह के जरिये रोजगार दिया था।

सभापति महोदय :- संगीता जी, माननीय अध्यक्ष जी को बोलने दीजिए। क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, आपने अपनी बात कह दी है।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसको छीनने का काम? ये तो आप पाप के भागी हैं, सरकार आपकी गई है। डॉ. रमन सिंह जी ने महिलाओं को रेडी टू ईट देने का काम किया और आपने महिलाओं से छीनने का काम किया है। आप खुद उस समय सत्ता पक्ष की विधायक रही हैं। यह इसीलिए यहां से वहां गई है, ये आपको महिलाओं का श्राप लगा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने तो गर्म भोजना भी बंद कर दिया है। महतारियों को गर्म भोजना देना बंद हो गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- संगीता जी, आप अपनी उपलब्धि पर गर्व क्यों नहीं करतीं? आपके शासन में कितनी महिलाएं जेल गईं बताइए? कभी तो ऐसे बताना चाहिए इतना सशक्तिकरण हुआ कि प्रशासन में इतना हाथ बंटाया कि 32 लाख की बिल्डिंग में जाना शुरू कर दिया, कोई संकोच नहीं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, हमने महिलाओं को रोजगार देने का काम किया था, जबकि आपकी सरकार आते ही बंद कर दी।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या जेल जाना रोजगार देना है?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने रोजगार को बंद करवा दिया।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या जेल जाना रोजगार देना है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने गौठान को ही बंद कर दिया, महिलाएं बेरोजगार हो गईं ।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या जेल जाना रोजगार देना है ?

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है, बहुत सारे वक्ता अभी बाकी हैं और जो वक्ता बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, बीच में ना टोकें। माननीय किरण देव जी।

श्री किरण देव :- आदरणीय सभापति जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अब ये तो खुला मंच जैसा हो गया था। मतलब जितने भी पॉलिटिकल थ्रेड हैं, जितने भी पॉलिटिकल टॉक्स हैं, वह इस विषय से बाहर जा रहे थे। मैं तो विषय पर हूं। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि नारी की सुरक्षा बहनों की चिंता के लिए योजनाओं का निर्माण करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाओं के माध्यम से किया है। एक विषय महतारी वंदन योजना की आई, महतारी वंदन के विषय पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, सदन के सभी सदस्यों से, हमारे विपक्ष के सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा, जब किसी बहन को किसी सरकार के माध्यम से एक रूपया नहीं मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वचन दिया था, कि सरकार बनने के बाद हम बहनों के खाते में एक हजार रूपये हर महीने डालेंगे, अभी तक 72 लाख महिलाओं को दिया जाता था, अब 72 लाख से 69 लाख क्यों हो गया। ये प्रारंभ तो हुआ। 72 लाख बहनों के खाते में बिना किसी नागा के 1 हजार जा तो रहा है। उस पर तो प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय।

श्री किरण देव :- मैं डिस्टर्ब नहीं हाऊंगा आप बोलिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदया, आपने महतारी वंदन योजना दी लेकिन उस योजना में भेदभाव हो रहा है। महिलाओं को 500 रूपये काटकर दिया जा रहा है।

सभापति महोदया :- संगीता जी, ।

श्री किरण देव :- नहीं, नहीं। पूरे छत्ीसगढ़ की महिलाएं सुन रही है, आप चिंता न करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदया, अभी उनका पैसा काटना शुरू हो गया है।

श्री किरण देव :- बहन जी, आप चिंता न करें।

सभापति महोदया :- संगीता जी, बोलने दीजिये। आपकी बात पूरी हो चुकी है। आप बीच में मत बोलिये।

श्री किरण देव :- आपने पूरी बात की। पालन योजना, नारी अदालत, मैं ऐसी कई योजनाओं का नाम बताऊंगा। जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, महतारी वंदन योजना, महिला जागृति शिविर योजना, दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम, यह पूरे चार पन्ने की योजना है। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम बहनों की चिंता कर रहे हैं, आप भी चिंता कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप इतनी चिंता कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम अभी पास कर देंगे तो आपको कर देना चाहिए। अभी 16, 17, 18 अप्रैल को भी विशेष सत्र रखा गया था, उसमें पास कर देना चाहिए था। फिर उसमें बहानेबाजी क्यों ? और उसके बाद बाहर जाकर केक काटकर जश्न क्यों मनाना ? जश्न मनाना

क्या सिद्ध करता है ? (शेम-शेम की आवाज) बड़ी-बड़ी बात हम नहीं करते हैं। आप बता दीजिये कि आजादी के बाद..।

श्री राजेश मूणत :- संगीता जी, आप बार-बार इनके ऊपर क्यों आ रही हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदया, मैं बोलना चाहूंगी।

श्री दिलीप लहरिया :- छल कपट से लाया गया बिल था, इसीलिए जश्न मनाया गया।

श्री राजेश मूणत :- (व्यवधान) अजय जी इधर बैठे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोग तो तख्ता तैयार करके रखा थे। आपको पता था कि बिल लागू नहीं होगा।

श्री किरण देव :- आज कर दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने तख्ता क्यों रखा था ? क्या वह रेडीमेड मिलता है ?

सभापति महोदया :- आप लोग आपस में एक दूसरे से बात मत कीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदया, वहां तुरंत तख्ता कहां से आ जायेगा ?

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदया, बिल रूकने पर मेज क्यों थपथपायी गयी, आप यह भी बता दीजियेगा। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- भावना जी, आप उनकी भावनाओं पर जाईये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम जनता के साथ है, हम महिलाओं के साथ है।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदया, पंच, पंचायत तक तो ठीक है, यदि संसद पहुंच जाते तो कुछ परिवार खतरे में आ जाते। वह बोले उससे अच्छा यहीं ब्रेक लगा दो, आगे आने का मौका ही मत दो।

श्री दिलीप लहरिया :- तख्ता वाला तख्ता बनाने वहीं पहुंच गया था क्या ?

श्रीमती भावना बोहरा :- भैया, आप कितना थक रहे हैं। आप बार-बार खड़े हो रहे हैं। आप थक जायेंगे। संगीता जी सक्षम हैं। संगीता जी अपने आप में भारी है, आपको सहयोगी करने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप महिलाओं को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप महिलाओं को बरगला रहे हैं।

सभापति महोदया :- अभी बहुत सारे सदस्यों को बोलना है। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि आपस में एक दूसरे को टोका-टाकी न करें।

एक माननीय सदस्या :- आप लोग महिला आरक्षण पारित होने देना नहीं चाहते हैं।

श्री किरण देव :- सभापति महोदया, आप संरक्षण दीजिये तो मैं भी जल्दी समाप्त करूं।

सभापति महोदया :- जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त करिये।

श्री किरण देव :- सभापति महोदया, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से और हमारी बहनों को उसका 33 प्रतिशत हमारे ग्रामीण और शहरी स्थानीय प्रशासन, शासन का मिला है, वह 50 प्रतिशत हुआ और उसका परिणाम भी छत्तीसगढ़ को प्राप्त हो रहा है। हमारी जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, हमारे सरपंच, पंच से लेकर नगर निगम, नगरीय पंचायत, नगर पालिका में जो 50 प्रतिशत की उपस्थिति है, मेरा यह मानना है और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आज जब हम भी पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से देखें तो हमारे सभी प्रकार के कामों में महत्वपूर्ण रूप से यदि महत्वपूर्ण योगदान रहता है तो हमारे परिवार में महिलाओं का रहता है, बहनों का रहता है, माताओं का रहता है। आज जब यह विषय आया कि उनको उनका उचित स्थान, उचित प्रतिनिधित्व दिलाया जाये। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर कदम बढ़ाया है और 2029 में जब यह बनकर तैयार हो जायेगा और उनको उसका लाभ मिलने लगेगा तो मुझे लगता है कि सबको इसका समर्थन करना चाहिए। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, बिना इधर-उधर की बातें करके सीधे-सीधे कहना चाहिए कि हम आपके साथ है और बहनों के अधिकार के लिए हम आज आवश्यकता है। हमारी बहनों का नीति निर्धारण में, नियम में, कानून में और सभी जगह, हमारी संविधान की व्यवस्था में उनको वह अधिकार मिलना चाहिए, पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पंचातय, नगरीय निकाय, लोक सभा और विधान सभा में भी यह होना चाहिए। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। सभापति महोदय, आपने और हमारी माननीय भावना जी ने भी ...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मतलब आप ओ.बी.सी. को आरक्षण नहीं देंगे ?

सभापति महोदया :- संगीता जी, आप बोल चुकी हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- आज भी लोक सभा में मंत्रियों की संख्या में सबसे ज्यादा ओ.बी.सी. मंत्री हैं। आप लोग जाति के नाम पर लड़ना बंद करिये।

श्री किरण देव :- आपका विषय छत्तीसगढ़ में जा रहा है। अब टी.व्ही. के माध्यम से पूरा लाइव चल रहा है, आप यहां पर विषय को डायवर्ट मत करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम महिला आरक्षण के विरोधी कभी भी नहीं रहे हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि उसको आगे न बढ़ाकर वर्तमान में दे दीजिये।

श्री किरण देव :- मैंने आपको बता दिया। आपने जो बताया, उस घटना के संबंध में बेटियों की सुरक्षा के संबंध में अभी आपने बताया तो मैं और भी बता सकता हूं। मैं आपकी सरकार में हुए सारंगढ़ की घटना भी बता सकता हूं लेकिन मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूं। मेरा निवेदन है, let me finish. महिला आरक्षण की बात अभी से नहीं चल रही है, लंबे समय से चल रही है। आजादी के बाद आजादी दिलाने वाले केवल हम ही है, हमारे कारण ही देश को आजादी मिली इसका नारा लगाने वाले 5 दशक तक इस देश में सत्ता में काबिज थे । 5 दशक तक, सभी विधानसभाओं में देश में उनका राज था ।

एक छत्र राज । लगातार लोक सभा, पंच से पार्लियामेंट तक । उस समय महिला आरक्षण क्यों नहीं आया ? अब मैं आपको बताउं कि वर्ष 1996 में पहली बार प्रस्तुत किया गया, वर्ष 1998, 1999, वर्ष 2008 में इसे पुन: लाया गया परंतु राजनीतिक असहमति, आपसी राजनीतिक असहमति के कारण यह पारित नहीं हो सका, गठबंधन के दलों ने और जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से इसको सदन में पारित नहीं होने दिया । अभी रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी भी और हमारे वरिष्ठ धरमलाल जी ने भी वर्ष 2010 का और भावना जी ने भी तो यह वर्ष 2010 में राज्य सभा में पारित हुआ, राज्य सभा में पारित हुआ लेकिन लोकसभा में यह लंबित रहा । Who is Responsible for this ?

श्री राजेश मूणत :- आप क्या बोले ? (हंसी) समझ नहीं आया ।

श्री किरण देव :- सॉरी, इसके लिये कौन जवाबदार है ? यह वर्ष 2010 में और जब वर्ष 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी वंदन अधिनियम को विशेष सत्र बुलाकर जब सदन में प्रस्तुत किया, मेरा ऐसा मानना है, पूरा देश इस बात को देख भी रहा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह जब बोले कि Who is Responsible for this ? तो जितना आपको समझ में आया तो वैसे ही समझ में आया जैसे के.सी.वेणुगोपाल जब आप लोगों को अंग्रेजी में कांग्रेस के बारे में बताते होंगे, आप लोग कितना समझते होंगे । वैसे ही इसको समझ लो ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, वहां तो मूणत जी को ही समझ में नहीं आ रहा था । उन्होंने खुद पूछ लिया कि आप क्या बोले ।

श्रीमती भावना बोहरा :- वह आप लोगों के लिये पूछ रहे थे ।

श्री राजेश मूणत :- मैं तो आपके लिये पूछ रहा हूं ।

श्री किरण देव :- माननीय सभापति महोदय, अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम का वर्ष 2026 में पारित नहीं होने देना । यह बहुत बड़ा घटनाक्रम है । इसको हम इधर की, उधर की बातों से छिपा सकते हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, अगर...।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप बोल चुकी हैं और कई बार आप उठ चुकी हैं । यह रिकॉर्ड में भी नहीं आयेगा । आसंदी के निर्देश ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, कोई बात नहीं कि रिकॉर्ड में नहीं आयेगा । रिकॉर्ड मेरा ऑप्शन नहीं है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- संगीता जी, यह बार-बार खड़े होकर बोलना । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने यह कहा, यह ऑलरेडी पारित हो चुका है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- उनको टीवी में दिखना है । रिकॉर्ड से थोड़ी मतलब है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जो 33 प्रतिशत आरक्षण वर्ष 2023 में पारित हो चुका है फिर क्यों कह रहे हैं कि पारित करना है करके ।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप इस विषय को कई बार कह चुकी हैं, बाकी सदस्यों को बोलने दीजिये । आपकी तरफ से अभी बोलने के लिये और भी सदस्य बाकी हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यह लोग अपने सेंटेंस को सुधार लें ।

सभापति महोदय :- नहीं, आपकी तरफ से बहुत सारे सदस्य इस विषय पर बोलने के लिये बाकी हैं । (व्यवधान) अगर आप ऐसे बोलेंगी, आप किसी के समय को खराब मत करिये । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी, यह बोले कि पारित हो चुका है ।

श्री सुनील सोनी :- आप उस चेयर को दिखवाईये, वहां पर स्प्रिंग लगा हुआ है। (व्यवधान)

श्री किरण देव :- मुझसे आज नाराज हैं । (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, वह गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, ऐसा है । गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं । (व्यवधान)

श्री किरण देव :- आपने बहुत अच्छा बोला । आप बताईये कि मैंने एक बार भी कुछ बोला ।

श्री अजय चंद्राकर :- लहरिया जी, अगर गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो कांग्रेस से इस्तीफा दो, समझ रहे हैं ।

श्री किरण देव :- माननीय सभापति महोदय, मैं जल्दी समाप्त करूंगा । मुझे अवसर प्रदान करें ।

सभापति महोदय :- 20 मिनट हो चुके हैं ।

श्री किरण देव :- माननीय सभापति महोदय, ये सुनते ही नहीं हैं । 15 मिनट तो उधर ही चला गया, मैं 5 मिनट ही बोला हूं । माननीय सभापति महोदय, मैं यह बोल रहा था कि यह एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर था और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और सदन में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब इस बात को बोला कि आप इसको सहयोग करें, पास होने दें तो जब यह विषय आता है, चूंकि आप में से अभी किसी ने बोला कि चुनावी वर्ष देखकर किया गया, आप बताईये कि इस देश में कब चुनाव नहीं होता । कौन सा वर्ष ऐसा है, जहां चुनाव नहीं होता । अगले वर्ष 2027 में क्या है, 5 राज्यों का चुनाव है फिर आपका चुनाव आ जायेगा । ऐसा करते-करते हर वर्ष हमारे देश में इसीलिये तो वन नेशन वन इलेक्शन का आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को रख रहे हैं, उसको आने नहीं दे रहे

हैं । उसका भी विरोध करना, वन नेशन, वन इलेक्शन इसलिये है कि आप यह बात न बोल सकें कि यह काम आप चुनाव को देखकर कर रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट । हम चुनाव को देखकर क्यों नहीं करेंगे ? हम यहां सत्यानारायण की कथा गाने आये हैं क्या ? चुनाव लड़ने के लिए हम भी आये हैं, आप भी आये हो । अपना-अपना दांव आजमाएंगे, 4 तारीख को रिजल्ट में पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितने महिला भक्त हो, आपने कितना क्रांतिकारी निर्णय लिया है, वह सब आसाम में और बंगाल में पता चलेगा । देवेन्द्र यादव गुजरात में थे, अगले साल वह भी पता चलेगा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, धर्मजीत भैया, चुनाव के पहले कर लीजिए, जब भी कर लीजिए, अभी लागू कर दीजिए । महिला आरक्षण के विरोध में हम लोग कभी नहीं रहे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- लोकसभा में 543 को 800 से ज्यादा सीट हम लोग करना चाहते हैं, आपको क्या तकलीफ है ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- महिला आरक्षण अभी लागू करने में आप लोगों में क्या तकलीफ है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- महिला आरक्षण में हम सीट बढ़ा रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है ?

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति जी, आप बोल रहे हैं कि पता चलेगा । द्वारिकाधीश को ही पता लगेगा । (व्यवधान)

सभापति महोदया :- माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कृपया बैठ जाईए, अभी बहुत सारे सदस्यों को बोलना है ।

श्री अरूण साव :- सभापति जी, वरिष्ठ सदस्य द्वारिकाधीश यादव जी बार-बार बोल रहे हैं, संगीता जी भी बार-बार बोल रही हैं कि 2023 में विधेयक पास हो गया है, हम महिला आरक्षण के समर्थक हैं । ये वैसी ही बात है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह तो सदन के रिकार्ड में है मंत्री जी । सर्वसम्मति से पारित हुआ है ।

श्री अरूण साव :- आप बैठिए न । यह वैसे ही है कि छत्तीसगढ़ में एक कहावत है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- महिला आरक्षण करने से द्वारिकाधीश जी को ज्यादा तकलीफ है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- कोई तकलीफ नहीं है, आप महिला आरक्षण कल लागू कीजिए न । मैं दो-दो बार महिला प्रत्याशी से लड़ चुका हूं, आपको बता रहा हूं।

श्री अरूण साव :- सभापति जी, ये लोग बार-बार यह बात बोल रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में एक कहावत है-गुड़ खाये और गुलगुला से परहेज करे । महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, पर राज्यसभा और विधान सभा में पास नहीं होने देंगे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सर्वसम्मति से पारित हुआ है । माननीय मंत्री जी, आप सांसद रहे हैं । आप कितना असत्य बोल रहे हैं । विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है ।

श्री अरूण साव :- ये ढोंग, ये इधर बैठे हुए लोगों का ढोंगे छत्तीसगढ़ की डेढ़ करोड़ बहिनें देख रही हैं । आने वाले समय में डब्बा गोल होने वाला है । इसकी तैयारी कर लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ममा, बइठ जा । (हंसी)

श्री किरण देव :- सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह अधिनियम किसी भी सुरत में पास कराने का बहुत ऐतिहासक अवसर था और मुझे नहीं लगता, मुझे मालूम नहीं कि इस ऐतिहासक अवसर को कांग्रेस और उसके घटक दलों ने अपने हाथ से जाने कैसे दिया । आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में बार-बार कहा, हम सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि इसको पास हो जाने दीजिए, बहिनों को यह अधिकार मिल जाने दीजिए, आप चाहेंगे तो यश, कीर्ति, मान-सम्मान, पेपर में छपना सब आपके नाम होगा, लेकिन इसे पास हो जाने दीजिए । इतना कहने के बावजूद भी वहां पर इसको ध्वस्त किया गया । यहां भी आदरणीय द्वारिका जी और अन्य सभी सदस्य बोल रहे हैं कि हम इसके समर्थन में हैं तो इतने बहस की जरूरत ही नहीं है। इस विषय पर अपना पक्ष रखने के बाद इसे सदन से सर्वसम्मति से पारित हो जाये, यह इस सदन के माध्यम से विशेष रूप से हो जाये । हमारे सहयोगी दल और कांग्रेस का एक ही लाईन का प्रश्न है, जब सभी चाह रहे हैं, जब आप भी चाह रहे हो तो पहली बात तो यह है कि 5-6 दशकों तक जब आप सरकार में रहे तो इस विषय पर क्यों अडंगा लगा ? दूसरी बात, आज भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस संकल्प को सदन में पेश किया है तो हम सबको सहमति देना चाहिए, फिर 2, 3, 4 साल पुरानी बातें यहां पर क्यों रख रहे हैं कि यहां पर यह हुआ, उस महिला के साथ यह हुआ ? उसमें तो फिर बातचीत आगे-पीछे जाएगी । यह ठीक है कि टी.वी. में पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है । अपना विषय आ जाना चाहिए, लेकिन इस पर एक लाईन कहना चाहता हूं कि जब पंचायत पर भरोसा है तो विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं है, उस पर क्यों सहमति नहीं बनती ? उस पर तो सहमति बनें । आपके नेता जी ने निर्णय लिया, उसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में लागू किया । सभी क्षेत्रों में 33 प्रतिशत को 50 प्रतिशत में लाये तो इस तरीके से मैं केवल इतना कहूंगा कि हमारी मातृ शक्तियों को, हमारी बिहनों को, हमारी बेटियों को सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से भीड़ बढ़ाने का एक उपाय बन नहीं बनना चाहिए । ऐसा भी एक दिन आये कि वह भीड़ में रहने वाली हमारी बहिन भी छत्तीसगढ़ विधान सभा का या दिल्ली में लोकसभा का नेतृत्व कर सके, यह भावना है । मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बारंबार आग्रह किया और इस भागीदारी को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प इस सदन में लाया है, मैं उसका समर्थन भी करता हूं। मैं आपके माध्यम से स दन के सभी वरिष्ठ सदस्यों से, हमारे सभी सदस्यों से निवेदन भी करूंगा कि यह बहुत बड़ा यज्ञ है, हम सब इस यज्ञ में मिलकर आहूति दें

और इसे सर्वसम्मति से पास करें। इतना निवेदन करते हुए, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- माननीय श्रीमती अम्बिका मरकाम जी, मेरा आप सभी सदस्यों से आग्रह है कि 10-10 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। बहुत सारे वक्ता बोलने के लिए बाकी हैं।

श्रीमती अम्बिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, आज अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा माननीय सुश्री लता उसेण्डी जी और श्रीमती अनिला भेंडिया जी को सभापति तालिका में स्थान दिए जाने पर उनको बहुत-बहुत बधाई देती हूं और अध्यक्ष जी का धन्यवाद करती हूं। आज महिला आरक्षण संकल्प की चर्चा में महिलाओं का सम्मान हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं महिला आरक्षण विधेयक, 2023 जो संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, उसे आज तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग करते हुए अपनी बात रखना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, नारी शक्ति वंदन का अर्थ है कि महिलाओं की शक्ति, उनके योगदान और उनके अधिकारों का सम्मान करना है। हमारे समाज में नारी का स्थान मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के रूप में पूजनीय है। केवल परिवार की देखभाल करने वाली नहीं है बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है। मैं महिलाओं के अधिकार, सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में इस सदन में अपनी बात को रखना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात से ही नारियों के उत्थान, सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए कई कानूनी, सामाजिक और आर्थिक कदम उठाये गये। स्वतन्त्रता के बाद महिलाओं को लोकतन्त्र के महापर्व चुनाव में भाग लेने, मत देने का अधिकार, पिता की सम्पत्ति में बेटी को बराबर का अधिकार देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ही देश की संवैधानिक पदों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया है। जिसमें पहली मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी जी, जिन्होंने उत्तरप्रदेश जैसे बड़े राज्य का शासन संचालित किया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं को आसीन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। महिलाओं के साथ वादा खिलाफी, धोखाधड़ी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की महिलाओं में कितने उत्पीड़न, महिला शोषण के काम ..।

श्री धरम लाल कौशिक :- अंबिका जी, आप सम्पत्ति में अधिकार की बात बोल रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर जी 1951 में हिन्दू कोड बिल लेकर आये। उस कोड बिल में महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार और बाकी चीजों का उल्लेख था, उसको एन-केन-प्रकारेन, रोकने का काम उस समय के तत्कालीन सरकार, अंतरिम सरकार के द्वारा किया गया। इसी

बात से दु:खी होकर डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने मंत्री पद से त्याग-पत्र दिया था। आप उसको दुरूस्त कर लें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उसके बाद यह कब लागू हुआ ? माननीय सभापति महोदय, आप वरिष्ठ हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आखिर यह अधिकार आया तो किनके समय में आया ?

सभापति महोदय :- आप लोग प्रश्नकाल की तरह वार्तालाप न करें।

श्रीमती अम्बिका मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, यदि कांग्रेस पार्टी कुछ भी करती है तो कांग्रेस पार्टी ने गलत किया है और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया है। यह हमारी माननीय सदस्या, अभी आसंदी में सभापति के रूप में लता उसेण्डी जी बैठी हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि राजीव गांधी जी जो 33 प्रतिशत आरक्षण जो दिए हैं, वह वोटों की राजनीति करने के लिए दिए हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी जब करती है तो वह वोटों की राजनीति के लिए है और आप जो करते हैं, वह वोटों की राजनीति नहीं है? आप इस तरह की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात कहना चाहती हूं, वर्ष 2004 से 2018 तक भा.ज.पा. की सरकार में प्रदेश की महिलाएं कितने महिला उत्पीड़न एवं शोषण की रोकथाम हेतु काम हुए जो सिर्फ जांच की कार्यवाही तक सीमित रहे। महिलाओं के उत्पीड़न में किसी को भी भा.ज.पा. सरकार ने दंडित नहीं किया। झलियामारी कांड का कलंक भा.ज.पा. के माथे पर है। महिलाओं का गर्भाशय निकालकर बेचने का काम भा.ज.पा. ने किया। महिलाओं का आंखफोड़वा कांड भा.ज.पा. के राज में हुआ। पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश की 30,000 से अधिक महिलाएं लापता हैं। यह हमारा राजनीतिक आरोप नहीं है, यह पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार है। यदि भा.ज.पा. सरकार इतनी महिला हितैषी बनती है तो लापता महिलाओं, बहनों, बेटियों को उनके परिजनों से मिलाने का काम क्यों नहीं करती? महिला हितैषी बनने का ढोंग रचते हैं। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2014 में बिलासपुर जिले में आयोजित नसबंदी कांड में भी डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही एवं समुचित उपचार के अभाव में 13 महिलाओं की मौत हो गई थी। आज तक किसी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं हुई।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोलिए दीदी। आप अधिनियम पर बोलिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर। आप एकदम अलग बोल रही हैं ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- मैं बोल रही हूं, बोल रही हूं। मैं उस पर भी आ ही रही हूं । कांग्रेस पार्टी द्वारा सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को अपना समर्थन दिया गया और उसे वर्ष 2023 में 543 संसद सदस्यों में से 33 प्रतिशत महिला भागीदारी सुनिश्चित कर उसे परिस्थिति वश लागू करने की सहमति दी गई। किंतु भा.ज.पा. सरकार द्वारा अपने राजनीतिक लाभ की पूर्ति हेतु उसे नवीन रूप में लागू करने के लिए हमेशा दबाव बनाया गया। इसी के फलस्वरूप 16 अप्रैल, 2026 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार पर्दे के पीछे से तीन विधेयक पारित

करवाना चाहती थी, जिसमें परिसीमन विधेयक, लोकसभा सीटों की वृद्धि का बिल, संसदीय क्षेत्रों की सीमा परिवर्तन के संबंध में बिल लाए गए थे, जिसे विपक्ष द्वारा आपत्ति लगाई गई थी, न कि महिला आरक्षण बिल का। किंतु केंद्र सरकार द्वारा जनता को, खासकर महिलाओं को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विपक्ष लागू नहीं होने दे रहा है, जबकि सत्य यह है कि विधेयक 2023 में ही कानून के रूप में 106वें संविधान संशोधन के रूप में मूर्त रूप ले चुका है। भा.ज.पा. सरकार को ऐसी भ्रमित करने वाली एवं असत्य जानकारी देश की आधी आबादी को देने से परहेज करना चाहिए। सभापति महोदय, नारी शक्ति की बात करते हैं, प्रदेश में महिला अपराध, अत्याचार, बलात्कार, महिलाओं की हत्या के मामले में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। बीते बजट सत्र में सरकार ने अपने लिखित उत्तर में नए आंकड़े के अनुसार स्वीकार किया है छत्तीसगढ़ प्रदेश में औसतन हर तीन घंटे में एक महिला दुष्कर्म की घटना का अपराध दर्ज हो रहा है। महिला अपराधों के मामले में प्रदेश की राजधानी रायपुर अति संवेदनशील एवं प्रथम स्थान पर है। महिलाओं के साथ अत्याचार, बढ़ते अपराधों के लिए सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी सरकार जिम्मेदार है क्योंकि हर गली-कूचे, पान ठेला, होटल शराब की बिक्री खुलेआम की जा रही है। अब तो स्कूलों के पास भी शराब दुकान संचालित हो रहे हैं। शराब की अवैध बिक्री, मादक पदार्थों की बिक्री लगातार शिकायतों के बाद भी नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई सार्थक पहल नहीं की जा रही है। ऐसे में माताएं-बहनें सुरक्षित नहीं हैं। हम नारी शक्ति का वंदन कैसे करेंगे? कैसे हम महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात करेंगे? भा.ज.पा. सरकार नारी वंदन की बात कर रही है, यह भारत देश की विशाल लोकतंत्र में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण की हमेशा पक्षधर रही है, हमेशा रहेगी और नारी के सम्मान में सड़क से लेकर सदन तक हमेशा ईमानदारी से काम करना हमारी जिम्मेदारी है और हम वह कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी बहुत सारी चर्चाएं हुईं। यह निश्चित है कि महिला आरक्षण विधेयक को लागू करना चाहिए, परंतु इसे 543 सीटों पर अभी क्यों लागू नहीं किया जा रहा है?

सभापति महोदया :- अंबिका जी, जल्दी समाप्त करेंगे।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- सभापति महोदया, मैंने अभी बोलना चालू किया है।

सभापति महोदया :- मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अब तक सिर्फ पांच वक्ताओं द्वारा अपना मत व्यक्त किया गया है, जिसमें लगभग तीन घंटे से अधिक का समय लगा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- इतना बड़ा विधान सभा भवन बना है। आपको इसका कैपेसिटी मालूम है? यहां 200 लोग बैठ सकते हैं और आप 90-90 का रट लगाए हो। 120 विधायक बनने दो न। यहां 120 विधायक आएंगे तो अच्छा लगेगा।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- 120 हो जाए। विधायकों की संख्या बढ़नी चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- हाँ, तो आप लोगों ने उसी प्रक्रिया का विरोध किया है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि बीच में न बोलें।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- हम तो चाहते हैं, लेकिन उसको संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लागू करें। यह लोगों को धोखे में रखकर न करें।

सभापति महोदया :- अभी तक सिर्फ पांच वक्ताओं ने बोला है और बाकी पूरे वक्ताओं को बोलना बाकी है। पांच वक्ताओं ने तीन घंटे लिए हैं, इसलिए मेरा आग्रह है कि 10-15 मिनट में अपनी बात खत्म करें।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- सभापति महोदया, यह महिला आरक्षण बिल लोक सभा में लाया गया और आज विधान सभा में इस पर चर्चा के लिए लाया गया है। लेकिन पंचायतों में, नगरीय निकायों में निंदा प्रस्ताव की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि क्या आप डर चुके हैं कि आपकी कुर्सी खिसक रही है? जब आप विधान सभा में ऑलरेडी विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा करने के लिए कह रहे हैं तो आपको इसे निचले स्तर के सदनों में निंदा प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत पड़ी? कांग्रेस पार्टी कहीं पर महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा पक्षधर रही है और रहेगी, लेकिन हम इसे गलत तरीके से करने के पक्षधर नहीं हैं। पंचायतों में महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है, वह कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आज महिलाएं पंचायतों में बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। जो व्यवस्था राजीव गांधी ने लागू की थी, उसे बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी लागू किया तो इसमें कहाँ पर विरोधाभास वाली बात है? कहीं पर कोई विरोधाभास बात नहीं है। सभी लोग महिला आरक्षण का समर्थन करना चाहते हैं और हम सभी चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो। यदि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन नहीं देती तो 11 महिलाएं चुनकर नहीं आतीं। वर्तमान में यहाँ पर 11-11 विधायकें भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं से ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी ने चुनकर दी हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर चुनकर नहीं आई हैं, बहुत सारी महिलाओं को टिकट दिया गया था। वे कुछ कारणवश हार गईं, लेकिन वे महिलाओं के हमेशा पक्षधर रही है और रहेगी। माननीय सभापति महोदया, हम लोग इस महिला आरक्षण संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं। हम परिसीमन और सीट में बढ़ोतरी करने का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी माँग है कि जनगणना के बाद इसे लागू किया जाए। इसी बात को कहते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीया श्रीमती गोमती साय जी। समय का ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत सारे सदस्यों को अपना वक्तव्य रखना है।

श्रीमती गोमती साय (पत्थलगांव) :- माननीय सभापति महोदया जी, धन्यवाद। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। इस छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास के पन्नों में आज का दिन हमेशा याद किया जाएगा। आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। आज आपको और अनिला भेंडिया जी को सभापति तालिका में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज यहां पर उपस्थित सभी हमारी मातृ शक्ति, महिला शक्ति को अपनी बात समर्पित करके अपना वक्तव्य शुरू करूंगी।

नारी तब तक प्यारी लगे, जब तक वह बेचारी लगे,

खाले जुबां जब अपने हक में, तेज धार वाली आरी लगे। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, आज का विषय महिला आरक्षण और विपक्ष की विफलता है, आज इस सदन में केवल एक विधेयक के पास या फेल होने पर चर्चा नहीं है, यह चर्चा भारत की आधी आबादी के अधिकार का है । यह चर्चा सम्मान की है, यह चर्चा प्रतिनिधित्व की है, यह चर्चा कांग्रेस और उनके एलायेंस के उन राजनीतिक पाखंड की है, जिसने दशकों तक महिलाओं के अधिकार को रोके रखा है । माननीय सभापति महोदय, महिला आरक्षण कोई नया विषय नहीं है, यह मांग आज की नहीं है, यह संघर्ष तीन दशकों से भी ज्यादा पुराना है, बल्कि मैं तो कहूँ कि भारत की नारी शक्ति का संघर्ष तो स्वतंत्रता आंदोलन से भी पुराना है । आजादी की लड़ाई से संविधान सभा के निर्णयों तक भारत की महिलाओं ने राष्ट्र निर्माण में असीम योगदान दिया है । जब हम स्वतंत्रता संग्राम को याद करते हैं तो रानी लक्ष्मी बाई की वीरता याद आती है, सरोजनी नायडू का नेतृत्व याद आता है, कस्तूरबा गांधी का त्याग याद आती है, हमारे अविभाजित मध्यप्रदेश की धरती से रानी दुर्गावती जैसी अदम्य शौर्य की महिला थी, लोक माता अहिल्या जैसी आदर्श सुशासन दी है तो छत्तीसगढ़ की धरती ने मिनी माता जैसी जननायिका दी है, जो केवल छत्तीसगढ़ की महिला सांसद नहीं थी, बल्कि सामाजिक चेतना की पहली प्रखर आवाज भी थी । देश की जिन महिलाओं ने आजादी और समाज के उत्थान और सुशासन की नींव रखी थी, क्या उन्हें लोकतंत्र में वाजिब प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिये ? आज हमारे साथियों ने जो बाधा किये हैं, उसके लिये हमारे प्रदेश की महिलायें बिल्कुल माफ नहीं करेगी। सभापति महोदय, मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जब-जब महिलाओं को अधिकार देने की घड़ी आई, तब-तब महिलाओं को अधिकार कांग्रेस और एलायंस पार्टनरों ने शब्द तो दिये, लेकिन निर्णायक भूमिका दिखाने का साहस नहीं दिखाया। यही सच है और यही देश को जानना चाहिये तथा देश की महिलायें इसको देख रही है । समय आने पर उसका जवाब भी देंगे । आदरणीय सभापति महोदय जी, कुछ लोग आज भी दबी जुबान में पूछते हैं कि महिलाओं को राजनीति में आरक्षण की क्या आवश्यकता है, यह कहते हैं कि महिलायें राजनीति में जाकर क्या करेंगी, यह दबी जुबान में बोलते हैं, भले ही सामने नहीं बोलते । इसमें बहुत लोगों को टशन है कि महिलायें आगे न आये । मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि महिलायें जब देश के

हर क्षेत्र में नेतृत्व कर सकती है तो राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व सीमित क्यों हो ? भारत की महिलायें आज घर नहीं संभाल रही है, वह देश की अर्थव्यवस्था, प्रशासन, विज्ञान, सेना और खेल तथा न्याय व्यवस्था जैसे हर क्षेत्र का नेतृत्व कर रही है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, आप जो बात बोल रही हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं, आप यह बात सदन में रख रही है, लेकिन आपके दल में महिलाओं के साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है । सर्वाधिक अन्याय यदि हो रहा है तो आपके दल में हो रहा है ।

श्रीमती भावना बोहरा :- कहां हो रहा है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- महिलाओं के साथ पूरे देश में अन्याय हो रहा है । लोक सभा में एक भाषण है, आप कहें तो पटल पर रख दूँगा । आपके बिहार में एक नेता आपके दोस्त हैं, जिसके साथ बिहार चुनाव लड़े थे, उनके बड़े नेता बोले थे कि बाब कट वाली महिलायें आ जायेंगी, हम इसका समर्थन नहीं करते । यह तो आपके विचार हैं और उन्हीं के संग आपने विरोध किया है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हम सर्वसम्मति में शामिल हुये हैं । यह रिकार्ड में है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- लोक सभा में विरोध किये थे और यही किया था । आप बोलोगे तो यहां लाकर रख दूँगा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वर्ष 2023 में हमने समर्थन किया है कि नहीं किया है ?

श्रीमती भावना बोहरा :- आपने कहा कि आपके दल मे, तो यह बताईये ना कि कब हुआ, उदाहरण दीजिए कि कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपके दल का मतलब 18 राज्यों में सरकार है, उसमें से केवल 1 महिला मुख्यमंत्री है । यही तो अन्याय है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- सबेरे से इन लोगों को बड़ी चिन्ता है । यादव जी, आपको बहुत चिन्ता है कि 18 राज्यों में आपकी सरकार है, एक ही मुख्यमंत्री है। आपके यहां कितने राज्यों में सरकार है और कितने जगह महिला को मुख्यमंत्री बनाए हो?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हमारी पार्टी में तो देश की प्रधानमंत्री भी बनी।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी तो बताईए, कर्नाटक में आपकी महिला मुख्यमंत्री है? हिमाचल में है?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रह चुकी हैं।

सभापति महोदय :- मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करती हूं, अभी 18 लोगों को और बोलना है। अगर आप इस तरह से आपस में एक-दूसरे को टोकेंगे तो अच्छा नहीं होगा।

श्रीमती गोमती साय :- मैं इसका जवाब दे रही हूं। आज बात कर रहे हैं आपका महिला सीएम कहां हैं बोल रहे हैं, हमारे पास उसका जवाब है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। आज देश

की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इससे बड़ा पद और क्या चाहिए? भारतीय जनता पार्टी और इस अलायंस ने दिया है। एक आदिवासी बेटी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान है। मैं और एक चीज बता रही हूं, देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी हैं, जो भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर रही हैं। देश की विदेश नीति में सुषमा स्वराज जी का योगदान आज भी याद किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, टेसी थॉमस तक हमारी बेटियों ने अंतरिक्ष से लेकर मिसाइल विमान तक भारत का गौरव बढ़ाया है। खेल जगत में पी.वी. सिंधु, मैरी कॉम, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू इन बेटियों ने विश्व मंच पर तिरंगा ऊंचा किया है। सेना में महिलाएं फाइटर पायलट बनकर सीमा की रक्षा कर रही हैं। कॉर्पोरेट जगत में महिलाएं बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रही हैं। स्व-सहायता समूह में करोड़ों महिलाएं लखपति दीदी बनकर आत्मनिर्भर बनी हैं। जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं? जब महिलाएं अर्थव्यवस्था संभाल सकती हैं, तो क्या वे नीति निर्माण नहीं कर सकतीं ? बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने उसको रोकने का काम किया है। जब महिलाएं सीमा की रक्षा कर सकती हैं, तो क्या वे लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकतीं ? सवाल क्षमता की नहीं है, सवाल अवसर का है। माननीय सभापति महोदय, महिलाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रतिनिधित्व की कमी है। भारत की जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, जिनके कार्यकाल ने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण पंचायती राज में देने का काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूं। लेकिन संसद में लंबे समय तक उनका प्रतिनिधित्व 15 प्रतिशत के आसपास ही रहा है। आज की तारीख में केवल 15 प्रतिशत महिलाएं भाग ली हैं। इतनी बड़ी आबादी और इतनी कम भागीदारी, क्या यह न्याय है? नहीं है। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए महिला आरक्षण आवश्यक है।

समय :

3.03 बजे **(सभापति महोदय (श्रीमती अनिला भेंडिया) पीठासीन हुईं)**

माननीय सभापति महोदय, आज देशभर में 14 लाख से अधिक महिलाएं पंचायत स्तर पर नेतृत्व कर रही हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं हमारी पूर्व महिला बाल विकास मंत्री जी को सभापति पद पर विराजमान होने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं ।

श्रीमती गोमती साय :- सभापति महोदया, आपको बहुत-बहुत बधाई।

श्रीमती भावना बोहरा :- मैं अपनी तरफ से भी आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हम लोगों की तरफ से भी बहुत-बहुत बधाई।

सभापति महोदया :- धन्यवाद।

श्रीमती गोमती साय :- सभापति महोदया, कई राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। परिणाम क्या आया? जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता जैसे विषयों पर निर्णय अधिक संवेदनशील हुए, अधिक प्रभावी हुए। क्या जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वस्थ जैसे विषयों पर निर्णय अधिक संवेदनशील हुए? अधिक प्रभावी हुआ। आज महिला प्रतिनिधित्व करेंगी तो घर के रसोई तक का विषय सदन में आएगा। जब रसोई का विषय आएगा तो पूरा रसोई के हिसाब से नीति निर्धारण बनेगा। यह तभी होगा जब महिला प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में आएंगी, तभी हो पाएगा। सभापति महोदया, महिला आरक्षण कोई राजनीतिक प्रयोग नहीं है, बल्कि एक सिद्ध प्रशासनिक मॉडल है। महिलाओं की भागीदारी से जब पंचायत सफल हो सकती है तो संसद क्यों नहीं हो सकती? महिला आरक्षण विधेयक पहली बार 1996 में लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। मैं इतिहास में जा रही हूं। तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा जी की संयुक्त मोर्चा सरकार ने जब इस विधेयक को प्रस्तुत किया, तब उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, पूरा देश उम्मीद से देख रहा है और पूरे देश की महिलाएं टकटकी लगाए निगाहों से देख रही हैं कि कब हम लोगों को अधिकार मिलेगा। इस चीज़ को पूरे देश की महिलाएं देख रही हैं। पूरा देश उम्मीद से देख रहा है, लेकिन क्या हुआ? हंगामा हुआ, विरोध हुआ, फिर ठंडे बस्ते में चला गया। कांग्रेस और उनकी अलायंस पार्टी स्वयं महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी बनती है, वह निर्णायक रूप से आगे नहीं आई, विधेयक संयुक्त संसदीय समिति में भेजा गया और वहीं लटका दिया गया फिर लोक सभा भंग हो गई और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने वाला विधेयक ठंडे बस्ते में चला गया। पहला अवसर व्यर्थ हो गया, इस बात को आप लोग बढ़िया से सुन लीजियेगा।

सभापति महोदया, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार आई। वर्ष 1998 से लेकर 2003 तक बार-बार महिला आरक्षण विधेयक को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। भाजपा ने स्पष्ट कहा कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन हर बार वही दृश्य, हंगामा, विरोध और राजनीतिक खींचतान। कांग्रेस ने भाषणों में समर्थन तो दिया, लेकिन महिलाओं के हक में निर्णायक लड़ाई कभी नहीं लड़ी। बोलो हां, करो ना, और इसी राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक यू.पी.ए. सरकार के पास सत्ता भी थी, अवसर भी था और पूरा अधिकार भी था। प्रमुख विपक्षी दल के रूप में भा.ज.पा. पूरी मजबूती से महिला आरक्षण के पक्ष में थी। पर कांग्रेस और यू.पी.ए. वालों ने सिर्फ दिखावा किया। वर्ष 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्य सभा से पारित भी हो गया। कांग्रेस और उनके साथी आज भी इसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली सवाल है कि आपने लोक सभा में विधेयक क्यों नहीं लाया? जबकि

आपके पास पूरा बहुमत था, दो-तिहाई बहुमत था। अगर आप लोग चाहते, तो उस समय विधेयक लाकर पास कर सकते थे और उसका श्रेय आपकी झोली में जाता। आपने क्यों कानून नहीं बनाया? आप लोग अपने सहयोगियों के दबाव में क्यों आ गए? सत्य है, कांग्रेस कोई राजनीतिक जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। राज्य सभा में पास कराकर लोक सभा में ठंडे बस्ते में डाल देना, यह चूक नहीं थी, यह देश की आधी आबादी के साथ राजनीतिक विश्वासघात था। यदि कांग्रेस गंभीर होती तो देश की महिलाओं को यह अधिकार 15 वर्ष पहले मिल चुका होता और पूरा का पूरा श्रेय कांग्रेस की झोली में जाता। आज यह विरोध की बात करते हैं। मोदी जी अच्छा-अच्छा काम लाने का प्रयास करते हैं। मैं हमारे मोदी जी को बहुत धन्यवाद देती हूं क्योंकि उस सभा में हम लोगों को भी अवसर मिला था। आज हम चारों विधायक हैं। कल जब हम लोग सांसद थे, तो उनके सदन में हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस विधेयक में हम लोगों को भी इतिहास में जब याद किया जाएगा कि कौन-कौन 17वीं लोक सभा में सदस्य थे, तो हम चारों का नाम भी उसमें अंकित होगा। साथियों, पर लगता है कि धारा 370, राम मंदिर और ट्रिपल तलाक की ही तरह महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने का पुण्य कर्म भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के हिस्से में ही लिखा हुआ था। वर्ष 2023 में मोदी जी ने इतिहास रच दिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नए सदन का उद्घाटन करने के बाद यदि कोई पहला विधेयक लाया, तो वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम था। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदया, ठीक है पारित हो गया, तो फिर लागू करने में देरी क्यों किया गया? 2023 में ही क्यों लागू नहीं किया गया?

श्रीमती गोमती साय :- मैं उस पर भी आ रही हूं।

श्रीमती भावना बोहरा :- संगीता दीदी, 6 सवाल को एक ही बारे पूछोगी ?

श्रीमती गोमती साय :- जो काम 70 वर्षों तक लटका रहा, मोदी सरकार ने उसे पूरा किया। यही अंतर है कांग्रेस ने खोखला वादा किया और मोदी जी ने प्रभावी कानून दिया। भाजपा ने महिलाओं को प्रतीक्षा नहीं, प्रतिनिधित्व दिया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदया, अगर 2023 में यह कानून लागू हो जाता तो आप 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ 2024 के लोक सभा का चुनाव लड़ती। आपकी तो टिकट ही काट दिए।

श्रीमती गोमती साय :- सभापति महोदया जी, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है। विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब माताएं-बहनें सशक्त, आत्मनिर्भर हों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार हो। इसी सोच के साथ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, सुकन्या

समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, पी.एम. आवास मुद्रा योजना इन सबके माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक शक्ति देने का काम किया है ।

सभापति महोदय :- गोमती जी, कितना समय लगेगा ? 15 मिनट हो गया ।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय सभापति महोदय, बस 2-3 मिनट । 10 करोड़ से अधिक महिलायें स्वसहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी हैं । लखपति दीदी अभियान केवल लाभार्थी नहीं, आर्थिकक नेतृत्वकर्ता बना रहा है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी प्रदेश में महतारी वंदन योजना और महतारी सदन जैसी योजना लागू कर प्रधानमंत्री जी के नारी शक्तिकरण के विजन को धरातल पर उतारने का काम किया है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- दीदी, मैं एक बात बोलना चाह रही हूं कि महतारी वंदन । आप लोग क्यों भेदभाव कर रहे हैं, क्यों बाकी महिलाओं को नहीं दे रहे हैं ? (व्यवधान) हमारे छत्तीसगढ़ में 1 लाख 20,000 महिलायें हैं, उनके साथ भेदभाव मत कीजिये । (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- संगीता जी, पहले कांग्रेस के कार्यकाल का बता दीजिये । (व्यवधान) संगीता जी, जो 500 रूपये देने की बात हुई थी, जब आप सत्ता में थे उसकी तो कभी चर्चा नहीं हुई । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप भेदभाव मत कीजिये । आप उनको महतारी वंदन योजना का लाभ दीजिये । (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आपने सभी महिलाओं को नहीं दिया । बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं दिया । (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- आप लोगों ने एक-बार भी 500 रूपये नहीं दिये हैं । (व्यवधान)

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- आप लोगों ने अपनी सरकार में 500 रूपये देने का वायदा किया था । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोग महिलाओं के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- हम लोगों की सरकार लगातार दे रही है । (व्यवधान) आप लोग 500 रूपये एक-बार भी किसी महिला को नहीं दिये हैं ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- आप लोगों ने 500 रूपये भी नहीं दिये । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- गोमती साय जी, आपको बहुत समय हो गया । आप बैठ जाईये । (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- इन विषयों पर मत बोलिये । एक-बार भी नहीं दिया । आप लोगों ने असत्य बोला । (व्यवधान)

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- आप लोग महतारी वंदन के विषय में मत बोलिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- गोमती साय जी, अब समाप्त करिये । हमारे बहुत सारे सदस्य हैं ।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय सभापति महोदय, केवल दो मिनट । नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद अब सबसे बड़ी आवयश्यकता है कि उसे शीघ्र क्रियान्वयन किया जाये । परिसीमन हो और वास्तविक परिदृश्य सुनिश्चित हो । देश की महिलायें अब प्रतीक्षा नहीं, प्रतिनिधित्व चाहती हैं लेकिन विपक्ष इस विषय पर भी स्पष्ट समर्थन देने की बजाय भ्रम, विरोध, अवरोध की राजनीति कर रहा है । कांग्रेस ने केवल एक विधेयक को नहीं रोका, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को वर्षों तक टालने का काम किया है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय गोमती दीदी, मैं आपके साथ हूं क्योंकि आपको जो बोलकर लाया गया है क्योंकि यह सरकार नारियों का सम्मान नहीं करती है इसलिये आपको यहां बैठा दिया गया है । मैं आपके साथ हूं ।

सभापति महोदय :- बहुत लोग बोलने वाले हैं इसलिये जल्दी समाप्त कीजिये।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज और स्पष्ट बता देना चाहती हूं क्योंकि बी.जे.पी. जो बोलती है वह करती है । उसका चरितार्थ हम लोग जशपुर के दोनों महिलाएं हैं । मैं जशपुर जिले के पत्थलगांव विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रही हूं । (मेजों की थपथपाहट) मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला जशपुर की 3 विधानसभा सीटों में से हम दो महिलायें उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । जशपुर की जनता जनार्दन ने महिलाओं को 66 प्रतिशत राजनीतिक प्रतिनिधित्व सौंपा है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- दीदी, आप दोनों के साथ धोखा हो गया है ।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसके लिये पार्टी की ओर से भी बहुत आभार व्यक्त करती हूं । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, हमारे जनजाति क्षेत्र में तो महिलाओं का नेतृत्व बेहद न्यायसंगत रहा है, हम खेतों में पुरूषों के बराबर पसीना बहाते हैं । हाट-बाजार में सब्जी-भाजी बेचने वाली महिलायें दिखेंगी और खरीदने वाली भी महिलायें दिखेंगी । पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी हमेशा अग्रणी रही है । मेरी अपनी राजनीतिक यात्रा भी जनपद पंचायत से शुरू हुई है फिर जिला पंचायत से होते हुए देश के सर्वोच्च सदन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है इसलिये मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है । (मेजों की थपथपाहट) महिलायें परिवार भी चला सकती हैं, व्यापार भी चला सकती हैं और सरकार भी चला सकती हैं ।

श्री राजेश मूणत :- दीदी, इसीलिये संविदा वाली नहीं है ।

सभापति महोदय :- अब समाप्त कीजिये ।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय सभापति महोदय, मैं केवल एक मिनट में कन्क्लूड कर दूंगी । कांग्रेस महिलाओं को सम्मान तो देती है लेकिन सत्ता की मेज पर स्थान नहीं देती । कांग्रेस प्रतिनिधित्व

से डरते हैं, वह चाहते हैं कि महिला वोट बैंकर बनी रहे, निर्णयकर्ता न बनें, मंच के नीचे बैठकर ताली बजायें और सत्ता की कुर्सी पर न बैठें ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, सत्ता में जो सर्वोच्च स्थान है वह हमारी पार्टी ने दिया है । आपके यहां नहीं देते हैं, हमारे यहां देते हैं ।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के लिये महिलायें केवल प्रतीक हैं और भाजपा के लिये महिलायें शक्ति स्वरूपा हैं ।

सभापति महोदय :- गोमती साय जी, अब समाप्त कीजिये ।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय सभापति महोदय, केवल दो मिनट । उसके बाद कन्क्लूड ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी जब आप बोलीं न कि समाप्त करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आपके गठबंधन वालों से पूछना चाहती हूं कि वर्ष 1996 से लेकर के वर्ष 2026 तक आखिर कब तक आप महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखेंगे ? कब तक महिलाओं के वाजिब हक को राजनीति की वेदी पर चढ़ाने का काम करेंगे, कब तक समर्थन के मुखौटे तले विरोध का व्यवहार चलता रहेगा ? ये जान लीजिए कि अब महिला प्रतीक्षा नहीं करेगी, भारत बदल चुका है, राजनीति भी बदलेगी। (मेजों की थपथपाहट) मैं सिर्फ दो मिनट लूंगी । आज इस सदन से स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि महिला आरक्षण दया नहीं है, यह अधिकार है । यह उपहार नहीं है, यह संवैधानिक न्याय है । अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि जब नारी आगे बढ़ती है तो परिवार आगे बढ़ता है । परिवार आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है और जब समाज आगे बढ़ता है तो राष्ट्र विकसित होता है । विकसित भारत का सपना नारी शक्ति के सम्मान के बिना पूरा नहीं हो सकता, जो विरोध करते हैं, वह केवल एक विधेयक का विरोध नहीं करते हैं, ये लोग भारत की आधी आबादी के अधिकार का विरोध करते हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, हमने कभी विरोध नहीं किया । आप आज विधेयक लागू कर सकते हैं तो हम उसे हाथों-हाथ सर्वसम्मति से पारित करवाएंगे और आप सर्वसम्मति से लागू कीजिए ।

श्रीमती गोमती साय :- अब भारत की नारी प्रतीक्षा नहीं करेगी । मैं विपक्ष को यह बताना चाहती हूं कि देश की महिलाएं देख रही हैं, छत्तीसगढ़ की माताएं और बहिनें देख रही हैं और इतिहास भी इस बात का साक्षी बनेगा की आपके नारी विरोधी रवैये के कारण सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी खुद इतिहास के गर्त में समा गई । अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी । आज पूरी महिला शक्ति यहां बैठी हैं, मैं उनको समर्पित करना चाहती हूं -

पंख नहीं है मेरे पास, पंख नहीं है मेरे पास,

फिर भी पूरा आसमां नाप सकती हूं ।

चार दिन के राशन में चार महीने भी निकाल सकती हूं ।

सभापति जी, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, आपकी सरकार में ये दिन आ गए हैं कि चार दिन के राशन में पूरा समय निकालना है ।

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- माननीय सभापति जी और सदन के सम्माननीय सदस्यगण, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मा विशेष सत्र में बोले बर खड़े होए हवं । अइसे मुद्दा के ऊपर में बात करे बर जौन सिर्फ कानून या राजनीति तक सीमित नहीं हवय, यह मुद्दा हवय कि देश और प्रदेश के आधा आबादी हमर महिला मन के सम्मान, सुरक्षा और बराबरी के हवय । सभापति जी, छत्तीसगढ़ के माटी मा नारी ला हमेशा देवी के रूप में पूजे गे हवय । हमर गांव-गांव में महतारी मन आज भी खेती सम्हालथे, घर परिवार सम्हालथे, समाज के आधार बनथे । फिर जब राजनीति में ओमन के हक, अधिकार के बात आथे तो उही समय महिला मन ला बराबरी के मौका आजतक नहीं मिल पाए हवय । इही असमानता ला दूर करेबर महिला आरक्षण के आवाज उठिस अउ मैं साफ कहना चाहथौं कि कांग्रेस पार्टी ह आजतक महिला आरक्षण के पक्ष मा हमेशा से खड़े रहिस हे और हमेशा खड़े रहिही । माननीय राहुल गांधी जी और माननीय हमर प्रियंका गांधी जी सदन में कहिन कि हम महिला आरक्षण के विरोध नहीं करथन, महिला आरक्षण के खिलाफ में नहीं हे, ओ केवल और केवल महिला आरक्षण बिल के साथ जो एमन हर परिसीमन बिल और केन्द्र शासित प्रदेश के कानून व्यवस्था में परिवर्तन करे के बिल ए मन पास करना चाहथें, ओखरे विरोध रहिस हे । महिला मन के विरोध नहीं करथे, गलत ढंग से प्रचारित करे जात हे कि कांग्रेस महिला विरोधी हे। महिला विरोधी कांग्रेस न पहिले रहिस हे और न अब हवय । मैं बताना चाहथौं कि कांग्रेस में जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी रिहीन, ओ समय पंचायत स्तर में और स्थानीय स्तर पर महिला मन ला एक तिहाई आरक्षण मिले, एकर पक्ष मे 1989 में वह संविधान संशोधन बिल लाए रिहिस हे, लेकिन दुर्भाग्य ये रिहीस हे कि लोकसभा में तो पास हो गिस, लेकिन ये बिल हर राज्यसभा में पास नहीं हो पाईस । लेकिन इही बिल ला सन् 1993 में हमर तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय पी.व्ही. नरसिंहराव जी ह ए बिल ला दोबारा लानिन और यह बिल दोनों सदन में पास हो गिस। महिला मन के संसद और राज्य में विधान सभा में एक तिहाई आरक्षण के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी संशोधन विधेयक लाए रिहीन हे ।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति जी, इस पक्ष के लोग बार-बार बोल रहे थे कि महिलाओं को आरक्षण राजीव गांधी जी ने दिया, राजीव गांधी जी ने दिया। सही बात हमारी चातुरी नंद बहन बोल रही हैं। महिलाओं को आरक्षण देने का काम नरसिम्हा राव जी ने किया था। कांग्रेस ने नरसिम्हा राव जी के साथ क्या किया था ? उनको कांग्रेस अपना मानती ही नहीं थी। उनके अंतिम संस्कार में जाने से लोगों

को रोका था, इतना अपमानित किया था। उसको अपना नहीं मानते थे। कांग्रेस ने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- क्या नरसिम्हा राव जी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे ? वह कांग्रेस के नहीं थे क्या ?

श्री राजेश मूणत :- वह देश के थे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- वह देश के ही थे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- देश के थे और कांग्रेस पार्टी के थे।

श्री अरूण साव :- फिर अंतिम संस्कार में लोगों को जाने से क्यों रोका ? यदि अपना मानते थे तो लोगों को जाने देते।

श्री धर्मजीत सिंह :- उप मुख्यमंत्री जी, मैं एक और बड़ी बात बताता हूं। वह प्रधानमंत्री थे, रोका गया या नहीं रोका गया, वह अलग बात है। उनका अंतिम संस्कार हुसैन सागर हैदराबाद में हुआ था। उनकी पूरी लाश भी नहीं जली थी और वहां से पुलिस प्रशासन ने हटा दिया था। उनको वापस रात में जाकर दोबारा जलाना पड़ा था। यह रिकार्डेड है, प्रूफ है। इस तरीके से अपमान करते हैं। स्वर्गवासी व्यक्ति का अंतिम संस्कार तो ठीक से करवाते। प्रधानमंत्री थे, वह तो सब जान रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें एक चीज और जोड़ लो।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य, उनको बोलने दीजिये। आप लोगों को भी बोलना है। चन्द्राकर जी, आपको भी बोलना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उनकी डेडबॉडी को कांग्रेस मुख्यालय भी ले जाने नहीं दिया। अनुमति नहीं दी गई कि यहां श्रद्धांजलि नहीं होगी। आपको जहां करवाना है, करवा लीजिये कहकर अनुमति नहीं दी गई।

सभापति महोदय :- चातुरी नंद जी, आप अपनी बात रखिये।

श्रीमती चातुरी नंद :- जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रहिन, माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी, 9 मार्च, 2010 मा संविधान संशोधन विधेयक लानिन अउ ये हा राज्यसभा मा पारित भी होइस। कांग्रेस के सरकार हमेशा प्रयास करिस कि महिला मन ला स्थान मिलय, महिला मन ला आगे बढाय जाय। ओखरे नतीजा ए कि आज देश भर मा पंचायत और नगर पालिका में 15 लाख से अधिक महिला बहिनी मन निर्वाचित हो के अपन जवाबदारी संभालत हे। कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण के बात सिर्फ भाषण मा नइ कहय, वह जमीन मा भी करके दिखाइस। पंचायती राज मा महिला मन बर 33 प्रतिशत के मांग हमन रखेन, ओला बढ़ा के 50 प्रतिशत होइस। ये महिला बहिनी मन बर वाकइ तारीफे काबिल ए। महिला बहिनी मन के हक मा जो फैसला होइस, मैं ओखर धन्यवाद देवत हव। शुरूआत तो हमर कांग्रेस पाटी करिस, 33 प्रतिशत के बढ़ावा हमर कांग्रेस पाटी देइस। बाद मा आप मन बढ़ाके 50 प्रतिशत करे

हा, ओखर बर मैं आप सब ला धन्यवाद देवत हव। लाखो महिला मन ला स्वसहायता समूह के माध्यम से आर्थिक ताकत दे गइस। शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य अउ सुरक्षा मा निरंतर काम करके महिला मन के स्थिति मजबूत करे गिस तो केवल अउ केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही करे गइस।

श्रीमती रायमुनी भगत :- आपकी सरकार में रेडी टू इट का काम छीनकर बेरोजगार कर दिए थे चातुरी जी।

श्रीमती चातुरी नंद :- जी ?

श्रीमती रायमुनी भगत :- रेडी टू इट का कार्य स्व सहायता समूह की महिलाएं कर रहीं थीं।

श्रीमती चातुरी नंद :- आदरणीय सदस्या जी, आप शायद भूल रही हैं। आज आपकी सरकार में उनको दे सकते थे तो काहे नहीं दिए ? केवल एक महिला समूह को काम दे देने से पूरा नहीं हो जाता है।

श्रीमती रायमुनी भगत :- आप तो बीज निगम को दे दिए थे।

श्रीमती चातुरी नंद :- आप अपने कर्तव्य से भागे थे।

एक माननीय सदस्य :- दे रहे हैं, दे रहे हैं। कई जिलों में देना शुरू कर दिया है, दीदी।

श्रीमती चातुरी नंद :- ऊपर से हमर उपर इल्जाम लगावत ह, ये बिलकुल गलत ए। पहले अपन मा झांका , फिर दूसरा ला बोलिहा।

श्री अजय चन्द्राकर :- चातुरी जी, अभी मैंने हर्षिता जी की प्रशंसा की तो वह प्रशांसा में संगीता सिन्हा बन गईं।

श्रीमती चातुरी नंद :- तो आप कहना का चाहत हव ? महूं संगीता सिन्हा बन गय हव ? (हंसी) संसद मा महिला आरक्षण बिल लाय के काम पहले भी कांग्रेस पार्टी के सरकार करे रहिस ए। देश के पहली पार्टी अध्यक्ष बनिस, अगर देश में पहली बार पार्टी के कोनो पार्टी अध्यक्ष बनिस तो हमर पार्टी के महिला रहिस। प्रधानमंत्री बनिस तो हमर पार्टी के महिला रहिस। अगर देश में कोनो महिला ला राष्ट्रपति बनाय गइस तो पहली राष्ट्रपति हमरे कांग्रेस पार्टी के महिला रहिस। पहली लोकसभा स्पीकर भी हमरे पार्टी के रहिस। पहली मुख्यमंत्री भी हमरे पार्टी के रहिस। तो ये जो कांग्रेस पार्टी हे, ये केवल कागज मा काम नइ करय, यह जमीन मा काम करके दिखाथे अउ इही उदाहरण आप सबके सामने हावय। यानि कांग्रेस के सोच साफ हे, महिला मन ला कागज मा नइ, असल मा जिन्दगी मा अधिकार मिलना चाही। अब मैं वर्तमान स्थिति के बात करथों। 16 अप्रैल, 2026, 17 अप्रैल, 16 से 18 अप्रैल के बीच मा विधेयक मा जो संसद में प्रस्तुत होईस, जो संसद में विधेयक प्रस्तुत होईस, 131वां संविधान संशोधन जो लाया गीस, वो असल में महिला आरक्षण के संदर्भ में नई रहीस। वो तो केवल महिला मन के कंधा मा बंदूक तान के एक महिला आरक्षण मुखौटा बना के परिसीमन बिल लाया गे रहीसे और परिसीमन बिल के साथ मा जो केंद्र शासित प्रदेश रहीसे वहां के कानून व्यवस्था ला परिवर्तित करे के ये बिल लाया

गीस। अब आप बताओ, केवल महिला आरक्षण बिल रतिस, त का कांग्रेस पार्टी के हमन जतका छन मूर्ख हान, जेन महिला मन के सम्मान नई करतन, महिला मन के आरक्षण नई देतेन? लेकिन ये आरक्षण के साथ मा ये दू चीज़ ला के आप मन साबित कर देवा कि आप महिला विरोधी हा। ये केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित है। उत्तरी भारत में अगर आप सीट बढ़ा के आथा तो आपके बहुमत हो जही। काबर? काबर कि जो दक्षिणी भारत हे, दक्षिणी भारत में अपन जनसंख्या ला कम कर डारे हे, मतलब सीट ओ मन ला कम मिलही। तो सीधा-सीधा लोकतंत्र के आप मन हत्या करना चाहथव। और आपके जो कथनी है, वन नेशन, वन इलेक्शन, वो सीधा-सीधा होतीस, वन नेशन, वन इलेक्शन और वन पार्टी। मतलब सीधा-सीधा केवल और केवल भा.ज.पा. के सरकार रहतीस और भा.ज.पा. जो है, कोनो भी बिल ला पास करे बर कोनो दूसरा विपक्ष के आवश्यकता नई पड़तीस, आप सीधा-सीधा ये बिल ला पास कर सकत रहव। एकरे सती ये चाल ला आप मन चलेव और महिला मन ला मूर्ख बनाथों, महिला मन ला भ्रम में डालाथौ कि आप मन महिला मन ला अधिकार देवथौ।

श्री अरूण साव :- चातुरी जी, चातुरी जी।

श्रीमती चातुरी नंद :- जी।

श्री अरूण साव :- ये महिला आरक्षण के विरोध करे हो ना, तो अब मान के चला कोनो-कोनो जगह गड्ढा, दिल्ली मा शून्य, यहां शून्य, वहां शून्य। बचे-खुचे जगह मा भी ये माता-बहनी मन शून्य करने वाला है, ये जान ले रहव।

श्रीमती चातुरी नंद :- सब देखत हे मंत्री जी, सब देखत हे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- ये शून्य माता-बहनी भारतीय जनता पार्टी को ही करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ए ममा जल्दी बइठ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, महिला मन ला भ्रम में डाल के ओ मन ला मूर्ख बनाये के कोशिश करथें।

श्री धर्मजीत सिंह :- चातुरी जी, चातुरी जी। आपके लिए थोड़ा बता दूं, साउथ इंडिया के सीट में आप लोग बहुत हल्ला-गुल्ला मचाते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अभी 543 के लोकसभा में 129 सीट है 543 में, 23.76% पूरे उसमें रेश्यो आता है। जो प्रावधान अभी हुआ था, जो फेल किया आप लोगों ने संशोधन विधेयक को, 50% बढ़ा करके उसकी सीटों को बढ़ाते तो 129 का 195 सीट होता और 23.87% उसका परसेंटेज बढ़ता। 543 का इसी रेश्यो में 816 सीट का लोकसभा बनता। अब आपको 816 महिलाओं में से 200 से ज्यादा महिला लोग आएं, ये आप लोगों को अच्छा नहीं लगता? 1000 सीट वाला पार्लियामेंट बना है, 200 सीट वाला विधानसभा बना है। ये ज़िद क्यों करते हो कि बस ये 90 में रिज़र्वेशन कर दो, 500 में कर दो। हमारे प्रधानमंत्री 816 लोगों को मौका देने के लिए, उसमें से 200 से ज्यादा महिलाओं को, 300 महिलाओं को मौका मिलता, अब ये कहां-कहां बात

करते हो? आंध्र प्रदेश में सीट कम होगा । टोटल पांच प्रदेश में 129 सीट का 195 सीट हो रहा है न। ये ज़रा बेकार भ्रम वाला भाषण मत दीजिए।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- सारे स्टेट में 50% बढ़ रहा था, तो ऐसा भ्रम क्यों फैला रहे हैं?

श्री ब्यास कश्यप :- नहीं, भ्रम फैलाने वाली बात नहीं है।

श्रीमती चातुरी नंद :- भ्रम आप मन फैलाथो।

श्री ब्यास कश्यप :- जैसे कि भ्रम आपने फैलाया।

श्री ओ.पी. चौधरी :- आप कह रहे हो कि साउथ इंडिया डिवाइड हो रहा है। देश को तोड़ने वाली आप बात करते हो। हर स्टेट में 50% बढ़ रहा था, बिना बात के भ्रम फैला रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- हमने भ्रम नहीं फैलाया, मगर हम तो आज भी कह रहे हैं कि 2024 से क्यों नहीं लागू किया? हमको 543 में क्यों नहीं दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय गृह मंत्री जी दूसरी बात कह रहे हैं। जब लाना ही था तो जो अमेंडमेंट बिल है, उसमें इस बात का उल्लेख करते।

सभापति महोदय :- आप अपना भाषण समाप्त करिए, बोलिए।

श्री ब्यास कश्यप :- कि भाई हम 50% देंगे, करके इसमें उल्लेख नहीं किए आप। केवल मौखिक बोल रहे आप। मौखिक से नहीं चलेगा, जैसे आज मौखिक में बोले कि हम विरोध में बात करेंगे, पर आप यहां पर क्या लाए? संशोधन बिल के समर्थन में फिर यहां पर बात ला रहे हैं। लाते न भाई फिर उसका जवाब हम लोग देते। ऐसा नहीं है, कथनी-करनी में फर्क है महोदय।

श्रीमती चातुरी नंद :- मोला तो बोले ला दव गा, मोर टाइम निकल जही।

सभापति महोदय :- अभी कौशिक जी आपको भी बोलना है। अभी 16 लोग बाकी हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- बजट में कई चीजों का प्रावधान नहीं रहता है, लेकिन जब विधान सभा के अंदर मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री जो चीज बोलते हैं, उसको यह माना जाता है कि वह बजट का अंग बन गया। जब वहाँ पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये बोल रहे हैं कि हम इसको 50% बढ़ाएंगे, मतलब वह वहाँ पर वह उस अधिनियम या उस संशोधन विधेयक का अंग बन गया। यह लिख कर लाओ, लिख कर लाओ, हर बात लिखा-पढ़ी में नहीं होती।

श्री ब्यास कश्यप :- हर बात लिख कर लाने वाली बात नहीं है।

सभापति महोदया :- माननीय सदस्य जी, आपको भी बोलना है, बैठिए।

श्री ब्यास कश्यप :- जब वहां पर लाना था तो सर्वानुमति से पास कराया जाता। जितने राजनैतिक दल के लोग थे, जितने लोक सभा के सदस्य थे, जितनी पार्टियाँ थीं, उनकी सर्वदलीय बैठक होती है, बैठक में बैठ कर इस बात के लिए सहमति बनाने का प्रयास किया जाता। परंतु सिर्फ चुनाव की

बात थी। वे जान रहे थे कि दो-तिहाई बहुमत हमारे पास नहीं है, इसीलिए जानबूझ कर कर यह बिल लाया गया और उसके समर्थन में पुनः छत्तीसगढ़ क्या, पूरे भारत के सभी राज्यों में, Even नगरपालिका, जिला पंचायत व जनपद पंचायतों में इस बात को ला रहे हैं। निर्णय जहां होना है, वहां आप चर्चा कराइये न।

सभापति महोदया :- धर्मजीत भैया, आपको भी बोलना है, बैठिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- हर बात पूछ कर नहीं होता। पार्लियामेंट के अंदर जो बोला जाता है, उसको माना जाता है। (व्यवधान)

श्री ब्यास कश्यप :- मुख्य एजेंडा था, उसको लागू करना था, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। हम महिला आरक्षण विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती चातुरी नंद :- जो परिसीमन होही वो 2011 के जनगणना में ही होही।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- चातुरी जी, मैं ब्यास जी के लिए बोल रहा था। ब्यास जी, आप लोगों का इधर से बात तय हो गया है। आप ज्यादा उधर-इधर मत आलोचना करिये, जल्दी इधर आओ। (हंसी)

श्री ब्यास कश्यप :- ढाई साल बाद आप लोग इधर आने वाले हैं, उसकी तैयारी कीजिए।

सभापति महोदया :- चातुरी नंद जी, 15 मिनट हो गये हैं, जल्दी समाप्त कीजिए।

श्रीमती चातुरी नंद :- जी। माननीय सभापति महोदया, 2011 के जनगणना के अनुसार से परिसीमन होही। काबर 2011 के जनगणना के अनुसार परिसीमन होही? एमा भी एक पेच हावे। अगर 2011 के जनगणना के अनुसार ये मन परिसीमन करत हे ता एस.टी., एस.सी. अउ ओ.बी.सी. के महिला मन ला स्थान नहीं मिले। तेखरे सेती ए मन हा ढकोसला करत हावे। जब सितंबर, 2023 मा देश के संसद मा सर्वदल के लगभग 454 सांसद मन के समर्थन ले महिला आरक्षण बिल पास हो गे रिहीस हे अउ ओमा राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मु जी हर भी साइन कर चुके हे।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :- सभापति सदस्या, यह गलत बयानबाजी न करें कि 2011 के जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, आरक्षण मिलेगा तो एस.सी., एस.टी. एवं ओ.बी.सी. वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेग। माननीय सदस्या इस तरह की गलत बयानबाजी करके भ्रम फैलाने की कोशिश न करें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदया, गलत बयानबाजी नहीं है। अभी के आप मन पंचायत चुनाव मा देखे हा कि पिछड़ा वर्ग के महिला मन ला आरक्षण मिलिस? नहीं मिलिस। ता 2011 के जनगणना से यदि ए मन परिसीमन करत हे ता एस.सी., एस.टी. के साथ-साथ हमर पिछड़ा वर्ग के

महिला-बहिनी मन ला कोनो आरक्षण नहीं मिल पाय। ए मन ह मिलीभगत अउ पूरी तरह से सोची-समझी साजिश करत हें।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदया, वे फिर गलत बयानबाजी कर रही हैं। पंचायत एवं नगरीय निकायों में ओ.बी.सी. वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिला है।

श्रीमती गोमती साय :- सभापति महोदया, उनका गलत बयान है। एक्चुअली मैं रायगढ़ जैसे नगर निगम में एस.सी. वर्ग में आरक्षण के तहत महापौर बना है। यह आरक्षण नहीं है तो फिर क्या है?

सभापति महोदया :- आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदया, ये मन बीच-बीच में टोका-टाकी करत हे ता मैं का करौ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदया, पार्लियामेंट और विधान सभा में भारत के संविधान के हिसाब से अनुसूचित जाति और जनजाति को रिजर्वेशन मिलेगा। आपके कह देने से और किसी को नहीं मिलेगा। उसी में से आपकी पार्टी देना चाहे तो दे दे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया है, वही आरक्षण उसमें विद्यमान रहेगा, उसी में सीट बढ़ेगी, उसी में 33% रिजर्वेशन भी मिलेगा।

श्री ब्यास कश्यप :- विधान सभा और लोक सभा में 27% ओ.बी.सी. आरक्षण की बात हुई है। अभी तक राज्यपाल महोदय हस्ताक्षर क्यों नहीं कर पाए? ओ.बी.सी. को 27% आरक्षण देना होगा।

श्री रामकुमार यादव :- पिछड़ा वर्ग 52% परसेंट हे, जिनके वोट लेकर तुम सरकार में आए हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- नियम में नहीं है।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदया, यदि इस तरह की बात होगी तो पिछड़ा वर्ग का सर्वाधिक किसी ने अन्याय और शोषण किया है तो वह केवल कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय मंत्री महोदय जी, यह बात जमीनी स्तर पर दिखत हे कि कोन काकर साथ अत्याचार करत हे।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- सभापति महोदया, 1951 में, 1971 में जाति जनगणना का विरोध कांग्रेस सरकार ने किया था या नहीं किया था, यह पहले बताएं? (व्यवधान)

सभापति महोदया :- माननीय मंत्री जी, थोड़ा शांत हो जाइए।

श्रीमती चातुरी नंद :- जाति जनगणना के विरोध कांग्रेस पार्टी न कभू करे हे, न कभू करय। हमर माननीय राहुल गांधी जी हर हमेशा से चाहत हे कि जातिगत जनगणना हो। जनगणना के आधार पर मनखे मन ला आरक्षण मिले। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था, जिसे आप लोगों ने रोक कर रखा है। पूरा प्रदेश इस बात को जान रहा है।

डॉ.चरणदास महंत :- सभापति महोदय, एक मिनट । चातुरीनंद जी अभी नई-नई विधायक हैं और ये महान-महान लोग, चन्द्राकर जी, धर्मजीत जी, मूणत जी, ओ.पी.चौधरी जी, साहू जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- यही तो उनके भाषण की सफलता है नेताजी ।

सभापति महोदय :- आप बहुत वरिष्ठ हैं, उनको बोलने दीजिए ।

डॉ.चरणदास महंत :- थोड़ा छत्तीसगढ़ी में बोलती है, उसे बोलने दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसके समर्थन में ब्यास जी को जलेबी बनाना पड़ गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- सामने ब्यास जी आ गये हैं ना तो ब्यास जी के ऊपर वॉर हो रहा है ।

सभापति महोदय :- चातुरी नंद जी, जल्दी समाप्त करिये ।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, जब सितम्बर 2023 में ये महिला बिल आरक्षण पास होईस ओखर बाद माननीया राष्ट्रपति जी के वोमा सिगनेचर होईस। तहां ले वोहा कानून बन गे । कानून ला लागू करे में अतका देरी काबर होईस? जब येहा पास होइस त महिला मन हा बहुत खुश रहिन हे । महिला मन ला लागिस की ..।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदया, वह अधिनियम 2026 के जनगणना के आधार पर बना है उसी को 2034 में रिजर्वेशन न लागू करके 2029 में लागू हो, उसीलिए लाया गया है और यहां अनावश्यक भ्रम फैला रहे हैं । गलत फैक्ट न रखें । आप पूर्णत: गलत तथ्य रख रहे हैं । इसे लागू क्यों नहीं किया गया बोल रहे हैं । 2026 की जनगणना के आधार पर किया जायेगा, यह 2023 का एक्ट बोलता है । उसी को 2034 में आरक्षण को लागू न करके 2029 में लागू किया जा रहा है । आप अनावश्यक भ्रम फैला रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- हिन्दुस्तान में आखिरी पशु जनगणना कब हुई है, उसमें आरक्षण मिलना चाहिये कि नहीं मिलना चाहिये ?

श्री रामकुमार यादव :- आप खुद पिछड़ा वर्ग के हव अऊ खुद रोके के काम करथव । पिछड़ा वर्ग के रिपोर्ट मांगने के लिये यादव, साहू, कुर्मी के पास जाओ तो भला । तब तुंहला बताही ।

सभापति महोदय :- जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्रीमती चातुरी नंद :- जी । सभापति महोदय, मैं ए सरकार ले पूछना चाहथंव कि जब 2023 में कानून बन चुके रहिसे त अधिसूचना जारी करे म ढ़ाई साल काबर लग गिस ? अगर नीयत साफ हे त आज तक काबर लागू नइ होय हे ? ये देरी खुद बता दे थे कि केन्द्र सरकार के नीयत म खोट हे । (मेजों की थपथपाहट) आज सरकार कइथे कि परीसीमन के बाद लागू होही । मैं पूछना चाहथंव कि परीसीमन के आइ काबर लेथव । महिला मन ला आरक्षण देना है त आज काबर नइ देवथव । 543 सीट म काबर नइ देवथव । एखर मतलब हे कि सरकार महिला मन ला आरक्षण देना नहीं चाहथे । एमन सीट बढ़ाके महिला मन ला आरक्षण देबो कहाथे । ए तो अइसे बात होईस कि पैतृक संपत्ति में बेटी मन

ला अधिकार नइ देवन, फेर जमीन खरीदबो तेमे बंटवारा देबो । ये सरासर दूजा भाव महिला मन के साथ मे करे जाथे। सच्चाई ये हे कि परीसीमन के नाम म सीट के गणित बदले जाथे, वोमा खेल खेले जाथे, सत्ता के संतुलन अपन पक्ष में करे के कोशिश करे जाथे । सभापति महोदय, यह महिला सशक्तीकरण नइ हे, ये लोकतंत्र के साथ में धोखा हे । महिला आरक्षण के बात तब तक अधूरा हे, जब तक वोमा ओ.बी.सी., एस.टी., एस.सी., महिला मन के हिस्सेदारी निश्चित नइ होय ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त कीजिए ।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, अगर परीसीमन पुराना जनगणना के आधार म होही, तब पिछड़ा वर्ग के महिला मन छूट जाहीं, हमर मांग साफ हे कि नवा जनगणना होवय, सामाजिक न्याय के आधार पर परीसीमन होवय, तब जाके सच्चा महिला आरक्षण लागू हो सकही । सभापति महोदय, अब मैं प्रदेश के हालात के बारे में कुछ कहना चाहथंव । आज हमन आरक्षण के बात करथन । जमीन स्तर म महिला मन कतका सुरक्षित हावय ? दुर्ग में एक मासूम लइका के साथ में रेप हो जाथे, कांकेर में सामूहिक बलात्कार हो जाथे अऊ ओमा भाजपा के नेता के नाम आथे, अइसन कतेक घटना है । तमनार में एक घटना घटे रहिसे ।

सभापति महोदय :- चातुरी नंद जी, समाप्त करो ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, मोला दो मिनट समय देवव। तमनार में महिला पुलिस कर्मचारी ड्यूटी करे गे रहिसे, वोखर कपड़ा फाड़ दिये जाथे...।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, जो सदस्य अभी बोल रही हैं, वह महिला आरक्षण से हटकर बोल रही हैं। आप महिला आरक्षण के बारे में बोलिए।

श्रीमती चातुरी नंद :- आदरणीय सदस्या, आप महिला को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो महिला आरक्षण किसको देंगे ?

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- आप विषय से भटक रही हैं। आपकी सरकार को भी 5 साल देखे हैं। आप लोगों ने कितना किया है।

श्रीमती चातुरी नंद :- आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। एक महिला टी आई को वहां पर पीट दिया जाता है।

सभापति महोदय :- आप लोगों को भी बोलना है।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- सभापति महोदय, बोलना है बोलेंगे लेकिन विषय पर बोले न। महिला आरक्षण पर बोले न।

सभापति महोदय :- चातुरी नंद जी, चलिए समाप्त कीजिए।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, मैं पूछना चाहत हौं, जेन सरकार महिला मन के सुरक्षा तक नई कर पात हे, ओ आरक्षण के नाम में दिखावा काबर करत हे। महिला मन ला सिर्फ आरक्षण के

वादा नई चाहिए। सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए और समय और न्याय चाहिए। सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी के रुख एकदम साफ हाबे, बिना देरी के महिला आरक्षण लागू करे जाए, परिसीमन के नाम पर राजनीति झन होवे, ओबीसी, एसटी, एससी के महिला मन के हक और अधिकार ओमन ला मिले। महिला सुरक्षा पर कड़ा कानून बने और सख्त कार्रवाई होए। अंत में मैं ये कहना चाहत हौं, आज देश प्रदेश के महिला मन जाग चुके हावे। अब वो मन वादा नहीं, हक मांगत हे। अगर सरकार देरी करही, बहाना बनाही या परिसीमन के नाम में खेल खेलही ता कांग्रेस चुप नहीं बैठही। सड़क ले सदन तक के लड़ाई लड़ही, हर मंच मा आवाज उठाही, काबर कि महिला मन के अधिकार संग अब कोनो समझौता नहीं होही। ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण के नहीं है, ये लड़ाई समानता, सम्मान और न्याय के हावे और कांग्रेस हर कदम मा महिला मन के साथ हमेशा खड़े रहिस है, पहले भी खड़े रहिस हे, अभी भी है और हमेशा रही। अंत मा मैं अपन दो लाइन से अपन बात ला खत्म करहूं -

खामोशियों में भी हमने तूफान पलते देखा है,

हक की लड़ाई में जमीर बदलते देखा है।

ये सियासत है जनाब, यहां वादे भी बिकते हैं,

नारी के हक को हमने यूं ही टलते देखा है। (मेजों की थपथपाहट)

बस अंत मा यही कहिहूं कि जल्द से जल्द महिला आरक्षण बिल, जो कानून बन चुके है, ओला लागू करे के आप सब से निवेदन करत हौं। माननीय सभापति महोदया जी, आप मन मोला बोले के मौका देओ, तेकर बर मैं आप सब ला कोटि-कोटि धन्यवाद देथौं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।

सभापति महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, जितने भी कथन आए हैं समर्थन या विरोध में।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के खड़े होने पर)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कहां? बैठिए न।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर दुःख ला देख के जावत हे। पहले एक नंबर में बोलत रहे, अब कोन नंबर में आ गे हो देखत रिहा।

श्री अजय चंद्राकर :- पशु जनगणना में तोर संग तो मैं अलग से बात करहूं, तैं कहां आदमी फेर में पड़े हस?

सभापति महोदय :- आप शुरू कीजिए न उधर मत देखिए।

श्री अजय चंद्राकर :- पशु मन ला आरक्षण देना हे, भैंस वंशी का रही, बकरी वंशी का रही, गौ वंशी का रही? येखर बात करबो।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, विषय पर बोलिए।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन ला बड़का गृहमंत्री बनही कहत रहेन, तुमन का हो गे हव, हे भवगान मैं ऐ दिन ला देखे बर आए हों।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यादव जी की शादी नहीं हुई, ये वास्तविक तौर पर नारी वंदन है। आज भाभी होतीं तो इनको कैसे झेलतीं ?

श्री अजय चंद्राकर :- आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण संकल्प पर चर्चा हो रही है। लगभग सभी बात फ्लोर में आ गई है, लेकिन लोगों ने अपने-अपने पक्ष को अपने तरीके से रखने की कोशिश की। जो सही घटा है, जो चीज हुआ है, उसको हम ईमानदारी से स्वीकार करें। किसकी गलती है, जब चुनाव होगा तो उसको जनता तय करेगी। सबसे पहली बात कांग्रेस ने महिला आरक्षण की बात कब की? कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं। (शेम-शेम की आवाज) दूसरी बात, महिलाओं की स्थिति में शुरुआत में कभी चर्चा हुई तो उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। यह सर्वस्थापित तथ्य है कि 1951 में बाबा साहब अंबेडकर ने जो बिल रखा, उसका विरोध नेहरू जी और कांग्रेस ने किया। उस मंत्रिमंडल से बाहर आने का एक बड़ा कारण अंबेडकर जी का यह है। अभी सारे वक्तागण अंबेडकर जी का नाम बहुत ले रहे थे। अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया, विधानसभा में इसकी एक सूचना दीजिए और उसमें बहस करते हैं कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी को कितना सम्मान दिया। कांग्रेस को तो अंबेडकर जी का नाम लेने का भी नैतिक अधिकार नहीं है । माननीय सभापति महोदया, हिंदुस्तान की परंपरा में, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की संस्कृति में, हिंदुस्तान की सनातन परंपरा में जो उच्च स्थान और वह आदमी अजय चंद्राकर बोल रहा है, बता देता हूं, मैं अपनी बात कह देता हूं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा देश की दूसरी विधानसभा है, डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिसने महिलाओं को स्थानीय संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया। मुझे पार्टी के निर्देश पर, अपने सदन के नेता के निर्देश पर वह विधेयक रखने का सौभाग्य मिला था। पार्टी के निर्देश पर, सदन के नेता के निर्देश पर मिला था और यह भावना क्रमशः कैसे घटती है, इसको मैं रखने की कोशिश करूंगा। महिलाओं का क्या स्थान था, उसको सब लोगों ने अलग-अलग रेखांकित किया है। मैं कुछ महिलाओं का नाम लेता हूं, जिनके योगदान किस तरह के हैं। सनातन परंपरा में जो महिलाएं घरेलू कामों को छोड़कर वेद अध्ययन की ओर बढ़ती थीं, उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। गार्गी ने याज्ञवल्य जी के साथ जनक की सभा में संवाद किया। आप सोच लीजिये कि वह कितनी विद्वान रही होंगी? जनक की सभा या कुरु सभा या यादवों की सभा उस समय समृद्ध सभा मानी जाती थी, जिसमें एक से एक विद्वान होते थे।

श्री रामकुमार यादव :- ओमा भाजपा के का योगदान रीहिस हे?

श्री अजय चंद्राकर :- बतात हो।

श्री रामकुमार यादव :- नहीं, ओमा का योगदान रीहिस हे, तेला बताओ न? ओला हमू जानत हन।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं तोला बतात हो। ते आगे सुनबे, तब तो। भाजपा के योगदान ए रीहिस हे, अब रहान दे, बाद में ते हा मोला भटका देबे। (हंसी) मैत्रेयी, गार्गी। मैत्रेयी याज्ञवल्य जी की पत्नी थी। उन्होंने धन-संपत्ति को ठुकरा दिया। जब याज्ञवल्य जी वन की ओर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप मुझे आत्मज्ञान का ज्ञान देकर जाइए। यह उनकी नैतिक ताकत थी। विश्ववरा, अब उसका पूरा इतिहास तो मैं नहीं बताऊंगा। मेरे पास सारा इतिहास है, परंतु वह सार्वजनिक रूप से उस वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान करवाती थीं। यह महिलाओं का स्थान था। कब था तो मैं वैदिक काल की बात कर रहा हूं। अपाला, यह मंत्र रचना करने वाली महिला थी। ऋग्वेद के आठवें से लेकर ग्यारहवें मंडल में मंत्रों की रचना इन्होंने की। यह मैंने आपको वैदिक काल की बात बताई कि सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में, भारतीय परंपरा में उनका क्या स्थान था। आप महिलाओं के स्थान को देख लीजिए। उसके बाद महाभारतकालीन या रामायणकालीन देख लें तो सीता-सावित्री से लेकर, मंदोदरी से लेकर, तारा से लेकर, सुलोचना से लेकर मालूम नहीं कि उस समय की ऐसी-ऐसी कितनी महिलाएं थीं, जो समाज में विशिष्ट गुणों और स्थानों के लिए जानी जाती थीं।

समय :

3.48 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इतिहास लिखा गया। हम हिंदुस्तान के इतिहास पर आते हैं। महिलाओं का योगदान भारतीय इतिहास में क्या है? संगीता जी, सुन लीजिए। वारंगल की रानी रुद्रमा ने वारंगल की घेराबंदी की और दक्षिण में पांड्य राज्य के खिलाफ उन्होंने 40 साल तक युद्ध का नेतृत्व किया। महारानी ताराबाई, राजाराम की मृत्यु के बाद जो छापामार लड़ाई लड़ी। दक्षिण से औरंगजेब को उन्होंने निकलने नहीं दिया। जब दक्षिण की ओर औरंगजेब गए तो उत्तर नहीं आ सके, उसकी लाश उत्तर आई। कश्मीर की रानी दिद्दा, उन्होंने गौरी को कश्मीर में घुसने नहीं दिया। यह भारतीय इतिहास के नाम दर्ज हैं। रानी अबक्का, उन्होंने कर्नाटक को पुर्तगालियों से सुरक्षित रखा। यह वीरता उन्होंने दिखाई। आप भारतीय इतिहास पढ़िये। मैं कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूं। आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, किताब में मिल जाएगी। आपको किताब मैं दे दूंगा। रानी नायकी देवी, उन्होंने गुजरात में विदेशियों को लगभग 40-45 साल तक घुसने नहीं दिया। अब आधुनिक इतिहास में आ जाते हैं। माता जीजाबाई। राजमाता सिंधिया जी बोलती थीं, मैं माता जीजाबाई की परंपरा की माता नहीं हूं। इच्छित पुत्र पैदा करने के लिए जो व्रत हो सकता है उन्होंने वह किया और हिन्दवी स्वराज की स्थापना करने वाले महान राजा

शिवाजी की माता बनीं और हिन्दू पदशाही की स्थापना हुई। महारानी जयवंता, जिसका संस्कार हिन्दुस्तान को महाराणा प्रताप देता है। महारानी अहिल्या बाई।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, महोदय जी ने बहुत अच्छा व्रत का वर्णन किया है और व्रत सिर्फ महिलाएं करती हैं, पुरुषों के लिए ऐसा कोई व्रत रहता ही नहीं है। महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, तीज का व्रत करती हैं। महिलाएं कितनी महान हैं। पति के लिए पूजा करती हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसीलिए तो राजू सिन्हा जी ने अपना स्थान खाली करके आपको यहां भेजा है।

श्री विक्रम मण्डावी :- आप भाभी जी को यहां पर कब भेजने वाले हैं ? (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महिला आरक्षण के 33 प्रतिशत में आप भाभी जी को यहां भेजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- रानी अहिल्या बाई..।

अध्यक्ष महोदय :- आप उधर देखकर मत बोलिये, आप इधर देखकर बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- रानी अहिल्या बाई का कितना योगदान है ? जाईये काशी का गलियारा देखकर आईये। जाईये महाकाल देखकर आईये। महाकाल के पास जो और है, उनको देखकर आईये। लोपामुद्रा, अगस्त्य की पत्नी थीं। वह भी वैदिक मंडल की रचना की वैदिक ऋषि थीं, ब्रह्मवादिनी थीं। मैं कितने लोगों का नाम लूं, उनका क्या स्थान था। आपने छत्तीसगढ़ में आदिवासी संग्रहालय बनाया है, जाकर देखिए। मैं कभी-कभी किसी चरण में बात करता हूं। यदि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिया जाएगा तो रानी चोरिस का नाम आयेगा। एक मुसलमान रखैल के खिलाफ दो रानियों ने विद्रोह किया, राजा को मानना पड़ा उस बात को जाकर संग्रहालय में पढ़ लीजिए। मैं कई बार आग्रह करता हूं कि लोगों को छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझना और लिखना चाहिए। लोग बोलते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई पहली महिला शहीद है, उनके साथ और कितनी महिलाएं थीं? झलकारी बाई रानी नहीं थीं। एक मिनट बोलन दे ना।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अविभाजित मध्य प्रदेश में जो मनोनित डारन बाई थीं, वह मेरी विधान सभा की थीं, आपको उसके लिए भी बधाई देनी चाहिए, वह हमारे कांग्रेस पार्टी की थीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय में हमने रमौतीन बाई के नाम से कॉलेज रखा। 1818 में परलकोट विद्रोह, भानुप्रतापपुर वाली भाभी जी हैं? वह परलकोट विद्रोह में गेंद सिंह के साथ शहीद हुई थीं। इतिहासकारों ने क्या लिख दिया? उन्होंने लिखा कि वह बस्तर की अस्मिता के लिए लड़ रही हैं, बाकी जगह राज्य के लिए लड़ाई हो रही थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में राजमोहिनी देवी का उल्लेख किया था, इसलिए उसके योगदान को नहीं बताता। पर आज के दौर में, पूरे हिंदुस्तान में,

ओलंपिक में, निजी व्यक्तिगत खेलों में भी मनु भाकर जैसे लोग मेडल जीत रहे हैं। अभी महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता। साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा और नहीं मालूम कितने लोग हैं जो व्यक्तिगत खेलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। वह सब मनु भाकर जैसे लोग हैं । अब आप प्रबंधन क्षेत्र में देख लीजिए। इंद्रा नूई या गीता गोपीनाथन जैसे लोग भारत में और पूरी दुनिया में अपने नाम का झण्डा फहरा रहे हैं। आखिर महिला कहां पर पिछड़ी है? आप किसी भी विविध क्षेत्रों में अध्ययन कर लीजिए। हिंदुस्तान में एक महिला, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। लेकिन कांग्रेस ने कभी किसी भी तरीके से महिलाओं को आगे नहीं आने दिया।

श्री रामकुमार यादव :- तो इंदिरा गांधी कौन हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने हर पद पर सबसे पहले हमारी महिलाओं को स्थान दिया। आप लोगों ने क्या किया है ? आप लोगों की पार्टी में महिलाओं का क्या स्थान है, आप बतायेंगे ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- इंदिरा गांधी कौन है ? जे हर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो टुकड़ा कर दिस, जेला तुमन अभी नइ करा सकत हव। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आप मेरी बात का खंडन कीजियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- पाकिस्तान के दो टुकड़ा करके बांग्लादेश बना दिस। ऐसी आयरन लेडी के आप नाम नहीं लेत हवव।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं जो बोल रहा हूं, आप उसका खंडन तथ्यों और तर्कों से करियेगा, हल्ला से नहीं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी थी।

श्री रामकुमार यादव :- जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिये, आप उनका नाम नहीं ले रहे हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 1950 में संविधान लागू हुआ, तो हिंदुस्तान पहला देश था जिसको संविधान बनते ही महिलाओं को, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शब्द का उपयोग किया गया। महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार 1893 में न्यूजीलैंड में मिला । ये अमेरिका, इंग्लैंड, फिनलैंड जितने देश हैं, वहां महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। अमेरिका जैसे देश ने तो अभी 1920 में दिया। लेकिन इसका श्रेय किसको गया? इसका श्रेय बी.आर. अंबेडकर, बाबा साहेब को गया, जिन्होंने सार्वभौम मताधिकार सबसे पहले हिंदुस्तान में संविधान के साथ लागू किया। कांग्रेस कहां पर है?

श्री रामकुमार यादव :- आर.एस.एस. में काबर महिला ला नइ राखय, तेला बतावव। ओ मा काबर नइ राखय तुमन मन। ओ हर तुंहर मेन जड़ हे। यह आपका चेहरा दिखाता है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बता दीजिये ना, वह आर.एस.एस. के बारे में तो पूछ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- तै मोला हल्ला में बिचका नइ सकस।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये, बैठिये। बार-बार खड़ा होना जरूरी नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 महिलाएं थीं, शायद चातुरीनंद जी ने बताया। सरोजिनी नायडू जी, हंसा मेहता, रेणुका राय जी, विजयालक्ष्मी पंडित जी, पूर्णिमा बेनर्जी जी, मालती चौधरी जी, सरोनजी नायडू जी ने दोनों जगह कहा, संविधान सभा में और 1931 के गोलमेज सम्मेलन में, क्या कहा उसको सुन लीजिए। हमको दान नहीं चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिये महिलाओं को स्थान देना जरूरी है। 1931 के गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भद्र वर्ग की महिलाओं की बात नहीं करते, हम पूरी महिलाओं की आवाज हैं। सबको स्थान मिलना चाहिए। यह 1950 की संविधान सभा में जो बोला गया, वह बात मैंने कही। अब इसका खंडन करिये। और यह जो 15 महिलायें आई थीं, अपनी योग्यताओं से आई थीं, इनकी योग्यता देखिये, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सब लोग बोल चुके हैं, अपनी बात को जल्दी समाप्त करना है। 1951 में जो हिन्दू कोड बिल आया, बी.आर.अंबेडकर जी, जिसको उल्लेख मैंने थोड़ी देर किया था। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी उसमें विवाह उत्तराधिकार, संपत्ति, गोद लेने में समानता के प्रावधान थे। आपने उसका विरोध किया और बी.आर.अंबेडकर साहब उस मंत्रिमंडल से बाहर आये, उसका बड़ा कारण ये भी था। आपने इसका क्यों विरोध किया? जवाहर लाल नेहरू जी ने क्यों विरोध किया? मैं नाम लेकर नहीं बोल रहा हूं। ये तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1951 में जब बिल आया तो उस समय बी.जे.पी. अस्तित्व में नहीं थी। 1952 प्रथम लोकसभा में कोई बिल का विषय नहीं था। अब 1952 के बाद पहली बार इंदिरा गांधी जी ने 1974 में जो कमेटी बनाई, उसके अध्यक्ष डॉ. फुलरेनु गुहा जी अध्यक्ष थे। एक चेयरमेन और थे, कहीं पर कागज में नाम लिखा होगा। महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिये 1974 में एक समिति बनाई, कांग्रेस की शुरूआत महिलाओं के लिये सोचने की मात्र इतनी है और उस कमेटी की रिपोर्ट न कभी रखी गई और न कभी सार्वजनिक की गई। अब क्या योगदान है, 1974 तक कांग्रेस के महिलाओं के योगदान के बारे में तो आ गये। आप बार-बार खड़ी होती हैं, मेरी बात गलत है तो बताईये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय देश को स्वतंत्र करने में महिलाओं का हाथ रहा है। सभी में हमारी पार्टी का पूरा सहयोग रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी पार्टी का सहयोग आगे बताते हैं न।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद बता रहे हैं कि उस समय बी.जे.पी. नहीं थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- कब नहीं थी ? 1950 में बी.आर. अंबेडकर साहब ने जब दिया, उस समय नहीं थी।

श्री रामकुमार यादव :- लेकिन वहां पर चन्द्राकर थे, ऐसा लग रहा है कि वहां पर मैं था, टाइप से बात कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, आप बार-बार खड़े होकर चन्द्राकर जी को याद दिला रही हैं कि वह आपकी पार्टी को बेनकाब करें ? अरे कई बात को भूल रहे हैं तो भूलने दीजिए। आप याद दिला-दिलाकर अपनी ही पार्टी को कटखरे में खड़ा करवा रही हैं। आप सवेरे से पीछे पड़ी हुई हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, 1992-93 ऐतिहासिक वर्ष आया। अभी चातुरी नंद जी भाषण में बोल रही थीं कि कांग्रेस ने 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया। 1989 में जब ये बिल आया, राजीव गांधी जी ने रखा और वह बिल राज्यसभा में गिर गया, पारित नहीं हो सका। सब दलों ने कहा, भाजपा भी उसमें शामिल थी, जनता दल भी उसमें शामिल था। एक अल्पमत सरकार, आप शायद अल्पमत सरकार में लोकसभा में रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बाकी कहानी कि बहुमत के लिये कैसे खरीद-फरोख्त हुई, एक इतिहास है। तो सबने समर्थन दिया तो इस देश में 73वां, 74वां संविधान संशोधन आया और ये पिछला 24 अप्रैल निकला, पूरा देश 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाता है। और इसी के आधार पर मैंने उल्लेख किया। डॉ. रमन सिंह जी जो आज अध्यक्ष की आसंदी में हैं, उन्होंने कहा कि 33 प्रतिशत पर्याप्त हैं, हम 50 प्रतिशत आरक्षण देंगे। बिहार के बाद यदि 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना तो छत्तीसगढ़ बना। डॉ. साहब आज अध्यक्ष की आसंदी पर हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1996 में पहली बार 33 प्रतिशत आरक्षण के लिये संसद में बिल रखा गया। एच.डी.देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे। इसमें कांग्रेस का क्या रोल था ? मैं बता देता हूं कि विरोध का विषय क्या था। समाजवादी पार्टी, राजद ये जो लोग थे, उन्होंने कहा कि कोटे के अंदर कोटा चाहिए। उन्होंने ये बिल नहीं पास होने दिया। संविधान संशोधन के लिये महिलाओं के कितने प्रतिशत कोटे के अंदर कोटा चाहिए, ओ.बी.सी. का आरक्षण भी क्लीयर कीजिए। आके क्या स्वरूप में बिल आयेगा, आगे किस तरह से प्रावधान किये जायेंगे, ये राजद को या कांग्रेस को स्वीकार नहीं था, आप अभी बात करिये। कोई अधिनियम पारित होता है तो फिर नियम, निर्देश बनेंगे, जो लिखे रहेंगे। हम संपूर्ण घटनाक्रम नहीं देखेंगे, अभी आपसे बहस करेंगे, 1996 में पारित नहीं होने दिया फिर इस देश के महामना जिस सदन में हमें बहस करने का अवसर मिल रहा है ।

समय :

4.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी जिन्होंने देश में 3 बार नेतृत्व किया, 4 बार लोकसभा में उन्होंने प्रस्तुत किया । वर्ष 1998, 1999, कई लोग 3 बार बोलते हैं, वर्ष

2002 और 2003 को लेकिन मैं तो हमेशा उसको अलग-अलग गिनता हूं । वर्ष 2002 और 2003 को संयुक्त करके अटल जी ने 3 बार प्रस्तुत किया बोलते हैं, माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने 4 बार प्रस्तुत किया । विरोध करने वाले लोग कौन हैं, एसपी, राजद, वामदल । वामदल के साथ आपका क्या रिश्ता था ? आप कलकत्ता में उनके साथ चुनाव लड़ते थे और अभी केरल में आमने-सामने चुनाव लड़े, अभी आपका वामदल के साथ कलकत्ता में समझौता नहीं है लेकिन इससे पहले हर चुनाव में आपका समझौता वामदल का कांग्रेस के साथ होता था । जिस दिन से आपने सत्ता खोयी है । सिद्धार्थ शंकर के बाद आपने मुख्यमंत्री वहां नहीं बनाया है, तब से उन्हीं के साथ मिलकर लड़ते थे और यहां आमने-सामने तो कांग्रेस का तो कोई नीति सिद्धांत का सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसका कहां पर, मुस्लिम लीग के साथ केरल में लड़ते थे और यहां समझौता कर लिया । महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ तो यह घालमेल कांग्रेस ही कर सकती है । जो वैचारिक रूप से दिवालिया होगी, वही पार्टी यह काम कर सकती है ।

श्री विक्रम मण्डावी :- अजय भैया, जम्मू-कश्मीर में आप क्या हैं ? वहां पर आपने पीडीएफ के साथ सरकार बनायी है ।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- 75 हटा दिये न इसीलिये बनाये थे ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा । कभी नहीं कहा कि हम अछूत हैं करके । आप एक तरह के दो दलों के साथ अलग-अलग जगहों में जो काम करते हैं, बर्बादी का कारण यह है । अब वर्ष 2008 में फिर से यह प्रस्तुत हुआ, पास नहीं हुआ । यह अटल जी के समय का वर्ष 2003 का विषय है, अब वर्ष 2010 आ गया । वर्ष 2010 में खूब चर्चा हो रही थी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में क्यों प्रस्तुत नहीं हुआ, आप असली कारण बताईये । आप राजनीतिक कारण क्यों बताते हैं ? आप दलगत सीमा से ऊपर उठकर बात करिये, रिकॉर्ड में बात करिये, फीगर एंड फैक्ट में बात करिये । राजद, सपा ऐसी पार्टियों ने कहा कि हम समर्थन वापस ले लेंगे और डॉयलाग क्या हैं, आप याद कर लीजिये । मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा, यह महिलायें आयेंगी तो इस सदन में बहस नहीं होगी । सीटियां बजेंगी, सीटियां । ऐसा शब्द भाजपा ने भी नहीं कहा । शरद यादव जी को बाद में माफी मांगनी पड़ी, परकटी महिलायें आयेंगी । लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि मेरी लाश पर यह विधेयक पास होगा । कौन था, सरकार के समर्थन में, वर्ष 2010 में ? आपके समर्थन में यही दल थे, जिन्होंने धमकी दी तो आपने पारित नहीं होने दिया और सपना भर दिखाया, अब वर्ष 2010 में अब वर्ष 2023 और 2026 में आता हूं, आप बताईये कि कांग्रेस का रोल कहां पर है ? हम लंबी-लंबी बात कर रहे थे और इसमें से एक बात असत्य है तो बताईये, मैं बैठकर सुनता हूं कि आप जो कह रहे हैं वह गलत है करके ।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2023, यह बात सच है कि यह अधिनियम पारित है । राष्ट्रपति महोदया के दस्तखत हैं, यह बात भी सच है । अधिनियमित हो चुका है, यह बात भी सच है । क्यों ? पहले तो कोरोना के कारण टला फिर आपने कहा कि जातिगण जनगणना होनी चाहिए । उसमें राजनीतिक सहमति नहीं बनी, प्रधानमंत्री जी जनगणना के लिये भी तैयार हो गये फिर परिसीमन में सहमति नहीं बनी । एकदम बहस निकालकर देख लीजिये, वर्ष 1971 से वर्ष 2026 तक किसने फ्रीज करके रखा है ? 81 वां संशोधन, माननीया इंदिरा गांधी जी ने । माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में भाषण में कहा तब देश की आबादी 54 करोड़ थी आज 50 साल बाद 140 करोड़ है तो अनुच्छेद 334, जनगणना, परिसीमन उसमें दोनों था । रोटेशन की व्यवस्था थी, उसके बाद रोटेशन सिस्टम कैसे लागू करेंगे वह सहमति नहीं बनी । ओ.बी.सी. आरक्षण पर आप लगातार विवाद करते रहे, मुस्लिम आरक्षण की बात पर आप विवाद करते रहे और इसी दौरान, अब उस आदमी का नाम तो आप जानते होंगे । समाजवादी पार्टी के, आप पढ़े-लिखे आदमी हैं । विधेयक को किसने फाड़ा ? क्या कांग्रेस ने उसकी निंदा की कि आपने ऐसा कैसे कर दिया करके ? अनुच्छेद-30 से अनुच्छेद-332 इन सबमें सहमति नहीं बनी, उसके बाद यह कहा गया कि साहब जो वर्ष 2026 की जनगणना के आंकड़े आयेंगे । वर्ष 2026 में परिसीमन भी समाप्त हो रहा था, उसके अनुसार से यह आरक्षण लागू किया जाएगा । 2026 के पहले रिपोर्ट आती तो 2029 में लागू नहीं हो पाता । अब आपने मुद्दा बनाने की कोशिश की कि भाजपा टाल रही है । यहां पर किसी ने भाषण में नहीं कहा कि हम राजनीतिक तौर पर यह बोलते रहे कि भाजपा महिला विधेयक को टाल रही है, 33 प्रतिशत आरक्षण को टाल रही है, यह किसी ने नहीं कहा । माननीय मोदी जी ने कहा कि ठीक है, हम लाते हैं । उन्होंने 131वां संशोधन प्रस्तुत किया । प्रस्तुत किया तो उसके साथ परिसीमन की बात की, उसके साथ तीसरा जो विधेयक लगा, वह संघ क्षेत्र पाण्डिचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर का लगा, वह स्वाभाविक था, उसके संविधान में संघ क्षेत्र के लिए अलग प्रावधान है । (श्रीमती संगीता सिन्हा के खड़े होने पर) एमा का आपत्ति हे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैं बताथौं कि कामा आपत्ति हे । जब 2023 में विधेयक पारित हुआ और हमारी पार्टी और सभी लोगों ने कहा कि तुरंत लागू कर दीजिए तो उस समय ऐसा क्या स्थिति आ गई कि उस समय यह विधेयक लागू नहीं किया गया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप थोड़ा जाओ, बाहर निकलकर विधेयक का कॉपी पढ़कर आओ । उसके बाद खड़े होना ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष जी, मेरा जवाब नहीं आया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जाओ पढ़कर आओ, फिर बात करना ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं पढ़कर ही आई हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 2026 में लागू होगा, उसमें लिखा था ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- तो फिर लागू क्यों नहीं किये ?

श्री सुनील कुमार सोनी :- संगीता जी, 2023 के बिल में भी स्पष्ट है कि जनगणना और परिसीमन, ये दोनों चीजें उसमें हैं । नहीं तो फिर 2024 में लागू नहीं कर देते । 2023 के बाद 2024 तो आया न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अनुच्छेद 334 (ए) मैंने जनगणना और परिसीमन पढ़ा।

श्री सुनील कुमार सोनी :- अभी अजय चन्द्राकर जी ने कहा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप यह कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना से आप जारी करेंगे । उस समय ओबीसी कालम है ही नहीं... (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- उस समय जाति जनगणना सही समय पर नहीं हुआ तो उसका दोषी कौन है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे बोलने दीजिए, वह बात मैं बोलूंगा । मैं छिपाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा ।

श्री विक्रम मण्डावी :- उस समय जाति जनगणना सही समय पर नहीं हुआ तो उसका दोषी कौन है । उस समय कौन रोका था, यह बताईए । उस समय हुआ नहीं है तो उसके लिए दोषी कौन है, यह बताईए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उसमें ओबीसी कालम है ही नहीं । एस.सी., एस.टी.का कालम कहां है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं वह बात बोलूंगा । आप पूरी बात सुन लीजिए । राघवेन्द्र जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप विद्वान आदमी हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ओबीसी कालम है ही नहीं तो कैसे होगा । बिना जनगणना के कैसे परिसीमन हो जाएगा ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मैं आपके तथ्य को सही कर रहा हूं । आपने यह कहा कि इंदिरा गांधी जी ने 2026 तक फ्रीज करके रखा है तो 1984 का संशोधन 2002 में कौन लेकर आया था ?

श्री अजय चन्द्राकर :- 2002 में सीट को नहीं बढ़ाया गया था । परिसीमन था। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- फ्रीज अमेंडमेंट आया था (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- फिर उस समय संशोधन किसने किया था (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- फिर कैसे हुआ । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बताता हूं, सुन लीजिए । 1971 से 2026 परिसीमन फ्रीज था । 2002 में परिसीमन हुआ, उसमें सीटों में कोई भी वृद्धि नहीं की गई ।

अध्यक्ष महोदय :- आप सभी से आग्रह है, मैं बैठा हूं । दोनों तरफ से जो भी बोलें तो सीधे संवाद करने का स्थान नहीं है । इसीलिए मुंह इधर करके और यहां बोलें, आपस में बातचीत करने का

स्थान नहीं है इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप समय मांगें, उसके बाद बोलें । आप अपनी बात जारी रखें, इसमें तर्क-वितर्क की जरूरत नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी । माननीय राघवेन्द्र जी विद्वान सदस्य हैं, उनकी योग्यता बहुत असंदिग्ध है, लेकिन 2026 तक सीटों की वृद्धि में अर्थात् परिसीमन में प्रतिबंध था, जो डि-लिमिटेशन आखरी बार हुआ, जिसमें मैं सदस्य था । डि-लिमिटेशन कमीशन में सांसद के नाते पुन्नूलाल जी भी थे, उस समय सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई थी । उसी के अंदर घूमा-फिराकर किया गया था। अब 2026 जहां से संगीता जी ने बात कही । 2026 में जब आपने राजनीतिक आरोप लगाना शुरू किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, बीजेपी या एनडीए महिला आरक्षण को नारी सशक्तिकरण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू नहीं करना चाहती । सरकार ने, एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय कि साहब, 2011 की जनसंख्या नहीं कहा, आप बिल पढ़ लीजिए । उन्होंने कहा कि जनसंख्या के जो उपलब्ध आंकड़े हैं, उस आधार पर हम अभी तत्काल करेंगे और उसमें परिसीमन भी शामिल किया और उन्होंने तथ्यों और तर्कों में कहा । एक लाईन का तर्क है । उन्होंने लक्षदीप का उदाहरण दिया कि कितने वाटर हैं, गाजियाबाद का उदाहरण दिया, दिल्ली का उदाहरण दिया, मुम्बई की एक सीट का उदाहरण दिया कि 30-40 लाख की जनसंख्या वाली विधान सभा सीट है और जो सर्वभौम ताकत हमें मिली है, उसका उल्लंघन हो रहा है कि कहीं 54 हजार, 56 हजार की जनसंख्या में सांसद चुनकर आ रहे हैं और कहीं पर 40-50 लाख की जनसंख्या में सांसद चुनकर आ रहे हैं और तीसरा बिल संक्षेत्र का था । उन्होंने कहीं पर नहीं घूमाया, उन्होंने कहा कि साहब, हम लफड़े में नहीं पड़ेंगे, हम सीट बढ़ा देते हैं, रोटेशन का सिस्टम है, 15 साल बाद रोटेशन की फिर से समीक्षा होगी । कांग्रेस ने फिर यू टर्न लिया । उन्होंने कहा कि आप 2011 की जनसंख्या के आधार पर नहीं, आप अभी आरक्षण बताईये। आरक्षण के अंदर आरक्षण की क्या बात करेंगे ? आप अभी बताईये कि आप मुस्लिम आरक्षण देंगे या नहीं देंगे ? माननीय अमित शाह जी का भाषण पढिये, उनका भाषण ऑनलाईन है या तो प्रेस ब्यूरो की साइट में जाकर देख लीजिये। उन्होंने कहा कि आप चाहे जो कर लें, हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। (मेजों की थपथपाहट) यह हमारा मेनीफेस्टो है, धर्म के आधार पर नहीं होगा। भारत असली अर्थों में धर्म निरपेक्ष देश है, हम उसका पालन करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के अंदर आरक्षण, जैसे उसका किन लोगों ने विरोध किया ? कांग्रेस की दुर्दशा का कारण यही अस्पष्टता है। जो रा.ज.द., स.पा., द्रमुक जो अन्य पार्टियां थीं, सन् 2010 में पेश नहीं होने दी और कांग्रेस को वापस लेना पड़ा। वही चारों दल और टी.एम.सी. फिर से मिलकर कहा कि साहब आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात करिये। ओ.बी.सी. आरक्षण की अलग बात कीजिये, मुस्लिम आरक्षण की अलग बात कीजिये नहीं तो हम पारित नहीं होने देंगे, जो नहीं होने दिया। अब आपने शुरू में स्टैण्ड लिया था कि कहा कि 2026 में होगा। 2023 का अधिनियम पारित है, जब

जनगणना के रिपोर्ट आ जायेंगे तो कांग्रेस फिर कहेगी कि जानबूझकर टाला जा रहा है, 2034 में ले जाने का षड़यंत्र हो रहा है। इसमें एक बात गलत है तो कोई भी आदमी किसी भी विषय में मुझसे बहस कर लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 1951 के बिल से लेकर परिसीमन में 1971 से 2026 तक सीटों को फ्रीज किया। मैंने 1996 से लेकर 2026 तक की बात की है। संविधान सभा के बहस भारत में नारी की स्थिति की बात की है। लेकिन आपने कहीं पर भी कांग्रेस का स्पष्ट रोल नहीं रहा कि साहब 2010 को छोड़कर, हम लाना चाहते हैं। आपने एक धमकी में वापस ले लिया। यह महिला आरक्षण में कहीं पर भी न पंचायत, न विधान मण्डलों न संसद में, कहीं पर भी उनकी स्पष्ट भूमिका नहीं है। नरसिम्हा राव जी के 33 प्रतिशत आरक्षण का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, आप सब चीजों की प्रोसीडिंग पढ़ लीजिये, सभी दलों ने कहा कि यह देश की आवश्यकता है, लाना चाहिए। आधी आबादी को उनके सामाजिक न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सिर्फ मोदी जी ने बिल नहीं लाया, मोदी जी ने जो कुछ किया है। आरक्षण को छोड़, वूमेन इम्पावरमेंट कैसे हो सकता है, मैं उसको चलते-चलते थोड़ा सा बोल देता हूं। मैं काफी देर बोल चुका हूं। आर्थिक सशक्तिकरण- लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी योजना और यहां छत्तीसगढ की मातृ वंदन योजना। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा में देख लीजिये- मातृ वंदन योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, शिक्षा में देख लीजिये- सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आप जीवन स्तर में देख लीजिये- जल जीवन मिशन को प्रधानमंत्री आवास, आपको सबसे बड़ी सम्मान मिला। मुझे सौभाग्य मिला, डॉ. रमन सिंह जी के साथ काम करते हुए स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व करने का अवसर मिला। माननीय विजय जी, अभी ग्रामीण का और माननीय अरूण साव जी शहरी स्वच्छ भारत मिशन चरण-2 का नेतृत्व कर रहे हैं। ओ.डी.एफ. कितना प्रतिशत था ? हम लोग चन्द्रमा में रॉकेट दाग रहे थे और हिन्दुस्तान ओ.डी.एफ. में सिर्फ 14 प्रतिशत था। कांग्रेस को यह दिखा नहीं था कि महिलाओं के लिए कुछ किया जाये ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, वह कुछ बोल रही हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो हमेशा खड़ी होंगी। वह तो डायरेक्ट उपग्रह से चल रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ओ.डी.एफ. की बात कर रहे हैं। कई गांवों को सिर्फ पेपर में स्वच्छता में क्लीयर कर दिया गया और सब लोटा पकड़कर जा ही रहे थे।

अध्यक्ष महोदय :- इससे सन्दर्भित नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बालोद में वही देखती रहती हैं ? (हंसी) उसको दूर करने के लिए लड़ती नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, ये कुछ बोल रही हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये तो हमेशा खड़ी होंगी। डायरेक्ट है। डायरेक्ट उपग्रह से चल रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ओ.डी.एफ. की बात कर रहे हैं, स्वच्छता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, कई गांव को स्वच्छता में सिर्फ पेपर में क्लियर कर दिया गया, और सब लोटा पकड़कर जा ही रहे थे।

अध्यक्ष महोदय :- इसके संदर्भ में इससे दूर रहे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बालोद में वही देखती रहती हैं । (हंसी) उसको दूर करने के लिए लड़ती नहीं?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, ये सिर्फ पेपर वर्क ही था, कहीं धरातल पर नहीं था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वित्तीय समावेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जन-धन योजना। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना। अब मैं इसमें आंकड़े भी बता सकता हूं । बाजू में एक कॉलम है, आंकड़े भी बता सकता हूं कि कितने प्रतिशत आबादी लाभान्वित हुई। तो वुमन एम्पावरमेंट का काम, आरक्षण के अतिरिक्त उनको कैसे और मजबूत किया जा सकता है। कॉलेज में नॉमिनेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या इस तरह के समावेशन के बाद कितना हो गया। वोटिंग परसेंट महिलाओं का कितना बढ़ गया। 67% महिलाएं उच्च शिक्षा में नॉमिनेशन दर्ज कराती हैं। जब आप नेतृत्व कर रहे थे तो 40% से नीचे था। यह एक बदलता भारत है, जिसका नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं। 1893 जिसका मैंने उल्लेख किया, न्यूज़ीलैंड ने सबसे पहले दिया। बाबा साहेब अंबेडकर को बहुत श्रद्धा से याद करूंगा कि हिंदुस्तान को उन्होंने पहला देश बनाया, जिन्होंने संविधान लागू होने के साथ पहले दिन से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार देकर पुरुष के साथ महिलाओं को भी सम्मान दिया। बाकी बड़े-बड़े देश जो लोकतांत्रिक देश अपने आप को कहते हैं, यह सम्मान महिलाओं को नहीं दिया। अब कुछ बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, समाप्त करिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां-हां, बस। मैं खुद ही आपके निर्देश के पहले घड़ी देखते रहता हूं। सब बातें बोली जा चुकी हैं, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपने बहुत अच्छा बोला, अब समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप प्रधानमंत्री जी की भावना देखिए। ओंकार बाबू, याद कर लेना, बोलना भाषण में - नारी तू नारायणी। कितनी उच्च भावना है। और आपने कहा - लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कहां लड़ेंगी? किसके साथ लड़ेंगी? कैसे लड़ेंगी? उत्तर प्रदेश के चुनाव में माननीय किसी ने स्वीकार नहीं किया

कि साहब, जो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जी या जो अबू आजमी साहब लोग जो बोलते थे न, महिलाओं का विरोध क्यों है? एक भद्र वर्ग के लोग, एक भद्र परिवार उसका नेतृत्व कर रहा है। अब माननीय उनके नेतृत्व में सामान्य महिलाएं मत आ जाएं, एक स्वाभाविक खतरा तो उभरता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एकाध दो अच्छी लाइन सुना कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

जयशंकर प्रसाद जी की एक लाइन है : -

"नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास-रजत-नग पगतल में,
पीयूष स्रोत-सी बहा करो,
जीवन के सुंदर समतल में।"

पढ़ी हो? नारी अब अबला नहीं, वह सबला है। वह सृष्टि की रचयिता भी है और राष्ट्र की नियंता भी है। राष्ट्र की प्रगति का सही पैमाना है तो उस राष्ट्र की महिलाओं की प्रगति को देखो। स्त्री के उत्थान और पतन पर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन निर्भर है - महादेवी वर्मा जी इसको कहती हैं। मैं साहित्यकारों का उल्लेख नहीं किया था। नारी सशक्तिकरण पर राजनीति नहीं, नीयत और नीति दोनों मजबूत होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि महिलाएं केवल वोटर नहीं, निर्णयकर्ता बनें। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तभी भारत विश्व में अग्रणी बनेगा। ऐसे लोगों ने विभिन्न साहित्यकारों, राजनेताओं, बड़े समाज सुधारकों ने अनेकों भावनाएं महिलाओं की सशक्तिकरण में समय-समय पर प्रकट की हैं । आज मैं इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। उन्होंने एक समसामयिक संकल्प रखा और देश के विधानमंडलों से भी आग्रह करने की कोशिश की कि अब वह समय आ गया है कि हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं महिलाओं को जो स्थान देती थीं, लोकतंत्र में आने के बाद निश्चित रूप से और स्वाभाविक रूप से उन स्थान से हमने उनको दूर रखा है। दोषी कौन है, यह बहस अलग हो सकती है। तथ्यों और तर्कों में, परिस्थितियों में बात करना यह बिल्कुल अलग स्थिति है। अब वह परिस्थिति आ चुकी है, देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस सबसे बड़े लोकतंत्र में यदि महिलाएं नेतृत्व करती हैं, तो यह देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आपने मुख्यमंत्री जी ने पहल की, बधाई देता हूं (मेजों की थपथपाहट) और डॉक्टर साहब माननीय अध्यक्ष जी की विशेष तौर पर प्रशंसा करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में यह दूसरी बार विशेष सत्र हो रहा है। आपने 25 वर्ष होने पर विजन 2047 पर एक विशेष सत्र रखा था । आज भी एक समसामयिक राष्ट्र के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें आपने चर्चा आयोजित की। मैं अपने दल की ओर से, विधानमंडल के सभी सदस्यों की ओर से आपका अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) आप समय-समय पर हम सबको ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे, इस भाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती शेषराज हरवंश।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज इस सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा हो रही है और मैं इस देश की आधी आबादी का दिल से सम्मान करते हुए इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूं। लेकिन मेरा मन उन करोड़ों महिलाओं के लिए चिंतित है, जिन्हें एक बार फिर आरक्षण, परिसीमन के नाम पर सिर्फ झुनझुना पकड़ाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 सितंबर, 2023 को जब यह 33 प्रतिशत आरक्षण विधेयक लोक सभा से पारित हो गया था, 21 सितंबर, 2023 को राज्य सभा से पारित हो गया था और 28 सितंबर, 2023 को महामहिम राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिलने के बाद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 बन चुका था, फिर इसे सरकार द्वारा लटका कर अभी तक क्यों रखा गया है? ठीक है, हम मानते हैं कि उस समय परिसीमन की बात की गयी थी, किंतु यदि वर्ष 2023 के महिला आरक्षण विधेयक के लिए 2026 में भी परिसीमन की ही बात की जा रही है। जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 2011 जनगणना के हिसाब से आरक्षण लागू होगा। क्या 2011 के हिसाब से अभी आरक्षण चलेगा? क्या अभी तक किसी भी वर्ग की कोई जनसंख्या नहीं बढ़ी होगी? आज वर्ष 2026 चल रहा है। वर्ष 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी। हम मानते हैं कि हमारा देश एवं पूरा विश्व वैश्विक महामारी (कोविड-19) से गुजर रहा था, जिसके कारण जनगणना संभव नहीं हो सकी थी। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य चंद्राकर जी कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसे वर्तमान समय के अनुसार लागू करेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया है? उन्होंने जो जनगणना कराया, उसमें किस प्रदेश की कितनी जनसंख्या किस वर्ग की क्या स्थिति है, उसको सार्वजनिक किया गया है? फिर हम कैसे मान लें कि यह सही तरीके से लागू होगा और यह पारदर्शी होगी? माननीय सभापति महोदय, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और पूरा विश्व भी इसको मानता है। परंतु यह एक गहरी सच्चाई है कि इस लोकतंत्र की आधी आबादी, महिलाओं को लंबे समय तक का निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। महिला आरक्षण का प्रश्न केवल संसद और विधानसभाओं की सीटों के बंटवारे का विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सामाजिक न्याय, संवैधानिक समानता, लोकतांत्रिक संतुलन और राष्ट्र निर्माण की दिशा और दशा तय करने वाला विषय है। भारतीय संस्कृति में नारी को सदा शक्ति सृजन, संवेदना और प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है- 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' अर्थात् जहां नारी की सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। विडंबना यह रही है कि जिस देश में माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ दंतेश्वरी की आराधना होती है, उसी देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लंबे समय तक सीमित रही है। यह केवल प्रतिनिधित्व का अभाव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा में एक असंतुलन भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय

इतिहास और महाकाव्यों में भी नारी शक्ति का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। माता सीता त्याग, धैर्य और मर्यादा की प्रतीक रही हैं। द्रौपदी के अपमान ने महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दिया, जिसने यह संदेश दिया कि जब समाज में नारी का सम्मान आहत होता है, तब व्यवस्था का संतुलन भी टूट जाता है। माँ दुर्गा ने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध शक्ति का स्वरूप धारण किया है। यह भारतीय परंपरा सदैव बताती रही है कि नारी केवल सहनशीलता का प्रतीक नहीं, बल्कि परिवर्तन और शक्ति की आधारशिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बिल पास नहीं हुआ, बिल पास नहीं हुआ, महिला आरक्षण बिल विपक्ष ने विरोध किया, यह बहुत बात मीडिया में चली और हम भी टकटकी लगाए बैठे थे कि हमारे देश के मुखिया सदन से क्या संदेश हमें देते हैं, हमारी माताओं-बहनों को क्या संदेश देते हैं। सारे न्यूज़ चैनल्स में यह खबरें देखने को मिली कि कैसे अपोजिशन ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को पास नहीं होने दिया। देश में भ्रम फैलाया गया कि माताओं-बहनों, देखो कैसे अपोजिशन ने आपके हक का हनन किया है, आपके अधिकार के बिल को पास नहीं होने दिया है, जबकि प्रधानमंत्री जी को पता था यह बिल पास नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 2023 में यह बिल पास हो चुका है, यह कानून बन चुका है और अपोजिशन इसके विरोध में खड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया, अपोजिशन ने कहा कि 2023 में लागू हुआ है, आप अभी इसी वक्त उसको लागू करिए, जो कानून बना है, उसको इसी समय से लागू करिये। आप जब जनगणना करा लेंगे तो 2026 के बाद हमें 543 में हमारा अधिकार चाहिये, जब जनगणना करा लेंगे और सीटें बढ़ा लेंगे तो 850 उस समय के जनगणना के हिसाब से हमारी संख्या होगी, उसमें हमारा अधिकार उस समय भी चाहिये । यह अपोजिशन ने कहा था, इसे अलग ढंग से हमारी माताओं और बहनों को देश में जो चुनाव चल रहा है, अभी कई राज्यों में चल रहा था, उसमें एक चुनावी इवेंट बनाने के लिये यह भ्रम फैलाया गया है ।

समय
4.26 बजे

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेंण्डी) पीठासन हुये)

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर होने के बाद कौन सा ऐसा बिल है, जो कानून बनने के बाद फिर कानून बनाया जाता है ? सभापति महोदय, असलियत में तो जो बिल पास नहीं हुआ है, वह एक डिलिमिटेशन बिल था और उसमें महिला आरक्षण का मुखौटा लगाया गया था । इस बिल का असली मकसद लोक सभा की सीटें बढ़ाना था, अगर 543 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दे दी गई तो इन पुरूष नेताओं को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, जो इन्हें कतई मंजूर नहीं था । माननीय सभापति महोदय, इसलिये इनको लगा कि सीटें बढ़ा देते हैं और बढ़ी हुई सीटों पर महिलाओं को रिजर्वेशन दे देते हैं । इससे भी खतरनाक चीजें यह थी कि बिल पास हो जाता तो सरकार के पास इसका कंट्रोल चला जाता और डिलिमिटेशन सेंशस के बेसिस पर करनी है और कब करनी है । जब लोक

सभा में सीटें बढ़ती तो विधान सभा को भी रिड्रा करना होता है और उन कांस्ट्टियूयेंसी की एग्जैक्ट बाऊन्ड्रीस क्या होती, इन्डायरेक्ट पॉवर सरकार के पास आ जाता । यह उसमें था, जिसका अपोजिशन ने विरोध किया है और उसे पास नहीं होने दिया । कांग्रेस पार्टी ने महिला के हित में हमेंशा काम किया है, उसे हमेंशा कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया है, देश के उच्च पदों पर कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को स्थान दिया है । सभापति महोदय, महिला सशक्तीकरण और राजनीतिक भागीदारी के विषय में भारत के अनेक महान नेताओं ने गहन विचार व्यक्त किये हैं, जिसमें हमारे बाबा साहेब आंबेडकर संविधान निर्माता शामिल है । अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य अजय चन्द्राकर जी कह रहे थे कि आंबेडकर जी का जिक्र करने का हमको अधिकार नहीं है, क्यों अधिकार नहीं है, बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान लिखा है और संविधान हम सब के लिये लिखा गया है । आप भी जिक्र करिये और हम भी जिक्र करते हैं । आज पहली बार हमें देखने को मिला कि आज हर चौक चौराहे पर बाबा साहेब आंबेडकर जी की प्रतिमा है, भारतीय जनता पार्टी को निर्देशित किया गया था, उसको धोया जाये, उसे पोछा जाये, उसकी पूजा की जाये और विडियो बनाकर उसे ऊपर भेजा जाये ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, बात करने से नहीं रोका है, आपको यह बताना होगा कि कांग्रेस ने उनके साथ व्यवहार क्या किया था ? यह तो बताईये । जिसने समाज को समरसता का मूल मंत्र दिया, उसके साथ कांग्रेस ने व्यवहार क्या किया ? यह तो बताईये । (व्यवधान)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- तत्कालीन प्रधानमंत्री अपने पी.ए. को उनके खिलाफ चुनाव लड़ाकर हराने का प्रयास किये । इस तरह से बाबा साहेब का अपमान करने का काम हुआ है ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- सभापति महोदय, महिला आरक्षण पर बात हो रही है, जिस विषय पर माननीय सदस्य कह रहे हैं तो एक दिन और सत्र बुला लीजिए, हम चर्चा करने के लिये तैयार हैं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि आप प्रस्ताव दीजिए। माननीय सदस्या से आग्रह है कि वह प्रस्ताव दें ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- भीमराव आंबेडकर जी को अपना व्यक्तिगत मानती हैं, वह सबके हैं कि नहीं है ? वह आपके व्यक्तिगत है क्या, यह बता दीजिए । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आपने कहा कि चर्चा का अधिकार नहीं है...(व्यवधान)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- आपकी पार्टी ने बाबा साहेब का अपमान ही किया है। देश क्या, विश्व का सबसे अच्छा संविधान जिन्होंने लिखा है, उसे कांग्रेस में भारत रत्न का सम्मान तक नहीं दिया है । (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरिवंश :- माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि बाबा साहेब के बारे में हमको बात करने का अधिकार नहीं है । यह अधिकार हमें आप देंगे ? (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, देश के गृह मंत्री, डॉक्टर अंबेडकर-अंबेडकर करके किस लहजे में बात किए थे? हमारे पास रिकॉर्डिंग है। बाबा साहेब के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का, भाषा का प्रयोग किया। (व्यवधान)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- पहले इतिहास उठाइए। आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री के पीए को उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया था ताकि वो संसद तक ना पहुंच सकें। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- गृहमंत्री द्वारा ये शब्द बोला गया था। आप लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- घड़ियाली आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, महिलाएं बोल रही हैं, बोलने दीजिए।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं किसी समुदाय की प्रगति को इस आधार पर मापता हूं कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी प्रगति हासिल की है। वे समाज की महिलाओं की स्थिति को विकास का महत्वपूर्ण मापदंड मानते थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि आप किसी राष्ट्र की स्थिति का अंदाजा उसकी महिलाओं की स्थिति को देखकर लगा सकते हैं। मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी कथन का यहां उल्लेख करना चाहूंगी जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को राष्ट्र के निर्माण का आधार बताते हुए कहा था कि महिला सशक्तिकरण केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। यह वाक्य इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण पूरे देश की जिम्मेदारी है, न कि सिर्फ राजनीति तक सीमित रखने का कोई विषय है। माननीय सभापति महोदय, इस पहल ने लाखों महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने का अवसर दिया है। गांव की महिलाएं सरपंच बनी हैं, नगरीय निकाय का नेतृत्व करने लगी हैं। हम मानते हैं, हमारे स्पीकर साहब ने उस समय पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। लेकिन इस त्रिस्तरीय पंचायती राज का जिन्होंने जन्म दिया, वह हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जिन्होंने रसोई से निकालकर महिलाओं को पंचायत के प्रतिनिधित्व करने का, नेतृत्व करने का अवसर दिया और उसी पंचायत के नेतृत्व करने के बाद आज बहुत सारी हमारी महिला बहनें इस जगह पर बैठी हैं और उस जगह पर भी हमारी वह महिला बैठी हैं जो अपने नगरीय निकाय को, अपने पंचायत को नेतृत्व कर रही हैं। माननीय सभापति महोदय, इससे यह सिद्ध होता है कि अवसर मिलने पर महिलाएं प्रभावी, संवेदनशील और जनहितकारी नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं ने पंचायतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बस्तर से सरगुजा तक महिलाओं ने जल संरक्षण, शिक्षा, पोषण, वन संरक्षण और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मां दंतेश्वरी की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी यह धरती सदैव

नारी शक्ति का प्रतीक रही है। माननीय सभापति महोदय, 2023 में संसद द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया जिसे ऐतिहासिक कदम बताया गया। देश भर की महिलाओं में नई आशा का संचार भी हुआ, परंतु इसके साथ कुछ ऐसी विसंगतियां भी जुड़ी रहीं जिसके कारण इसका तात्कालिक प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाया। आज आवश्यकता केवल कानून बनाने की नहीं है, बल्कि ऐसी संस्कृति विकसित करने की है जिसमें महिलाओं को वास्तविक नेतृत्व, निर्णय लेने की शक्ति और सम्मानजनक भागीदारी मिले। यदि पंचायतों में महिलाओं का नेतृत्व परिवर्तन ला सकता है तो संसद और विधानसभाओं में भी उनकी व्यापक भागीदारी भारत की लोकतांत्रिक दिशा को और अधिक संवेदनशील एवं समावेशी बना सकती है। महिला आरक्षण किसी एक दल या विचारधारा का विषय नहीं है, यह भारत के भविष्य का प्रश्न है। जब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की आवाज बराबरी से गूंजेगी, तब केवल कानून नहीं बदलेंगे, समाज की संवेदनाएं बदलेंगी, विकास की प्राथमिकताएं बदलेंगी और लोकतंत्र अधिक मानवीय तथा न्यायपूर्ण बनेगा। जब केवल कानून नहीं बदलेंगे, समाज की संवेदनाएं बदलेंगी, विकास की प्राथमिकताएं बदलेंगी और लोकतंत्र अधिक मानवीय तथा न्यायपूर्ण बनेगा। भारत तभी वास्तविक अर्थों में सशक्त और विकसित राष्ट्र बनेगा, जब उसकी बेटियां केवल मतदान केंद्र तक सीमित न रहेंगी, बल्कि संसद और विधानसभाओं में बैठकर राष्ट्र की दिशा और भविष्य निर्धारित करेंगी। माननीय सभापति महोदय, आज गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम विधानसभा 2003 में महिलाओं की भागीदारी 5% थी। द्वितीय विधानसभा 2008 में महिलाओं की भागीदारी 11% थी। तृतीय विधानसभा 2013 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 11% थी और चतुर्थ विधानसभा 2018 में 18% थी और आज पंचम विधानसभा में छत्तीसगढ़ विधानसभा अगर प्रतिशत के तौर पर देखें तो महिलाओं की भागीदारी पूरे भारत देश में नंबर वन पर है 21% पर है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। (मेजों की थपथपाहट) हमने कभी विरोध नहीं किया, ना कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण का विरोध किया, आप लाइए, अभी से लागू करिए, अभी से चालू करिए और हमारी माताएं और बहनें जो वहां बैठी हैं, उनको यहां बैठाइए। मैं अपने पुरुष भाइयों से कहना चाहूंगी, अपनी सीटें छोड़ने के लिए, अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए आप लोग तैयार रहिए। हमारी बहनें कमर कस के वहां पर आएंगी, अपना प्रतिनिधित्व करेंगी, छत्तीसगढ़ की आवाज बनेंगी, अपने देश की आवाज बनेंगी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर) :- धन्यवाद, सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, सदन के सम्माननीय सदस्यों, आज मैं इस सदन में एक महत्वपूर्ण विषय नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अपने विचार रखने के लिए खड़ी हुई हूं। यह केवल एक कानून नहीं है, बल्कि यह भारत की आधी आबादी के सम्मान, अधिकार, नेतृत्व और आत्म सम्मान का प्रश्न है। भारत की संस्कृति में सदैव नारी

को शक्ति स्वरूप माना गया है। इसी परंपरा में कहा गया है-यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन वर्षों तक महिलाओं को राजनीति, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस अन्याय को समझा और महिलाओं को सशक्त नेतृत्व देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की नारी शक्ति के सम्मान में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है। नारी शक्ति अधिनियम न केवल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देगा, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की मुख्यधारा में भागीदार बनायेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जिससे महिलाओं और बेटियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। हम बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करें। जिसने बेटियों के भविष्य को नई दिशा दी है। उज्ज्वला योजना के संबंध में बात करें तो करोड़ों गरीब माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाई है। जन-धन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत करोड़ों शौचालय बनाकर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की गई है। मुद्रा योजना और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए गए हैं। आज भारत की महिलाएं सेना से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। मैं थोड़ा सा परिसीमन के बारे में भी बताना चाहूंगी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष की बहनें लगातार इस विषय को मुद्दा बना रही हैं कि अभी जो लोक सभा और विधान सभा की वर्तमान स्थिति है, इसी स्थिति में आरक्षण लागू करना चाहिए। लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूं कि भारतीय संवैधानिक संदर्भ में परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसके तहत लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में सीटों की संख्या और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित किया जाता है। यह लोकतंत्र की मूल आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समय के साथ जनसंख्या में होने वाले बदलावों के बावजूद एक व्यक्ति-एक वोट-एक मूल्य के सिद्धांत को बनाए रखा जा सके। परिसीमन की मुख्य जरूरत असमान जनसंख्या वृद्धि के कारण पैदा हुए प्रतिनिधित्व के अंतर से उत्पन्न हुई है। हालांकि इस प्रक्रिया की अपनी चुनौतियां होती हैं, जैसे कि इसमें किसी राज्य की विकास संबंधी सफलता के राजनीतिक बोझ कम सीटों में बदलने की जोखिम होती है। विपक्ष ने इस विधेयक को लैंगिक न्याय की आड़ में सरकार द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी मानचित्र में निर्धारित करने के प्रयास के रूप में दिखाकर इसे गिराने का प्रयास किया है। वर्ष 1976 में आए 42वें संशोधन ने वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के लिए सीटों के आवंटन को वर्ष 2000 तक के लिए स्थिर कर दिया। इसके जरिए सफल जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को सीटों के संभावित नुकसान से बचाया गया। वर्ष 2001 में 84वें संशोधन ने वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित सीटों की इस स्थिरता को वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए बढ़ा दिया और जनसंख्या नियंत्रण के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन को जारी रखा। वर्तमान जनगणना के आंकड़े आ जाने के बाद

अनुच्छेद 82 के अनुसार परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि जनसंख्या के आधार पर होगी। जनसंख्या आधारित परिसीमन होने से दक्षिण भारत के राज्यों में सीटों को नुकसान होने की संभावना है। विपक्ष ने इसी विषय को मुद्दा बनाया हुआ है जबकि हमारे देश के यशस्वी गृहमंत्री अमित शाह जी ने यह विश्वास दिलाया कि परिसीमन को जनसंख्या के आधार पर न करके हर राज्य की 50 प्रतिशत सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जिसे विपक्ष ने खारिज कर दिया। मुझे विपक्ष के कहे अनुसार अगर सरकार महिला आरक्षण को बिना सीटों में इजाफा कर वर्तमान 543 सीटों पर लागू करती है तो इससे लगभग 179 सीटें आरक्षित हो जाएंगी, जिससे कि सदन के कई वर्तमान सदस्यों की सीटें भविष्य में आरक्षित होने की आशंका है। इसके काट के तौर पर वे सदस्य अपने परिवार की महिलाओं को चुनाव लड़ायेंगे, जिससे कि विधायिका के सर्वोच्च स्तर पर सरपंच पति प्रथा को मजबूती मिलेगी। जो कि महिला आरक्षण के निहित उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। इसमें महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व मिलने के बजाय आरक्षण का लाभ केवल कुछ विशेष महिलाओं तक सीमित रह जाएगा। इसके विपरीत यदि सरकार महिला आरक्षण को बढ़ी हुई सीटों पर लागू करती है, तो नवसृजित सीटों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व के साथ-साथ नए लोगों को अवसर मिलेगा और हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार यही चाहती है कि नए लोगों को अवसर मिले, इसीलिए वे सीटों को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे कांग्रेस की बहनों पर, कांग्रेस के लोगों पर आश्चर्य होता है कि वे क्यों नहीं चाहते कि परिसीमन हो और सीटें बढ़ें। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत बड़ा कटाक्ष पेश किया। जब महिला आरक्षण बिल गिरा तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी अपनी पत्नी को ही क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देते। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। क्या आप इस तरह की बात कर सकते हैं ? उस दिन जब 17 अप्रैल को महिलाओं का आरक्षण बिल गिरा तो बहुत सारे लोगों ने मेज थपथपा कर इसको जश्न की तरह मनाया। आज हमारी बहनें पता नहीं किस सोच से इस महिला आरक्षण का, परिसीमन का विरोध कर रही हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। सभापति महोदय, जब दिल्ली में इनके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन जी थे, तो वे राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपत्नी बोल दिए थे। ये तो हाल है। वे पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रपत्नी बोले थे। आपके यहां महिलाओं का इतना तो सम्मान है।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को इस तरह के कटाक्ष किया।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति जी, धर्मजीत जी बहुत सीनियर आदमी हैं और जिस नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही है, वे बंगाल के निवासी हैं। इस तरह से स्लिप ऑफ टंग होते रहता है। "जा रही हूं" का "जा रहा हूं" हो जाता है, "जा रहा हूं" का "जा रही हूं" हो जाता है। ऐसी छोटी-छोटी बातों पर, स्लिप ऑफ टंग पर यदि आप लोग इस तरह से बात करें, तब तो हो गया काम।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- सभापति महोदय ,यह टंग का विषय नहीं था, यह मुख्यमंत्री जी को कटाक्ष किया गया था कि आप अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए। इसीलिए हमें अच्छा नहीं लगा, इस तरह का बयान शोभा नहीं देता और यह हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए बोला गया था। कांग्रेस के द्वारा हमेशा से महिलाओं को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मैं सदन को उस चर्चित केस के बारे में बताना चाहूंगी, जिसे हम मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो व अन्य ,1985 के शाहबानो केस के नाम से जानते हैं। इस आपराधिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर की एक पीड़ित तलाकशुदा महिला शाहबानो बेगम, जिसे उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने 1978 में तलाक दे दिया था, उसको भरण-पोषण देने के पक्ष में फैसला सुनाया था और उस वक्त तत्कालीन राजीव गांधी जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीअत उलेमा-ए-हिंद ने फैसले को रद्द करने का अभियान चलाया, जिससे वे इतने दबाव में आए कि राजीव गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने पूर्ण बहुमत के साथ मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित कर दिया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कमजोर कर दिया था। यह इनका महिलाओं के प्रति सम्मान है। कांग्रेस ने कभी-भी महिलाओं के सम्मान में काम ही नहीं किया। जब हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रिपल तलाक की बात की, तब भी इन्होंने घोर विरोध किया था। जब उन्होंने ट्रिपल तलाक के बारे में बात रखी तो उस समय भी बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया था। मैं बताना चाहती हूं कि यह मुस्लिम महिलाओं के जीवन के लिए बहुत बड़ा उद्धार का काम हुआ था। मैं वर्ष 2010 में एक बार बस में सफर कर रही थी और एक मुस्लिम महिला बहन मेरे बगल में बैठी थी, उसने कहा कि दीदी मेरे पति ने तीन शादियां कर ली है और अब चौथी करने की तैयारी है। मेरे चार बच्चे हैं, मैं कहां जाऊं ? इस तरह का दर्द मुस्लिम महिलाएं झेल रही थी। उसने कहा कि क्या हमारे लिए कोई कानून नहीं है ? लेकिन मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया और ट्रिपल तलाक कानून लाया। मैंने एक मुस्लिम भाई से भी बात की। मैंने पूछा कि यह बताईये कि आप लोग इस ट्रिपल तलाक कानून से नाराज तो नहीं हो गये ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। इस कानून को एक पति की नजर से न देखें, इस ट्रिपल तलाक कानून को एक भाई और एक पिता की नजर से देखे तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कानून हमारे माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने लाया है। आज भी जब महिला आरक्षण की बात हो रही है तो तरह-तरह के बहाने इनके द्वारा बनाये जा रहे हैं कि हम इसको उसी अवस्था में लागू करेंगे, परिसीमन में नहीं लागू करेंगे। सभापति महोदय, मैं उस क्षेत्र से आती हूं जहां माताराजमुनि जी की जन्मभूमि, कर्मभूमि है और वह गोंड जाति की दैवीय महिला थीं। इनका जन्म 1914 में हुआ था। इन्होंने सामाजिक सुधार का काम किया था और साथ ही साथ सनातन धर्म के लिये दो महत्वपूर्ण पंक्तियां बोली थीं। अपने समाज में सुधार लाने के लिये उन्होंने कहा था- ''राम भजो भाई, गोविंद भजो भाई, राम के भजन से दुख मिट

जाई।'' इस तरह की महान विभूतियां हमारे देश में हुई हैं और ये हमारे क्षेत्र से आती हैं। इसलिए मैं भी गर्व महसूस करती हूं। सभापति महोदय, आज की जो दुर्दशा है, आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूरे देश में, प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है। यह सिर्फ मेरे ही दिमाग में नहीं आता होगा। मुझे लगता है कि भारत देश की हर महिला, हर पढ़ी-लिखी महिला, छत्तीसगढ़ की हर महिला के दिमाग में ये ख्याल आता है कि हमें वो आरक्षण जो मिलना चाहिए था, विपक्षियों की वजह से नहीं मिल पाया। आज अगर मैं उस घटना को याद करूं जो महाभारत में घटी थी। उस जमाने में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और उस समय दुर्योधन, दुशासन और कौरव लोग बहुत ठहाके लगाये थे। उसी प्रकार का दृश्य नजर आया था जब ये हमारा बिल गिर गया था तो कांग्रेस के लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे, मेज थपथपा रहे थे, ताली बजा रहे थे। आज भी मैं बताना चाहती हूं कि चीरहरण ही हुआ है। चीरहरण नारी के सम्मान का उसके आत्मसम्मान का, उसकी खुशियों का, उसके अरमानों का हुआ है और इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को जाता है जिन्होंने बडी ही बेरहमी से उस दिन 17 अप्रैल को इस बिल को गिरा दिया है और भारत देश और छत्तीसगढ़ की सारी महिलायें इस बात में विश्वास करती हैं कि ये बिल इन्हीं के कारण गिरा है। इन्हें अमित शाह जी पर विश्वास नहीं होता। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने आश्वस्त किया कि 50 प्रतिशत बढ़ाकरके सीटों को दिया जायेगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये भरोसा नहीं करते। आप जरा बताईये कि आज देश में हमारा राम मंदिर 500 वर्षों से यूं ही पड़ा हुआ था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की एक दृढ़ संकल्प शक्ति थी कि जो आज हमें भव्य राम मंदिर बन करके प्राप्त हुआ है। आज मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को, अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 भी हटा दिया। तो आप कैसे विश्वास नहीं कर रहे हैं? आप एक बार विश्वास करके देखिये। आप मैं बहनों से आग्रह करना चाहती हूं, कांग्रेस की अपनी बहनों से कहना चाहती हूं कि आप लोग तो कम से कम से इस बिल के समर्थन में बोले होते, लेकिन आप लोगों ने भी आज इस बिल के विरोध में बहुत सारी बातें कह दीं, आप उसी पर जैसे अभी विद्यमान हैं, उसी पर लागू करिये, क्योंकि परिसीमन मत करिये। आप लोग ये नहीं चाहते कि नई बहनें चुनकर आयें। आप लोगों की इच्छा है कि उतने ही लोग चुनकर आयें ताकि परिवारवाद को बढ़ावा मिले। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि नई बहनें आयें। जिस तरह से मैं एक गांव की बहन, एक गांव की बेटी चुनकर के इस विधान सभा में आई हूं, उसी तरह से अगर से ये बिल पारित होता है तो हमारी नई बहनें, नई बेटियां चुनकर के विधान सभा और लोक सभा में आयेंगी। लेकिन आप लोगों को ये इच्छा नहीं है, आप लोग नहीं चाहते। आप लाख इस बात को कहें कि हम लोग बिल के पक्ष मे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग बिल के पक्ष में हैं। आप लोग चाहते हैं कि ये बिल पारित न हो। क्योंकि कभी भी कांग्रेस ने महिलाओं के हित में कोई

निर्णय किया ही नहीं है। मैं आप दो लाईनें कहकर अपनी बात भी समाप्त करना चाहूंगी और मैं दीदी लोगों को कहना चाहती हूं कि आप लोग एक बार जरा अपने घर जायेंगी तो अपनी बेटियों से बात करेंगी कि 16 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों ने जिसके हम समर्थक हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को गिरा दिया है। आपकी बेटियां आपसे खुश नहीं होंगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? आने वाले समय में अगर नई बहनों को, नये लोगों को अवसर मिल रहा था तो आप लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो जो आप कांग्रेस पार्टी ने किया है, विपक्षी दलों ने किया है, उसे भारत और छत्तीसगढ़ की बेटियां याद रखेंगी।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- हम लोग तो चाहे रहे हैं कि उस गांव की बेटी, महिला आगे आयें और आगे आकर सदन में बैठें। विधायक बनें, सांसद बनें।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- नहीं, दीदी आप नहीं चाह रही हैं।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- हम लोग तो चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को लागू करना चाहिए।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- लेकिन आप लोगों ने परिसीमन को लागू नहीं होने दिया। आप लोगों ने बहाना किया कि उतनी ही सीटों में लागू किया जाये, अगर परिसीमन लागू होता तो आज हमारा बिल पारित हो गया होता, लेकिन आप लोगों ने इस लागू होने देना ही नहीं चाहा ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- आपका नाम है, आप बाद में बोलियेगा ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, वह पारित तो हो चुका है, पास तो हो चुका है, लागू बस नहीं हो पाया है ।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक महत्वपूर्ण निर्णय भी पास किया है जो महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़ा हुआ है, मैं जिसके बारे में बताना चाहती हूं । वर्ष 2026 में महिलाओं को संपत्ति के रजिस्ट्री में भारी छूट दी गयी है । अब रजिस्ट्रेशन फीस में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी जो पहले कभी हुआ नहीं है और इससे हमारी महिला बहनों के जीवन में सुधार आयेगा और वे ज्यादा से ज्यादा संपत्ति खरीदने के लिये आगे बढ़ेंगी क्योंकि 50 प्रतिशत की छूट एक अच्छी छूट है और मैं इसके लिये अपने माननीय मुख्यमत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी को भी आज मंच से जरूर धन्यवाद देना चाहती हूं, उन्हें आभार व्यक्त करना चाहती हूं । उन्होंने 50 प्रतिशत का आरक्षण देकर महिलाओं के जीवन में जो सुधार किया, हमारी बहनें अधिक से अधिक संख्या में त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनकर आयीं, मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहती हूं और सबसे ज्यादा धन्यवाद इसलिये देना चाहती हूं कि उनके ही कार्यकाल में राशनकॉर्ड ज्यादा संख्या में बनना चालू हुए थे और

उन्होंने महिलाओं के नाम से राशनकॉर्ड बनाना चालू किया था इसके लिये मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं । अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे पुरूष इस तरह के, मैं सभी की बात नहीं करती, कुछ लोग राशन लेने तो जाते थे लेकिन राशन घर नहीं पहुंच पाता था, उसकी चिंता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने की और महिलाओं के नाम से राशनकॉर्ड किया जिसकी खुशी आज भी उनके चेहरे में झलकती है । आज उनके पति उनसे कम लड़ाईयां करते हैं । उन्हें यह डर रहता है कि अगर हम लड़ाई करेंगे तो यह राशनकॉर्ड लेकर मायके चली जायेंगी इसलिये आज उनका सम्मान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने बढ़ाया, राशन कॉर्ड बनाकर और एक सरस्वती सायकल योजना जिसकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है । आज बेटियों का सपना रहता है कि मुझे भी साईकिल मिले और सबके लिये यह संभव नहीं हो पाता कि गांव की हर बेटी साईकिल खरीद सके लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने सरस्वती साईकिल योजना चलाकर के बेटियों के जीवन में जो मूलभूत परिवर्तन किया है उसके लिये मैं उन्हें आभार व्यक्त करना चाहती हूं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं और उन्होंने इतना ही नहीं किया । उन्होंने 102 महतारी एक्सप्रेस चलाया जो आज भी गांव की गलियों में दौड़ती हुई मिलती हैं जब हमारी बहन-बेटी गर्भवती होती हैं तो उन्हें अब चिंता नही रहती । महतारी एक्सप्रेस 102 उनके घर जाता है और उन्हें उठाकर अस्पताल लेकर आता है, उनका ईलाज होता है, उनके जो बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया होती है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने 102 महतारी एक्सप्रेस चलाकर के किया है, मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चहाती हूं । योजनाएं बहुत हैं, लेकिन मुझे अभी लगता है कि समय का अभाव है इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहते हुए अपने वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोगों के कटाक्ष से न घबरायें, आपने बहुत अच्छी तरह से छत्तीसगढ़ को संभाला है और महतारी वंदन जो लगातार हमारे छत्तीसगढ़ की बहनों के खाते में पैसे आ रहे हैं, उनकी खुशी देखते बनती है, आज बहनें किसी पर निर्भर नहीं हैं, वह छोटे-छाटे खाते खोलकर के अपने आने वाली पीढ़ी के लिये, अपने बच्चों के लिये पैसे जोड़ रही हैं, हमारी बहनें लगातार इस विषय पर बात उठाती हैं लेकिन कभी एक बार भी 500 रूपये इन्होंने नहीं दिया लेकिन आज हमारे माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार लगातार 70 लाख बहनों को 1000 रूपये उनके खातों में दे रही है लेकिन फिर भी इन्हें यह स्वीकार नहीं है । स्वीकार करना चाहिए, आप लोग अच्छी चीजों को तो कम से कम स्वीकार करिये । माननीय सभापति महोदय, मैं दो लाईन कहकर अपनी बात को समाप्त करती हूं ।

मैं नारी हूं, अबला नहीं, बदलाव की पहचान हूं ।
मैं नारी हूं, अबला नहीं, बदलाव की पहचान हूं ।
भारत के विकास की मैं सशक्त उड़ान हूं ।
हर क्षेत्र में बदले कदम, मेरी ही कहानी है ।

हर क्षेत्र में बदले कदम, मेरी ही कहानी है ।
नये युग के निर्माण की मैं पहली निशानी हूं,
मैं पहली निशानी हूं । धन्यवाद

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी ।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम अर्थात् महिला आरक्षण पर अपनी बात, अपने विचार साझा करते हुए मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है क्योंकि यह पूरे भारतवर्ष में लैंगिक समानता और राजनीतिक सशक्तीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है । संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है । नारी तु नारायणी यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में स्त्री के सर्वोच्च सम्मान, शक्ति, सृजन और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है । यह इस बात का परिचायक है कि नारी केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की धुरी है। इन्हीं बातों को चरितात्र करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्य रूप से पंचायती राज में 33 प्रतिशत आरक्षण, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 और घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 जैसे कानूनी अधिकार दिए गए, ताकि महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया में इनको लाया जा सके । सभापति जी, कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से ही महिलाओं का सम्मान करती आई है और महिला आरक्षण की पक्षधर रही है तभी तो कांग्रेस शासनकाल में देश के सर्वोच्च पदों पर महिलाएं रही हैं, जिनमें इंदिरा गांधी जी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, प्रतिभा पाटिल जी पहिला महिला राष्ट्रपति, मीरा कुमार जी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष प्रमुख हैं । इसके अलावा सरोजनी नायडू जी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और सुचेता कृपलानी जी पहली महिला मुख्यमंत्री जैसे हस्तियां शामिल रही हैं । फिर कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध क्यों करेगी ? मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि लोकसभा में महिला आरक्षण का बिल नहीं गिरा, बल्कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हुआ है । माननीय सोनिया गांधी जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर इसका समर्थन किया है और बिल को पास कराने में अपना पूरा सहयोग भी दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण की आड़ में महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर और परिसीमन को हथियार बनाकर हिस्सा चोरी करने के लिए जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, वह लोकसभा में गिरा है, न कि महिला आरक्षण बिल । हम तो चाहते हैं कि मौजूदा 543 सीटों पर 2029 से ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाये, बात खत्म । साथ ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के भीतर एस.टी., ओ.बी.सी. और एस.सी.

महिलाओं के लिए उचित आरक्षण सुनिश्चित किया जाये, लेकिन आरक्षण की आड़ में सरकार परिसीमन का एजेंडा थोप रही है, जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में अनावश्यक देरी का कारण बनेगा । सरकार महिलाओं के हितैषी होने का ढोंग रच रही है और बनावटी आंसू बहा रही है । यदि वास्तव में सरकार महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखती तो महिलाओं के साथ कभी अत्याचार नहीं होता । चाहे 2017 में घटित उन्नाव गैंग रेप मामला हो, चाहे 2018 का कठुआ गैंग रेप मामला हो, जो जम्मू काश्मीर में 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटना हुई है, चाहे उत्तरप्रदेश में 2020 में 19 वर्षीय दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना हुई है तो प्रशासन द्वारा परिवार की सहमति के बिना रात में शव को भी अंतिम संस्कार करने पर वहां भारी आक्रोश पैदा हुआ था, चाहे 2022 की बिल्किश बानो मामला में दोषियों की रिहाई का मामला हो और साथ ही हमारी महिला पहलवानों का जो यौन शोषण का मामला हो और साथ ही 2023 में मणिपुर में जाति संघर्ष के दौरान दो महिलाओं को निवस्त्र घूमाने और सामूहिक बलात्कार का वीडियो जो सामने आया है, जिसने देश को हिलाकर रख दिया है तो यह सभी घटनाएं दिल को झकझोर कर देने वाली है, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में घट रही है तो किस नाते आप महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें नेतृत्व देने की बात करते हैं ? माननीय सभापति महोदय, संशोधन बिल के गिरने पर भा.ज.पा. के हमारे महिला साथी हाय-तौबा मचा रहीं हैं। ये सब कहां थे जब हमारे बहन-बेटियां गैंगरेप और यौन उत्पनीड़न जैसे संगीन मामले सामने आये थे ? अक्सर देखने में आता है, जितने भी विपक्षी राज्य हैं, वहां पर अपराध में भा.ज.पा. की महिला नेत्री मुखर रहती हैं, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाने के लिए शांत हो जाती हैं। उसी प्रकार नारी सम्मान करने की बात करने वाले बता रहे थे कि जनवरी, 2026 में नारायणपुर में 11वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी तरह 2024 में वित्त मंत्री जी के गृह जिले रायगढ़ में एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। क्या यही आपकी नारी वंदन है ? इसलिए मैं कहना चाहूंगी, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा है तो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहा है। आज मैं पूरे दावे के साथ कहती हूं कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के सम्मान और नेतृत्व देने के पक्षधर रही है। आप 2023 की विधान सभा चुनाव को देख लीजिये। जहां बी.जे.पी. ने 15 महिलाओं को टिकट दिया, जो कुल टिकटों का 16.5 प्रतिशत है, उनमें से आज हमारी 8 महिला साथी चुनाव जीतकर विधान सभा पहुंची हैं। वहीं कांग्रेस ने 18 महिलाओं को उम्मीद्वार बनाया यानि करीब 20 प्रतिशत टिकट महिलाओं को दिया और उनमें से 11 महिलाएं विधायक बनी हैं।

सभापति महोदय, हमारे सदन में बैठे तमाम लोगों उद्देश्य और ध्येय एक ही है। किसी के उद्देश्य में भ्रामक स्थितियां पैदा की जा रही हैं। हमारा देश और हमारी संस्कृति की पहचान है। हम धर्म संस्कृति और परम्परा को मानने वाले लोग हैं। हम भगवान राम को सिया से अलग करने वाले नहीं हैं।

हम राम और सिया दोनों को मानने वाले लोग हैं। हम राधेकृष्ण मानने वाले लोग हैं। हम शक्ति से शिव को अलग करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए कहा भी गया है कि-

''नारी निंदा मत करो, नारी नर की शान।
नारी से नर होत है, प्रहलाद, ध्रुव समान।''

सभापति महोदय, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि नारी जननी है और यह हमारा इतिहास है। हो सकता है कि हमारे राजनीतिक उद्देश्य अलग-अलग हो, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है और हमारे लोकतन्त्र का कवच है। यदि हमारे लोकतन्त्र को किसी ने जिंदा रखा है तो वह हमारा प्यारे संविधान ने जीवित रखा है। हमारा संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी के अथक प्रयासों से बना है। संविधान निर्माण में तमाम लोगों का योगदान रहा है। यह हमारी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया है। सारी प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्थाओं से चलती है। देश के उच्च सदन में, जिसे लोकतन्त्र का पवित्र मन्दिर कहा जाता है, जब 16 अप्रैल को लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का हनन हो रहा था, चीरहरण हो रहा था, तब समूचा विपक्ष एकजुट होकर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में लोकतान्त्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़ा था।

माननीय सभापति जी, यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। मुझे आज भी यह समझ में नहीं आया कि जब उस सदन के दिशा-निर्देश, संदेश सब कुछ हो गया था, तब ऐसी बैठक का क्या औचित्य है ? यदि हम पीछे जाये तो हमको ऐसा लगता है कि यह अकेला भ्रम नहीं है। भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। यह तो प्रपंच भी है। यदि हम पीछे जाये तो वर्ष 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देता है। अत: जिस दिन 131 वां संविधान संशोधन ला रहे थे, उसी तारीख को वर्ष 2023 का 106 संशोधन अधिसूचित हुआ था या यह उसी दिन अधिसूचित हुआ। कानून मंत्रालय भारत सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन वास्तिवक आरक्षण वर्ष 2027 की जनगणना के बाद परिसमीन पूरा होने पर लागू होगा। वर्ष 2029 को लेकर बहस चल रही है। अब बात आती है कि इस पूरे घटनाक्रम में कई चेहरे भी साफ़ हुए। कारण था कि आपकी मंशा सही नहीं थी, मंशा यदि सही होती, नीयत साफ़ होती तो आप उसी को लागू करते। आपने वर्ष 2023 के 106वें संशोधन को स्वीकार नहीं किया और उसके अंदर की क्या कहानी है, उसके अंदर की कहानी यह है कि आड़ में झाड़ लगाना है महिला बिल की आड़ में वह हो ही गया। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने वर्ष 1947 से लेकर 1949, 1951 में हिंदू महिला कोड बिल में सारी चीजें स्पष्ट की थीं। विरोध करने वाले लोग कौन थे? बाबा साहेब अंबेडकर जी का और पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का पुतला जलाने वाले लोग कौन थे? उनका नाम अभी लेंगे तो बवाल हो जाएगा। संविधान में अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा, विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान है संसद के कानून द्वारा परिसीमन आयोग गठित

कर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा जनसंख्या के अनुसार समायोजित करती है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण शामिल है। वर्ष 1979 में राजीव गांधी जी ने जो पंचायती राज का लोकसभा में विधेयक पेश किया, लोकसभा में बिल पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में 86वां बिल था, जो 5 वोटों से गिर गया। ये कौन लोग थे, जिन्होंने विरोध किया था? कहां के पितृ पुरुष थे, जिन्होंने विरोध किया था? यदि नाम लेंगे तो बुरा लगेगा और महिलाओं के सशक्तिकरण की आज बात करते हैं। नारी शक्ति महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति करने वाले को सन्देश देना चाहती हूं कि जो हम सभी महिलाओं का अपमान करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, यह हमारे भारत के संविधान पर एक प्रकार से हमला किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, इसको देश-प्रदेश की महिलाएं कभी स्वीकार नहीं करेंगी। सभापति महोदय, महिला आरक्षण बिल 2023 में सर्व दलों की सहमति से पास किया गया, इसमें कोई विरोध नहीं हुआ। हम आपको चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आप महिला आरक्षण के नाम से परिसीमन को जोड़कर जो संशोधन बिल लाकर पूरे देश की नारियों का अपमान कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, उसे बंद कर 33% आरक्षण आज की तिथि से भा.ज.पा. सरकार लागू करती है तो पूरा विपक्ष आपका जोरदार अभिनन्दन करेगा। सभापति महोदय, परिसीमन एक अलग प्रक्रिया है और इसे महिला आरक्षण से क्यों जोड़ा जा रहा है? परिसीमन तब लागू होगा जब जातिगत जनगणना पूर्ण होगी। जब जातिगत जनगणना पूर्ण होगी तो सरकार को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि कौन से वर्ग को कितना-कितना आरक्षण दिया जा रहा है, ये इसमें स्पष्ट नीति होनी चाहिए। चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, सभी वर्गों को कितना आरक्षण मिल रहा है, यह स्पष्ट होना चाहिए। सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय जी, महिलाओं के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और वर्ष 2012 में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने देश में सहकारी क्षेत्र में महिलाओं को 20% आरक्षण देने का बिल पास किया था, आज उसका क्या हर्ष है? माननीय सभापति महोदय जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।"

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्रीमती रायमुनी भगत।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- सम्माननीय सभापति महोदय, आज इस महत्वपूर्ण महिला विधेयक पर बोलने का समय मिला है। मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर बोलने के लिए इस पवित्र सदन में खड़ी हुई हूं। सभापति महोदय, आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की इस लोकतंत्र की इस पवित्र सदन में आज शासकीय संकल्प यशस्वी मुख्यमंत्री जी लाए हैं और लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है। मैं आज इस पवित्र सदन में अपनी बात को रखते हुए ये कहना चाहती हूं कि जिस प्रकार लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक, 2023 लाया गया था, उसे लाने से पहले सभी विपक्षी दल, चाहे वह कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे डी.एम.के. के हों, चाहे सपा के हों, उन सारे दलों ने ऊपरी मन से इस विधेयक को स्वागत करने की बात कही थी। जब विधेयक सदन में आया था, तब यह पारित

हो गया था, लेकिन सभी दलों ने एक साथ मिलकर इस विधेयक का एक सिरे से विरोध कर दिया और इसे नकार दिया। माननीय सभापति महोदय, समय-समय पर लोक सभा और विधान सभा क्षेत्रों में परिसीमन की बात आती है और संविधान के अनुच्छेद में प्रावधान भी है कि परिसीमन होना चाहिए। वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित हो गया है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से इस विधेयक को लागू करने का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2026 में परिसीमन भी होना था और जनगणना भी हो रही है। जिस प्रकार आज विपक्ष के लोगों ने इस विधेयक को एक सिरे से नकारा है, उसे पूरा देश ने देखा है। सभापति महोदय, जब तक परिसीमन नहीं होगा, तब तक लोक सभा और विधानसभा की सीटों का असंतुलन दूर नहीं होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के पहले भी क्षेत्रों में चुनाव होते रहे और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात भी आई, लेकिन जब तक नई जनगणना नहीं होगी और नया परिसीमन नहीं होगा, तब तक 33 प्रतिशत आरक्षण और सीटों की संख्या कैसे बढ़ेगी? यहां बैठे हुए सभी साथी जानते हैं कि विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा में सीटें कैसे बढ़ेंगी। इस विधेयक को बहुत गंभीरता से, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में रखा गया था, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस नेता और इंडी गठबंधन के नेताओं ने परिसीमन का विरोध किया, यह कतई उचित नहीं है। पिछले चार-पांच दशकों से अधर में लटके इस विधेयक को पारित करने का समय आया है। इस विधेयक का इंतज़ार देश की आधी आबादी जो महिला शक्ति है, वह इंतज़ार करती रहीं कि कब उन्हें 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा और कब उन्हें विधान सभा और लोक सभा में नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, आज महिलायें किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है । जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग हर अच्छे विधेयक का विरोध करते आये हैं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथियों का विरोध करना मंशा ही है, जब-जब देश में अच्छा विधेयक आता है तो विरोध का स्वर ही गूंजता है । सम्माननीय सभापति महोदय, मैंने कई ऐसे विधेयक को देखा है, महिला आरक्षण विधेयक तो कई वर्षों से आता रहा है, 50 वर्षों से महिलायें इंतजार करते रही हैं, उम्र गुजर गया लेकिन इस विधेयक का आना इस बार बहुत सौभाग्य का विषय था । माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से आरक्षण का विरोध, परीसीमन का विरोध लोक सभा में किये हैं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार दोनों सदन में विधान सभा और लोक सभा में संख्या का जो संतुलन है, कहीं-कहीं जमीन आसमान का अंतर है । अभी-अभी बात आई थी कि कहीं किसी लोक सभा में 46-47 लाख मतदाता मतदान करते हैं, कहीं पर 6 लाख मतदाता मतदान करते हैं, जिस प्रकार देश के विकास में यह जो संतुलन है, इसे संतुलित करने के लिये परीसीमन बहुत जरूरी विषय है । माननीय सभापति महोदय, आप सोचिये कि जिस क्षेत्र में जहां एक सांसद चुनाव लड़ते हैं, वहां 46 से 47 लाख की जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या को विकास के लिये यह कैसे संभव होगा ? उतने मतदाताओं से सांसद या विधायक कैसे मिल पायेंगे, इसलिये परीसीमन का होना बहुत जरूरी विषय है । जनगणना तो चालू है और अगर

परीसीमन होगा, जनगणना से यह भी तय हो जायेगा कि किस क्षेत्र में किस जाति के लोग कितनी संख्या में है और उसी संख्या के अनुरूप जनगणना के बाद महिलाओं को 33 परशेंट आरक्षण भी मिलता और उस आरक्षण के अंदर एस.सी., एस.टी., और ओ.बी.सी. महिलाओं को भी आरक्षण मिलता । यह बहुत बड़ा विषय था, इसे गंभीरता से हमारे साथियों को समझना चाहिये । सभापति महोदय, जिस प्रकार जनसंख्या संतुलन की बात आई है, इसे स्पष्ट रूप से हमारे विद्वान साथी लोग समझ सकते हैं और समझकर इस विधेयक को एक साथ एक मत से सहमति देना चाहिये, प्रस्ताव पारित करना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके अग्रणी नेता जब-जब कोई महत्वपूर्ण बिल लाते हैं तब-तब कांग्रेस के लोग एक स्वर से किसी भी विधेयक को नकारने के लिये, विरोध करने के लिये, खड़े हो जाते हैं । मैं तो देख रही थी कि धारा 370 को समाप्त करने के लिये अनुच्छेद लाया गया था, उसका भी विरोध हुआ । सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कांग्रेस के लोग इसका भी विरोध किए। इन लोग कब अच्छे विधेयक का साथ दिए हैं? मुझे तो कभी-कभी सोचना पड़ता है कि हमारे कांग्रेस के साथी देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। सम्माननीय सभापति महोदय, कभी-कभी तो देखने-सुनने को मिलता है कि अच्छे विधेयक का साथ न देकर देश को टुकड़े-टुकड़े करने वाले जो तत्व हैं, उनका साथ देते दिखते हैं। अभी-अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त करने की बात हुई, खूंखार नक्सली हिडमा मारा गया, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा किया गया। हमारे कांग्रेस के साथी देश की विकास को किस प्रकार ले जाना चाहते हैं। निश्चित ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो जाता, पर परिसीमन में जिस प्रकार की अड़चनें आईं, इनको डर था कि कुछ क्षेत्रों में इनकी संख्या कम है। लेकिन कतई ऐसा नहीं था सभी विधानसभा में 50% से लेकर 33% सीटों की संख्या बढ़ती। जिस प्रकार की जनसंख्या बढ़ी हुई है, जिस प्रकार की गणना चालू है, उससे पता चलता है कि हर विधानसभा में सीटें बढ़तीं तो बीजेपी के ही नहीं, कांग्रेस की महिलाएं भी उस आरक्षण का लाभ लेते हुए विधानसभा और लोकसभा के सीटों में भारी संख्या में चुनकर आतीं। सम्माननीय सभापति महोदय, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कांग्रेस के साथी जो दिखाना चाहते हैं, वह एक्चुअल में है नहीं। दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं। जिस प्रकार आज यहां विषय आया कि हम तो समर्थन में हैं, आप पास तो कीजिए, लागू तो कीजिए, ये क्या बात है? वहां किस प्रकार का मतदान हुआ, टीवी में पूरी दुनिया देखी है । आप लोग केवल ढोंग रचाते हैं कि बीजेपी का काम गुमराह करना है, लेकिन आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा गुमराह कभी नहीं करना चाहिए। पूरे भारत की महिलाएं, आप लोग जिस कारनामे से विधेयक का विरोध किए हैं, एक-एक महिलाओं की आंख और नजर टिकी हुई है। आने वाले समय में इसका जवाब आप सबको मिलेगा और भारत की महिलाएं इसी काम के लिए आप सबको कभी माफ नहीं करेंगी। 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री जब से सरकार में बैठी है। नारी शक्ति का हमेशा सम्मान किए हैं। नारी का जन्म से लेकर

अंतिम सांस तक एक-एक योजना इस पवित्र सदन में बैठकर बनाते हैं और वह योजना चल भी रही है। बेटी का गर्भ में हत्या न हो, इसलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना बनाई गई है। गर्भकाल में माता को कोई तकलीफ न हो, उसको पूरक पोषण अच्छा मिले इसलिए केंद्र सरकार से 5,000 की सहयोग राशि दे रहे हैं। स्कूलों में पढ़ने-लिखने में बेटियों को तकलीफ न हो, इसलिए सेनेटरी पैड तक की चिंता सरकार करती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं है बेटियों के लिए स्कूलों में लगभग 70% शौचालय बनाकर कंप्लीट किए हैं। प्रधानमंत्री आवास में भी महिलाओं के नाम से मकान बना है। नारी शक्ति वंदन के साथ महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है। जिस प्रकार यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉ. रमन सिंह जी की सरकार में महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड बना और अभी जमीन की खरीदी में भी महिलाओं को छूट दी गई है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जब-जब राज्य में हो, चाहे केंद्र में हो, नित नई योजना बनाती है और उस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहे हैं। आज जिस प्रकार कांग्रेस के हमारे साथी देश की जनता को, देश की महिला को अपने कुकर्म या गलत कर्म से बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं तो यह बहुत ही गलत हो रहा है। जनता इसको देख रही है, इसका जवाब आने वाले समय में चुनाव में देगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। जय हिंद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अभी 13 से ज्यादा सदस्य शेष हैं तो अपनी बात 10-10 मिनट में ही कहें। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 3 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- धन्यवाद, सभापति जी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिला सशक्तिकरण और महिला को समग्र सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए जो संकल्प लाया गया है, उस पर मैं अपनी बात रखने जा रही हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम महिला आरक्षण पर बात रख रहे हैं, लेकिन आज इस लोकतंत्र के मंदिर में जब संकल्प आया तो हम महिला सदस्यों के द्वारा इस संकल्प पर संशोधन के लिए अपने-अपने प्रस्ताव वहां पर रखे गये तो उसे अस्वीकार कर लिया गया। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि संकल्प का यह पत्र शायद हमें पहले प्राप्त होता तो हम महिला सदस्य इसके लिए प्रस्ताव एक दिन पहले रखते। जैसे असेम्बली में नियम है, परंतु हमें यह आज जब हम यहां आए तो प्राप्त हुआ। उसके बाद सभी सदस्यों ने निर्णय लेकर यह संकल्प लाया था। आज महिला सम्मान की बात हो रही है, लेकिन महिला सम्मान के लिए हमारे महिला सदस्यों की बात को नकार दिया गया, इस पर हम खेद प्रकट करते हैं। महिला आरक्षण बिल पर आज सभी ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं। आज हम

लोकतंत्र बनाए रखने के लिए, देश के कानून के लिए मजबूत ढांचा तैयार करने के लिए, जो देश की व्यवस्था को व्यवस्थित करे, सुचारू ढंग से चलाए, उसके लिए कानून बना रहे हैं। वह कानून, वह अधिकार प्रदान करने का हमें मौका मिला है और जब यह संवैधानिक प्रक्रिया देश की व्यवस्था बनी और महिला आरक्षण के लिए वर्ष 2023 में जब यह बिल आया तो सर्वसम्मति से पास हुआ। हम भारतीय हैं जो कि महिलाओं के साहस और संपन्नता को इतिहास से देख रहे हैं। उस समय से लेकर आज तक की महिलाओं ने अलग-अलग भूमिकाओं में अपने वर्चस्व को बनाया। आज बहुत से वक्ताओं ने वैदिक काल, मध्य काल और इतिहास की बहुत सारी गाथाएं सुनाई। उस समय वह राजनीति, राज शासन के आधार पर होता था और यदि हम आजादी की बात करें तो यह आजादी से पहले की गाथा थी। यह आजादी से पहले की बात है। यदि हम स्वतंत्रता की लड़ाई की बात करें तो महिलाओं ने उसमें भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो कांग्रेस का दल था, उसने उस समय सभी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत, रानी अवंती बाई लोधी, सरोजिनी नायडू और ऐसी बहुत-सी महिलाओं ने, क्रांतिकारियों ने कांग्रेस आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद जब संविधान का निर्माण हुआ, उसमें 299 सदस्यों में 15 महिला सदस्यों ने भी भाग लिया था। उस समय भारत में गुलामी के बाद फिर अपने देश का नियम, कानून और संविधान बनाने में महिलाओं की भी भागीदारी मिली थी, उस समय कांग्रेस का ही दल था। मैं बताना चाहूंगी कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में, 24 अप्रैल 1993 में जो पंचायती राज अधिनियम लाया और 33 प्रतिशत आरक्षण की बात आई, जिसे राज्य सभा में बहुमत न मिलने पर वह पास नहीं हो पाया, वह प्रयास असफल रहा। लेकिन आदरणीय पी.व्ही. नरसिम्हा राव जी की सरकार में 1992-93 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में, स्थानीय निकायों में, शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (एक तिहाई) आरक्षण लागू किया गया। यह ऐतिहासिक कानून 1993 में लागू हो चुका था और हमारे देश की 15 लाख से भी अधिक महिलाओं को पंचायती राज में व्यवस्था मिली। वे जनप्रतिनिधि बनकर आज पूरे देश का गौरव बनीं। वह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती का समय था, उस समय महिलाओं की भागीदारी को पहला कदम मिला था। वर्तमान स्थिति में लोक सभा में कुल 42 सदस्यों में लगभग 14 से 15 प्रतिशत महिला सदस्य हैं। राज्य सभा में भी 20 से 25 महिला सांसद हैं। जबकि मंत्रिपरिषद में 10 महिलाएं है और हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 सीट में आज 19 महिला विधायक हैं। ये क्या आरक्षण मिलने के बाद की बात है? ये तो शुरुआत से कांग्रेस के अधिकार ने ही इनको ये हक दिया कि वह चुनाव लड़ सकें। जब संविधान का निर्माण हुआ, उस समय भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने का श्रेय भी कांग्रेस को ही जाता है क्योंकि कांग्रेस ने ही उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस दल अगर नहीं चाहती तो शायद ये संभव नहीं था।

लेकिन उनके गुण, उनकी संपन्नता को देखते हुए ये सराहनीय कदम कांग्रेस दल ने ही उठाया और डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति थे और उन्होंने सहमति दी और बाबा भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए। उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आरक्षण देने के लिए संविधान में नियम बनाए और आज महिलाएं बढ़-चढ़कर आगे आईं। आप इतिहास उठाकर देखिए कि सबसे पहली महिला राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल जी भी कांग्रेस की थीं। सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी कांग्रेस की थीं। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भी कांग्रेस की थीं। राज्यपाल भी कांग्रेस की पहली महिला बनी। पहली लोक सभा अध्यक्ष, मीरा कुमार जी भी पहली कांग्रेस की ही थीं। ऐसी बहुत से नेत्रियों ने जो पहली बार राजनीति में कदम रखा, वह कांग्रेस के सरकार में ही रखा। इतिहास से लेकर आज तक हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ही महिलाओं को सशक्त बनाया और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। आज किसी भी राज्य में आप जाकर देखिए, सबसे ज्यादा हमारी विधान सभा में महिलाओं की संख्या मिली, वह भी कांग्रेस में 11 महिला विधायक जीतकर आईं। ये हमारे लिये गौरव की बात है। आपको बताना चाहूंगी कि आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब हमको 2023 में आरक्षण मिल चुका, सर्वसम्मति से पास हो गया।

उप मुख्यमंत्री, लोकनिर्माण (श्री अरूण साव) :- माननीय सभापति जी, इतने महिला आरक्षण के समर्थक हैं, चाहते हैं, किया है तो आखिर 17 अप्रैल को लोकसभा में विरोध क्यों किया? जब नरेन्द्र मोदी जी 2029 से देना चाहते थे तो आप लोगों ने विरोध क्यों किया?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- मैं आपको बता ही रही हूं। आप आगे सुनियेगा, मैं बता रही हूं कि कैसे विरोध हुआ। माननीय मंत्री जी, 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं, तात्कलिक स्थिति के अनुसार परिसीमन के बाद लाये, इसलिए वह रूका।

श्री अरूण साव :- आप दाये-बायें से कुल मिलाकर आपकी नीयत कभी नहीं थी और ये इतिहास गवाह है कि आपने बार-बार महिलाओं को आरक्षण देने से रोकने का काम किया, इस बार भी आपने षडयंत्र किया। इस बार इनके षडयंत्र में टी.एम.सी., एस.पी., डी.एम.के. ये सब फंस गये। सभापति महोदय और उदाहरण तो ये है कि दो युवा एक साथ सायकल चले, पंचर हो गई, लालटेन जलाये, लालटेन बुझ गई। अब ये तो 4 डूबने वाले हैं। आधी आबादी के साथ अन्याय करेंगे तो ये डूबने वाले हैं। पर वो 4 जो और हैं, वो भी डूबने ही वाले हैं। इसलिए अनावश्यक बखान मत करिये। आप महिला आरक्षण के विरोधी हैं, आपने विरोध किया है, आपकी नीयत नहीं है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति जी, ये अनावश्यक बखान है कि आज महिलाओं के संकल्प में हम शासकीय संकल्प में बात रख रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री जी इस बात को बार-बार इस सदन के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम महिला विरोधी हैं। जबकि महिला बिल में जितना यश आपको है, उतना हमको भी है, क्योंकि वह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है, न कि आपके दल ने अकेले पारित किया है। आप बार-बार इस लाइन को बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको डर है कि महिलायें कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न चल दें।

श्री अरूण साव :- आपने देश में 50 साल राज किया, आप तो प्रस्ताव पास करा नहीं पाये, क्योंकि आपमें हिम्मत नहीं थी, हौसला नहीं था, नीयत नहीं थी, आप लोग चाहते नहीं थे। वर्ष 2023 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पास कराया, आप इस बात को नहीं भूलिये। आप यदि 2023 में समर्थन किये तो 2026 में समर्थन क्यों नहीं किये ?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, अगर हमारी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दलों ने समर्थन नहीं दिया होता तो ये बिल पास ही नहीं होता, लेकिन 2023 में बिल पास हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी लागू करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए आज तक लागू नहीं हुआ।

श्री बघेल लखेश्वर :- आप आज लागू करिये न, आपको कौन मना रहा है ? पास कराया है तो उसको लागू करिये। 2023, 2024 में आरक्षण देना था, आप क्यों नहीं दे पाये ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, पहले caste census होगा। caste census में आपका डिफाइन यह है कि एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. को किस आधार पर आरक्षण मिलेगा ? और खासकर जब सीटों के आधार पर और caste census में जिस हिसाब से कालम है, आप देखिये जो जनगणना हो रही है उसमें केवल अन्य लिखा है। उसमें अन्य लिखा है। आपने डिफाइन नहीं किया है कि ओ.बी.सी. को क्या होगा, फलाने को कितना होगा। जिस हिसाब से ये सारी चीजें चल रही हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, आपने 10 मिनट का समय दिया है और अगर इतना समय ले लेंगे तो मेरा 10 मिनट वैसे ही खत्म हो जायेगा।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, ये जनगणना की बार-बार बात उठा रहे हैं। जातीय जनगणना रोकने वाले ये हैं। आप ये प्रश्न उठा रहे हैं। जातीय जनगणना रोकने वाले आप लोग हैं। पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय करने वाले आप लोग हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अगर आप परिसीमन कर रहे हैं तो उस आधार पर होनी चाहिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आप लोगों ने इस रोकरकर रखा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं। त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिनियम में जब कांग्रेस ने बिल लाया तो

आपके ही दल ने विरोध किया था। और उसी आरक्षण का परिणाम है कि आज महिलायें जो राजनीति में सक्रिय हैं और लोकसभा और विधान सभा में जो पहुंच रही हैं, उसी आरक्षण का परिणाम है। रहा सवाल आप पिछडा वर्ग के विरोधी तीसरी बार बोल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता भी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आप आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं ? आपको कौन रोका है ? इसी सदन में 27 प्रतिशत का आरक्षण पारित हुआ है जो राजभवन में कहां पर है, उसका भी हिसाब नहीं है। आप चूंकि पिछडा वर्ग के बड़े नेता हैं आपको तो छत्तीसगढ़ में 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू कराना चाहिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, 20 सितम्बर, 2023 को लोक सभा में, 21 सितम्बर, 2023 को राज्यसभा में पारित किया । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप लगातार बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किये हैं । (व्यवधान) उन्होंने तो आपके साथ अन्याय किया है ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- बाद में हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम मुर्मु जी द्वारा...। (व्यवधान)

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, पिछड़े वर्ग के साथ उनकी आंख में धूल झोंकने का काम, उन्हें धोखा देने का काम इन्होंने किया इसलिये आज उधर बैठे हैं । जनता ने तो आपको उसका सबक सिखाया कि कैसे पिछड़े वर्ग को धोखा दिया, अन्याय किया ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप भी इधर बैठे रहते, आप इधर आ गये । आप इधर रहते, आपके साथ भी अन्याय हुआ है ।

सभापति महोदय :- बैठिए । उनको बात रखने दीजिये ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगी कि 20 सितम्बर, 2023 को लोक सभा में, 21 सितम्बर, 2023 को राज्यसभा में पारित होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अनुच्छेद 330-ए के तहत् लोकसभा महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण और अनुच्छेद 332-ए के तहत् राज्य विधान सभा की महिलाओं को एक तिहाई 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गयी लेकिन सर्वसम्मति से पास होने के बाद भी इसे 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखकर इसे रोका गया । क्यों रोका गया, रोकना नहीं था उसी समय लागू कर देते, उस समय यह बात क्यों आयी कि परिसीमन किया जायेगा ।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, बार-बार सदन को गुमराह करने का काम । इस बात का बार-बार स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि यह संशोधन विधेयक क्यों लाया गया । (व्यवधान) बार-बार इस बात का स्पष्टीकरण हुआ है कि जब...। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह इसलिये है कि आज जब आप वर्ष 2011 की बात करते हैं (व्यवधान) तो उस समय वर्ष 2011 की जनगणना को क्यों शामिल नहीं किये ? वर्ष 2023 में जब पास हुआ तो उस समय वर्ष 2011 की जनगणना में क्यों नहीं किये ? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, जब लोकसभा और विधानसभा में सर्वसम्मति से यह बिल पारित हो गया तो संशोधन लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी ?

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, मैं वही बता रहा हूं, सुन लीजिये । मैं इसका जवाब दे रहा हूं । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, सबसे पहली बात अगर आपमें दृढ़ इच्छाशक्ति है तो जो बिल पारित हुआ उसको यथावत लागू कर दीजिये । (व्यवधान) 543 सीटों पर लागू कर दीजिये ।

श्री अरूण साव :- प्रश्न किया है तो सुनिये न ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, अगर आपमें दृढ़ इच्छाशक्ति है तो 543 में लागू कर दें । आज भी हम चाहे रहे हैं कि अभी 543 में ला दें । (व्यवधान) अभी सर्वसम्मति से पारित कर दें ।

श्री अरूण साव :- सुनिये न, जब आपने प्रश्न किया है तो आप जवाब सुनिये। वर्ष 2023 में विधेयक पारित होने के बाद नोटिफिकेशन हो गया, कानून का रूप आ गया, जब उसके एग्जीक्यूशन की तैयारी हुई, प्रावधानों की समीक्षा की गयी तब समीक्षा में समझ में आया कि यह आज की स्थिति में बिना संशोधन किये यह वर्ष 2035 में लागू हो पायेगा । हमारी सरकार की नीयत, प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की नीयत कि हम इसे जल्दी से जल्दी लागू करेंगे इसलिये यह संशोधन आया और दूसरी बात, यह किस आधार पर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, रोक रहे हैं ? परिसीमन के आधार पर, परिसीमन की आवश्यकता क्यों है ? इस बात को इन्हें अभी समझने की आवश्यकता है कि कोई लोकसभा 6 लाख के वोटर का है, कोई 48 लाख के वोटर का है । उसका एकीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए । एक वोट की एक कीमत हो । (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, आपने मुझे 10 मिनट का समय दिया है । उन्होंने मेरा 10 मिनट से ज्यादा का समय ले लिया है ।

श्री बघेल लखेश्वर :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, क्या उनका नाम है ?

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, हम जवाब दे रहे हैं । आप अपने पीछे वालों से भी पूछ लीजिये । मुझे बोल रहे हैं, अपने दल के सदस्य जो बोले उन्हें रोकना चाहिए था । मैं सभापति जी की अनुमति लेकर बोल रहा हूं । (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर :- अगर माननीय सभापति महोदय जी ने उनकी पार्टी की तरफ से जवाब देने के लिये नियुक्त किया है तो बताईयेगा । आप इनका जवाब दे रहे हैं, यह कहां लिखा है, आप बताईये ।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, मैंने आपसे अनुमति लेकर बोला है । उसमें भी माननीय सदस्य को आपत्ति है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- हां, ठीक है । बात आ गयी । अभी बैठिये । आप बौलिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, मैंने आपको 106वां संविधान संशोधन...।

श्री धर्मजीत सिंह :- हर्षिता जी, एक मिनट । माननीय उपनेता प्रतिपक्ष ने हमारे उपमुख्यमंत्री जी के बोलने के औचित्य पर प्रश्न उठाया, वह सरकार के उपमुख्यमंत्री हैं और सरकार के द्वारा यहां पर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । अगर कोई भी ऐसी बात होगी जिसमें कोई अनैतिक बात या अर्थहीन बात होगी तो वह उसका जवाब दे सकते हैं, क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं और कभी भी दे सकते हैं । आप और कोई भी उनको नहीं रोक सकेगा क्योंकि यह सरकार का प्रस्ताव है, सरकार की तरफ से वह बोल सकते हैं और अभी उपमुख्यमंत्री जी हैं, उनसे अभी वरिष्ठ यहां पर कोई नहीं है इसलिये वह जरूर बोल सकते हैं ।

श्री बघेल लखेश्वर :- सभापति महोदय, इसी सदन से, इसी कुर्सी से बात आयी थी कि कोई सवाल-जवाब नहीं होगा । कोई किसी बात पर जवाब नहीं देगा, इसी कुर्सी से, इसी सदन से यह बात आयी थी । मैंने यहीं पर सुना है फिर ऐसा कैसे हुआ, बताईये । वे उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आसंदी से अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा था ?

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा था ।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष जी ने कहा था कि कोई सवाल-जवाब नहीं होगा, फिर हम भी बोलेंगे ।

सभापति महोदय :- चलिए, ठीक है ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- सभापति महोदय, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आप वरिष्ठ हैं, जानकार हैं, जल्दी-जल्दी खतम करना है । आपका भी सहयोग चाहिए, इनका भी सहयोग चाहिए । मैंने सबको व्यक्तिगत रूप से जाकर समझा दिया है कि अपने भाषण को आधा कर दीजिए । उनको चुपचाप बोलने दीजिए और आप भी, हम सब लोग थोड़ा चुप रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा । सदन जल्दी खत्म हो जाएगा ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आदरणीय सभापति जी, मैं वही बताना चाहती थी कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हमें वास्तव में परिसीमन करना ही था तो हम 2023 में भी परिसीमन कर सकते थे । उस समय 2023-24 में परिसीमन करके अधिनियम लागू कर देना था, लेकिन आज 2026 में 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है और उसमें महिला बिल आरक्षण की आड़ में लोकसभा परिसीमन कर 850 सीट का प्रस्ताव, राज्य में 115 सीटें तथा केन्द्र शासित प्रदेश में 35 सीटें परिसीमन विधेयक में परिसीमन 2011 की जनगणना के अनुसार हो, विधेयक में पाण्डिचेरी, दिल्ली,

जम्मू-काश्मीर कानून-संशोधन की बात की गई । इस कारण से विपक्षी दलों ने विरोध जताया और महिला आरक्षण बिल जो कि आलरेडी पास है, उसे लागू करें । 2026 की स्थिति के अनुसार जाति जनगणना का सर्वे हो और जाति जनगणना के अनुसार आपने जो सर्वे निकाला, उसके अनुसार से इस अधिनियम को आगे बढ़ाएं या लागू करें, लेकिन अभी हमारी दीदी बोल रही थीं कि दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और हैं तो यह चीज आपके ऊपर लागू होता है । राज्य से लेकर केन्द्र तक आपकी सरकार है । आपने उस समय आरक्षण बिल को लागू होने नहीं दिया और सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच ढिंढोरा पीटे कि कांग्रेस के लोग और विपक्षी दलों के लोग महिला आरक्षण बिल को पास होने नहीं दे रहे हैं क्योंकि जनहित के मुद्दे हैं तो आपको नजर नहीं आते, उसको आप दरकिनार करते हैं और सरकार की विफलता का यही कारण है कि वे जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रही थी । जब एक तरफ बंगाल में चुनाव हो रहा था और एक तरफ आसाम में चुनाव हो रहा था ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति जी, मेरा पूरा समय आदरणीय मंत्री जी ने ले लिया है और मुझे अपनी बात रखने का समय ही नहीं मिल पाया तो मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगी कि मैं अपना भाषण पूरा कर लूं क्योंकि इन्होंने मेरा पूरा समय ले लिया । भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं ।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, आपका समय द्वारिकाधीश जी ने भी लिया, उप नेता प्रतिपक्ष जी ने भी लिया ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सिलेण्डर की कमी, पेट्रोल की महंगाई, खाद-बीज की कमी और बहुत सारे मुद्दे हैं, जो हमारे महिलाओं से जुड़े हुए हैं । आज गैस की कमी हो रही है, गैस नहीं मिल रहा है । वास्तविक में आप लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि हम उज्ज्वला गैस बांट रहे हैं । आज उज्ज्वला गैस की भी पूर्ति वहां पर नहीं हो पा रही है क्योंकि महिलाओं को गैस नहीं मिलेगा तो वे खाना कैसे बनाएंगी, फिर उनको चूल्हे में खाना बनाना पड़ रहा है । जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहिनों, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, फिर आज क्या स्थिति हो रही है, आज क्यों ऐसा हो रहा है कि महिलाओं को चूल्हे में खाना बनाना पड़ रहा है । आज आप कहते हैं कि हम महतारी वंदन में 1 हजार रूपए दे रहे हैं । महतारी वंदन के पीछे आपने 1 हजार रूपए देने की बात कही । 60 साल से ऊपर की महिलाएं जो निराश्रित हैं, जो वृद्धा पेंशन की हकदार हैं, जो विधवा पेंशनर हैं, उनको आप 500 रूपए काटकर दे रहे हैं । क्या वे महतारी नहीं हैं, क्या वे महिला नहीं हैं । आप उनको 500 रूपए काटकर क्यों दे रहे हैं ? क्या यह महिलाओं का अपमान नहीं है ?

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, हर्षिता जी संकल्प से बाहर जाकर बोल रही हैं । वे संकल्प पर बोलें ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति जी, संकल्प के बाहर नहीं है, हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं । और रही बात तो आज महिला आरक्षण बिल पास हो गया है तो वह लागू होना चाहिए । जो संकल्प आया है, उसमें आप लोगों ने घूमा-फिराकर कांग्रेस को ही दोषी ठहराया । वास्तविकता से आप दूर भाग रहे हैं, आप वास्तविकता पर आईए । यह बिल पास हो चुका है, उसे लागू करिए और आज की स्थिति में जो महिलाएं राजनीति में बढ़-चढ़कर आगे आ रही हैं, जो आज पंचायती राज में आगे बढ़-चढ़कर जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं, उनको भी मौका मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को भी मौका मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर आगे 2034 में ले जाने की बात करते हैं। आप इसे 2029 से लागू कर दीजिये।

सभापति महोदय, रही बात महिलाओं की समस्याओं की है तो उसे आपको दूर करना चाहिए। आपका उस पर बिलकुल ध्यान नहीं है। इसलिए हमको आपको यह सब अवगत कराना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं चंद कविताओं के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी -

''नारी शक्ति अधिनियम की बात करते हैं,
दूसरी तरफ नारी का सरे आम अपमान करते हैं।
अत्याचार, बलात्कार में न लगाम रखते हैं,
मुंह में राम, बगल में छुरी, ऐसा काम करते हैं।
कहते हैं कि महतारी वंदन से हम महिलाओं का सम्मान करते हैं,
यह कैसा सम्मान है कि 60 साल की महिला जो महतारी है,
उसे आधे रकम प्रदान करते हैं। ऐसा महिलाओं का सम्मान करते हैं।''

यह हमारी सरकार है और आज की सरकार जो महिलाओं की सम्मान की आड़ में राजनीति करती है, महिलाओं का अपमान करती है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा (सामरी) :- धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संकल्प को लाया है। मैं आज यहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरह से हमारे विपक्ष के साथीगण बार-बार, बार-बार कह रहे थे कि हमारी महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। मैं हमारे साथियों को कहना चाहूंगी कि जब 2014 में हमारे यशस्वी नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उसी समय प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत की थी। हम सभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी

ने अपने भाषण में कहा था कि हमारे देश की महिला नारी शक्तियों के सम्मान के लिए दिल्ली के लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर शौचालय निर्माण की घोषणा की थी। उन्होंने जिस समय हर घर शौचालय निर्माण की घोषणा की, हमारे देश की महिला-बहनों के लिए, नारी शक्ति के सम्मान के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए घोषणा की तो यही हमारे विपक्ष के साथी लोग मजाक उड़ा रहे थे। वह कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी एक शौचालय निर्माण की घोषणा कर रहे हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, हमारे देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया है, इज्जत दी और सभी के घरों में शौचालय बनाने की योजना तैयार की है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब-जब नई-नई योजना प्रारंभ करते हैं, तब तब विपक्ष के साथी लोग विरोध करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसको आप सभी जानते हैं। ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास'' वह सभी लोगों के लिए चिंता करते हैं और सभी लोगों के लिए योजनाएं बनाते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोला गया। हमारी गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं, वह कभी बैंक नहीं देखी थीं। जब प्रधानमंत्री जी ने जन-धन योजना प्रारंभ की और हमारे गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनके लिए जीरो परसेंट में उनका खाता खुलवाने का काम किया। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे बड़े-बड़े व्यापारी होते थे, वे लोग जब बैंक में खाता खुलवाते थे, तब बैंक में जो दूसरे हितग्राही खाता खुलवाने जाते थे, उस समय कहा जाता था कि गारंटी लेकर आओ या तो फिर पैसा लेकर आओ। लेकिन इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरल करते हुए हमारे देश के सभी महिला बहनों का खाता खुलवाने का काम किया। ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं हमारी महिला बहनों के लिए बनायें, वे वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले हमारी महिला बहनों का उन्होंने सम्मान किया और सम्मान के साथ-साथ...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि आरक्षण पर आए न।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- मैं आरक्षण पर जा रही हूं। आप लोग भी बोले हैं, इसलिए मैं भी वर्ष 2014 से शुरुआत कर रही हूं। आदरणीय सभापति महोदय, जिस समय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तब से हमारी महिला बहनों का सम्मान करते-करते आज महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए जो पारित किया था, वह बिल को पास करने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल, तीन दिन का उन्होंने संशोधन अधिनियम बिल को पास करने के लिए तीन दिवसीय सत्र रखा और उसी बीच में हमारे विपक्ष के जो साथी हैं या कहूं तो हमारे जो अन्य दल के नेताएं हैं, इन सभी लोगों ने मिलकर आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, ये अधिनियम ही नहीं, बल्कि हमारे देश के विकास की एक मूल कुंजी है–नारी शक्ति। और अगर नारी

शक्ति है, तो हमारे देश में आज हम अगर देखें तो हमारी महिला बहनों और बेटियों को लंबे समय तक उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने का काम किया। आदरणीय सभापति महोदय, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है । महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए थी, लेकिन फिर से एक बार इन्होंने, विपक्ष ने महिलाओं के अधिकार में बाधा डालने का काम किया है। आदरणीय सभापति महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन को लेकर अपने भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार ने महिलाओं के जीवन के हर पड़ाव के लिए उन्होंने कई नई-नई योजनाएं बनाई हैं और उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया है, आप सभी देख रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, देश की महिलाओं को उनका पूर्ण अधिकार नहीं मिल पाया और विपक्ष के साथियों ने यह संघर्ष नहीं किया। अगर हम देखें तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से कई दशकों तक इनकी सरकार रही है, लेकिन इन्होंने कभी महिला आरक्षण के बारे में चिंता नहीं की। आज अगर हम देखें, तो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जब तक यह आरक्षण पूरा नहीं होगा तब तक इस लड़ाई के लिए संघर्ष निरंतर जारी रहेगा ।

समय :
6.00 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

आदरणीय सभापति महोदय, यह केवल एक राजनीतिक संकल्प नहीं है, बल्कि देश की नारी शक्ति के सम्मान और उनके सशक्तिकरण का एक संकल्प है। विपक्षी दलों ने न केवल महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया, बल्कि उन्होंने देश की सभी वर्गों के महिलाओं के साथ अन्याय भी किया है। विपक्षी दलों ने देश की महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है और उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं सोचा कि महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए यह विधेयक आवश्यक है। आदरणीय सभापति महोदय, यहां पर हमारे विपक्ष के साथी बार-बार कह रहे थे, जिन्हें मैं बैठ कर सुन रही थी। यहां पर जितनी महिला विधायक हैं, चाहे वे भारतीय जनता पार्टी से हैं, चाहे वे कांग्रेस पार्टी से हैं। यहां पर हम महिला आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं। यहां बार-बार इस बात पर चर्चा हो रही थी कि उधर भा.ज.पा. पार्टी की तरफ से आठ महिला विधायक हैं और इधर ग्यारह महिला विधायक हैं। यह तो जनता जनार्दन तय करती है कि कितनी महिला विधायक सदन में चुनकर के आएंगी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वे बार-बार कह रहे थे कि हमारी कांग्रेस पार्टी से प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं, प्रथम महिला स्पीकर थीं। मैं विपक्ष की उन सभी महिला प्रधानमंत्रियों, महिला मुख्यमंत्रियों, महिला अध्यक्षों एवं महिला दीदियों का सम्मान करती हूं। लेकिन जिस तरह से वह लोग बार-बार कह रहे थे कि जब से आजाद देश हुई, तब से हमारी पार्टी की सरकार थी। मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यह पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार ने अब तक 33% महिला आरक्षण विधेयक को क्यों पास नहीं किया है? आदरणीय सभापति महोदय,

जिस तरह से 17 अप्रैल को संसद में कांग्रेस एवं अन्य दलों के साथियों ने मिल कर यह 33% महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को पास होने नहीं दिया और अगर यह बिल पास होता तो ये हमारे देश के सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, नारी शक्तियों के लिए, एक चाहे वे राजनीतिक क्षेत्र से हों, चाहे वे सामाजिक क्षेत्र में हों, चाहे वे सांस्कृतिक क्षेत्र में हों, चाहे वे अन्य क्षेत्र में हों, उन सभी क्षेत्रों की महिलाओं को सभी क्षेत्र की महिलाओं को यह नेतृत्व करने का मौका मिलता। आदरणीय सभापति महोदय, जब दिनांक 17 अप्रैल, 2026 को संसद में यह बिल पास होने जा रहा था, उस समय हमारे देश के सभी वर्गों की बहनें टीवियों पर अपनी नज़र टिका कर रखे हुए थे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कितने बजे पास होगी, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने बिल को पास पारित होने नहीं दिया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पारित होगे हे दीदी, लागू नहीं हुआ है ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- बिल 2023 में पास हो गया है । वह तो पहले ही पास हो गया है और कानून भी बन चुका है ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- आप लोग उसका विरोध किये और जिस तरह से इन्होंने हमारे भारत देश की जितनी भी महिला बहने हैं, नारी शक्ति हैं, यह आने वाले समय में कभी इनको माफ नहीं करेगी ।

सभापति महोदय :- उद्धेश्वरी जी, और कितना समय लेंगे ?

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको जिस तरह से बताऊं कि हमारे स्पीकर साहब वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री थे और उसी समत नोनी सुरक्षा योजना लागू की गई थी । बेटियों के जन्म पर कमजोर परिवार को चिन्हांकित करके जब दो बेटियां होती तो उनको 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर उस समय 1 लाख रूपये देने की योजना थी और यह योजना चला भी था, लेकिन जैसे ही 2023 की विधान सभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की घोषणा को लागू करते हुये हमारे आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुये नोनी सुरक्षा योजना के स्थान पर रानी दुर्गावती योजना को लागू करके बजट में शामिल किया और बजट में प्रावधान भी किया है । आदरणीय सभापति महोदय, रानी दुर्गावती योजना में अब बेटियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- दीदी, आरक्षण, आरक्षण । योजना नहीं ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- हमारी योजना को भी तो बताऊं ।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, संगीता जी ऐसे किसी सदस्य को एड्रेस नहीं कर सकती है । आप किसी सदस्य को सीधे नहीं बोल सकती है ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने बहुत कुछ बोले हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट पहले आप हर्षिता को बोले हैं ।

श्री अरूण साव :- द्वारिकाधीश जी, आप हर बार का मेरा देख लीजिए, सभापति के अनुमति के बिना मैंने नहीं बोला है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति का अनुमति लिये थे, लेकिन आप उप मुख्यमंत्री हैं ।

श्री अरूण साव :- बिना सभापति के अनुमति के...।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं उस बात से सहमत हूँ, ठीक है ।

श्री अरूण साव :- दूसरी बार की सदस्य हैं...।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय उप मुख्यमंत्री जी, चन्द्राकर जी का समझ में आता है, आपकी नजर संगीता जी पर क्यों है ? (हंसी)

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, यह जो नोनी सुरक्षा योजना है, उसके तहत 1 लाख रूपये हमारी बेटियों को मिल रहा था । अब रानी दुर्गावती योजना के तहत...।

सभापति महोदय :- उद्धेश्वरी जी, समाप्त करेंगे ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- डेढ़ लाख रूपये देने की योजना बनी है । हमारे देश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने इसे बजट में शामिल किया है । आदरणीय सभापति महोदय, नारी शक्ति एवं बेटियों के कल्याण के लिये छत्तीसगढ़ की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो, हमेंशा हमारी महिला बहनों को चाहे वह राजनीतिक सहभागिता अधिक से अधिक सुनिश्चित करने के लिये नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना अत्यंत आवश्यक है । आदरणीय सभापति महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने से देश के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा । आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं उसके लिये पूरे सदन का आभार व्यक्त करती हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, आगामी जो वक्ता हैं, 4 घंटे का समय निर्धारित था, साढ़े 6 घंटे हो गए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि 5-5 मिनट में अपनी बात रखेंगे। श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े जी।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े (सारंगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, आज विधानसभा में नारी शक्ति के सम्मान में विशेष सत्र आयोजित की गई है। महिला आरक्षण का प्रकरण 1986 से चला आ रहा है। इस बीच में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 12 वर्षों से अभी तक प्रधानमंत्री हैं। किस पार्टी की सरकार में महिला आरक्षण के बिल में कब क्या नीति बनायी है, यह बात हमको आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सारा कुछ देश की रिकॉर्ड में है। मूल विवाद का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 2023 में संसद से सर्वसम्मति से यह बिल पारित हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से सहमति दी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे 2029 से लागू करने की बात कर

रही हैं। माननीय सदस्यों ने आज की चर्चा के दौरान यही विवाद किया है। 16 अप्रैल, 2026 को महिला आरक्षण बिल में संशोधन लाया गया था, उसे पारित किया है। माननीय सभापति महोदय, हमारी पार्टी महिलाओं को हमेशा सम्मान देते आ रही है। चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे पायलट हो, हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है। चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे जनपद में हो, चाहे पंचायत में हो। हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है और देते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी बोल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन यह 2023 में पारित हो गया है तो उसको लागू कब कर रहे हैं? आप जल्दी लागू करिए ना। हम तो चाह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान मिले, हमारी महिलाएं भाग लें। हमारी महिलाएं विधायक बनें। जो महिलाएं गांव में निचले स्तर पर रहती हैं, वह आकर भी विधायक बनें, वह भी सांसद बनें, वह भी जनपद अध्यक्ष बनें, हम लोग तो यही चाह रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग समर्थन कर रहे हैं। 2023 में पारित हो गया है, उसको आप लोग जल्दी से लागू करिए, उसको पास करिए। हमारी महिलाएं इंतजार कर रही हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग विरोधी हैं, हम लोग हमेशा महिला को सम्मान देते आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं यहां पर महिलाएं ही हैं। हमारी आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता को जो 50 रूपये की साड़ी दी है, उसको पानी में डुबा रहे हैं। महिलाएं दिन-रात इतनी मेहनत कर रही है, काम कर रही है, लेकिन आपने जो साड़ी दी है, वह पहनने के लायक नहीं है, उस साड़ी को आप लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। आप लोग उनको नौकर समझे हैं? आप लोग उनको ऐसी साड़ी दे रहे हैं, यह बहुत गलत है। आप महिला हैं, आप महिलाओं का दु:ख-दर्द समझती हैं। आप महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, महिला ही हैं तो महिला के सम्मान में, नारी शक्ति के सम्मान में आप लोग अच्छा काम करिये। हर महिला चाहती है कि वह अच्छी साड़ी पहने। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्व-सहायता समूह की महिलाएं चाहती हैं कि वह अच्छा काम करें। महिला एवं बाल विकास मंत्री जी हमारी महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इतनी घटिया साड़ी दे रही हैं तो यह बहुत गलत है। हम लोग हमेशा से महिलाओं का सम्मान करते आ रहे हैं और महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। हम लोग महिला आरक्षण बिल को वर्ष 2023 से लागू करने की मांग करते हैं और करते आ रहे हैं। आप लोग उसको जल्दी लागू करिए, जल्दी पास करिए। हमारी महिलाएं इंतजार कर रही हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं और इस प्रस्ताव को लाने की स्थिति इसलिए निर्मित हुई कि अभी पिछले दिनों दिल्ली की लोक सभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए एक संशोधन विधेयक पेश हुआ और

तमाम विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस पार्टी, टी.एम.सी., स.पा., आप, डी.एम.के. और असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी का क्या नाम है, उसको मैं भूल रहा हूं। वगैरह-वगैरह।

श्री रामकुमार यादव :- धर्मजीत भैया, आप तो हमर आदरणीय हो, अग्रज हो। आपके मां-बाप जी हा आपके नाम ला ही धर्मजीत रखे हे। आप धर्म के रास्ता मा चलना, लेकिन मैं देखे हव कि एमन तुमन ला अधर्म के रास्ता में चलाए के कोशिश करत हे। महाराज, आप जो भी बोलिहु, सत्य बोलिहु अउ सत्य के सिवाय कुछ मत बोलिहु। आप धर्म के रास्ता मा चलने वाला धर्मराज हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- यादव जी, आप स्वयं कृष्ण भगवान के वंशज यहां पधारे हैं तो मैं धर्म के ही मामले से शुरू कर देता हूं। सभापति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस देश में हमारी जो आधी आबादी महिलाओं की है, उनकी आर्थिक तरक्की का काम शुरू किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को शक्ति प्रदान की गई है और संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ है तथा जस्टिस शब्द का उल्लेख है। जस्टिस की बात को संविधान निर्माताओं ने जोर देकर कहा है। उन्होंने जस्टिस को तीन प्रकार का कहा है–सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सर्वप्रथम अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस दिशा में इस देश में कोई काम नहीं हुआ है, वह तो हुआ है। उसी तरह से आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत से काम सभी सरकारों ने अपने-अपने स्तर पर किये हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् 2.95 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में 1.18 करोड़ घर मंजूर किया। 3 करोड़ 48 लाख लोगों को ये मकान मिले। स्वच्छ भारत मिशन में वर्ष 2014 से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 11 करोड़ शौचालय बनाये गये। 6 लाख गांवों में लोगों को लाभ मिला। इसी तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना में वर्ष 2025 तक लगभग 10.5 करोड़ लोगों को नि:शुल्क यह सेवा प्रदान की गई। जब तक हम अपनी माताओं-बहनों के जीवन स्तर को नहीं सुधारेंगे, जल जीवन मिशन के माध्यम से उनको सुविधा नहीं देंगे, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा और देश की भी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता। इस दृष्टि से उस दिशा में भी काम हुआ। लेकिन जब राजनीतिक रूप से उनको शक्ति देने की बात आई, तो हमारे जो प्रमुख विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उनके संग अन्य सभी लोगों ने एकजुट होकर के प्रधानमंत्री के इस साहसिक निर्णय का विरोध किया और हमारे देश की आधी आबादी की महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में बहुत सी सीटें बढ़ने वाली थी। मैं आगे पढ़ करके बताऊंगा कि उसमें रिजर्वेशन भी होता। अब आप बार-बार कह रहे हैं कि ये 2011 की जनगणना में कैसे परिसीमन होगा, कैसे रिजर्वेशन होगा। वैसा ही रिजर्वेशन होगा, जैसा 2008 में हुआ था। हर्षिता जी, उसी रिजर्वेशन के तहत आप भी वहां से चुनकर आई हैं, उसी रिजर्वेशन और परिसीमन में आप भी आई हैं और उसी परिसीमन में यहां से भी लोग आए

हैं। जो रिजर्वेशन हुआ है और जो बाकी जनरल सीटें हैं, वह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मामले में छोड़ा गया है कि हर दल अपने दल के अंदर, जैसे छत्तीसगढ़ में 51 सीटें हैं, उसमें हर पार्टी के लोग अपने लोगों को टिकट देते हैं, जिसमें वे सभी दल, सभी धर्म और सभी वर्ग के लोगों को समायोजित करते हैं। संविधान में अंबेडकर जी ने लिखा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पार्लियामेंट के एक नेता का स्पीच जरूर उद्धृत करना चाहूंगा। धर्मेंद्र यादव जी स.पा. के नेता हैं। वे बोलते हैं कि इस विधेयक में जब तक मुस्लिम महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक इस विधेयक का कोई औचित्य नहीं होगा। अब यह कहां लिखा है कि मुस्लिम महिला के लिए भी आरक्षण किया जाए? कौन से संविधान की किताब में लिखा है? कहां पर लिखा है? और सिर्फ मुस्लिमों के लिए? आप कृपा करके अल्पसंख्यक भी बोल देते तो हम मानते कि आप अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज में सिंधी, पंजाबी, जैन, क्रिश्चियन और बौद्ध भी है। लेकिन नहीं, सिर्फ मुस्लिमों के तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आपने उनको उद्धृत किया। जबकि इन सब बातों का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट में क्या कहा।

डॉ. चरणदास महंत :- धर्मजीत सिंह जी, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आ गए हैं और वे यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने हमको संदेशा भिजवाया है कि जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। ये जो आप यादव की और दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, उसको कम करते हुए मुख्यधारा पर आ जाईये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, बिल्कुल कम कर देता हूं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- रामकुमार जी और द्वारिकाधीश जी, दोनों खड़े हो गये हैं। दोनो यादव को क्या हो गया है ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धर्मजीत भैया, उसके लिए तो वहां आपके 10 सांसद हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, स.पा. के अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट में कहा कि महिला आरक्षण विधेयक लाने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? ये अखिलेश यादव जी ने कहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं और ये पार्लियामेंट का पेपर है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धर्मजीत भैया, उसको पूछने के लिए तो आपके 10 सांसद दिल्ली में हैं न?

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैंने पूछा नहीं है। मैं तो यहां उदाहरण को पढ़ रहा हूँ।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आप उनको बोलने दीजिए न। आप सीधे उनसे सवाल करते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं रिफरेंस में बोल रहा हूं। चलिए, मैं इसको नहीं पढ़ता, लेकिन अगर 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ये संशोधन पास होता तो पार्लियामेंट में अभी जो 543 सीटें हैं, वह 815 हो जाती। इसमें 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती और कुल सीटों की संख्या 815 सीटों का एक तिहाई है। यह एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मैंने पहले भी पढ़ दिया था कि जो साऊथ इंडिया में सीट कम होगी, यह आरोप आपकी तरफ से लगा है। पांचों प्रदेश में 129 सीटें हैं, जो बढ़कर 195 सीटें हो जाती, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, जो बढ़कर 59 सीटें हो जाती। इसी तरह से आप लोगों ने कई प्रकार के भ्रम में हमारे इस अच्छे संविधान संशोधन, जो इस बिल में होने वाला था, उसको खत्म कर दिया। हमारे देश में हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए सब लोगों ने प्रयास किया। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का निर्माण हुआ। उसके प्रथम राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन थे। महिलाओं को 19वां संविधान संशोधन करके 1920 में पहली बार अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का पावर मिला। मतलब अमेरिका के बनने के 144 साल बाद महिलाओं को वोटिंग का राइट मिला। बाबा साहब अंबेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, इतने दुरगामी सोच के हैं कि उन्होंने संविधान में ही पहले दिन भारत की महिलाओं को, माताओं और बहनों को वोट का पावर दिया। लेकिन उस वोट के पावर के बाद पार्टियामेंट में जाने के उनके सीट की सुनिश्चितता निश्चित करने के लिये रिजर्वेशन हम आज तक नहीं कर पाये हैं। उसके लिये जब हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रयास किया और आप सब ये जो महिलाओं का सैलाब आने वाला था, जो एक क्रांति आने वाली थी, सारे दल के लोग एक हो करके, जैसे तूफान में एक झाड़ के नीचे सारे लोग बैठे जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन लोग भी बैठ जाते हैं, उसी तरह से आप पार्टियामेंट के अंदर एक हो गये और आपने बिल को फेल कर दिया और बिल को फेल करने के बाद आप बाहर इतनी खुशियों का इजहार कर रहे थे, वैसी खुशी दिखा रहे थे, जैसे भारत के ऑपरेशन सिन्दूर के स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर वह बोला कि हम जीत गये, हम जीत गये, क्या ऑपरेशन सिन्दूर में पाकिस्तान जीता था? उसके 11-11 एयरपोर्ट तोड़ दिये गये, उसका एयर डिफेन्स सिस्टम खत्म कर दिया गया, घुटने के बल आकर उसका डी.जी.एम.ओ. भारत के डी.जी.एम.ओ. से बोलता है कि सीजफायर करो। वह वहां का फील्ड मार्शल हम जीत गये, हम जीत गये जैसा बोल रहा था, हम लोग भी बोल रहे थे हम जीत गये, हम जीत गये। उससे दुखी होकर के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। जब वह बिल गिरा तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत दुखी हुए, हमारी पार्टी के लोग, हम लोग भी दुखी हुए। क्योंकि हम ये चाहते थे कि ये सदन 200 लोगों के लिये बना है, इस सदन में 90 सदस्य हैं। अगर ये बिल पास होता तो यहां 135 लोग होते। हमारी 40-45 मातायें, बहनें यहां विधायक बनकर के आती, यहां मंत्री के पद पर बैठतीं, उधर भी बैठतीं। सब पढ़े-लिखे लोग हैं। देखिये, हमारी संगीता जी कितना तेजतर्राट तरीके से बोलती हैं। उसी तरह से तेजतर्राट नेत्री यहां पर आती, वहां लोग बोलतीं। आज सवेरे जब ये दर्शक दीर्घा भरी हुई थी। महिलाओं ने यहां

दर्शक दीर्घा में बैठ करके उनके पक्ष में ये जो प्रस्ताव पास हो रहा था, उसके समर्थन देने के लिए वह एक प्रकार से यहां पर पहुंची हुई थीं। क्योंकि उनके दिल में अभी भी ये आस है कि अगर मोदी है, अगर विष्णु देव साय है तो रिजर्वेशन होगा, चाहे जैसे भी होगा। हम रिजर्वेशन करना चाहते हैं। अगर 2029 में रिवर्जेशन हो रहा था तो आपको इतनी क्या तकलीफ हो गई? किंतु, परंतु, लाल कपड़ा पहन करके संविधान संशोधन रखोगे तो हम पास करेंगे, सफेद कपड़े में नहीं करेंगे। आप चना खाकर आओगे तो पास करेंगे, चिकन खाकर आओगे तो नहीं पास करेंगे। ये सब फोकट की बहाने बाजी में आप मत उलझिये। आप लोग कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं, मैं बताऊं? मैं आप लोगों को बताता हूं। राधिका खेड़ा आपकी प्रवक्ता थीं, उसको यहां से छत्तीसगढ़ से बेइज्जत करके आपके नेता लोगों ने भेजा और वहां पर छोड़ दिया। (शेम-शेम की आवाज) श्रीमती नजमा हेपतुल्ला अल्पसंख्यक समाज की महिला जो पार्टियामेंट में राज्यसभा की उपसभापति थीं।

श्री दिलीप लहरिया :- प्रधानमंत्री जी ने पत्नी का कितना सम्मान किये हैं?

श्री धर्मजीत सिंह :- देखिये, पति, पत्नी में मत आईये, बात करेंगे तो बहुत दूर तक जायेगी न।

श्रीमती भावना बोहरा :- व्यक्तिगत तौर पर जायेंगे तो फिर यहां बहुत सारी चीजें उठेंगी। पार्टी की बात आ रही है तो पार्टी तक ही सीमित रहें तो अच्छा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसलिये आप सीनियर आदमी हैं, उतने ही दूर तक बोलिये, आपको उतनी ही दूर तक बोलने की आजादी है, जब तक की मेरी आजादी खतरे में मत पड़े। अगर मेरी आजादी खतरे में पड़ेगी, अगर आप कुछ बोलेंगे तो हम भी आपको उसी तरीके से जवाब देंगे। तब फिर बहुत बुरा लगेगा और फिर आप बोलने के लायक भी नहीं रहेंगे। नजमा हेततुल्ला जी को बेइज्जत किया गया। वह कांग्रेस पार्टी छोड़कर चली गईं। आप महिलाओं को इतना सम्मान करते हैं कि स्वाती मालीवाल को मुख्यमंत्री के निवास में मारा गया, मुख्यमंत्री के गार्ड के आगे में मारा गया, मुख्यमंत्री के आगे में मारा गया । एक महिला यदि अपनी फरियाद लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास गयी है तो वहां उसकी सुरक्षा नहीं हो सकी और आपके सभी पार्टी के जो नेता महिला के इस कार्यक्रम को, क्रांतिकारी निर्णय का आप लोगों ने विरोध किया । कोई नहीं बोला । एक शब्द नहीं बोला । (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, सबको बोलना है । जल्दी खत्म करो । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं समाप्त कर रहा हूं, थोड़ा सुन तो लीजिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, यह आरक्षण की बात कर रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं कितना हिम्मत वाला आदमी हूं कि मैं सुबह 11 बजे से आप लोगों की बात सुन रहा हूं, वहां भी बैठकर सुन रहा हूं, यहां भी बैठकर सुन रहा हूं । मैं 5 मिनट के लिये भी बाहर नहीं गया हूं, अभी केवल पानी पीने के लिये गया था ।

श्री अरूण साव :- माननीय धर्मजीत भैया, कितनी जल्दी है । महिलाओं के साथ अन्याय करके यह यहां से जाने वाले हैं । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया उसके खिलाफ बोल रही हैं और उसके बाद हड़बड़ी है । यह बताता है कि कैसे महिला विरोधी हैं, महिलाओं के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, इस संकल्प की आवश्यकता ही नहीं है । (व्यवधान) आपकी सरकार महिला आरक्षण नहीं चाह रही है । इसकी आवयश्यकता नहीं है, आप परसों बुलवाईये न । (व्यवधान) आप लागू कर दीजिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जब महिला का अपमान कर रहे थे तब कहां थे । (व्यवधान) आप ही विरोध करते हैं । (व्यवधान) यहां पर महिला के अपमान करने की बात नहीं है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अच्छा, आप दो मिनट सुन तो लीजिये । मैं तो डॉ. चरणदास महंत जी को बहुत आदर की दृष्टि से देखता हूं, बहुत अनुभवी नेता हैं । इस सदन के जो 1-2 वरिष्ठ नेता हैं, उसमें वे हैं । मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों के बारे में भी कुछ नहीं बोल रहा हूं लेकिन अगर मैं यह बोलूंगा कि कलकत्ता में राषट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ वहां की सरकार ने अभद्रता की और उस अभद्रता को आपके सभी दल के लोगों ने मौन समर्थन दिया तो इसमें आपको क्यों बुरा लगना चाहिए ? राष्ट्रपति जी गयीं, प्रोटोकॉल में कोई अफसर नहीं आया, क्या वह महिला नहीं थीं ? क्या उनका यह दोष है कि वह गरीब घर की आदिवासी महिला हैं इसलिये आप उनको सम्मान नहीं देंगे ? (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- वह हमारी आदिवासी महिला हैं । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, वह हमारे राष्ट्र की महिला राष्ट्रपति हैं, हमारे लिये बहुत सम्माननीय हैं । (व्यवधान) यह महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वह गरीब की बेटी है । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अयोध्या में हमारी राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाये ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप इस सदन में आरक्षण की बात कीजिये, परिसीमन की बात कीजिये । जनगणना की बात कीजिये । आप अपमान की बात कर रहे हैं । (व्यवधान) आप महिला को यहां खड़ा कर दिये हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं वही तो बोल रहा हूं कि महिलाओं को अपमानित करने की आपकी आदत है । (व्यवधान) मैं यही तो कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के लोग महिलाओं को बेईज्जत करते रहते हैं ।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी थोड़ा संक्षेप करेंगे । अभी मंत्री जी भी आ गये हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं संक्षेप कर रहा हूं, कृपया थोड़ा मौका दे दीजिये । कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, 9 अगस्त, 2024 की रात को मोमिता देवनाथ नाम की एक

पी.जी. ट्रेनिंग करने वाली डॉक्टर का रेप होता है, हत्या होती है । मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं । वहां गयी, वहां मिला ? क्या उसको कुछ मदद मिली ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- यहां तो 10 झन मरत हें । (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- महिला आरक्षण में बात होनी चाहिए । (व्यवधान) सभापति महोदय, फिर आप बोलेंगे कि आप सीनियर हैं करके । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- बंगाल की पुलिस जांच करके लीपापोती कर रही थी । (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- वहां हाथरस में एक रेप काण्ड हुआ था । मणिपाल की हमारी बहन-बेटियों के साथ हुआ । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- क्या आपने तब टेंशन लिया । (व्यवधान) छत्तीसगढ़ में रोज मिहला लापता हो रही है फिर आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप पूछिए न, जवाब देंगे ।

श्री दिलीप लहरिया :- आपका एक जिला अध्यक्ष भाजपा का बनाने के लिये प्रस्ताव रख रहे हैं, यह भी चल रहा है, यह गलत है । आप आरक्षण में बात करिये, हम समर्थन में हैं । 50 प्रतिशत आरक्षण दीजिये । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप क्या बात करोगे, मैं बोलना नहीं चाहता था । मेरे जिला का मामला है, आपका एक जिला अध्यक्ष परसों बालात्कार के केस में जेल के अंदर गया है, परसों कांग्रेस का जिला अध्यक्ष । (शेम-शेम की आवाज) मैं बोलना नहीं चाहता था । आप बोलवाते हो इसलिये मैंने आपको बोला था कि उतनी ही दूर तक बोला जितना मुझे मत बोलना पड़े । मैं बोलूंगा तो बेनकाब हो जाओगे, बोलोगे तो नाम भी बता दूंगा, बोलोगे तो घटना भी बता दूंगा और बोलोगे तो गांव भी बता दूंगा। टीवी में, पेपर में सब है लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता था क्योंकि मैं इस हद तक आकर के किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता । अब सुनिये, वर्ष 2024 के चुनाव में इस देश में 46 करोड़ महिला वोटर हैं । पुरूष वोटर 50 करोड़ हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण का काम हमने किया है । प्रधानमंत्री आवास, राशन कॉर्ड, महतारी वंदन, 70 लाख माताओं-बहनों को दिया । आप लोग हमेशा उसमें प्रश्न पूछते हैं, 500 रूपये बोलकर तो दे नहीं सके और आप हमसे प्रश्न पूछते हैं । आप हमारे ऊपर ऊंगली मत उठाईए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बाकी महिलाओं का क्या होगा ? 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन का 1 हजार रूपए देने का वादा किया था, लेकिन 1 लाख महिलाओं को भी नहीं मिल रहा है । 1 करोड़, 20 लाख महिलाओं का क्या होगा ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बता रहा हूं । आप विष्णु देव साय जी मुख्यमंत्री, वित्तीय व्यवस्था करने वाले वित्त मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री के ऊपर ऊंगली मत दिखाईए क्योंकि तीन ऊंगली आपकी तरफ इशारा कर रही है कि अपने गिरेबांन में झांककर देखिए । 500 रूपए बोलने के बाद 5

साल में आपने 5 रूपए नहीं दिया और हमारी सरकार हर साल 70 लाख महिलाओं को एक हजार रूपए महीना दे रही है। हम अपनी माताओं और बहिनों का आशीर्वाद प्राप्त किये हैं । हम अपनी माताओं और बहिनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं । हम अपनी माताओं और बहिनों को राज्यसभा और लोकसभा में भेजना चाहते हैं इसलिए इस बिल को लाने के लिए हमने काम किया है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह पैसा महिलाओं को नहीं मिल रहा है, वह पैसा कहां जा रहा है (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- 60 साल से ऊपर की महिलाओं को 500 रूपए दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान जैसे नापाक देश को जवाब देने के लिए दो बेटियों का चयन किया-कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट । हुजूर, आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं क्या ?

सभापति महोदय :- आप उनसे आज्ञा मत लीजिए, आप इधर आज्ञा लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मुझे दो मिनट बोलने दीजिए, फिर आप बोल लेना ।

श्री रामकुमार यादव :- आपने उल्लेख किया है इसलिए मैं बोल रहा हूं । इन्हीं के पार्टी के भाजपा के मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री ने मैडम सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, जो पायलेट बनकर पाकिस्तान गई थीं । आप याद करिए, किस पर बात करते हैं । इसे पूरे देश ने देखा, लेकिन उसने माफी नहीं मांगा । ये आपका दोहरा चरित्र है । (शेम-शेम की आवाज)

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, जब वे दोनों लेडिस आर्मी आफिसर डेली प्रेस ब्रीफिंग में आती थीं तो उनकी भी बहुत हंसी उड़ाई गई थी । सेना ने जब एयर स्ट्राईक किया तो सेना से प्रमाण-पत्र मांगा गया, जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राईक किया तो उसका भी प्रमाण-पत्र मांगा गया, जब सिंदूर में सफलता की बात बताई गई तो उसमें भी प्रश्न-वाचन चिह्न लगाया गया तो देश की सेना पर आपको विश्वास नहीं है । ई.डी. पर आपको विश्वास है ही नहीं, सी.बी.आई. पर आपको विश्वास है ही नहीं, चुनाव आयोग पर आपको विश्वास है ही नहीं, परिसीमन करने वाले आयोग पर आपको विश्वास है ही नहीं तो कांग्रेस कमेटी की एक सब कमेटी बना दें क्या ?

श्री रामकुमार यादव :- ई.डी. का विश्वास अब चन्द्राकर जी को हो गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- देश आपकी समिति से नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा (मेजों की थपथपाहट) देश में जो भी संस्थाएं बनती हैं, वह जनता के हित में निर्णय लेती हैं । अगर 2008 में परिसीमन हुआ था, अगर उस वक्त परिसीमन गलत हुआ होता, अगर भेदभाव हुआ होता

तो हर्षिता जी, आज आप भी यहां पर नहीं आतीं । यहां पर हमारी बहिनें भी नहीं आतीं । इसलिए मोदी जी अगर परिसीमन बनाकर रिजर्वेशन देते तो यहां पर संख्या बढ़ती । आपने हमारे 200 से ज्यादा माताओं और बहिनों को पार्लियामेंट जाने से रोका । आपकी पार्टी ने यह जुर्म किया है । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- बिल्कुल नहीं रोका है । आपका निराधार आरोप लगा रहे हैं । आपका आरोप निराधार है । रोकने वाले आप हो । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने छत्तीसगढ़ की 35 से 40 महिलाओं को पार्लियामेंट जाने से रोका । (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- आपकी बात सच नहीं है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- इस विधयक को लागू नहीं होने दिए । यह संदेश पूरे देश में जाएगा । आप फेल हो जाओगे और 4 तारीख को परिणाम सुन लेना । हिन्दुस्तान की माताएं और बिहनें आपको हराएंगी और 2028 में आप बुरी तरह से पराजित होंगे। जब-जब महिलाओं से लड़ेंगे, तब-तब आपका हश्र बुरा होगा । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपका आरोप निराधार है । इस बात से सिद्ध हो गया कि आप महिला विरोधी हैं । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप महिला विरोधी हैं इसलिए आपने लागू नहीं किया । (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- आपकी बात से स्पष्ट है कि आप महिला विरोधी हैं, आप वरिष्ठ विधायक हैं । इस तरह से बात कर रहे हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यगण, आप सभी लोग अपने समय में अपनी बात रख चुके हैं । धर्मजीत जी का समय है, उनको अपनी बात बोल लेने दीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- दो मिनट में खत्म करता हूं । ये वह देश है, जहां कुंभकरण और रावण का अत्याचार जब बढ़ा था । राम अवतार में देख लीजिए, जब रावण और कुंभकरण का अत्याचार बढ़ा था तो तो देवताओं ने प्रभु श्री नारायण की स्तुति कि तो भगवान ने देवताओं से कहा कि- ''नारद वचन सत्य सब करिहउं, परम शक्ति समेत अवतरिहउं'' मतलब भगवान ने कहा कि मैं तो आ रहा हूं, अपने साथ अपनी शक्ति सीता को लेकर आ रहा हूं। भगवान ने हमारे देश में सत्य की आराधना होती है। इसीलिए नवरात्रि में माता प्रथम दिवस शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रम्हचारिणी, तीसरे दिन चन्द्रघंटा, चौथे दिन कुसमाण्डा, पंचम दिवस स्कंधमाता, छठवे दिवस कात्यानी देवी सातवे दिवस कालरात्रि और आठवे दिन महागौरी और नौवे दिन सिद्धरात्रि के रूप में आगमन कर सभी भक्तों और इस देश की रक्षा करती हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह वह देश है, जहां मां कौशल्या, रोहणी, देवकी, सती, पार्वती, यशोदा, कमाउ, दीति, दक्षिणा, स्वाहा स्वधा, तुलसी, गंगा, यमुना, सावित्री के रूप में शक्ति का आगमन हुआ है। दुश्यंत की शकुंतला नाम की पत्नि से भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम

भारत वर्ष पड़ा। भारतीय नाम की महिला ने विश्व विजेता शंकराचार्य को शास्त्र में बराबरी का टक्कर दिया। 1 जनवरी, 1848 को सावित्री बाई फूले ने अपने पति के माध्यम से बालिकाओं के लिए स्कूल खुलवाया। मेरे गांव के राजा, राजा रघुराज सिंह, जहां की विधायक माननीय भावना बोहरा हैं, उराजा रघुराज सिंह आदिवासी समाज के बहुत बड़े राजा थे, 1908 में राजा रघुराज सिंह ने पण्डरिया में पुत्री शाला बनवाकर बच्चियों को शिक्षा दिलवाने का पुण्य काम किया। (मेजों की थपथपाहट) हम उस गांव से आते हैं, जो महिलाओं की रक्षा के लिए अपनी जमीन दान दिया है। वही राजा रघुराज सिंह ने बच्चों के खेलने के लिए बिलासपुर में राजा रघुराज सिंह स्टेडियम दिया। हमारे यहां उस जमाने में एक से एक त्यागी, बलिदानी हमारी माताएं बहनें बहुत काम की हैं। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, रानी दुर्गावती, अवंति बाई, अहिल्या बाई होल्कर, राजमाता जीजा बाई, शिवाजी महाराज को स्वराज के लिए प्रेरित किया। हमारे देश की विरासत बड़े-बड़े हमारी माताओं-बहनों के वीर गाथाओं से भरी हुई है। उनके त्याग तपस्या और बलिदान से भरी हुई है। उनके शक्ति के स्त्रोत से भरी हुई है। हमारे मोदी जी चाहते थे कि यही माताएं और बहनें आज की हमारी माताओं और बहनों के रूप में भारत के पार्लियामेंट में आये और यहां के लोगों की आवाज उठाये। लोकसभा और विधान सभा में आये और यहां आवाज उठायें। आप लोग भी बहुत अच्छा बोले, परन्तु थोड़ा दबाव में बोले, लेकिन आपके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा था। आप अच्छे ओरेटर हो, थोड़ी अच्छी बात करो। आपके इस प्रकार की बातों से आरक्षण खतरे में पड़ता है।

डॉ. चरण दास महंत :- इनको कोई दबाव नहीं था।

श्री अजय चन्द्राकर :- भारती ने मंडन मिश्रा जी से क्या प्रश्न पूछा था, मालूम है क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- वह नहीं मालूम है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बताऊंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- लगे हाथ बता ही दो न।

डॉ. चरण दास महंत :- आप बाद में बताइयेगा।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी।

धर्मजीत सिह :- सभापति महोदय, बस यह समाप्त कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव लाया है। इस प्रस्ताव से कोई आरक्षण तो होगा नहीं, लेकिन हम देश की महिलाओं को संदेश देंगे, हम छत्तीसगढ़ की सरगुजा से लेकर दंतेवाड़ा और सुकमा तक की माताओं-बहनों को यह संदेश देंगे कि हम आपको अधिकार देना चाहते थे, हम आपको ससम्मान विधान सभा बुलाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों (विपक्ष) अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसको रोका। (व्यवधान) आपको महिलाएं माफ नहीं करेंगी, मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आप यही तो चाहते थे। आप सच्चाई को बताईये कि (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- आपने दोहरी नीति को बता दिया। तुरन्त पता चला गया। आधा डोमी आधा करात वाली बात आ गई।

सभापति महोदय :- श्रीमती कविता प्राणलहरे।

श्रीमती कविता प्राण लहरे (बिलाईगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ला प्रणाम करथौं। मैं प्रणाम करथौं आसंदी ला, जो मोला बोले के मौका दीस। माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर...।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति जी, जब कांग्रेस पार्टी को अपना अस्तित्व खतरे में नजर आता है, तो अंबेडकर जी का माला जपते हैं। अंबेडकर जी के न विचारों को माना, अंबेडकर जी को अपमानित किया, अंबेडकर जी को प्रताड़ित किया और जब अपना अस्तित्व खतरे में आता है, तो अंबेडकर जी का माला लेकर जपने लगते हैं। अंबेडकर जी का अपमान करने वाले..। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति जी, मैंने भाषण में कहा था। वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अंबेडकर जी हमारे हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- महापुरुषों को लेकर के चला है, महापुरुष के विचार में चला है, चाहे वो गौतम बुद्ध जी हों, रविदास जी हों, कबीर साहब जी हों, गुरु घासीदास जी हों, महापुरुष के विचार में चला है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कविता जी बोल रही हैं न, कविता जी बोल रही हैं।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के चर्चा में, ए देश के आधी आबादी ला मैं दिल से सम्मान करते हुए अपन बात ला रखना चाहत हौं। माननीय सभापति महोदय, ए लड़ाई केवल आरक्षण के नोहे, बल्कि समानता, सम्मान और न्याय के हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- कविता जी, 75 साल से ऊपर बुड्ढा मन बर भी आरक्षण मिलना चाहिए, अइसे कहिके ओमा मांग में जोड़वा। (हंसी)

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- कम से कम सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य मन बैठे हे, आप ही मन से हमन ला प्रेरणा मिलथे, सीखे बर मिलथे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, ये जभी संभव होगा जब हमारा भांचा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप जो बोल रहे हो, वह जभी संभव है, उसके लिए आपको प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोरे बरे हे। (हंसी)

सभापति महोदय :- कविता जी, आप विषय में बोलिए।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- मैं तो बोलना कुछ और चाहत रहव, लेकिन सदन ला देखत हौं, जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल के बात होथे, तो हमर सत्ता पक्ष के बात से तो लागत हे कि महिला आरक्षण के बात आप मन नहीं करत हो, महिला राजनीति आरक्षण के बात करत हो। मोला तो अइसे लागत हे। अगर वास्तव में आप मन आरक्षण देना चाहत हो, तो 2023 में देश के राष्ट्रपति महामहिम जी के भी हस्ताक्षर होए हे, सत्ता पक्ष, विपक्ष के भी सहमति से जो हो चुके हे, ओला आप मन लागू कर दव, ए बात यहां तक नहीं आतीस, हर महिला ला आरक्षण मिलतीस और ये आरक्षण 543 सीट में 2029 में आप मन देवा, अइसे मैं सदन से अपील करथौं।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति जी, 2023 के विधेयक के कानून बनने के बाद क्या हुआ, यह स्पष्ट कर दिया गया है, फिर भी वही रिकॉर्ड चल रहा है, वही रिकॉर्ड 2023 में लागू कर देते, 2023 में लागू कर देते। मैंने भी स्पष्ट किया है, 2023 में कानून बनने के बाद उसके पालन की जब प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लागू करने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया, तब यह बात समझ में आई कि इस मौजूदा प्रावधान से यह 2035 से लागू करना हो पाएगा और इसलिए यह संशोधन आया कि 2029 से ये लागू हो जाए। बार-बार यह बोलने के बाद वही रिकॉर्ड जितना दिल्ली से रिकॉर्ड होकर आया है, वही रिकॉर्ड बज रहा है, वही रिकॉर्ड बज रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आज आप 2023 में 2011 की जनगणना के अनुसार लागू किया जा सकता था। आज 2026 में 2011 के अनुसार बात क्यों रख रहे हैं? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं मंत्री जी से यह कहना चाह रही हूं, मंत्री जी से पूछना चाह रही हूं, संवैधानिक क्या ऐसी प्रक्रिया आ गई? आपने बिल लाया, आपने पारित किया, उसमें ऐसा क्या संशोधन करने की आवश्यकता हो गई? अगर उनको डाउट है मोदी जी को, तो आपको बिठाकर चर्चा कर लेते। आप अचानक से बोलते हैं उसमें संवैधानिक प्रक्रिया में कुछ आ गया।

श्री ओ.पी. चौधरी :- 2034 की जगह में 2029 में आरक्षण लाए, इसलिए लाने की जरूरत पड़ी। उसमें क्या कन्फ्यूजन है? आप लोग पूरे प्रदेश को, देश को भ्रमित करते रहते हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कीजिए न। कीजिए न।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- 2023 में 2011 की जनगणना के अनुसार भी लागू किया जा सकता था। 2029 में वह हो सकता था।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप हर बार विधेयक के स्वरूप में बात ला रहे हैं और 2029 में लागू करने का। विपक्ष की ओर से यह बात लाई जा रही है, आप 2029 तो बहुत आगे बोल दिए। आप पांच दिन के अंदर ला दीजिए, परिसीमन और वह जो जनगणना का है, उसको अलग करके भी महिला विधेयक लागू हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, उसके लिए सत्र बुलाइए न। आप उसके लिए सत्र बुलाइए।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, यह जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है, यह क्या संकल्प प्रस्तुत किया है? इन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? क्या लिखा है जो ऑपरेटिव पार्ट है–महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। समर्थन करिए, समर्थन करिए, तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- क्यों नहीं किया जाये। यही तो हमारा प्रश्न है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मुझे तो बोलने दीजिए।

सभापति महोदय :- कविता जी बोल रही हैं। द्वारिकाधीश जी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- एक मिनट, एक मिनट। मुझे तो बोलने दीजिए।

श्री दिलीप लहरिया :- आप लोग यह काम संदेश देने के लिए कर रहे हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी यह कोई प्रश्न काल नहीं है कि आप सवाल करेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं सवाल नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदया :- सभी लोग अपनी बात रख रहे हैं। यह कविता जी का समय है, उनको बोलने दीजिए। कविता जी, आप बोलिये।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ नारा देते हैं - "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हौं कि 3 साल के बच्ची से लेकर के 75 साल के माताएं सुरक्षित नई हे। बेटी बचही तब बेटी पढ़ही। ता मैं यही बात सदन मा बोलना चाहत हौं कि जो बात सत्य हे, वो नकारे नहीं जाए। अगर वो बात सही हे ता सदन मा वो बात बार-बार दोहराय जाही। माननीय सभापति महोदय, महिलाओं की सुरक्षा पर केवल विज्ञापन और भाषण नहीं, कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर वास्तव में सरकार महिला सशक्तिकरण चाहती है तो कृपया पाँच बिंदु देखें। माननीय मंत्री जी, आप वरिष्ठ हो। आपके बात अच्छा लगथे, आपसे हमन ला सीखे बर मिलथे अउ शायद आप ही मन के बात ला सुन-सुन के सदन मा हमन ला बोले के मौका मिलथे अउ हमन बोल भी पात हन। ये बात बिल्कुल ध्यान दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तेज न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा और रोजगार में समान अवसर, महंगाई पर नियंत्रण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, राजनीति प्रतिनिधित्व में वास्तविक में बढ़ोतरी होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, महिलाएं केवल वोट बैंक नहीं हैं, ये देश की शक्ति हैं। हमन ला अइसे शक्ति चाहिए, जो महिला केवल राजनीति मा ही उपयोग न हो। हमन ला सम्मान, अधिकार अउ आत्मसम्मान मिलना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ही। जब महिला सुरक्षित होही, तभी देश आत्मनिर्भर होही। एखर बर हमन ला चुनावी नारा के रूप में न देखा जाए, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में भी देखा जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा बोलने वाला कोई वक्ता तो नहीं हौं। इतिहास गवाह हे, आप सब सदन में वो बात ला

रखे हौं कि देश में अगर वास्तव में हमन ला सम्मान मिलीस ता ओ हर हमारे कांग्रेस पार्टी के देन हे, जेन बात ला हर सदस्य बोलिस। ओ बात ला मैं भी रखत हौं कि जेन महिला मन ला देश मा राष्ट्रपति बने के मौका मिलिस, प्रधानमंत्री बनने के मौका मिलिस, मुख्यमंत्री बने के मौका मिलिस, जज बने के मौका मिलिस तो ये सब वास्तव में हमर कांग्रेस पार्टी के देन हे। ये बात नकारे नहीं जाए। ये सिर्फ नाम नहीं हे, बल्कि ओ इतिहास के प्रमाण हे, जहाँ महिला के नेतृत्व मा शीर्ष स्तर तक पहुँचाय मा एक राह बनाथे। नारी सशक्तिकरण के हर बड़े पहल मा कांग्रेस पार्टी के भूमिका रिहीस हे अउ कांग्रेस पार्टी शुरू से हर महिला के पक्षधर हे, हर महिला के साथ हे अउ आगे चलके भी रही। ये बात वास्तव में सत्य हे, तथ्य हे, ये कोई प्रचार नहीं हे। अब मैं हमारे छत्तीसगढ़ के बात करहूं। यहीं पर आप मन देख लो कि ये बात तो सदन में आय भी नहीं रिहीस हे, हमन विधायक भी नई बने रहे हन, सदन में आय के हमन ला सौभाग्य भी नहीं मिले रिहीस हे, तब भी हमर कांग्रेस पार्टी नारी शक्ति ला 18 सीट से सम्मान करिस और भारतीय जनता पार्टी 15 सीट से सम्मान करिस। वहीं पर से मैं एक अनुसूचित जाति से आथौ, जो आप सबके बीच मा बोले के मौका मिलिस। यहाँ भी हमर कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति मा 5 महिला ला सम्मान दिस, वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2 महिला ला सम्मान दिस। यहीं पर आप मन देख सकत हौं कि कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर के अभी तक नारी के सम्मान में हे, नारी के लिए लड़थे और नारी ल आगे बढ़ाये के काम करत हे। माननीय सभापति महोदय, मैं नारी हूँ, न से निर्माण करने वाली जो मिट्टी को भी जीवन बना देती हूँ। मैं नारी हूँ, न से निडर हूँ, अंधेरों से लड़कर भी दीपक जलाए रखती हूँ। मैं नारी हूँ, न से न्याय की आवाज हूँ, न से चुप रहूँ तो ममता, बोलूँ तो क्रांति बन जाती हूँ और याद रखियेगा, न से नाश करने वाली भी नारी होती है। जब नारी की सहनशीलता सीमा पार कर जाए, वहीं पर वही नारी सृजन भी, संघर्ष भी और समय आने पर परिवर्तन की आग भी बन जाती हूँ। (मेजों की थपथपाहट) इसलिए आप लोग नारी को इतना न तड़पाइए, उनको इतना परेशान न करिये कि आरक्षण उनके लिए बिल्कुल भी काम न आ पाए।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि नारी नाश भी कर देगी तो ये अपने नेताओं को जरा समझायें कि इनको समर्थन करें । आरक्षण का विरोध न करें । नारी को जो अपमान हुआ है, उनको जो अधिकारों से वंचित किया है, यह देश की नारी शक्ति आपको छोड़ेगी नहीं । आने वाले समय में ऐसी खबर लेगी कि रास्ता नहीं मिलने वाला है ।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- एखर बाद तो मोर बाते खत्म होगे । आप मन बोले के मौका दे हव एखर लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देवथंव । धन्यवाद ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं एक मुहावरा कहाथंव । आदरणीय मुख्यमंत्री जी बइठे हे, उप मुख्यमंत्री सहित सब्बो झन बइठे हैं । मैं देश के इतिहास में एक कविता कहना चाहूँ ।

द्वापर युग में राधा के विषय में हमर पिताजी राऊत नाचा में दोहा पारय । वोहा मोला याद आगे । मैं वोला इंदिरा गांधी ला जोड़ के देखथंव । वोहा तपस्या करके प्रधानमंत्री बने रहिसे । त ए दोहा हे कि-

राधा तू बड़भागिनी, कठिन तपस्या कीन
तीनों लोक के स्वामी को, अपन वश कर लीन

राधा जइसे अपन वश में करे रहिसे, वइसने इंदिरा गांधी कठिन तपस्या करके पूरा देश ला चलाथ रहिसे । ये होथे कांग्रेस पाटी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपातकाल कोन लगाय रहिसे । इंदिरा गांधी के बबा हा। (हंसी)

सभापति महोदय :- श्रीमती रेणुका सिंह सरूता जी ।

श्रीमती रेणुका सिंह सरूता (भरतपुर सोनहट) :- माननीय सभापति जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है कि देश की संसद और राज्य की सभी विधानसभाओं में महिलाओं का एक तिहाई आरक्षण परीसीमन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुये तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये । मैं इस शासकीय संकल्प का स्वागत करती हूँ और अध्यक्ष महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने महिला आरक्षण बिल परीसीमन आरक्षण को लेकर यह विशेष सत्र बुलाया है, मैं आज 11 बजे से यहां अपनी पारी का इंतजार कर रही थी और अब मुझे बोलने का अवसर मिला है । सभापति महोदय, एक ऐसा विषय, ऐसा वक्तव्य, एक ऐसा बयान, इस सदन में किसी ने याद नहीं दिलाया है । 21 अप्रैल को एक बयान आया और मैं बहुत गंभीरता से उस बयान को देख रही थी । बयान था, वक्तव्य था, इंटरव्यूह था, सोशल मीडिया के पर्सनल मीडिया एकाऊंट में और प्रिंट मीडिया में भी इसका उल्लेख हुआ । प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशिल्या साय जी के विरोध में एक टिप्पणी की थी । आज वह सदन में उपस्थित नहीं है । उन्होंने 21 अप्रैल को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को यदि महिला आरक्षण की इतनी चिन्ता है तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें और अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कौशिल्या साय को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दें और उनको मुख्यमंत्री बना दें । ऐसा हल्का बयान, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दिया है । इस देश के सदन में एक नहीं बल्कि सात-सात बार महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत हुआ है । कभी बिल को फाड़ दिया गया, कभी बिल को जला दिया गया, कभी हंसी उड़ाई गई, कभी बिल गिरने पर मेज थपथपाया गया, जिसे इस देश की आधी आबादी की हमारी बहनों ने देखा है । इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को लेकर कितनी गंभीर है।

समय :

7.00 बजे

माननीय सभापति जी, जब कुछ करने की बारी आती है, जब महिलाओं को आरक्षण देकर उसे लागू करवाने की बारी आती है, तो ये पीछे हट जाते हैं, ये बयानबाजी करते हैं। आज सदन में नहीं हैं, आज सदन में होते तो आज यहां हजारों की संख्या में, दर्शक दीर्घा में पूरे प्रदेश की हमारी वह बहनें जो जनप्रतिनिधि भी हैं, जो कई संस्थाओं में काम करती हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हैं, ऐसी महिलाएं आज उनसे जवाब जरूर पूछतीं। इस बयान से सभी के मन को बहुत ठेस पहुंचा। मैं और मेरी बहन गोमती साय 19 सितंबर 2023 के उस ऐतिहासिक दिन को हम दोनों याद कर रहे थे, जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल को सदन में प्रस्तुत किया था। सेंट्रल विस्टा के निर्माण को लेकर कांग्रेस के लोगों ने बहुत विरोध किया। हम सब बहनें जब पुराने सदन में बैठती थीं, हम लोगों की इतनी छोटी सी बेंच हुआ करती थी जिसमें हम पांच महिला सांसद बैठती थीं। हमें बैठने में बहुत कष्ट होता था। हम बारी-बारी से बैठकर जब हमें कुछ बोलने का अवसर मिलता था, मैं केंद्रीय राज्य मंत्री थी, जब मुझे जवाब देने का मौका मिलता था तो हम सब एक-दूसरे को जगह देते थे, उस पांच में से दो बाहर चली जाती थीं और हम तीन बैठकर वहां अपनी प्रक्रियाओं को पूरा करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा लोकसभा भवन बनाया। 19 सितंबर साधारण दिन नहीं था। वह गणेश चतुर्थी का दिन था, बहुत पवित्र दिन था। जब हम किसी अच्छे कार्य को करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा-अर्चना करते हैं और इसके बाद ही हम अपने किसी काम की शुरुआत करते हैं। जो नया लोकसभा भवन बनकर तैयार हुआ उसमें पहला बिल महिला आरक्षण बिल आया, वह 19 सितंबर को प्रस्तुत हुआ, 20 सितंबर को बिल पारित हुआ, 21 सितंबर को राज्यसभा में बिल प्रस्तुत हुआ पारित हुआ, 29 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति जी का उसमें हस्ताक्षर हुआ और वह कानून बनकर तैयार हो गया है। अभी 16, 17, 18 अप्रैल को हमारी सरकार ने वहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जो विषय लाया, वह विषय यह था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण 33 प्रतिशत लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया। यह कानून परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने और लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण से संबंधित है। जब यहां पर चर्चा हो रही थी तो हमारे विद्वान सदस्यों की तरफ से बार-बार ये बात आ रही थी कि 2023 में जब महिला आरक्षण बिल पारित हो ही गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया है तो उसे माननीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी लागू क्यों नहीं कर देती है? इसके संबंध में जब बीच में बहुत टोका-टाकी हो रही थी, मैंने हमारे सदस्यों से कहा भी। हम सबने माननीय गृह मंत्री जी का बयान सुना। जब इस बिल पर चर्चा हुई, वोट के समय माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे देश की जनता को और सदन के सभी सदस्यों से ये कहा कि महिला आरक्षण बिल लागू

होगा, पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन, परिसीमन परिसीमन के बाद आरक्षण। हमारे गृह मंत्री जी ने वहां पर स्पष्ट रूप से कहा है और इसी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 16, 17 और 18 तारीख को बिल लाया गया था। 17 तारीख को बिल गिरा, महिलाओं ने बहुत उम्मीद की थी कि जब ये कानून लागू हो गया है, अब जब आरक्षण लागू करना है तो यह जरूर सदन में पारित हो जाएगा लेकिन पारित नहीं हुआ। हमारी बहन रायमुनी जी भी बोल रही थीं कि जब कोई भी अच्छा काम हमारी सरकार करती है तो विपक्ष के लोग कभी भी उसमें समर्थन नहीं देते हैं, बल्कि बहुत हल्ला करते हैं और ये हम सब लोगों ने भी देखा है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हूं, मैं तीसरी बार की विधायक हूं, मैं सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुकी हूं तो मुझे देश की सबसे बड़ी समस्या लगती थी कि जम्मू-कश्मीर में जो धारा 370 लगा हुआ था। जिसे हटाने के लिए न तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर था, न ही प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के पास कोई पावर था। यदि पावर था तो जम्मू-कश्मीर की दो तिहाई विधान सभा को था। जब हमने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 समाप्त किया तो उसका भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत विरोध किया। 500 वर्षों तक रामलला एक तंबू में रहे। जब उनके लिए मंदिर का निर्माण हुआ तो कांग्रेस के लोगों ने इसका भी बहुत भरपूर विरोध किया। जब हमारी सरकार सीएए कानून लेकर आयी तो उसका भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत विरोध किया। तीन तलाक को जब हमने समाप्त किया तो उसका भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत विरोध किया। जब हमारी सरकार जीएसटी लायी तो उसका भी बहुत विरोध किया। संसद भवन का विरोध किया। जब सहकारिता मंत्रालय बनाया गया तो उसका भी बहुत विरोध किया। जल जीवन मिशन की बात आती है। मैं हमारी बहनों को भी कह रही हूं कि सरकार ने सर्वे कराया था कि इस देश में कितने परिवार ऐसे हैं, जिनके घर के सामने नल का जल नहीं आता है तो एक आंकड़ा आया कि 19 करोड़ परिवार के पास पानी नहीं था तो सहकारिता मंत्रालय बनाने के पहले भारत सरकार ने जल मंत्रालय बनाया और आज जल मंत्रालय के माध्यम से सभी के घरों में पानी देने का काम हो रहा है। जब छत्तीसगढ़ सरकार के साथ-साथ अन्य जगहों पर भी नक्सलवाद का खात्मा किया जा रहा था तो इसका भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत विरोध किया। जब आतंकवाद को हमने सख्ती में डाला तो इसका भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया। एयर स्ट्राइक का विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया और 22 वर्षों के बाद अभी एसआईआर प्रारंभ हुआ तो उसका भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत विरोध किया। मैं राजनीतिक इतिहास को देख रही थी तो देश की आजादी को आज 78 साल हो गये और इन 78 सालों में 54-55 साल कांग्रेस की सरकार को हो गये। 15 कार्यकाल इन लोगों ने बिताया और इतने वर्षों में कांग्रेस और इनकी जो यूपीए की सरकार थी, इन लोगों ने कभी भी इतना नैतिक साहस इकट्ठा नहीं किया कि महिला आरक्षण बिल को यह कानून बना सके, उसको लागू कर सके। आज हमारी सरकार जब उसको कानून बना दी है और उसको जब लागू करने का अवसर आया तो कांग्रेस पार्टी के लोग और

अन्य जो विपक्षी दल के लोग हैं, ये बार-बार उसका विरोध करते हैं। आज देश की आधी आबादी इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है। वर्ष 1998, 1999, 2002, 2003 और 2004 में जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में भी चार बार यह बिल प्रस्तुत हुआ। भले ही बिल सदन में गिर गया, लेकिन उन्होंने इतना नैतिक साहस तो दिखाया कि बिल को एक नहीं बल्कि चार-चार बार प्रस्तुत किया और 78 सालों में इनकी सरकार 54-55 साल तक थी। 15 कार्यकाल यानी इनके 15 प्रधानमंत्री बने, लेकिन इन लोगों ने कभी भी महिला आरक्षण बिल के बारे में गंभीरता से चिंता नहीं की और शायद चिंता की होती तो यह महिला आरक्षण बिल पारित करने का, इसको कानून बनाकर महिलाओं को उनका अधिकार देने का हक और यह श्रेय आप सबको मिल जाता। आज हम गोमती साय जी के साथ चर्चा कर रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारी राष्ट्रपति हैं। जो एक गरीब परिवार से आती हैं, एक आदिवासी परिवार से आती हैं। जब वह राष्ट्रपति बनी तो बंगाल के कांग्रेस के एक सांसद, अभी तो वह चुनाव नहीं जीते। अधीर रंजन जी ने उन्हें राष्ट्रपति न कहकर सदन में राष्ट्रपत्नी कहकर उनका मजाक उड़ाया। जब-जब भी ऐसी कोई बात होती है तो हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाया तो यह तो पहले बना चुके थे। उस वक्त किसी ने भी नहीं कहा कि एक महिला को आपने राष्ट्रपति बनाया है तो उनको राष्ट्रपति कहे या राष्ट्रपत्नी कहे। लेकिन जब हमारी सरकार ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया तो अधीर रंजन जी ने उन्हें राष्ट्रपत्नी कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई। ये कांग्रेस के लोग हैं। इनकी मानसिकता नारी विरोधी है। आज यहां पर चाहे वे कितनी भी बात कर ले और कई बार हमारे विपक्ष के साथी मुझे भी लेकर टिप्पणी करते हैं, आज भी टिप्पणी हुई। मैं आज आप सब से भी यही कहूंगी कि आप लोग मेरी परवाह करना छोड़ दीजिए। संयुक्त मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश की पहली मंडल अध्यक्ष बनाकर काम करने का अवसर प्रदान किया। वर्ष 2008 में जब प्रेमनगर विधान सभा क्षेत्र आदिवासी सीट से सामान्य हुआ, तो हमारी पार्टी ने मुझे अवसर दिया और सरगुजा संभाग में सबसे बड़ा मत लेकर प्रेमनगर विधान सभा से मैं दूसरी बार विधायक बनी। वर्ष 2019 में पार्टी ने मुझे सांसद के रूप में टिकट दिया और जब मैं जीतकर आई तो पार्टी ने मुझे माननीय मोदी जी की सरकार में काम करने का अवसर दिया। इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। यानी जब भी हम लोगों के लिए कुछ ऐसा मौका आता है, तो पार्टी इसमें पीछे नहीं रहती है। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रही हूं कि हमारी पार्टी, चाहे रेणुका सिंह हों, चाहे हमारे प्रदेश भर में रहने वाली, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला बहनें हों, उन सबको हमेशा उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता के आधार पर काम सौंपती है। हमारी सरकार ने महिलाओं को लेकर बहुत सारे काम किए हैं। सभापति महोदय, आज के इस विषय पर आपने मुझे 5 मिनट का समय दिया था। मेरे पैर में चोट है इसलिए मैं बहुत ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं रह पाती हूं, इसलिए मैं इस संकल्प के पक्ष में अपना समर्थन देती हूं। मैं आज आप सबको भी धन्यवाद

देती हूं कि आपने मेरी बात भी सुनी। मैं हमारी विपक्ष की बहनों को भी धन्यवाद देती हूं कि जब मैं बोल रही थी तो आपने कुछ नहीं कहा। शायद हो सकता है कि आज आप मेरे पैर की परवाह जरूर कर रही हों कि हमारी दीदी को चोट लगी है, चूंकि आप सब मेरे चोट को देख रही थीं कि आप विधान सभा सत्र में क्यों नहीं आईं। सभापति महोदय, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा (खैरागढ़) :- सभापति महोदय जी, धन्यवाद । आज इस विधान सभा के विशेष सत्र में हम नारी शक्ति सम्मान एवं महिला के समग्र विकास, सशक्तिकरण के उद्देश्य से सदन में एकत्रित हुए हैं।

"संघर्ष से जो रास्ता बनाती है,
हिम्मत से हर सपना सजाती है,
वही नारी दुनिया को आगे बढ़ाती है।"

माननीय सभापति महोदय, आज मुझे सदन में बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। अगर वह महिलाओं की सच्ची हितैषी होती तो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023, का 128वां संविधान संशोधन सितंबर, 2023 में सदन के दोनों सदनों में पारित हो चुका है तथा राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भी इस पर हस्ताक्षर कर चुकी थीं तथा यह कानून भी बन चुका था। इस बिल को तत्काल लागू कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना ही नहीं चाहती।

सभापति महोदय, केंद्र सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण कराना चाहती है, जो गलत है। आज 2026 में जनगणना हो रही है। निश्चित ही 2026 की जनगणना में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि वर्ष 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हो, न कि 2011 के आधार पर। केंद्र सरकार कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का भ्रम फैला रही है, जबकि कांग्रेस चाहती है कि देश में हर महिला को इस बिल का लाभ मिले। सन् 1992 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.व्ही. नरसिम्हा राव की सरकार में प्रस्ताव पारित हुआ और महिलाओं को घूंघट प्रथा से ऊपर उठाकर पंचायत में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिला । यह बिल सन् 1993 में प्रभावी हुआ, जिसमें पंचायतों में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, आज जितनी भी महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच हो, पंच हो, यहां जितनी भी महिला जनप्रतिनिधि हैं, वह कांग्रेस की देन हैं। कांग्रेस शुरू से महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है तो यह कांग्रेस की नीति से संभव हो पाया है। सबसे पहले राजीव गांधी जी ने 1989 में मई महीने में पंचायतों में,

नगरपालिकाओं में महिलाओं के 1 तिहाई आरक्षण के लिये संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। वह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पास नहीं हो सका। सभापति महोदय, अप्रैल 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.व्ही.नरसिंहराव जी ने पंचायतों एवं नगर पंचायतों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण के लिये संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश किया, दोनों विधेयक पारित हुए और कानून बन गये। महिलाओं के लिये संसद और राज्यों की विधान सभाओं में एक तिहाई आरक्षण के लिये तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने संविधान संशोधन विधेयक लाये और यह विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ। कांग्रेस की सरकारों के प्रयास से आज देश भर में पंचायतों, नगरपालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधित्व है। सीटों के परिसीमन पर भाजपा का षडयंत्र है। वह महिला आरक्षण के नाम पर पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इस सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में हमर महिला के सम्मान के लिये यहां पर बात हो रही थी। यहां पर वरिष्ठ सदस्यों ने भी बात कही कि हम सदन के माध्यम से महिलाओं को संदेश देने का काम कर रहे हैं। महिलाओं को संदेश देने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश की महिला देख रही है कि महिलाओं के लिये सदन में पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और हमेशा उनके साथ रहेगी। महिला बाल विकास विभाग में हमारे सदस्यों ने भी अपनी बात रखी। महिला बाल विकास विभाग से अभी हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को किस प्रकार से साड़ी देने का काम किया है। 5 मीटर की फटी हुई साड़ी को देकर हमारी नारी शक्ति को अपमान करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारी कांग्रेस की सरकार में महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने का काम किया है, जिला पंचायत सदस्यों का, जनपद पंचायत सदस्यों का, सरपंचों का मानदेय बढ़ाया और यहां जितने भी विधायक बैठे हुए हैं, उनका भी मानदेय बढ़ाने का काम किया तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस ने महिलाओं को सम्मान करते हुए 2023 के विधान सभा चुनाव में 18 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें से 11 महिलायें विधान सभा में पहुंची हैं। तो यह हमारे कांग्रेस पार्टी की देन है।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- दीदी, मैं एक बात बोलना चाहती हूं। सभापति महोदय, ये बार-बार 11 सीट बोल रही हैं। मैं अपनी सीट की बात बताना चाहती हूं। प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 6 में मेरे को महिला प्रत्याशी देने के बाद मजबूरी में महिला को उतारा गया। मेरे बाद कि यहां महिला प्रत्याशी खड़ी है तो महिला प्रत्याशी देना होगा। बहुत लंबे समय बाद घोषित हुआ था। आप बार-बार ये चीजें मत बोलिये कि हम लोगों ने कम दिया, आप लोगों ने ज्यादा दिया और वह हार गई और हम जीतकर आ गये।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- तो क्या हुआ? महिला को सम्मान देते हैं, महिला को टिकट दिये तो इसमें गलत क्या है?

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- आप जो ये विषय बोल रही हैं कि पहले से दिया गया, कहीं-कहीं पर मजबूरी में भी दिया गया कि महिला खडी है तो महिला को लड़ाओ। मैं ये कहना चाह रही हूं।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- इसमें गलत ही क्या है? कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। आप पूरे छत्तीसगढ़ की महिलायें देख रही हैं कि महिला के सम्मान के लिये आज जितनी भी बात कर रहे हैं।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- दीदी, पूरा देख रही हैं, सब समझ रहे हैं।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- और भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं को संदेश देने की जरूरत नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ की महिला समझती है कि कौन सही है, कौन गलत है? आप लोगों ने महिलाओं को सिर्फ धोखा देने का काम किया है, भ्रम दिलाने का काम किया है। महतारी वंदन के नाम से आप लोगों ने पूरा विवाहित महिलाओं को देने का वादा किया था, लेकिन हमारी महिलाओं को 1 हजार रुपये नहीं मिलता है।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- वह तो आप लोगों ने भी एक बार भी नहीं दिया है, 500 रुपये एक बार भी नहीं दिया है।

श्री रोहित साहू :- आप लोगों ने 500 रुपये बोले थे न।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- आप अभी हमारी बात सुन लीजिए, आपकी बात हमने सुनी है। आप लोगों में सुनने की क्षमता होनी चाहिए। .. (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- सरकार ने 1 हजार रुपये देना शुरू तो किया न। आप लोगों ने एक बार भी नहीं दिया है। आप लोग बार-बार ये बात उठाते हैं, अच्छा नहीं लगता न। आप एक बार भी तो दिये होते।

श्री रोहित साहू :- आप लोगों ने 500 रुपये देने के लिये बोला था न, 500 रुपये कितने परिवार को दिये हैं, उसका भी बता दीजिए।

सभापति महोदय :- शकुंतला जी, आप सीधे संबोधन मत करिये।

श्री आशाराम नेताम :- भारतीय जनता पार्टी ने यह सम्मान दिया, महतारियों के नाम पर आवास दिया । (व्यवधान)

श्री जनक ध्रुव :- ओ हा 70 लाख नइ हे, 70 लाख में अउ बहिनी मन हावय, उहू मन ला ध्यान रखओ । (व्यवधान)

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आज हमारी महिलायें, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं । (व्यवधान)

श्री आशाराम नेताम :- चिंता किये, हमारी विष्णुदेव साय सरकार ने 1000 रूपये दिये, क्या बात करते हैं ? आप बहनों को 500 रूपये नहीं दिये, आप बहनों की बात करते हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- यशोदा नीलाम्बर जी आप इधर बोलिये ।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- सभापति महोदय, वद्धा पेंशन योजना । आज महिलाओं को जाकर पूछिये, 5-5 महीने से उनको नहीं मिला है, आज उसके दुख को आप लोग देखिये । वह बार-बार बैंक के चक्कर काट रहे हैं । क्या आप लोगों का यही महिला का सम्मान है जो बैंक में लाईन लगाये हैं, वहां बुजुर्ग लोग लगाये हैं । 5-5 महीने से उनको अभी तक का वृद्धा पेंशन नहीं मिला है ।

श्री रोहित साहू :- सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- रोहित जी, आप बैठिए ।

श्री रोहित साहू :- मैं इनके जवाब में बोलना चाहता था ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न । बाद में बोलिएगा ।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- सभापति महोदय, आपने उज्जवला योजना में कहा कि देश के प्रधानमंत्री महिलाओं की आंख में आंसू नहीं देखना चाहते हैं । आज जाकर देखो, हर महिला की आंखों में आंसू है और आप लोगों ने एक टारगेट दे दिया है कि ग्रामीण में 45 दिन और शहर में 25 दिन में गैस सिलैण्डर मिलेगा । यह आपकी नीति है । आप लोग नहीं चाहते कि हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित रहें । हमारी महिलाओं को आरक्षण मिले, आरक्षण के नाम से आप लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, वोट बैंक कमाने के लिये आप लोग यह आरक्षण लाये हैं । हम चाहते हैं कि वर्ष 2023 में जो नियम, जो कानून पास हुए हैं उस आधार पर वर्ष 2026 के परिसीमन और जाति जनगणना के हिसाब से आप लोग आरक्षण को लाईये ताकि हमारे पिछड़ा वर्ग और एस.टी., एस.सी., ओबीसी जितनी भी महिलायें हैं, सबको लाभ मिले और सबको जाने का अवसर मिले । पंचायती राज में जाने का अवसर मिले, लोकसभा में जाने का अवसर मिले, विधानसभा में भी आने का हमारी महिला बहनों को अवसर मिले, यही हम चाहते हैं । मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूं । मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं कि - बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी जब उड़ती है तो दिन-रात बदल देती है । जब नारी शक्ति गरजती है तो इतिहास बदल देती है । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ ।

सभापति महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक ।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो प्रदेश के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि यहां पर नारियों के सम्मान को लेकर के, उनके सशक्तीकरण को लेकर के और उसके साथ में जो परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम । हमारे विधानसभा और लोकसभा में 33 प्रतिशत

उनको आरक्षण इसको लेकर के शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं इसके लिये उनको बहुत बधाई देता हूं ।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष जी को भी इसके लिये आभार व्यक्त करता हूं कि आपने विशेष सत्र बुलाकर के हम सबको इसमें चर्चा करने का आपने अवसर प्रदान किया है ताकि प्रदेश के लोगों के सामने हम रख सकें कि हमारी प्रतिबद्धता कल भी थी, हमारी प्रतिबद्धता आज भी है और हमारी प्रतिद्धता कल भी रहेगी कि 33 प्रतिशत आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में हम इन नारी शक्तियों को दिलायेंगे, महिला बहनों को दिलायेंगे और इसके लिये भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और हमारे केंद्र में मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी दोनों की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम आशांवित हैं और आश्वस्त भी करते हैं । माननीय सभापति महोदय, हम यदि पूरे वैश्विक स्तर पर इसका आंकलन करें कि आज देश में और पूरी दुनिया में नारी शक्तियों का जो सशक्तीकरण की दिशा में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो उनका योगदान है और पुरूषों की तुलना में इतना प्रयास करने के बाद भी किस स्थान पर खड़े हुए हैं । आज हम देखेंगे तो निश्चित रूप से जहां एक तरफ पुरूषों की जो संख्या है और उनका जो प्रतिशत है उस प्रतिशत के आगे हम महिलाओं की बात करेंगे तो एक नगण्य महसूस हो रहा है। इसी बात को लेकर के कई उसे शोध हुए हैं, सर्वेक्षण हुए हैं और दुनिया भर में जो निर्णय लिए, उसके बाद भी सभी स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम है । राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिग समानता के लक्ष्य में बेहद दूर हैं । अभी ताजा समय में जनवरी, 2025 तक के आंकड़े हैं, जिसमें विश्व में मात्र 25 देश ऐसे हैं, जहां 28 महिलाएं राज्य प्रमुख या सरकार के प्रमुख के रूप में कार्यरत् हैं। विश्व में निर्णय निर्माण में आम भूमिका निभाने वाले मंत्रालयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 22.9 प्रतिशत है । विश्व में सिर्फ 9 देश ऐसे हैं, जहां केबिनेट मंत्रियों के 50 प्रतिशत या उससे अधिक पदों पर महिला कार्यरत् हैं । यदि हम वैश्विक स्तर पर व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जब बात करें तो संसद में एकल या निचले सदनों में केवल 27.2 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हैं । विश्व में केवल 6 देश संसद के एकल या निचले सदनों में 50 प्रतिशत या उससे अधिक महिलाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से रवांडा, निकारागुआ, अंडोरा, मैक्सिको और संयुक्त अरब अमीरात हैं । यदि हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि आजादी के बाद में जब हम देखेंगे कि दशकों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी काफी सीमित रही है, हालांकि अब महिलाओं की सहभागिता में निरंतर वृद्धि हो रही है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1952 में हमारे देश में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था और 1952 के चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 5 प्रतिशत था । हम 2000 के आम चुनाव की बात करेंगे तो मोदी जी के आने के बाद महिलाओं का प्रतिनिधित्व 13.63 प्रतिशत हो गया है । 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं चुनकर आई थीं और उसके

बाद में जब हम 2024 की 18वीं लोकसभा की बात करेंगे तो उसमें 74 महिलाएं चुनकर आई हैं और इसे प्रतिशत में देखेंगे तो 14-15 प्रतिशत से भी कम महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आज हमारे कांग्रेस के साथी बड़ी-बड़ी बात करते हैं । वे 73वां, 74वां संविधान संशोधन की बात करते हैं कि हमारे द्वारा संविधान संशोधन लाया गया और 33 प्रतिशत का आरक्षण हमने नगरीय निकाय में दिया, 33 प्रतिशत का आरक्षण हमने पंचायती राज में दिया, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने नगरीय निकाय में आरक्षण देने की सहमति जताई, आपने पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने की सहमति जताई, लेकिन जब उसी 33 प्रतिशत की बात लोकसभा और विधान सभा में आई तो आपने उस बिल को गिराने का काम किया है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, हमने उसमें भी सहमति जताई, उसमें भी हमारी सहमति थी ।

श्री धरम लाल कौशिक :- उस बिल को गिराने का काम इसलिए भी किया है कि आपको यह लगा कि हमारी जमीनें खिसक जाएंगी कि लोकसभा और विधान सभा में आपको खतरा महसूस होने लगा, आपको नगरीय निकाय और पंचायती राज में लगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है और इसमें चुनाव होंगे तो हम पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जब यही बात लोकसभा और विधान सभा के लिए आई तो आपको फर्क पड़ने लगा । आप बार-बार बात करते हैं कि हमने सहमति जताई तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि केन्द्र में 5 दशक तक आपकी सरकार रही । 5 दशक तक आपकी सरकार रही तो आपने कभी इस बिल को लाने का प्रयास किया ? उस प्रयास में आपने कितना आगे बढ़ने का काम किया है ? आप यह कभी नहीं चाहते थे कि लोकसभा और विधान सभा में महिलाओं को आरक्षण मिले और इसलिए कहा जाता है कि सारा विपक्ष और कांग्रेस यदि विरोधी हैं तो महिलाओं के विरोधी हैं, इस बात को 5 दशक में आपने तय किया है कि इस नाम से कोई बिल लाने का प्रयास आपने नहीं किया ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, अगर आप महिला विरोधी नहीं हैं तो जब बिल पास करने के लिए चर्चा हुई तो 543 सदस्यों में से 75 महिलाएं हैं, वहां पूरे महिला सदस्यों को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया ? आपने सिर्फ 40 सदस्यों को बोलने के लिए सीमित कर दिया । वहां पर पूरी महिलाओं को बोलवाना था । सबको बात रखने की आजादी है ।

सभापति महोदय :- संगीता जी, वह बोल रहे हैं और आप अपनी बात बोल चुकी हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष इस बात को रखना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए प्रथम बार 1996 में बिल लेकर आये थे। सन् 1996 में जो सरकार बिल लेकर आई, उसमें कांग्रेस का समर्थन था। कांग्रेस के समर्थन के बाद देवगोड़ा जी के द्वारा बिल तो लाया गया और लोकसभा में बिल समिति को सिफारिश के लिए सौंपा गया। समिति का प्रतिवेदन आ गया। समिति

का प्रतिवेदन आने के बाद एन-केन-प्रकारेण, किन्तु-परन्तु जोड़कर वह लोकसभा में ही समाप्त हो गया, लेकिन वह बिल पारित नहीं हुआ और वह बिल लेप्स हो गया।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी आये। 1998 से 2008 तक यह प्रयास किया गया। जो बिल लेकर आये, उस बिल को इनके द्वारा यह कहकर बिल के खिलाफ वातावरण बनाने का प्रयास किया कि इसमें पिछड़े वर्ग के लिए स्थान नहीं दिया गया है।

समय
7.31 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

कभी मुस्लिम लोग की बात आई कि इसमें उनके लिए आरक्षण नहीं दिया गया है। इस प्रकार से उस बिल को पारित कराने में कोई भूमिका नहीं रही। उस समय किन्तु-परन्तु जोड़कर रोकने का प्रयास किया। स.पा. के सांसद का नाम आया, उनके द्वारा बिल को फाड़ने का काम किया गया। आज इनके सहयोगी हैं। आर.जे.डी. के द्वारा उस बिल को रोकने का काम किया गया। आज इनके सहयोगी इंडी का गठबंधन है। इस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर उस बिल को कहीं न कहीं से घुमाकर, विरोध करने का काम विपक्ष पार्टी कांग्रेस के द्वारा किया गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस की सरकार आई। सन् 2008 में सरकार में आने के बाद सन् 2010 में राज्यसभा में पारित करवाया। राज्यसभा में पारित कराने के बाद आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने सन् 2010 में राज्यसभा से पारित करवाया तो फिर लोकसभा में क्यों नहीं लेकर आये ? उस समय आपकी सरकार थी। 2011 में आपकी सरकार थी, 2012 में आपकी सरकार थी, 2013 में आपकी सरकार थी, सन् 2013 तक आपकी सरकार होने के बाद भी आपने राज्य सभा में उस बिल को पारित करवाया तो आखिर लोकसभा में क्यों लेकर नहीं आये ? मैं यह प्रश्नचिन्ह इसलिए लगा रहा हूं कि आप जो बोल रहे हैं कि हम महिला विरोधी नहीं हैं, जब आप राज्य सभा में पारित करवा सकते हैं, तो लोकसभा में क्यों पारित नहीं करवाये ? यह इस बात को तय कर रही है कि आप महिला विरोधी हैं। महिला विरोधी होने के कारण आप उस 5 साल में बिल को लेकर नहीं आये और आपने लोकसभा में पारित नहीं करवाया। यह महिला विरोधी होने का प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के पहले लोकसभा में कांग्रेस से केवल 49 सांसद के रूप में चुनकर आये थे। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद यह देखा गया कि महिलाओं का जिस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके नेतृत्व का विकास होना चाहिए, उनकी नेतृत्व की क्षमता बढ़नी चाहिए, उच्च सदन में हो चाहे विधान सभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, उनको राजनीतिक दृष्टिकोण से नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित

होनी चाहिए। उससे यहां की जो समस्याएं हैं, महिलाएं अच्छे से जानती हैं कि चाहे वह परिवार की समस्या हो, चाहे वह समाज की समस्या हो, चाहे वह प्रदेश की समस्या हो, उस समस्या के माध्यम से उनका निराकरण किया जा सकता है, तब सन् 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक लाया गया और उस विधेयक को पारित किया गया। मैं इसके लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एन.डी.ए. की सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कार्य किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी चाहते थे कि यह लागू हो जाए और लागू होने के लिए ही यह 2026 में बिल लेकर आए। वह चाहते थे कि जिस प्रकार से पहले जो बिल लाया गया, उस समय 543 की संख्या पार्लियामेंट की रही थी। यह कब की बात है? 1971 की बात है। 1971 की बात है जब उस समय 543 की संख्या थी। देश की आबादी 54 करोड़ की थी, लेकिन आज तीन गुना आबादी बढ़ चुकी है और मोदी जी यह चाहते हैं कि आबादी जब तीन गुना बढ़ चुकी हैं, तो पार्लियामेंट में सदस्यों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। विधानसभा में सदस्यों की संख्या भी बढ़नी चाहिए और इसलिए 2026 में इस बिल को लेकर आए कि परिसीमन के माध्यम से हम महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाएं और संख्या बढ़ने के बाद में उनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होगा और बड़े विस्तृत रूप से महिलाओं का उनकी संख्या के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में उनके जाने का प्रवेश द्वार खुलेगा। इसलिए इस बिल को लेकर आए। लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे, विपक्षी नहीं चाहते थे कि संख्या बढ़े। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, यदि संख्या बढ़ती तो केवल हमारे सांसद तो बढ़कर के नहीं जाते न? महिलाओं की संख्या बढ़ती न? महिलाओं की जब संख्या बढ़ती तो दोनों पार्टी को टिकट देने पड़ते, अन्य राजनीतिक दल को टिकट देने पड़ते और उनको एक टेबल में बैठे-बैठे आरक्षण की सुविधा प्राप्त होती। यह संख्या बढ़ने के बाद में आज हम जहां पर देख रहे हैं कि नीति निर्धारण में महिलाओं की संख्या नगण्य है, लोकसभा और विधानसभा के माध्यम से एक बेहद स्तर पर इस देश के नीति निर्माण में उनकी संख्या बढ़ती, सांसद के रूप में पार्लियामेंट में पहुंचतीं, विधायक के रूप में विधानसभा में पहुंचतीं और निश्चित रूप से इस देश के भाग्य बदलने में एक महत्वपूर्ण अधिकार महिलाओं को मिलती। यह महिलाओं को वंचित करने का काम यह कांग्रेस के द्वारा किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उसके बनने के पहले हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस के पांच दशक की सरकार में महिलाओं की क्या स्थिति रही? महिलाओं की स्थिति को हम तो गांव के विधायक हैं, हमने आंकलन किया है। भरी दोपहरी में महिलाएं जंगल में जाती थीं, लकड़ी काट करके वहां से गट्ठे बना करके लाती थीं और ईंधन के रूप में उसका उपयोग करती थीं। ईंधन के रूप में उपयोग करने के बाद में जिस प्रकार से उस धुएं के कारण में चाहे वह शारीरिक बीमारी हो या नेत्र की बीमारी हो, उनको भरपाई करनी पड़ती था। लेकिन पांच दशक में कभी याद नहीं आया, लेकिन मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब देश के 10

करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना से जोड़ने का काम किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, एन.डी.ए. के प्रधानमंत्री के द्वारा यह जोड़ने का काम महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं जब मोदी जी स्वच्छता की बात किए, तब लोगों के पेट में दर्द होने लगा कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में क्या स्वच्छता संभव है? इसके लिए बजट में कोई प्रावधान किए हैं? लेकिन आज मुझे कहने में इस बात की खुशी हो रही है, जिस दिन लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिस दिन लोग इस स्वच्छता का मजाक उड़ा रहे थे, आज वह दिल्ली जा रहे हैं और स्वच्छता सर्वेक्षण में महामहिम राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार लेकर सम्मानित होकर के आ रहे हैं, इनको सम्मान दिलाने का काम किसी ने किया है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं बल्कि आर्थिक समावेशी विकास, बैंक से जोड़ने का काम, उनका खाता खुलवाने का काम, जिन्होंने कभी बैंक का द्वार नहीं देखा था, उन महिलाओं के लिए खाते खुलवाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करने के बाद में आज महिलाएं इस देश के एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब आपने पहली बार महिलाओं के नाम से खाद्यान्न और चावल देने का काम किया और आपने महिलाओं को एक ताकत दी है। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि यदि महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री कराएंगे तो उसमें 2% की छूट दी जाएगी और जब आप मुख्यमंत्री थे, तब उनको संपत्ति में मालिकाना हक बनाने का काम आपके द्वारा किया गया। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, जिन्होंने इस प्रदेश में महतारी वंदन योजना को लेकर आये। इसके संबंध में मैं यह कह सकता हूँ कि उनकी सरकार ने पिछले 5 सालों में 500 रूपये नहीं बढ़ाया, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा एक परिवार नहीं, बल्कि परिवार के हर एक महिला सदस्य को 5 सालों में 60,000 देने का काम किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिलपहरी एक ग्राम है। मैं जब वहाँ पर जनसंपर्क में गया था, तब वहाँ के एक महतारी से मैंने पूछा था कि आपको महतारी वंदन योजना में पैसा मिल रहा है? उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, मेरे को पैसा मिल रहा है। मैंने पूछा कि कितना पैसा मिल रहा है? उन्होंने कहा कि मुझे प्रतिमाह एक-एक हज़ार रूपये मिल रहा है। उन्होंने और कहा कि मेरी दो बहू हैं, उन दोनों बहुओं को भी एक-एक हजार रूपये मिल रहे हैं। मैंने कहा कि तीनों को पैसे मिल रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मेरे दोनों बहू के तीन-तीन बहू और हैं। तब कितने लोग हो गये? 9 लोग हो गये। अब 9 लोगों को 5 साल में कितने लाख रूपये मिल गये हैं? 5 लाख से ऊपर केवल एक परिवार को देने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है।

अध्यक्ष महोदय :- वे सभी आपके वोटर हैं या नहीं हैं? (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- वे लोग सिलपहरी ग्राम के हैं। मेरे पास उनका नाम हैं, मैं उनका सम्मान कर के आया हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं यह पूछ रहा हूं कि वे आपके वोटर हैं या नहीं है?

श्री धरमलाल कौशिक :- हमारे वोटर हैं। मैं वहाँ पर संगीता जी को ले जाऊँगा। संगीता जी, मैं आपको वहां उस परिवार से मिलाने के लिए ले जाऊँगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी महोदय। आपने अपने विधान सभा क्षेत्र की बात रखी है, मैं भी अपने विधान सभा क्षेत्र की बात रख देती हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- अब क्या रखेंगे? बैठिये, बैठिये। कौशिक जी, आप समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बोला कि महतारी वंदन योजना में इतने लोगों को पैसा मिला रहा है। अध्यक्ष महोदय, घर-घर में लड़ाई हो रही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आज दिन भर आप ही बात रख रही हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, घर में एक देवरानी को मिल रहा है, जेठानी को नहीं मिल रहा है। इससे भेदभाव हो रहा है, लड़ाई हो रही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपको अपने विधान सभा क्षेत्र में ले जाऊँगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप उधर नहीं, इधर देखकर बोलिये। सी.एम. साहब बैठे हैं। चलिये, आप भी समाप्त करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो नारियों को शक्ति का प्रतीक मानते हैं और नारियों को शक्ति का प्रतीक मान कर कर उनके सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार के द्वारा कार्य किए गए हैं। इसीलिए हम लोग जब नहाने के समय भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो नदियों का नाम भी हमारे देवियों के नाम से रखा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, शिप्रा नाम का उच्चारण करते हुए हम जल का छींटा लगा कर स्नान करते हैं। यह हमारा पवित्र भाव है। दुनिया भर में यदि किसी देश को माता कहा जाता है, तो वह भारत देश है और पूरे देश में यदि कोई प्रदेश है, जिसे महतारी नाम से पुकारा जाता है, तो वह हमारी छत्तीसगढ़ महतारी है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम सतयुग से लेकर त्रेता, त्रेता से लेकर के द्वापर और द्वापर से लेकर के कलयुग तक देवी की आराधना करते हैं, हम नारी को शक्ति का प्रतीक मानते हैं। हमारे सत्ता और प्रतिपक्ष के साथियों ने ऐसे अनेक नामों का उल्लेख किया है। इसलिए मुझे उन नामों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी नीयत ठीक है, हमारी दिशा ठीक है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है। उनकी सरकार के द्वारा 5 दशकों में कुछ नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उनके द्वारा रोकने का काम किया गया है। हम भी देखते हैं कि इस बिल को वे कब तक रोक कर रखेंगे। इसीलिए हमारे

प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव को इस शासकीय संकल्प को यहां लेकर आना पड़ा, जिसकी अनुमति आपने दी है। मैं समझता हूं कि आने वाला समय में निश्चित रूप से एक सकारात्मक वातावरण बनेगा और वर्ष 2023 में पारित किए गए अधिनियम का बहुत जल्दी क्रियान्वयन होगा। आज यदि इसमें देरी हुई है तो केवल इन लोगों के कारण में देरी हुई है। इसलिए मैं नारी के बारे में कहना चाहूंगा -

"नारी नारी मत कहो, नारी है नर की खान।

और नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारी नारियों की महिमा रही है। मैं सभी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के साथियों से आग्रह करता हूं कि इस शासकीय संकल्प को सर्वसम्मति पारित किया जाए और महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। इसी सहयोग की अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती विद्यावती सिदार जी । थोड़ा संक्षिप्त में । जितना रन बनना है, बन गये हैं । बोलिये ।

श्रीमती विद्यावती सिदार (लैलूंगा) :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी । पहली बार बोलने का मौका मिला है । मैं सभी का गंभीरता के साथ सुन रही थी तो मेरे को भी बोलने दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिये । पहली बार बोल रही हैं तो अच्छे से बोलिये ।

श्रीमती विद्यावती सिदार :-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महिला आरक्षण बिल वर्ष 2023...।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार बोलने का अवसर कांग्रेस पार्टी एक महिला विधायक को दे रही है । अपने दल के महिला विधायक के साथ तो न्याय नहीं कर पाते हैं, सारा समय संगीता सिन्हा जी खा जाती है ।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस और हमारे नेता प्रतिपक्ष के ऊपर में आरोप मत लगाईये । मेरे को पहली बार बोलने का मौका मिला है बोल रही हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके नेता कौन है ?

श्रीमती विद्यावती सिदार :- चन्द्राकर जी, आप सभी को डिस्टर्ब करते हैं, मेरे को मत बोलिये । जब मेरा मुंह खुल जायेगा तो आपका मुंह बंद हो जायेगा । (हंसी) सभापति महोदय, संसद में वर्ष 2023 में पारित हुये महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद भी महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं का शोषण कम नहीं हो पा रहा है और उसके बाद भी यह कहते हैं कि हम नारी वंदन कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आरक्षण बिल का वास्तविक अर्थ मिहलाओं के अधिकार और उनके स्वाभिमान की रक्षा से है । मॉ के नाम से एक पेड़ लगाने की योजना के तहत जंगल की कटाई का

विरोध करने गई महिलायें कोई चोरी, डकैती करने नहीं गई थी । मैं इसको भली-भांति जानती हूँ । अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा में आप लोगों ने महिलाओं को कितना सम्मान किया है, इसे पूरे विधान सभा ने देखा है । तमनार में जिस तरह घटना हुई है, जहां महिला को पुलिस कर्मियों ने घसीटते हुये उसे नजरबंद किया । यह आपकी सरकार है । अध्यक्ष महोदय, आज नारी सम्मान की बात आपकी पार्टी करती है, मैं उस क्षेत्र की निर्वाचित विधायक हूँ, मेरे को 36 घण्टे नजरबंद किया गया, लेकिन आपकी सरकार और आपकी सुरक्षा बलों ने कोई ध्यान नहीं दिया, यही आपकी महिला आरक्षण बिल में प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, आज सभी सत्ताधारी दल के सदस्यों ने कांग्रेस के ऊपर में आरोप लगाया है कि कांग्रेस महिला विरोधी है । अगर कांग्रेस महिला विरोधी रहती तो इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हमारे कांग्रेस की नहीं बनी होती । आज महिला का अधिकार हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं, लेकिन महिला आरक्षण और उस बिल के साथ आप परीसीमन बिल लाना चाह रहे थे, हम उसका विरोध करते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम महिला आरक्षण के लिये विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं आसंदी से व्यवस्था चाहूँगी कि जितने भी हमारे सरकार में बैठे मंत्री जी हैं और यहां पर नये लोग रहते हैं उसको डिस्टर्ब किया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है । अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को कभी-कभार मौका मिलता है और बड़े हिम्मत के साथ में इस मंच में खड़े होते हैं और अपनी बात को रखते हैं । अपने विधान सभा में हमारी भी समस्यायें होती हैं । हमारी विधानसभा के लोग भी देखते रहते हैं कि हमारी विधायक कब बोलेंगी। लेकिन मैं सीनियर विधायक से यही कहना चाहूंगी कि आप हमको भी आगे बढ़ने का मौका दें। [XX][4] फिर आप महिला आरक्षण की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- यह विषय जो आप अब बोल रही हैं, इसका समय भी समाप्त हो गया है और जो विधेयक के संबंध में बोल रही हैं, मैं उसको विलोपित करता हूं।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- अध्यक्ष महोदय, मुझे बात में पता चला। मैं क्षमा चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए अब आपका बहुत अच्छे से हो गया। आप बहुत बढ़िया बोलीं।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- अध्यक्ष महोदय, मेरी अभी और बाकी है। महिला आरक्षण बिल वर्ष 2023 को लागू करने हेतु जनगणना एवं परिसीमन का संशोधन जोड़कर लागू करने की बात कर रहे हैं। पांच राज्यों के चुनावों के प्रभाव के लिए बिल लाया जा रहा है। आपकी मंशा पूर्ण नहीं हुई, इसलिए आप कांग्रेस पर महिला विरोधी का आरोप लगा रहे हैं। परिसीमन एक अलग प्रक्रिया है, इसे महिला आरक्षण से क्यों जोड़ा जा रहा है? पहले आप जनगणना करवाइए, जाति जनगणना करवाइए, उसके बाद में परिसीमन लाइए। जब परिसीमन लाएंगे तो स्पष्ट कीजिए कि आप ओबीसी को कितनी सीट दे रहे हैं, आप एसटी को कितनी सीट दे रहे हैं और एससी को कितनी सीट दे रहे हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए। आप लोग कांग्रेस पार्टी को बार-बार महिला विरोधी कह रहे हैं। आज इस मंच में सब लोग बोल रहे हैं, यह

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

कांग्रेस की देन है। आजादी से पहले अगर किसी पार्टी का वर्चस्व रहा है तो कांग्रेस पार्टी का रहा है। उस समय आप लोग कहां थे? जब देश आजाद हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी कहां थी? उस समय कांग्रेस थी या भारतीय जनता पार्टी थी, मैं पूछना चाहूंगी। कांग्रेस ने यह किया, कांग्रेस ने वह किया, कांग्रेस ने यह नहीं किया, अभी आपकी सरकार है, जनता ने आपको चुना है, आपको काम करने के लिए चुना है, कांग्रेस पार्टी को दोषारोपण करने के लिए नहीं चुना है। अगर आपको छत्तीसगढ़ में जनता ने चुना है तो आप काम करिए। अगर आपको आरक्षण बिल लाना है तो परिसीमन के साथ नहीं, सिर्फ महिला आरक्षण लेकर आइए, हम आपका समर्थन करते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। राघवेंद्र सिंह, संक्षेप में थोड़ा बिंदुवार बोल दीजिए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- जी, अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज बहुत ही गंभीर विषय पर यह सदन चर्चा कर रहा है। मैं अपनी बात संक्षिप्त में ही रखना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग बात कर चुके हैं, चीजें पटल पर आ चुकी हैं और दोनों पक्ष की ओर से काफी जानकारियां हम लोगों को मिली हैं। आज जो शासकीय संकल्प आया है, इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तीकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा क्योंकि बाकी बातें हो चुकी हैं, मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारा संविधान अनुच्छेद 82, 170 और थोड़ा सा अनुच्छेद 81 में इस पूरे मुद्दे की चर्चा करता है। चाहे वह पार्लियामेंट की सीटें हों या असेंबली की सीटें हों। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब हमारी जनसंख्या कम थी जिसकी वजह से हमारी सीटें उस समय करीब 8 से 10 लाख के बीच में वहां पर बनीं। 1951 में जब हमारा चुनाव हुआ तो 500 से कुछ कम, 490 के आसपास सीटों में, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं कोट कर रहा हूं, करीब-करीब 490 सीटों में चुनाव हुए। संविधान में यह प्रक्रिया दी गई कि हर 10 साल में सेंसस हो। उस सेंसस के हिसाब से जितनी जनसंख्या हमारी आबादी बढ़ रही है, आबादी के साथ-साथ डीलिमिटेशन का एक प्रोसेस हो जो कमीशन बने और जहां-जहां जितनी आबादी बढ़ी है, उस हिसाब से हमारी वहां पर डीलिमिटेशन हो। उदाहरण के लिए, यदि कहीं 20 लाख बढ़ती है तो दो सीटें, कहीं 10 लाख बढ़ती है तो एक सीट। अगर हम हमारे आर्टिकल 81 में बात करें तो दो प्रिंसिपल बड़े क्लियर थे, एक बाउंड्रीज को री-ड्रॉ करना, क्योंकि हो सकता था कि एक राज्य में जब कुछ जनगणना होती है तो राज्य में हमारी आबादी बढ़ रही है। लेकिन वहां पर भी अनुपात अलग हो सकता है। किसी स्टेट के सेंट्रल में ज्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन वहां पर भी अनुपात अलग हो सकता है कि किसी स्टेट के सेंटर में शायद ज्यादा बढ़ रही है और यदि एक साइड में जाए तो वहां पर हमारी जनसंख्या का अनुपात कम है तो उसको भी रीड्रा करने के लिए इसमें प्रावधान प्रिंसिपली हम लोगों को दिया गया था।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 1957 में परिसीमन हुआ, जो वर्ष 1951 के आसपास के सेंसस के हिसाब से हुआ, तब हमारी चार सीटें लोक सभा में उस समय बढ़ाई गई थीं। वहीं वर्ष 1961 के बाद जब हुआ तो वह 522 के आसपास पहुंच गईं और इस समय था, जब हम लोगों को यह समझ में आया, हल्की सी यह बात सामने आई कि नॉर्थ और साउथ का एक डिवाइड आ रहा है, नॉर्थ-ईस्ट का एक डिवाइड आ रहा है कि जिस प्रपोर्शन में जनसंख्या बढ़नी चाहिए, वह देश में काफी अलग तरीके से बढ़ रही है और यह बात तब से वहां पर उठने लगी। वर्ष 1971 के चुनाव के बाद वर्ष 1973 में जब डी-लिमिटेशन हुआ, जब हमारी सीटें बढ़कर 543 के आसपास हो गईं, तब यह बात बहुत क्लियरली सामने आई कि साउथ और नॉर्थ का जो डिवाइड था, वह कहीं न कहीं बहुत सीधे तौर पर आ रहा था। इसलिए जनसंख्या का स्थिरीकरण करने के लिए 42वें संशोधन में वर्ष 2000 तक उसको फ्रीज किया गया कि इस बीच सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। यह बात जब एक आदरणीय सदस्य कह रहे थे तो मैंने इस बात को कहा। अभी आदरणीय सदस्य नहीं बैठे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मैं सही पढ़कर आया होऊंगा तो मैं उसी विश्वास के साथ दोबारा पढ़ने गया और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मेरी बात सही निकली। यह वर्ष 2000 तक फ्रीज किया गया था। उसके बाद वर्ष 2001 में 84वें संशोधन से, दिनांक 21.02.2002 के संशोधन से इसको वर्ष 2026 तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार द्वारा फ्रीज किया गया तो मैं यह रिकॉर्ड सही कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे आदरणीय सदस्यों ने इस बात को लाया कि इंदिरा जी ने वर्ष 2026 तक इस नंबर को फ्रीज कर दिया था। यह वर्ष 2000 तक फ्रीज था और वर्ष 2001 के बाद अरुण जेटली जी द्वारा दोबारा यह लाया गया और उसके बाद इसको फ्रीज किया गया। यह वर्ष 2026 तक पॉपुलेशन स्टेबिलाइज करना था कि नॉर्थ-साउथ और बाकी जगह जहां पर पॉपुलेशन पूरी नहीं, एक साथ बढ़ रही है, वहां पर हम इसको कम से कम स्टेबिलाइज कर दे। यह बात आई और उसके बाद फिर 87वां संशोधन आया कि जब सेंसस हो चुका है तो वर्ष 1991 से हम परिसीमन के बारे में क्यों सोचे? हमको वर्ष 2001 के बारे में सोचना चाहिए। वर्ष 1971 के बाद से हमारी जो सीटें वर्ष 1976 में बढ़ीं, उसके बाद अभी तक हमारी ये सारी सीटें फ्रीज हैं। बहुत सारे सदस्य यहां पर कह रहे थे, जिस पर हस्तक्षेप भी हो रहा था। बार-बार कहा जा रहा था कि आप महिला बिल का विरोध कर रहे हैं, महिला बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी आदरणीय विजय शर्मा जी नहीं हैं। उन्होंने यह बात क्लियर की कि महिला बिल तो पास हो चुका है और है। यही बात तो हम भी कह रहे हैं। महिला बिल पास हो चुका है, उसका विरोध नहीं किया जा रहा है। यहां पर मेरे हाथ में उसकी कॉपी भी है। जब वूमेन रिजर्वेशन बिल, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल 128वां संशोधन कहा गया, नारी शक्ति अधिनियम कहा गया, उसमें यह बहुत साफ प्रावधान था। जब सारी पार्टियां साथ आईं कि जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी और जब राहुल जी बार-बार इस बात को सदन में कह रहे थे कि जातिगत जनगणना

करनी होगी, क्योंकि यह देश का एक्स-रे है। हमें समझ में आएगा कि इतने सालों बाद जातिगत रूप से हम कहां-कहां खड़े हुए हैं, लेकिन उस समय माहौल उड़ाया गया। उनके बारे में कई बातें कही गईं, उनकी जाति के बारे में बातें कही गईं, लेकिन वह बहुत अड़े हुए थे कि हमको जातिगत जनगणना करनी होगी और उसके बाद जब सरकार इस बात को मानी।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह तो बता दे कि आखिर जाति जनगणना को रोका किसने था? जब सत्ता में रहते हैं तो आपका स्टेट दूसरा होता है और विपक्ष में आते हैं तो दूसरा होता है। यह दो मुंही चेहरा देश की जनता बखूबी जानती है। आखिर जातिगत जनगणना को किसने रोका था, यह भी तो आप सदन में स्पष्ट करें।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, राहुल जी की जाति तक पूछ ली गई थी। उनको बाहर मीडिया में उल्टा-सीधा कहा जा रहा था और यह भी कहा गया था कि कुछ भी मांग लेना, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे। तो उस समय कौन विरोध कर रहा था? कौन इस तरह की बातें कर रहा था? अखिलेश जी की बात हो रही थी। मैं इस बात पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि अभी आपने कहा है। अखिलेश जी ने उठकर पूछा था कि पार्लियामेंट के अंदर आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहता, लेकिन अब जब जातिगत जनगणना हो रही है तो इस बात पर ही सहमति बनी थी कि हमारी जनगणना होगी, उसके बाद डी-लिमिटेशन होगा और डी-लिमिटेशन के बाद हमारी जितनी सारी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण है उसको उस पर लागू कर दिया जाएगा। यहां बहुत सारी बातें हो रही थीं।

समय:

8.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, महतारी वंदन और शाहबानो के बारे में बातें हुईं, लेकिन मैं उस बारे में इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वह आज का विषय नहीं है। आज का विषय हमारा महतारी वंदन और हमारी जितनी महिलाएं हैं, उनके आरक्षण और बेसिकली डीलिमिटेशन के ऊपर है। बार-बार यह कहा गया कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आदरणीय सदस्यों ने बहुत सारे ऐसे सन् गिनाए कि इस समय राज्य सभा में पास हुआ, लोक सभा में गिर गया, इस समय यह लाया गया लेकिन आपके ही लोगों ने उसको समर्थन नहीं दिया। जब हम 50 सालों की बात कर रहे हैं। अभी एक माननीय वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे कि आप लोगों ने 50 सालों से कुछ नहीं किया। 50 साल से हमने कुछ नहीं किया, उसके बारे में तो बहुत सारे इंसिडेंट्स आप लोगों ने ही बोले कि राज्य सभा में आया और गिर गया, लेकिन एक बात यह भी तो है कि आखिर यह बिल तीसरे टर्म में क्यों आया? जब आपका पूरा बहुमत था, तब आप क्यों नहीं ले आए? अगर इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप करना है, तो मेरे ख्याल से जब महिलाओं के बिल की बात हो, तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। इस बिल की कॉपी मेरे हाथ में है। इसमें

एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तमाल हुआ है, जिसको Inter-alia कहते हैं । उसको अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तो इसमें जो उद्देश्यों और कारणों का कथन है, इसमें चार नंबर पर लिखा हुआ है कि इस विधेयक का प्रायोजन, अन्य बातों के साथ-साथ, लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण उपबंध करने हेतु परिसीमन कार्य करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन करना है। इस बात से सब सहमत हैं। उसमें एस.सी., एस.टी. का रिजर्वेशन है, उसके साथ-साथ महिलाओं का आरक्षण भी है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तो आज वह संकल्प लेकर भी आ रहे थे कि आप प्रेजेंट कर दीजिए क्योंकि यहां एक बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति हो रही है। आज जितनी महिलाएं आई थीं, उनमें बहुत बार कई सदस्य यह कह रहे थे कि आप लोग महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। महिला आरक्षण का विरोध किसने किया? किसी ने नहीं किया। महिला आरक्षण पास हो चुका है। डीलिमिटेशन जिस तरह से किया जा रहा है, हमने उसका विरोध किया है। हमारा गंतव्य एक है। हम भी चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो, लेकिन जो तरीका है, जो रास्ता है, वह अलग हो सकता है और वह अलग है। यह बात सब लोग कह रहे हैं, यह बात लोक सभा में भी हुई और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी कही गई। ऊपर जो महिलाएं बैठी हुई थीं, उन्होंने हंसकर कहा। आप उनको नीचे बुला लीजिए, हम तो उनको यहां स्थान देना चाहते हैं। आप तुरंत क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असहमतियां हैं। चाहे वह परिसीमन को लेकर हो, आरक्षण को लेकर हो, डीलिमिटेशन के एरिया को लेकर हो, हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ दिक्कतें हों। क्यों नहीं जैसा बोला गया था, एक All party meeting बुला ली जाए? अध्यक्ष महोदय, अगर इनको तुरंत लागू कर दिया जाए, उसके बाद जनगणना भी होती रहे, जनगणना के बाद जितनी सीटें बढ़ेंगी, उन सीटों पर भी यह लागू होगा। क्या बुरा है अगर इसको तुरंत लोक सभा में और राज्यसभा में भी लागू कर दिया जाए? यही बात कांग्रेस पार्टी हमेशा कह रही है। इस बात पर पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए और जब कई राज्य चुनाव पर थे, उस समय जल्दबाजी में यह सत्र बुलाकर इस तरह की जो बात की गई, हम इसका विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा आरक्षण के पक्ष में थी, आरक्षण के पक्ष में है और महिला आरक्षण के पक्ष में आगे भी रहेगी। लेकिन सिर्फ हमारी जो समस्या है, वह जिस तरह पहले वादे किए गए, पहले बातें की गईं, प्रावधान लाए गए, विधेयक लाए गए, उसके बाद उसको कुछ सालों में तुरंत बदलकर उसका पूरा स्वरूप बदल देना, यह बिना डिस्कशन के महिलाओं के हित के साथ खिलवाड़ करना है और कहीं ना कहीं शायद ये करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इन चीजों को फंसाकर आगे हमारी बात करने नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा और बस दो लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, उन मतभेदों को खत्म करते हुए यह बिल त्वरित लागू किया जाए और आगे आने वाले समय में यदि सीटें बढ़ती हैं, तो उसका स्वागत किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, बस इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं :-

"नारी शक्ति हैं, नारी सम्मान है,

नारी अर्द्ध रूप भगवान है।

कौन होते हैं अपमान करने वाले,

जिसे भगवान ने स्वयं अपने धड़ में दिया आधा स्थान है।"

अध्यक्ष महोदय, बस इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में आहूत किये गये इस एक दिवसीय सत्र में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने सदन में नारी शक्ति वंदन के लिए महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तीकरण के लिए देश की संसद एवं सभी विधान सभाओं में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर तत्काल प्रभाव से लागू करने का संकल्प प्रस्तुत किया है, जो वंदनीय भी है और बार-बार प्रशंसा के योग्य भी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस शासकीय संकल्प में आपकी भी बहुत-बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी कि आपने इस श्रेष्ठ सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, गंभीर, संवेदनशील और नारी सशक्तिकरण के इस विषय को चर्चा के लिये रखा। अध्यक्ष महोदय, देश की आधी आबादी या हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण के लिये प्रितबद्धता हम सबको एक कुशल नेतृत्व के लिये छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी अनेक ऐसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये वह चाहे महतारी वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, स्वच्छ भारत मिशन शक्ति योजना, जन धन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सेल्फ-हेल्प ग्रूप, लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आदि योजनाओं के प्रमुख उदाहरण हैं। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में सुबह 11 बजे से काफी सारे वक्ता चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, हमने सभी की बातों को बारी-बारी से गंभीरता से सुना है। महिला आरक्षण की क्यों जरूरत है? महिलाओं और पुरूषों की अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं। महिलाओं के साथ कितनी अड़चने होती हैं। महिलाओं को प्रमाण देना पड़ता है, लेकिन पुरूषों को प्रमाण नहीं देना पड़ता है। महिलाओं को इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन पुरूषों को इजाजत नहीं लेनी पड़ती है। महिलाओं की अवहेलना होती है, लेकिन पुरूषों को अवहेलना नहीं होती है। महिलाओं के साथ प्रतिबद्धता होती है, लेकिन पुरूषों के साथ नहीं होती है। लेकिन ऐसे में संविधान महिलाओं के लिये जमीन देती है। हमें पार्टी मौका देती है और जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है तब जाकर के कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनता है। आज पक्ष, विपक्ष की बहुत सारी बातें हम सबने सुनी। सभी का यही कहना था कि महिला आरक्षण विधेयक क्यों नहीं पारित

कर दिया गया, महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में पारित किया गया है। कुछ विपक्ष की महिला सदस्यों का कहना था कि 543 सीट में ही आरक्षण क्यों नहीं दे देते? परिसीमन की क्यों आवश्यकता है? अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष की बहनों को, भाईयों को भी कहना चाहूंगी कि एक प्रक्रिया होती है। एक ओर हम कहते हैं कि जनगणना के आधार पर परिसीमन हो, एक ओर हम कहते हैं कि 543 सीट पर आरक्षण दें। लेकिन ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक लाया गया था। वर्ष 2023 में लागू तो हुआ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया, वह संशोधन विधेयक के रूप में बुलाया गया था। जिसमें 2023 में जब विधेयक पारित हुआ तो महिलाओं को जल्दी आरक्षण प्राप्त हो, क्योंकि 2023 में आरक्षण प्राप्त हुआ है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ गई?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज चुनाव में संशोधन 50 प्रतिशत के लिये भी लाया गया था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने 543 पर 33 परसेंट दे दिया, बस खत्म । उसमें बाद में जब परिसीमन होगा तब और दे दीजियेगा ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि सुबह से मैंने अभी तक चुपचाप सुना, बहुत सारे विषयों पर सुना । मैं तो हमारे विपक्ष दल के नेताओं से और हमारी बहनों से यही कहूंगी कि टोकाटाकी न हो । बात को सुनें । जब वर्ष 2023 के अधिनियम को हम लागू करते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तो जनगणना वर्ष 2026-27 में होता, परिसीमन उसके बाद होता । वर्ष 2034 में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलता । अब इसे हमारी सरकार या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर संशोधन विधेयक लाये हैं, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं वह भी वर्ष 2029 के चुनाव में तो इसमें गलत कहां है ? इसका विरोध विपक्षी दल के नेता बार-बार कर रहे हैं कि 543 पर आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है ? 543 पर आरक्षण दे दिया जाये, इसे तो पहले स्पष्ट होना चाहिए । हम तो इसी बात को बार-बार हमारे जितने भी वरिष्ठ हैं, इसी बात को बार-बार बताने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन विपक्ष दल के नेताओं को कहां रास आये ? जब यह बिल पारित नहीं हुआ था तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था और उन्होंने एक शब्द कहा और शायद यह बात कहने में अच्छी न लगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले हम भ्रूण हत्या जैसे शब्द सुनते थे कि बच्चों को जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता था, यह शब्द पहले हम सुना करते थे लेकिन आज संशोधन विधेयक पारित नहीं होने देने से महिलाओं की जो उड़ान लोकसभा के सदन में और राज्य के विधानसभा सदन में महिलाएं प्रतिनिधित्व करतीं, भागीदारी निभातीं, वह पंख काटने का काम विपक्षी दल के, कांग्रेसी या अन्य दलों के माध्यम से किया गया । यह हम सबके लिये दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसी-ऐसी चीज बोली गयी, मैं तो बहुत सारी चीजों को बोलना चाहती हूं । बार-बार विपक्ष

दल के नेता क्योंकि काफी सारे विषय आ गये हैं । मैं ज्यादा विषय पर जाना नहीं चाहूंगी लेकिन इनकी बातों को ही दोहराना चाहूंगी ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना विषय रख दीजिये । सी.एम. साहब बाकी विषय में बोलेंगे न ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि बहुत जरूरी है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जरूरी है । वह बोलिए । जो जरूरी है उसको बोलिए ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष दल के नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बार-बार अपशब्दों का प्रयोग किये । इस बात को विपक्ष दल के नेता भूल गये कि जब बिल पारित नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- नेता ने तो अभी बोला ही नहीं है । (हंसी) अभी तो बोला ही नहीं है ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं थोड़ा सा संशोधित करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, मैंने सुधार दिया । आप तो बोले ही नहीं हैं ।

डॉ. चरणदास महंत :- विपक्ष दल का नेता तो मैं हूं । मैंने कुछ नहीं कहा ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- नेता प्रतिपक्ष जी, मैंने आपको कुछ कहा भी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका आशय दूसरा था, यह बोल दीजिये ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बार विपक्ष दल के नेताओं के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहने का प्रयास किया गया । हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्र निर्माण के लिये काम कर रहे हैं । उनके लिये यह शब्द शोभा नहीं देता । इस बात पर शायद विपक्ष दल के नेताओं और मुझे लगता है कि यहां पर सदन में जितने सारे लोग हैं, वह सब इस बात को भूल गये । बहुत सारे उदाहरण के रूप में आप सबने पेश किया । जब बिल पास नहीं हो पाया, बिल पारित नहीं हो पाया तो आपके कांग्रेस के एक सांसद ने महिलाओं के ऊपर क्या टिप्पणी की थी, इस बात को सदन में क्यों नहीं रखा गया ? माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के मनोबल को गिराने का काम किया गया । महिलाओं ग्राम पंचायत की सरपंच, जनपद सदस्य, बीडीसी (ब्लाक डेव्हपलमेंट कौंसिल) के बाद महिलाओं को उम्मीद रहती है कि हम विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, लेकिन सांसदों के माध्यम से प्रश्न-चिह्न लगा दिया गया है । जब राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं आती हैं तो महिलाएं क्या करती हैं, कांग्रेस के नेता यह कहते हैं । यह क्या बात हुई, इस बात को सदन में क्यों नहीं रखा गया ? इस बात को बार-बार कहा गया कि इसने ऐसा किया, वैसा किया, हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं छोड़ा जा रहा है । प्रधानमंत्री जी तो राष्ट्रनिर्माण के लिए आये हुए हैं । इस बात को चिंता किए होते ।

श्री रामकुमार यादव :- हमन इहां काए करे बर आए हन ।

श्री लक्ष्मी राजवाड़े :- तै तो चुप ही रहा राम भैया । अध्यक्ष महोदय, चूंकि जो तीन दिवसीय सत्र में महिलाओं की निगाहें लोकसभा के सदन में एक टन नजरिए से देख रही थीं कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा । उससे पहले महिलाओं खुशियां मना रही थीं । महिलाओं के मन में आस जग गयी थी कि आने वाले 2029 के चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, लेकिन क्या हुआ ? आरक्षण दो तिहाई वोट के माध्यम से संशोधन विधेयक पारित होता, लेकिन वह नहीं हो सका। यह पहले भी प्रयास किया गया था । कांग्रेस की कूटनीति की वजह से पहले भी पेंडिंग हो गया । अब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के राष्ट्र निर्माण के लिए, महिलाओं की जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह सब काम किया जा रहा था । बहुत जल्द ही महिलाओं 2029 में प्रतिनिधित्व करतीं । इसमें सहमति नहीं जताई गई । वह दिन इतिहास के काले अध्याय के रूप में लिखा गया । विपक्षी दलों के नेताओं को (xx)[5] नहीं आती ।

श्री रामकुमार यादव :- एला विलोपित कर देहौ साहब । (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- (xx) तो आप लोगों को आनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- विलोपित कर दें ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री होकर असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रही हैं । (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी असंसदीय शब्दों का उपयोग न करें, इसे विलोपित किया जाये । सदन की गरिमा होती है, उसका ध्यान रखा जाये । (व्यवधान)

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- (xx) तो आपको आनी चाहिए । महिलाओं के सम्मान की बात करते हो । (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आप मंत्री हैं, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए । (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- आपने प्रधानमंत्री जी को गाली दिया तो हमें खराब नहीं लगा ? (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- हमने गाली नहीं दिया । आप संसदीय शब्दों का प्रयोग करिए न । उसमें मनाही नहीं है । आप जिस गरिमामय पद में हैं तो आपको सदन में असंसदीय शब्द बोलना शोभा नहीं देता । (व्यवधान)

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- आप महिला हो, इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए । (व्यवधान)

---

[5] (XX) अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाला गया.

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पद की गरिमा को बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा का लिहाज नहीं रखा गया । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, हमने सबकी गरिमा का ख्याल रखा। हम आपके भी गरिमा का ख्याल रख रहे हैं । आप भी हमारे गरिमा का ख्याल रखिए । हम महिलाएं बैठी हैं । (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष जी, बिल पारित नहीं होने पर विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा मेजें थपथपाई गईं, ताली बजाई गई । यहां तक कि बाहर निकले तो मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, का नारा देने वाली बिल पारित नहीं होने पर लोकतंत्र की जीत बताई जा रही है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आप कौन से बिल की बात कर रही हैं । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- उन्हें बोलने दीजिए । ऐसे सशक्त आवाज आपने आजतक सुनी नहीं होगी । उनको बोलने दीजिए न, क्या तकलीफ है । लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- तैं दोनों के बीच में मत आवव । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- लड़की हूं, गर्व करने की बात है । हम लड़कियां हैं और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे । (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- संगीता जी, इसीलिए आप लोग 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हो क्या ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम विरोध नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष जी, आप बताईये कि आपने संसद में जो किया है, वह गलत किया है, आपके दल के नेताओं ने गलत किया है, यह आप बताईये न। आप क्यों नहीं कहते ? आप कहिये कि कांग्रेस के नेताओं ने संसद में क्या किया है, यह आपको कहना होगा, आप कहिये। आप कहिये कि आपके संसद के नेताओं ने गलत किया है। (व्यवधान) आप बताईये न, आप क्यों नहीं कह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये। अब आप समाप्त करिये।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस समाप्त ही कर रही हूं। क्योंकि मैं अपनी बात रख चुकी हूं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बाहर गई हुईं थी, कई बहनें भी गईं थीं। वह झालमुड़ी खाकर आई हैं और मिर्ची इधर (विपक्ष) लग रही है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- झालमुड़ी तो आप खाकर आये हो। (हंसी) चलिये।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपको धन्यवाद देते हुए ..।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- 4 तारीख को झालमुड़ी पार्टी भी रखेंगे।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी क्योंकि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। लेकिन मेरे सामने विपक्ष के साथी बैठे हुए हैं। मैं विपक्ष के सभी सम्माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगी कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर माननीय मुख्यमंत्री जी के इस शासकीय संकल्प का समर्थन करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी से इतना ही अनुरोध करते हुए कहना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष महंत जी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेश मूणत :- आप लोग बजाओ न। आपके नेता जी बोल रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन बजाय रहव, अब नेता जी आप लोगों को बजायेंगे।

श्री राजेश मूणत :- नेता जी, आप दिल खोलकर बोलना। अड़ोस-पड़ोस में कोई नहीं है। आज कोई दबाव नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में केवल एक प्रस्ताव का विरोध करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, न ही महिला बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं तो उस प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो लोकतन्त्र की आत्मा को कहीं न कहीं से कुरेद कर खाली करना चाहते हैं। हमारे सभी साथियों ने, जितने भी लोगों ने बोला है, चाहे पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हों, सबने अपनी-अपनी बात कही है। सब विद्वान लोग हैं। मगर मैं शायद उनसे कुछ हटकर बात करना चाहता हूं। मैं कुछ हटकर बात करते हुए मुझे जो दुःख हुआ, मैं उस बात को भी यहां रखना चाहता हूं, जिसके लिए आपसे माफी चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विशेष सत्र बुलाया गया है, वह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। इस संदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बड़े जोरदार तरीके से कहा था कि हम लोग इस सन्दर्भ में निंदा प्रस्ताव लायेंगे। हालांकि आपने मुझे सुबह के समय इशारे में जरूर कुछ कहा है कि बाहर की गई बातों को यहां उद्धरित नहीं कर सकता। मगर माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी चाहे बाहर कहें, चाहे अंदर कहें, मुख्यमंत्री तो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो एक संदेश होता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि यह पत्र-पत्रिकाओं में या बाहर कहा गया होगा। उन्होंने तथा उनके मंत्रियों ने बड़े जोर-शोर से कहा कि हम इसके लिए निंदा प्रस्ताव लायेंगे। उनके साथियों ने भी कहा, हमने सुना। हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं या क्या कर रहे हैं ? हम लोग तो इसी तैयारी में आये थे कि निंदा कैसे होती है ? सदन में निंदा कैसे होती है, चलिए देखते हैं, सुनते हैं क्या बात करेंगे। और

आज हम सब लोग यहां पहुंचे तो पता लगा कि परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, यह प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्या यहां पर आप इस प्रस्ताव को पारित कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा? सदन में, लोकसभा में क्या आपकी बात का कोई वजन है, जिसमें सदन का निर्णय बदल जाएगा? महोदय, दिल्ली में जो विशेष सत्र बुलाया गया, उसे मैं ग़ैर-जरूरी समझता हूं। लेकिन उससे भी अधिक ग़ैर-जरूरी बात कहें, तो यहां का सत्र बुलाना है। छत्तीसगढ़ में जो सत्र बुलाया गया, यह भी एक गैर-जरूरी सत्र है। यह सत्र क्यों बुलाया गया? जनता के लिए? जनता के लिए या राजनीति के लिए?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार हो, आप हों, किसी तरह से विधानसभा का बिजनेस तय करते हैं और बिजनेस तय करते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत हम लोग भाग लेते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष किसी संवैधानिक प्रक्रिया जिसके तहत विधानसभा सत्र बुलाई जाती है, उसको किस प्रक्रिया के तहत गैर-जरूरी कह सकते हैं? और ये जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, प्रक्रिया पर उंगली उठाई गई है, ये बिल्कुल युक्तिसंगत नहीं है कि किसी संसद के विषय को ग़ैर-जरूरी कहा जाए और यहां के विषय को ग़ैर-जरूरी कहा जाए। इसलिए आप या तो विलोपित कीजिए इसको कि ग़ैर-जरूरी शब्द है, और या नहीं तो वे इस बात को उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं । क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सत्र आहूत होते हैं, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है कि वह कैसे होगी । आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि जरूरी है, ग़ैर-जरूरी है उसको?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ठीक है। दिखवा लेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय चंद्राकर जी के शब्दों को मैं समझ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप कंटिन्यू करिए।

डॉ. चरणदास महंत :- सत्र बुलाया गया इसलिए कि विपक्ष की निंदा करने के लिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बार-बार उनके भाषण के बीच में उठना अच्छी बात नहीं है। लेकिन किसी के द्वारा भी, सुबह आपने व्यवस्था दी थी कि बाहर बात को कौन क्या किस परिप्रेक्ष्य में कही है, वह सदन का विषय नहीं है। सदन में तो वही विषय आएंगे जो आपने आज प्रस्तुत किया है । इसलिए निंदा प्रस्ताव का उल्लेख, निंदा प्रस्ताव का बार-बार उल्लेख करना भी युक्तिसंगत नहीं है ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय चंद्राकर जी, बाहर कही गई बातों को कोई दूसरा व्यक्ति कहे तो आप जैसा कहते हैं वैसा होता कि यहां पर चर्चा नहीं होती। मगर जब उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाए, तब तो बात की चिंता यहां कर सकते हैं। और आपके और मेरे संबंध तो जगज़ाहिर हैं,

फिर उसको काहे को यहां खोलने बैठे हो? (हंसी) अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि चंद्राकर जी को मेरी बातें पसंद नहीं आ रही होंगी। मगर यहां प्रश्नकाल तो नहीं था, फिर भी कई प्रश्न-उत्तर होते देखे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ जो सवाल उठते हैं, वह तो जरूर कहना चाहूंगा। आप क्षमा करेंगे। ग़ैर-जरूरी इसलिए कह रहा हूं कि इसका कोई तात्कालिक लाभ नहीं होता भाई। ग़ैर-जरूरी इसलिए कह रहा हूं कि ये लोकतांत्रिक आवश्यकता थी...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसमें व्यवस्था दीजिए क्योंकि बार-बार प्रक्रिया को, संवैधानिक प्रक्रिया को ग़ैर-जरूरी, ग़ैर-जरूरी कहना उचित नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष की एक गरिमा है और उस गरिमा के तहत ही मैं बोल रहा हूं कि उसकी बार-बार पुनरावृत्ति वे जानबूझ के कर रहे हैं, मुझको ऐसा लगता है । संवैधानिक प्रक्रिया और पूरी प्रक्रिया का पालन करके आहूत हुआ है।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिए, आपको ज़्यादा बुरा लग रहा है तो मैं अपनी बात दूसरी तरफ़ जाता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- बुरा नहीं लग रहा है।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, साधारण विधेयक वहां तो लाया नहीं गया था और जो विवाद का जड़ सभी प्रदेशों में बन रही है, वह कोई छोटा-मोटा विधेयक नहीं था, उसके लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी। इसलिए क्या मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी या सभी साथियों को यह नहीं पूछ सकता कि क्या इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को यह पता नहीं चला कि हमारे पास बहुमत नहीं है और विधेयक गिर जाएगा? उन्हें दुनिया की एक-एक बातें पता रहती है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जब मंत्रिमंडल को पता था, फिर इस विधेयक को सदन में लाने की क्या जरूरत पड़ी? और जब मतदान हुआ, तब आपने देखा कि वह गिर गया। इसका अर्थ यही होता है कि वह सदन में पारित नहीं हुआ और जब सदन में पारित नहीं हुआ तो सदन केवल राजनीतिक सरकार चलाने वाले या पक्ष के ही लोगों का नहीं है। वह सदन तो विपक्ष के लोगों का भी है। संसद तो पक्ष और विपक्ष, दोनों से बनती है। सदन में जो बातें हुईं, उन्हें आप यहां निंदा करने या चर्चा करने के लिए ला सकते हैं? परंतु क्या यहां हम कोई चर्चा कर रहे हैं, उसकी चर्चा संसद में होना आवश्यक होता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए? या आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी? यदि हम यहां किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, विधेयक ला रहे हैं या जो भी कर रहे हैं और उसी बात पर लोक सभा यह कहने लग जाए कि छत्तीसगढ़ में जो विधेयक पारित हुआ है, वह गलत है, तो क्या उस बात को सुनने में अच्छी लगेगी? इसलिए क्या हम यहां जो बात कर रहे हैं कि सदन में जो कुछ हुआ, उसके जिम्मेदार कोई पक्ष है और उसकी हम यहां निंदा करते हैं, तो क्या यह बात उचित है? आप ही बता दें। मैं मान लूँगा कि आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। लागों को आपके भाषण से शिक्षा मिलती है तो आप ही हमको समझा दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर विधेयक पास

नहीं हुआ तो वह किसका निर्णय था? अध्यक्ष महोदय, मैं छोटे-छोटे शब्दों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इंगित करते हुए आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर यह विधेयक पारित नहीं हुआ तो वह निर्णय किसका था? संसद का था या कांग्रेस का था? अगर वह संसद का निर्णय था तो आप संसद की निंदा कर रहे हैं या कांग्रेस की निंदा करेंगे? संसद में जो कुछ भी हुआ, चाहे पास हुआ या नहीं हुआ, वह संसद का विषय है। हम लोग जानते हैं कि वह संसद है और संसद पक्ष-विपक्ष, दोनों से मिलकर बनती है। कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा काम हो और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा काम न हो। उसमें जो कुछ भी हुआ हो। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी बात एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से कर रहा हूँ। वर्ष 2023 की बात सब कर रहे हैं। हम लोगों ने वर्ष 2023 में महिला आरक्षण विधेयक को स्वीकार कर लिया था। माननीय चंद्राकर जी, यदि उस विधेयक को उस समय तुरंत लागू कर दिया गया होता तो तत्काल यहां के महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाता और साथ ही संसद में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान बन जाता। वर्ष 2023 में यह विधेयक पारित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने उसमें परिसीमन का एक बिंदु जोड़ दिया और उस कारण वह बात बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई है। मुझे कहना तो अच्छा नहीं लग रहा है, किंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो सरकार बनी है, इसमें मोदी जी को कितने प्रतिशत मत मिले हैं? 36 प्रतिशत या 33 प्रतिशत? शेष मत तो विपक्ष के ही हैं न? अत: विपक्ष के सदस्यों ने जो 230 मत दिए, उन्हें सत्तापक्ष के पक्ष में नहीं माना जाएगा। मगर वह पूरे देश का जो 64 प्रतिशत मत आता है, वह वास्तव में विपक्ष की ही आवाज़ थी, जो No शब्द के रूप में निकला था और उस नो शब्द से आप हार गये या जीत गये, यह अलग बात है, हालांकि आपका बिल गिर गया । मगर आप हमको अकेले यह बता रहे हैं कि हम लोग इस बिल के दोषी है, महिला का बिल पास नहीं करना चाहते हैं, इसकी सजा मिलनी चाहिये, आज जगह-जगह घूमकर हमको गाली दो, आपके लोग गाली दें, यह कहां तक सही है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा कुछ कहना तो नहीं है, सभी लोगों ने बड़ी-बड़ी बातें की है, मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ । अभी हमारे भाई चन्द्राकर जी ने कहां वैदिक काल में चले गये, कहां पुरातन संस्कृति में चले गये, कहां सनातन परंपरा, वैदिक काल, मैत्री की बात हो गई, अब प्रहलाद की बात हो गई, सीता की बात हो गई, सावित्री की बात हो गई, मैत्री की बात हो गई, रानी लक्ष्मी बाई की बात हो गई, हमारे भारतीय इतिहास में जितने भी महान महिलायें हैं, जिनको याद करके अपना सिर गर्व से ऊँचा करते हैं, यह उदाहरण देने का क्या औचित्य था, मैं इसे समझ नहीं पाया ? अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं, अपना पूज्य मानते हैं, वह आपके और हमारे देश की धरोहर हैं, यहां के विधेयक की चर्चा में इतने बड़े-बड़े नामों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, मैं नहीं समझ पाया । मैं यह जरूर कहूँगा कि आप लोगों ने जो नारी शक्ति के नाम पर इवेंट बनाने की कोशिश की है, आपने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है, मुझे मालूम है कि चन्द्राकर जी बहुत विदेशी चश्मा

पहनते हैं और बड़े कीमती चश्मा पहनते हैं । नारी शक्ति के नाम पर जो इवेंट कर रहे हैं, उस शक्ति को अधिकार कांग्रेस ने दिये हैं, मैं यह बात कहना चाहता हूँ । आपकी वैचारिक संस्थायें घरों में जब दुबकी पड़ी थी तो 1917 में एनी बीसेंट और 1925 में सरोजनी नायडू जी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर देश का नेतृत्व किया था । हमने महिलाओं को केवल भीड़ नहीं समझा, उन्हें नेतृत्व सौंपा और विजय लक्ष्मी पंडित जी के...।

श्री अजय चन्द्राकर :- एनी बिसेंट जी मुख्य रूप से कांग्रेसी थी ?

डॉ.चरणदास महंत :- हॉ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नो । मुख्य रूप से तो वह थियोसोफिकल सोसायटी से आती थी और बाद में वह कांग्रेसी बनी ।

डॉ.चरणदास महंत :- ठीक है, हमने उसको कांग्रेस का अध्यक्ष मान लिया था। विजय लक्ष्मी से लेकर सुचेता कृपलानी तक कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में सदुपयोग किया और उनको फ्रंट में रखा, नेतृत्व किया, हम इसलिये शान से कहते हैं कि वह हमारी नेता है । आप सिर्फ गैलरी में बिठाकर महिलाओं को खुश करना चाहते हैं, आप करिये कोई आपत्ति नहीं है । मैंने तो उसी समय कहा था कि गैलरी में जितने लोग बैठे हैं, हम तो उनको यहां लाना चाहते हैं । आप पूरे प्रदेश के अच्छे पद पर काम करने वाले सरपंच और जनपद सदस्य सभी लोगों को यहां बुलाया था, उसे कौन नहीं जानता है । आपके अधिकारी उनको लाने वाले थे । आपके यहां से एक निर्देश निकला था कि दो-दो, तीन-तीन महिला ऊपर बैठे हैं और यहां के कार्यक्रम को देखे हैं और उसका बढ़िया प्रचार-प्रसार करें, इसे कौन नहीं जानता, आप नहीं जानते क्या, आपको पता नहीं है क्या ? जब आप कह रहे हैं कि तो हम कह सकते हैं कि रूढ़िवादी ताकतें विरोध कर रही थी, तब पंडित नेहरू जी और कांग्रेस ने हिन्दू कोड बिल 1956 में लाकर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और तलाक का हक दिया था। मैं गलत हूँ ?

अध्यक्ष महोदय :- आप उधर केन्द्रित मत होइये, आप पूरा ध्यान अजय पर दे रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है, अजय का भाषण समाप्त हो गया। आप मुख्यमंत्री को संबोधित करें या मुझे संबोधित करें।

डॉ. चरणदास महंत :- अच्छा, मैं आपको संबोधित करते हुए कह रहा हूं और चंद्राकर को सुनाना चाहता हूं। (हंसी)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का जिक्र किया तो हिंदू माताओं-बहनों को ही क्यों दिया? बाकी लोगों को धर्म के आधार पर विभेद क्यों किया गया? सदन में इसका उत्तर देंगे ?

डॉ. चरणदास महंत :- चलिए, इसका उत्तर वहीं आपके बंगले में रख देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- अपना भाषण कंटीन्यू करिये।

श्री अजय चंद्राकर :- नेता जी, आप बढ़िया बोल रहे हैं। लेकिन आप एक बात जान लीजिये, आप लोगों ने 1951 के जिस बिल का विरोध किया, मोटे तौर पर उसी बिल के आधार पर नेहरू जी ने दूसरा बिल लाया था, यह पढ़ लीजिये इतिहास स्थापित तथ्य है। नेहरू जी ने मौलिक रूप से उस बिल को नहीं लाया था।

श्री रामकुमार यादव :- लेकिन ओ समय भाजपा के शून्य रिहिस, तुमन कुछु नहीं रेहेव। भाजपा उत्पन्न नई होए रिहिए ए।

श्री अजय चंद्राकर :- तोला तो बता दे हंव, पशु जनगणना बाद में करबो करके, आदमी मन के में काबर बात करत हस। तैं आदमी मन के में मत गोठिया।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- पशु जनगणना बर बैठे हे।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, 1961 में दहेज निषेध अधिनियम हम ही लाये थे, मैं समझता हूं। 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम हम ही लाये थे, ऐसा मैं समझता हूं, 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट हम ही लाये थे, ऐसा मैं समझता हूं जिसमें महिलाओं को यह अधिकार मिला था कि वे अपने शरीर की रक्षा करें और यहां तक कि समान पारिश्रमिक अधिनियम, जिसमें पुरुष और महिला को समान वेतन मिले, वह बिल भी हमारे समय आया है, ऐसा मैं समझता हूं, ऐसा जानता हूं। इससे अलग अगर माननीय चंद्राकर जी कुछ कहना चाहें तो मैं उसको भी सुनने को तैयार हूं। मैं यह कह रहा था कि हम लोगों ने उनको शक्तिशाली बनाने के लिए शुरू से काम किया है, उनकी शक्ति का उपयोग किया है, उनकी शक्ति को बढ़ावा दिया है और सिर्फ दिखाया नहीं है, करके दिखाया है। हमारी जमीन पर जो आप लोग बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, आप उस नींव के पत्थर को खोजेंगे तो उसमें हमारा ही नाम मिलेगा, कांग्रेस का नाम मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2024 के चुनाव में भाजपा को लगभग 36 प्रतिशत वोट मिले हैं। मैं इसे दूसरे अर्थों में समझा रहा था, अब फिर बता रहा हूं। इसका अर्थ यह है कि देश की 64 प्रतिशत आबादी आपके विजन से अलग समझती है और इसीलिए जब हम 64 प्रतिशत की बात करते हैं तो आपको थोड़ा धैर्य रखकर सुनना चाहिये। सिर्फ 36 प्रतिशत वालों की बात देश में नहीं चलने वाली। जब आपने वहां सदन में स्वीकार कर लिया तो छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को, राजस्थान को, यूपी को, हर जगह एक ही स्क्रिप्ट बनाकर आप हर विधानसभा में हमारी बुराई करने की बात कर रहे हैं, आप एक संसदीय हार को विधानसभा के माध्यम से ढकने की कोशिश कर रहे हैं, वह आप नहीं कर पायेंगे। जनता देख रही है, जो आपके देखने वाले आये थे, वे तो चले गये, बहुत लोग चले गये, कुछ लोग बैठे हैं और वे जबरदस्ती लाये गये थे, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी बात मैं आप सबको सुनाना चाहता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि आप लोगों की जो पुरुषवादी नीति है, आप लोगों की जो मनुवादी नीति है, वह महिलाओं को बराबर का स्थान नहीं देना चाहती। जिसको किसी ने नहीं कहा, न आपने कहा, आप विद्वान आदमी हैं, आपको

कहना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछता हूं, जब सदन की जनसंख्या 850 हो जाए या हो जाती तो 850 में 33 प्रतिशत आरक्षण आप महिलाओं को दे रहे हैं। वह कितना प्रतिशत होता ? 33 प्रतिशत होता। चन्द्राकर जी, कितनी सीट बनती? ओ.पी. चौधरी साहब, यदि 850 सीटों में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलता तो जो संख्या बनती, वह मेरे गणित के हिसाब से 280 बन रही है। वित्त मंत्री जी का गणित क्या है, यह मैं नहीं जानता। पुरुषों के लिए कितनी सीटें बचतीं? 570 सीटें बचतीं। ठीक है? कहीं गलत तो नहीं है? मान लीजिये कि अभी आप 33 प्रतिशत आरक्षण दे देते तो आपका जो संगठन पुरुषवादी है और आप जिस मनुवादी को मानते हैं, उसमें तो पुरुषों का स्थान बड़ा होना चाहिए? आपको 850 में 570 सीटें मिल रही हैं। इसीलिए बार-बार कह रहे हैं कि आप 850 सीटों में 33 प्रतिशत आरक्षण दीजिये। 850 सीटों में दीजिये, अभी मत दीजिये। क्योंकि यदि महिलायें आयेंगी तो अभी हमारी सीट कम हो जाएगी, पुरुषों की सीट कम हो जाएगी। इसको आज की चर्चा में लाना मैं जरूरी समझता था, इसलिए मैंने इसको लाया। मैं एक बात बहुत छोटे तरीके से जल्दी-जल्दी में बोल देता हूं कि वर्ष 2023 में जो नारी वंदन अधिनियम था, जो सभी दलों ने पास किया था, उसमें एक छोटा सा क्लॉज अमेंडमेंट कर देते और आरक्षण को पास कर देते, परिसीमन की बात नहीं होती तो इस तरह के विवाद और लोकतंत्र के प्रति खतरे की जो बात हम कर रहे हैं, वह नहीं कर पाते। यह देश हमारा है, आपका है, हम सबका है। सबकी माताओं ने हमको जन्म दिया है। उससे बड़ी शक्ति तो हमारे पास कोई नहीं है। जो माता हमको इस धरती पर लाई है, जन्म दी है, उससे बड़ा कौन हो सकता है? देवी-देवता हमारे लिए पूजनीय हैं, उसी तरीके से माता जी भी पूजनीय हैं। हमारी बहन भी पूजनीय हैं, भाभी भी पूजनीय हैं, सभी पूजनीय हैं। कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। न आज कर सकता, न कल कर सकता, न कल हम करेंगे, न आज हम कर रहे हैं। प्रभु जी, आपने जो बातें कही हैं, बहुत सारे साथियों ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं इसी बात को समझाना चाहता था कि यह जो पुरुष प्रधान देश रहा है, वह आज भी कहीं न कहीं हमारे डी.एन.ए. में कहिये, मानसिकता में कहिये, हमारे बीच है। उसके कारण आप लोगों ने इसको करने नहीं दिया। इसको करना चाहिए और यदि आप तत्काल कर सकते हैं तो हम सबको बड़ी खुशी होगी। मैं एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सीधा-सीधा कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और इधर से और उधर से जिन्होंने प्रारंभिक भाषण दिए, उन दोनों सदस्यों को सभापति की तालिका में शामिल करते हुए आज ही दोनों को बैठा दिया। यदि आप देश में इकलौते क्रांतिकारी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और यदि आप मान जाएं तो एक छोटी सी सलाह है। आपके पीछे हमारी एक बहन बैठी है। आपने उनको छोटा सा डिपार्टमेंट दे दिया, मंत्री बना दिया। हमारी दूसरी बहन वहां बैठी हैं। शायद चली गईं। उनके पांव में चोट है, इसलिए चली गई होंगी। रेणुका सिंह जी को बड़ा मनाकर आप लोगों ने यहां लाया था। उनको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री नहीं बनाए, यह ठीक है, लेकिन उप मुख्यमंत्री बना दो। वह तो आप कर सकते हो। लता उसेण्डी जी हैं।

मंत्री रह चुकी हैं, उनको बना दीजिए। गोमती साय दीदी बैठी हैं। शर्मा भी रही हैं। उन पर जरा ध्यान दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- नेता जी, आप उनकी सिफारिश कर रहे हैं कि रास्ता रोक रहे हैं ?

डॉ. चरणदास महंत :- रास्ता रोक रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मुझे तो लग रहा है कि आप उनका रास्ता ही रोक रहे हैं। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, तीन मंत्री खिसक रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- यहां भावना जी भी बैठी हैं। यह सब लोग एक से बढ़कर एक अनुभवी हैं। आप यहां 33 प्रतिशत कर लीजिये ना । यहां आपको किसने रोका है ? यहां कौन-सा रोड़ा है ? यदि आपकी नियत साफ है, आप महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, आप उनको शक्ति देना चाहते हैं तो आप कृपा करके, बड़ा दिल करके छत्तीसगढ़ की माटी से हमारे देशवासियों को यह संदेश दीजिये कि मैं विष्णु देव साय 33 प्रतिशत आरक्षण आज लागू कर रहा हूं। यह मेरी सलाह है और आप इसको यह मत समझियेगा कि यह कांग्रेस पार्टी की सलाह है, इसे मैं नहीं मानूंगा। आप करके दिखा दीजिये ताकि हम लोग भी समझे कि आपने कुछ किया है। आप जो कहते हैं, वह करते हैं। हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें की हैं। मैं किसी बात को दिमाग में नहीं ले रहा हूं, मैं बड़े अच्छे मन से यह कह रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी तरफ में कोई ऐसा नहीं है। हम इसका तो विरोध करेंगे ही क्योंकि आपने इसे लाया है और निंदा करने के लिए लाया है। हम लोग इसका तो विरोध करेंगे मगर आपकी हर बात को सुनेंगे और इस तरह से आप जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ईमानदारी से बात करना चाहे, पूरी नियत से बात करना चाहे तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे और दिखावे की बात पर और गलत और कड़वी बात को यदि आप जलेबी की तरह डालकर हम लोगों को खिलाना चाहेंगे तो हम लोग नहीं खायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी (मेजों की थपथपाहट)।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने महिला सशक्तिकरण पर एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा के लिए एक दिवसीय विशेष विधान सभा सत्र आहूत किया और आज प्रात: 11.00 बजे से अभी तक लगभग 9.00 घण्टे से भी ऊपर इस पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष की हमारी सभी बहनों ने भाग लिया है और पुरूषों में कम सदस्यों ने भाग लिया है, चूंकि यह विषय ही महिला सशक्तिकरण से था। वैसे तो हमारे देश में और प्रदेश में नारियों का सम्मान शुरू से ही रहा है और आज यह जो छत्तीसगढ़ की धरती है, इसको भी हम लोग माता मानते हैं। माता कौशल्या, माता सबरी, मां दंतेश्वरी, मां महामाया की यह पावन भूमि है। इस धरती में स्थापित लोकतंत्र के इस मंदिर में आज हम लोग मातृशक्ति से

जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग महिलाओं को शक्ति का स्वरूप मानते हैं और शक्ति की पूजा मातृ रूप में होती है। हम लोग नवरात्रि में उनकी पूजा करते हैं और पुराणों में भी उद्घोष किया गया है कि :-

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।

हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखे तो यहां पर हमारी कई महिलाएं भक्त माता कर्मा हुई हैं, वीरांगना बिलासा बाई केवटिन हुई हैं, तीजन बाई, ऊषा बारले जी ने पंडवानी के माध्यम से पूरे देश में और विदेश में हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान बढ़ाई हैं। मिनीमाता और रजनीताई उपासने जैसी माताओं का भी अमूल्य योगदान हमारे प्रदेश में रहा है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई के बलिदान को भी ये देश कभी भूल नहीं सकता है। ये देश कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में जाकर देश का गौरव बढाई हैं, इनको भी देश कभी भूल नहीं सकता है। स्वच्छ भारत अभियान में धमतरी जिले की कुंवरबाई के समर्पण को पूरा देश याद करता है। उसी तरह से सेवा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुनीता गोडबोले, बुधी ताती, स्व-सहायता समूह के क्षेत्र में फूलबासन बाई, शमशाद बेगम ये सबके जो योगदान रहे हैं, इसको कोई भूल नहीं सकते। खेल के मैदान में नीता दुम्बरे, सबा अंजुम की प्रतिभा को भी देश नहीं भूल सकता है। लेकिन आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, ये इन्हीं नारी शक्ति हमारी माता, बहनों को देश के विकास में 33 प्रतिशत उनके नेतृत्व देने की बात है। विधान सभा और लोक सभा में उनके लिये 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात है और इसका प्रयास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया था। सबको मालूम है कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16, 17, 18 अप्रैल को संशोधन बिल देश की पार्लियामेंट में लाया था ताकि हमारी माता, बहनों को आने वाले लोकसभा के चुनाव में उनका 33 प्रतिशत का हक उनको मिल जाये, लेकिन विपक्ष ने इस संशोधन बिल को पास नही होने दिया। सबको मालूम है कि पूरे देश की हमारी माता बहनों को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, तरह-तरह से खुशियां भी मना रहे थे कि इस विशेष सत्र में से संशोधन बिल पास हो जायेगा और आने वाले 2029 के विधान सभा, लोक सभा के चुनाव से ही उनको 33 प्रतिशत आरक्षण मिल जायेगा। विपक्ष ने परिसीमन, जनगणना को लेकर इस संशोधन बिल का विरोध किया जो समझ से परे है। क्योंकि परिसीमन होता तो निश्चित रूप से क्षेत्र बढ़ते, ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता। आप हम लोग देखते हैं कि लोकसभा और विधान सभा में कितने बड़े-बड़े क्षेत्र होते हैं। लोक सभा को तो इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो मैं ही जिस रायगढ़ लोकसभा से 4 बार वहां की जनता के आशीर्वाद से सांसद रहा। अब वह झारखंड बार्डर शंख नदी से लेकर सराईपाली के 12 किलोमीटर पहले तक कलगीडिपा साढ़े 300 किलोमीटर की दूरी, 2500 से ज्यादा गांव और अगर टोला, पारा हिसाब करें तो 1 लाख से ज्यादा टोला पारा, एक सांसद 05 साल

में तो अपना बजट सत्र और तीनों सत्र, कमेटी की बैठक करके बाकी रात और दिन घूमेगा तब भी वह क्षेत्र में घूम नहीं सकता है, एक-एक गांव में जा नहीं सकता। यही हाल विधान सभा का भी है। उनको कई तरह की बीमारी हो जाती थी तो उनको भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेण्डर और चूल्हा देने का काम किसी ने इस देश में शुरू किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया । (मेजों की थपथपाहट) जन-धन योजना में करोड़ों खाता खुले, इसके पहले बैंक के खाता नहीं होते थे । हमको तो अनुभव है कि गरीबों के पास खाता नहीं होते थे, उनके पास पेटी भी नहीं होती थी तो वे लोग कई बार घर के छप्पर में पोटली बनाकर पैसा रख देते थे तो चूहा ले जाता था । उस समय नमक का घड़ा होता था तो नमक के घड़ा के नीचे पैसा रख देते थे तो पूरा नमक का पानी निकलता था तो नोट का रंग उड़ जाता था तो हम लोगों के पास लाते थे तो ये सब गांव में होता था और आज करोड़ों करोड़ हमारी माताओं और बहिनों के लिए भी जन-धन खाता खोलने का काम अगर किसी ने इस देश में किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया । सुकन्या समृद्धि योजना की शुरूआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, जो हमारी बेटियों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए योजना है । उसी तरह से कुपोषण के खिलाफ अगर आज हम लड़ाई लड़ पा रहे हैं तो उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान है । प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती माताओं को 5 हजार रूपए सहायता देने का काम हम लोग कर रहे हैं । मोदी जी के नेतृत्व में ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए सखी वन स्टाप सेन्टर की स्थापना जगह-जगह पर हुई है, जिससे महिलाओं को जरूरत पड़ने पर मदद और सुरक्षा मिल रही है । इसके लिए हमारे प्रदेश ने एसओपी बनाया है और एसओपी बनाने वाला हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश पहला है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में महिलाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और 2026 के वर्ष को हम लोग महतारी गौरव वर्ष के रूप में मना रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक काम कर रहे हैं, जिसमें से एक महतारी वंदन योजना है । महतारी वंदन योजना में आज 59 लाख बहिनों को प्रति महीना उनके खाते में एक हजार रूपए भेजने का काम कर रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) जब छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका जो 4 दशक से भी ज्यादा समय से नक्सलवाद से ग्रस्त था, वहां नक्सलियों का एक छत्र साम्राज्य रहता था, वहां भी अब नक्सलवाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, हमारे गृह मंत्री जी की दृढ़इच्छा शक्ति, उस क्षेत्र के लोगों के समर्थन और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण आज हम लोग बस्तर से नक्सलवाद को भी समाप्त करने में सफल हो पा रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) तो आज वहां भी महतारी वंदन योजना का पंजीयन हो रहा है और आज 22 हजार से ज्यादा माताओं एवं बिहनों को वहां पर महतारी वंदन योजना का लाभ दे पा रहे हैं । 69 लाख माताओं और बहिनों को तो पहले से योजना का लाभ दे रहे हैं । इस

तरह से 25-26 किश्त में 16800 करोड़ से ज्यादा रूपए हम लोग हमारी बहिनों के खाते में भेजने का काम किये हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजतक छत्तीसगढ़ बनने के बाद 26 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई है और पिछले 5 साल में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए थे, उनको भी दो साल में आवास देने का काम हमारी सरकार ने किया है । (मेजों की थपथपाहट) आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर में बिजली की सुविधा पहुंचाई है, उसी तरह से हर घर में पानी भी पहुंचाना चाहते हैं । इसके लिए जन जीवन मिशन के तहत 41 लाख परिवारों के घर में अभी तक नल से साफ पानी पहुंचाने का काम हमने किया है । पिछले सरकार में आप लोग इस क्षेत्र में अच्छा काम कर दिए होते तो शायद अब तक शत-प्रतिशत घरों में पानी पहुंचा दिए होते, लेकिन हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास पीएचई विभाग है, उन्होंने बहुत प्रयास करके आज 41 लाख परिवार तक पानी पहुंचाने में सफल हुए हैं । आज हमारे प्रदेश में 8 लाख दीदी लखपति बन गई हैं और हम लोग आगे 10 लाख दीदीयों को लखपति बनाने की दिशा में आगे काम कर रहे हैं । आज महिलाओं को सम्पत्ति के स्वामित्व में रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं एवं स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं। इस तरह से यहां पर महिलाओं को लगातार सम्मान देने का काम हो रहा है। हम लोगों ने नई उद्योग नीति बनाई है। उसमें भी महिलाओं के लिए विशेष सब्सिडी देने का प्रावधान है। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम लोग भी छत्तीसगढ़ में इस तरह से काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब आप मुख्यमंत्री थे, तो आपने त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो 33 प्रतिशत आरक्षण था, उसको बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया था, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारे छत्तीसगढ़ में पंचायती राज में हमारी माताओं-बहनों का प्रतिनिधित्व 57 प्रतिशत है, जो हम समझते हैं कि पूरे देश में अन्य प्रदेशों से यहां पर बहुत अच्छा है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग एक और काम कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन का विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो रेडी टू इट का काम डॉ. साहब के समय स्व-सहायता समूह की बहनों दिया था, आप लोगों ने उसको भी छीन लिया था। अब हमारी सरकार आई है तो हम लोग फिर से रेडी टू इट का काम देने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से लगातार यहां पर महिलाओं के विकास के काम हो रहे हैं। आज पंचायती राज संस्थाओं में 96 हजार से ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व कर रही हैं। माननीय अध्यक्ष, आपने वर्ष 2012-13 में राशन कार्ड में महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया था, आपने यह एक ऐतिहासिक काम किया है। हमारे देश के लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी सबसे पहले 4 प्रतिशत थी और 18वीं लोकसभा में यह लगभग 13 प्रतिशत तक ही पहुंची है। इन 75 सालों में महिलाओं की भागीदारी में केवल 10 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है, जो दु:ख का विषय है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मातृ शक्ति के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक नया अध्याय जोड़ना चाहते हैं,

लेकिन आप सब लोग इसमें साथ नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को केवल अपने युवराज की चिंता रहती है और अपनी हठधर्मिता के कारण यह जो महायज्ञ पूरा होने वाला था, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना था, उस पर आप लोगों ने अपनी हठधर्मिता के कारण उस यज्ञ को पूरा नहीं होने दिया है। देश की आधी आबादी हमारी माताओं-बहनों के साथ एक बड़ा अन्याय हुआ है। शायद इसको कभी भी हमारे देश की माताएं-बहनें आप लोगों को माफ करने वाली नहीं हैं। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में कम से कम एक अवसर है। आज के इस शासकीय संकल्प को आप लोग सर्वसम्मति से पास कर देंगे तो शायद महिलाओं का आक्रोश कम हो जायेगा, ऐसा मैं समझता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 8-9 घण्टे की चर्चा में सारी बातें आ गई हैं। इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं विशेष कर विपक्ष से चाहूंगा कि आप लोगों को अपनी गलती सुधारने का एक मौका है। इसलिए आईये, सर्वसम्मति से इस सदन में इस शासकीय संकल्प को पारित करें। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं फिर से आपने इस शासकीय संकल्प के लिए एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम इस पर भाग नहीं लेना चाहते, हम सब लोग बहिष्कार करते हैं। चलिए बहिष्कार करिए।

समय :
9.16 बजे

<u>बहिष्कार</u>

<u>भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासकीय संकल्प के विरोध में बहिष्कार</u>

(नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासकीय संकल्प के विरोध में सदन से बहिष्कार किया गया)

<u>शासकीय संकल्प (क्रमश:)</u>

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि 'इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल लागू किया जाए।'

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

सत्र समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

अध्यक्ष महोदय :- नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्‌देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इस पर एक दिवसीय विशेष सत्र पर जो विधानसभा का षष्ठम विधानसभा का नवम सत्र था, नौ घंटे से ऊपर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सहित 25 सदस्यों ने इस पर भाग लिया। मैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है। यह सुखद संयोग है कि मातृशक्ति पर केंद्रित यह विशेष सत्र हमारा नवम सत्र है। प्रतीकात्मक रूप से माता की आराधना, मातृशक्ति एवं मातृ वंदन को यह विशेष सत्र समर्पित रहा। शासन द्‌वारा लाए गए संकल्प पर पक्ष-विपक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने विचार किया, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का संसदीय संस्कार राज्य की अनमोल धरोहर है। हमारे लिए यह उपलब्धि भरा दिन है, यह विषय हमारे लिए उपलब्धि भरा है। राज्य के निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ की विधानसभा में बजट सत्र, पावस सत्र, शीतकालीन सत्र के अलावा विकास के अनेक अवसरों पर विशेष सत्र आहूत हुए। 22 अगस्त, 2016 को संविधान संशोधन के अनुसमर्थन में। 28 अप्रैल, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर विधेयक। 3 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर।16 जनवरी, 2020 को संविधान के 126वें संशोधन 2019। 18 नवंबर, 2025 को विधानसभा की 25 वर्ष की संसदीय यात्रा पर विशेष चर्चा के साथ सत्र संपन्न हुआ और आज महिलाओं के समग्र कल्याण पर केंद्रित संकल्प पर चर्चा हुई। यह चर्चा इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए वचनबद्‌ध है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपने संसदीय आचरण और व्यवहार से देश के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस उपलब्धि का श्रेय मैं आपको देता हूं, माननीय सदन के नेता श्री विष्णु देव साय जी, इसके साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी, नेता प्रतिपक्ष बाहर चले गए हैं, मगर उन्हें भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं तथा पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्यगणों का जो सकारात्मक सहयोग मिला। आज यह एक दिवसीय सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सदन के सुव्यवस्थित संचालन में आप सबके सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। विशेषकर इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे सहयोग दिया। विधायी सदन में लाए गए किसी भी संकल्प अथवा किसी भी विषय पर अध्यक्ष चर्चा में भाग नहीं लेते। परंतु सत्र के समापन के अवसर पर उपसंहार के अवसर के रूप में वह अपनी भावनाएं रखते हैं। इसी परंपरा के अनुरूप आज के विशेष सत्र के संदर्भ में मैं संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूं। मातृशक्ति के

महत्व के विषय पर मेरा यह मानना है कि अनादि काल से लेकर आज तक भारतीय समाज में मातृशक्ति को महत्व और भूमिका, दोनों में अत्यंत प्रभावशाली रही। इस विषय पर संशय और संदेह की संभावना शून्य है। सामाजिक, राजनीतिक एवं विविध क्षेत्रों में हमारी माता, बहनें, बेटियों की भूमिका हमें गौरव का अवसर प्रदान करती है। आप चाहे पक्ष के और विपक्ष के सदस्य हों, मैंने अनुभव किया आप सभी के हृदय में मातृ शक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा और सम्मान का भाव विद्यमान है और यह होना भी चाहिए। घर-परिवार के से लेकर राज्य और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य आवश्यक है और इसे बनाए रखना किसी एक राजनीतिक दल की जवाबदारी नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जवाबदारी है। हम समाज में मातृ शक्ति की सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान के भाव को अपने हृदय में शाश्वत और जागृत रखते हैं। मैं मानता हूँ कि यह विशेष सत्र राजनीतिक दृष्टि से पक्ष-विपक्ष के लिए अलग-अलग मायने रखता हो, परंतु भावना की दृष्टि से आप सभी माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण महिलाओं के सम्मान पर केंद्रित रहा। यह इस सदन की उपलब्धि है।

हमारे लिए यह भी उपलब्धि है कि यह विशेष सत्र राज्य के त्रि-स्तरीय पंचायती राज के महिला सदस्य पंच, सरपंच, जनपद, जिला के सदस्य, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, महापौर एवं पार्षदगणों की दर्शक दीर्घा में भरपूर उपस्थिति रहीं। नारी शक्ति के सम्मान और महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के संबंध में आज छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस पावस सत्र में चर्चा हुई। हमारे देश की संस्कृति ने नारी को सम्मान दिया है। हमें इतिहास गवाह है कि महिलाएँ हमेशा समाज, परिवार, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की आधारशिला रही हैं। आज विधान सभा की कार्यवाही में विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई महिलाएँ, जिनमें स्थानीय निकाय की 61 अध्यक्ष, पार्षद 100, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता 60, लखपति दीदी 57, मितानिन दीदी 12, मिनी माता एवं अन्य पुरस्कार प्राप्त 61, जनपद अध्यक्ष 310, महिला मोर्चा पदाधिकारी 58, महिला बाल विकास के अधिकारी/कर्मचारी एवं क्षेत्र की महिलाओं ने मिलकर करीब 1100 लोगों ने नारी शक्ति के सम्मान और महिला के समग्र विकास की चर्चा को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। (मेजों की थपथपाहट) यह अपने आप में कीर्तिमान है कि विधान सभा में इतनी महिलाओं की एक दिन में उपस्थिति रही। इसके लिए छत्तीसगढ़ के इस विधान सभा में और छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ जनता के आभारी हैं। इस अवसर पर महिला जनप्रतिनिधिगण की पर्याप्त उपस्थिति और यह सफलता एक जीवंत प्रमाण है।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान दिया, प्रदेश की जनता को संपादित कार्यवाही से अवगत कराया। विशेषकर दूरदर्शन को आज की संपूर्ण कार्यवाही के प्रसारण के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) इस सत्र के समापन के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। सुरक्षा व्यवस्था में

संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस सत्र के दौरान कायम रखी। मैं विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा सहित सचिवालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण कुशलता और निष्ठा से किया है।

परम्परा के अनुसार इस सत्र के समापन पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित की जाती है। तदनुसार, आगामी सत्र जिसकी तिथि माह जुलाई के द्वितीय सप्ताह में संभावित है। आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

जन्मदिवस की बधाई

श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य को जन्मदिवस की बधाई

अध्यक्ष महोदय :- कल सुशांत शुक्ला जी का जन्मदिन है। आज मैं एडवांस में उनको बधाई देता हूँ और आप लोग भी बधाई दे सकते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगीत ''वंदे मातरम्'' और उसके पश्चात् ''राष्ट्रगान'' होगा। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

राष्ट्रगीत/राष्ट्रगान

(राष्ट्रगीत ''वंदे मातरम्'' एवं राष्ट्रगान ''जन-गण-मन'' की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित।

(रात्रि 9 बजकर 28 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 30 अप्रैल, 2026